चतुर्दश माला, खंड 24, अंक 20

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2006
28 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. PB-025
Block 'G'
Acc No .....61.....
Dated....3 Jan 2008

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)

अंक 20, मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2006/28 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
श्री नवीन जिन्दल, संसद सदस्य को नई दिल्ली में स्कीट शूटिंग प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने और भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच जीतने पर बधाई	2-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 382 से 384 और 387	4-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 385 और 388 से 401	35-90
अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 से 3953	90-399
सभा का कार्य	400
सभा पटल पर रखे गए पत्र	400-435
प्राक्कल समिति	
विवरण	435
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
19वां प्रतिवेदन	435-436
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
विवरण	436
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
विवरण	436
याचिका समिति	
20वें से 23वां प्रतिवेदन	437
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 20वें से 22वां प्रतिवेदन	437
(दो) विवरण	438
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 18वां प्रतिवेदन	438
(दो) विवरण	438
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
17वां प्रतिवेदन	438-439
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 19वां प्रतिवेदन	439
(दो) साक्ष्य	439
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	439-444
(एक) वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 36वें और 37वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी. चिदम्बरम	439-441

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006–07) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री हंस राज भारद्वाज 441

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 441

(चार) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 442-444

(पांच) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006–07) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मणि शंकर अय्यर 444

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना 444-455

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड (आईडीबीआई) के प्रबंधन तथा इम्प्लाइज एसोसिएशन के बीच हुए मजदूरी समझौते के लागू न होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री बसुदेव आचार्य 444-445, 447-449

श्री पी. चिदम्बरम 445-447, 452-455

श्री प्रबोध पाण्डा 449

श्री सुनील खां 450

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 450

श्री शैलेन्द्र कुमार 450

श्री गुरूदास दासगुप्त 451

श्री अनंत गंगाराम गीते 451

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 455-457

(दो) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 457-458

राज्य सभा से संदेश 458

विशेषाधिकार हनन की सूचना के बारे में 458-459

सदस्य द्वारा निवेदन 471-472

निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में

नियम 377 के अधीन मामले 491-503

(एक) तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के कॉफी उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से उन्हें वित्तीय पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेनथन 491-492

(दो) आन्ध्र प्रदेश में लंबित रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव 492

(तीन) ओएनजीसी द्वारा गुजरात के मेहसाना में तेल और गैस के अन्वेषण से अर्जित लाभ का एक प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास के लिए निवेश किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 492-493

(चार) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पश्चिमी भागों में गंगा नदी से पाइपलाईनों के माध्यम से पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 493

(पांच) कान्डला–अम्बाजी वाया खेड ब्रह्मा तथा श्यामला–मध्य प्रदेश और अहमदाबाद–आबू रोड रूट को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा 494

(छह) बीना जंक्शन और देश में अन्य रेलवे स्टेशनों पर बम निष्क्रिय करने वाले दस्ते तैनात किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 494-495

(सात) राजस्थान के धौलपुर–तांतपुर छोटी लाईन को रूपावास तक बढ़ाने और धौलपुर तथा सवाई माधोपुर को जोड़ने वाली नई रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रामस्वरूप कोली 495

(आठ) देश में डिनोटिफाइड एण्ड नोमेडिक ट्राईब्स को नौकरियों और प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए एक विधान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ 495-496

(नौ) 'कुरुख' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री जुएल ओराम 496

(दस) बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित किसानों को वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने और इस क्षेत्र के किसानों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की दृष्टि से पांचंदा बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा 496-497

(ग्यारह) देश में चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन 497

(बारह) विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में कार्य करने की अनुमति दिए जाने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 497-498

(तेरह) बी.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली स्थिति सरकारी आवास की खस्ता हालत के मद्देनजर उनका पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता 498

(चौदह) राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना के कार्य में उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 498-499

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान की खरीद शुरू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा 499-500

(सोलह) मध्य रेलवे के कराड रेलवे स्टेशन को कोंकण रेलवे के चिपलून रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली रेल लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील 500

(सत्रह) देश की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' 500

(अठारह) पश्चिम बंगाल के सियालदाह मंडल में सोनपुर से केनिंग तक रेल लाईन के दोहरीकरण के निष्पादन में तेजी लाने के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 501

(उन्नीस) असम में जंगली हाथियों के आतंक को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अरूण कुमार शर्मा 501-502

(बीस) नावाड द्वारा सुझाई गई राष्ट्रीय जल मार्ग परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. सी. थामस 502-503

(इक्कीस) कर्मचारी पेंशन योजना, 95 को संशोधित करने और इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के समकक्ष लाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन 503

बाल विवाह निवारण विधेयक, 2006 504

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती रेनुका चौधरी 504-509, 550-558

श्रीमती सुमित्रा महाजन 509-512

श्रीमती कृष्णा तीरथ 512-514

श्रीमती सी. एस. सुजाता 514-516

श्री शैलेन्द्र कुमार 516-517

श्री आलोक कुमार मेहता 517-520

श्रीमती वी. राधिका सेलवी 520-521

श्रीमती अर्चना नायक 521-522

श्री प्रबोध पाण्डा 522-523

श्रीमती रंजीत रंजन 523-526

श्रीमती करूणा शुक्ला 526-529

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश 529-532

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 533-536

श्री रविन्दर नाइक धारावत 536-537

श्रीमती मिनाती सेन 537-538

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 538-542

श्री फ्रांसिस फैन्थम 542-544

श्रीमती किरण माहेश्वरी 544-546

श्री अशोक अर्गल 547-548

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 548-549

श्रीमती नीता पटैरिया 549-550

खंड 2 से 21 और 1 558

पारित करने के लिए प्रस्ताव 558

नियम 193 के अधीन चर्चा

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दृष्टिकोण पत्र 558-589

श्री बसुदेव आचार्य 558-559

विदाई उल्लेख 559-562

राष्ट्रगीत 562

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 563

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 564-568

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 569-570

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 569-572

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2006/28 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को हमारे तीन पूर्व सहयोगियों श्री सुखेन्द्र सिंह, श्री कृष्ण सिंह और श्री महेश दत्त मिश्र के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सुखेन्द्र सिंह 1977 से 1979 और 1989 से 1991 तक छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व 1962 से 1967 तक श्री सिंह मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

श्री सिंह नौवीं लोक सभा के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति; प्राक्कलन समिति तथा नौवहन मंत्रालय और संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे।

पेशे से किसान और वकील श्री सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में श्री सिंह ने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया।

श्री सुखेन्द्र सिंह का निधन 17 सितम्बर, 2006 को 81 वर्ष की आयु में सतना, मध्य प्रदेश में हुआ।

श्री कृष्ण सिंह 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के भिण्ड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सिंह 1989 के दौरान आवास समिति के सदस्य थे।

पेशे से किसान श्री सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारिता संघ, भोपाल के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया।

एक खेल प्रेमी के रूप में श्री कृष्ण सिंह लोकेन्द्र क्लब, दतिया के सदस्य थे। उन्हें पढ़ने और छायांकन में भी गहरी रुचि थी।

श्री कृष्ण सिंह का निधन एक लंबी बीमारी के पश्चात् 12 अक्तूबर, 2006 को 78 वर्ष की आयु में दतिया, मध्य प्रदेश में हुआ।

श्री महेश दत्त मिश्रा वर्ष 1962 से 1967 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री मिश्र वर्ष 1952 से 1957 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह मध्य प्रदेश विधान सभा में भूमि सुधार समिति के सदस्य भी थे।

एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में श्री मिश्र को स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा।

एक पक्के गांधीवादी के रूप में श्री मिश्र कुछ समय तक गांधी जी से काफी नजदीक से जुड़े रहे। उन्होंने वर्ष 1948 में प्रथम सर्वोदय एग्जीक्यूटिव के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

एक शिक्षाविद् के रूप में श्री मिश्र जबलपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के संकय सदस्य थे। एक जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री मिश्र रचनात्मक कार्यों, कृषि और ग्रामीण उत्थान, खादी और ग्रामोद्योग तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे।

एक विद्वान के रूप में श्री मिश्र ने एलीमेंट्री सिविक्स एंड सोशल स्टडीज़ पर पुस्तकें लिखीं।

श्री महेश दत्त मिश्र का निधन, 11 नवम्बर, 2006 को 91 वर्ष की आयु में हरदा, मध्य प्रदेश में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्माहों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

श्री नवीन जिन्दल, संसद सदस्य को नई दिल्ली में स्कीट शूटिंग प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने और भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच जीतने पर बधाई

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब हम बोल रहे हैं, तो आपको चुप रहना होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह बताते हुए अपारा हर्ष हो रहा है कि हमारे एक नौजवान सहयोगी श्री नवीन जिन्दल ने 18 नवम्बर, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता के स्कीट निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीता है। श्री जिन्दल की उपलब्धि पर हमें गर्व है और मैं अपनी तथा सभा की ओर से उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देता हूं।

प्रश्न सं. 382, श्री रेवती रमन सिंह

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या सर–सर करते हैं।

[अनुवाद]

आपकी समस्या क्या है?

...(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, सभा को एस. श्रीसंत को भी बधाई देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं एस. श्रीसंत और भारतीय टीम को भी बधाई देता हूं। हम बहुत प्रसन्न हैं और अच्छे खेल के लिए भारतीय टीम को बधाई देता हूं। मैं सौरव गांगुली, वी.वी.एस. लक्ष्मण और जहीर खान को भी बधाई देता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपकी कोई बात नहीं लिखी जा रही है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी और साथ ही दुख भी होगा कि जो बागी, दागी हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी यह बात मत बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे छोड़िये और हमारे साथ आकर बातचीत कीजिए। क्या होगा, वह हम बता देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है, आज लास्ट डे है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रेवती रमन सिंह, प्रश्न सं. 382

आपराधिक कानूनों में संशोधन

+

***382. श्री रेवती रमन सिंह :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अपराध से संबंधित कानूनों में कोई संशोधन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों ने कहा है कि इन संशाधनों को क्रियान्वित करने में कठिनाइयां आ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया।

विवरण

(क) और (ख) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के विभिन्न उपबंधों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 25) के तहत तथा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम 2) के तहत संशोधित किया गया था।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के महत्वपूर्ण उपबंध हैं (i) आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले महिलाओं की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, (ii) पुलिस, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और जिस स्थान पर उसे पकड़ा गया है उस स्थान के बारे में उस व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाएगी, (iii) पुलिस की हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा उसके गायब होने अथवा किसी महिला के साथ बलात्कार होने की स्थिति में अनिवार्य न्यायिक जांच। मृत्यु के मामले में, मृत्यु होने के 24 घंटों के अंदर शव का परीक्षण किया जाएगा, (iv) अनिवार्य उपबंध कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानती अपराध का अभियुक्त है और वह निर्धन है और

जमानत प्रस्तुत नहीं कर सकता तो न्यायालय उसे बिना जमानत का बांड प्रस्तुत किए रिहा कर देगा, (v) ऐसे अपराध के अभियुक्त को छोड़कर, जिसके लिए सजा के रूप में मृत्यु दंड का प्रावधान है, अन्य किसी विचाराधीन कैदी को जमानत अथवा बिना जमानत के व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया जा सकेगा यदि वह कथित अपराध के लिए उल्लिखित कारावास की अधिकतम अवधि में से 1½ अवधि तक कारावास में रह चुका हो, (vi) कथित अपराध के लिए दिए जा सकने वाली कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी विचाराधीन कैदी को किसी भी स्थिति में कैद नहीं रखा जाएगा, (vii) खूंखार अपराधियों के लिए जमानत और प्रत्याशित जमानत के उपबंधों को कठोर बनाया गया है, (viii) भारतीय दंड संहिता में जमानत तोड़ने को एक विशिष्ट अपराध बनाया गया है तथा (ix) राज्य सरकारों को राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अभियोजना निदेशालय स्थापित करने हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं।

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 के महत्वपूर्ण उपबंध हैं (i) "क्षमा याचना–समझौते" की अवधारणा की शुरूआत करना (ii) जाली मुद्रा से संबंधित मामलों में साक्ष्य देने के लिए अधिक वैज्ञानिक विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना, तथा (iii) झूठा साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को डराने के लिए सजा का प्रावधान करने हेतु भारतीय दंड संहिता, 1860 में संशोधन करना।

(ग) और (घ) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के कुछ उपबंधों का विरोध करने वाले कुछ अभ्यावेदन मुख्यतः तमिलनाडु राज्य के वकीलों के कुछ संगठनों से प्राप्त हुए थे। उनकी मुख्य आपत्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 (प्रत्याशी जमानत) में संशोधन करने के विरुद्ध तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 324 में उल्लिखित अपराध (खतरनाक हथियारों अथवा अन्य माध्यम द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) को गैर–जमानती तथा समाधेय बनाने के प्रति थी। इन संशोधित उपबंधों को अभी लागू किया जाना है।

तथापि, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु राज्य के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के कुछ उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए, "भारतीय दंड संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2006" नामक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा दोबारा सुनवाई की गई, जैसे प्रियदर्शिनी मट्टू केस, जस्सिका लाल केस। इन दोनों केसिज में अभियुक्तों को सजा दी गई है। इसे देखते हुए, मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संबंधित कानूनों में संशोधनों पर विचार कर रही है, जिससे न्याय प्रणाली को सरल, संवेदनशील तथा शीघ्र न्याय दिलाने के लिए तैयार किया जा सके। इसके साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालयों में ऐसे कितने आपराधिक मामले पिछले दस वर्षों से लम्बित हैं। ...*(व्यवधान)* यदि दस साल के नहीं बता सकते तो कम से कम एक या दो सालों के लम्बित मामलों का विवरण बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है कि मंत्री जी के पास विवरण है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, मैंने जो उत्तर सदन के पटल पर रखा है, यदि सम्मानित सदस्य उसे देखें तो उन्हें पता चलेगा कि न्याय प्रणाली को सरल और तेज बनाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाये गये हैं। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और जो दूसरे क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे आई.पी.सी. एविडैन्स एक्ट में परिवर्तन करने के लिए हम इन्हें सदन में दाखिल करने जा रहे हैं। मैं आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि जो कानून 1994 में इस सदन में दाखिल किया गया था, वह कानून वर्ष 2005 तक इस सदन में पड़ा रहा और 2005 में कानून को अमैन्ड करने के बाद, वह हमारे स्टैच्यूट का हिस्सा बन गया है। इसके साथ–साथ एक और कानून वर्ष 2005 में बदलकर यहां लाया गया और तीसरा कानून हम इसमें देने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य के मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि जहां तक कानून बनाने का सवाल है, यह काम होम मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। लेकिन कोर्ट्स में कितने केसिज़ लम्बित हैं और कितने केसिज डिस्पोज ऑफ हुए हैं, इसकी सारी मालूमात लॉ मिनिस्ट्री से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं लॉ मिनिस्ट्री से जानकारी लेकर आपको दे दूंगा।

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह सूचना अपनी ओर से दे रहे हैं कि लगभग 56 लाख आपराधिक मामले अभी न्यायालयों में विचाराधीन हैं। लॉ कमीशन ने 1978 में कुछ रिकमंडेशंस दी थीं। उन रिकमंडेशंस में एक बात यह भी थी कि क्या सरकार जजों की नियुक्ति ज्यादा संख्या में जल्दी करेगी क्योंकि जजों की बहुत कम संख्या होने के कारण 10–10 साल तक आपराधिक मामले न्यायालयों में लम्बित रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जजों की नियुक्ति, जैसा लॉ कमीशन ने आपसे आग्रह किया था, आप

जल्दी उस रेशियों में करेंगे और दूसरे यह है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आप बनाने का काम करेंगे, जिससे एक साल के अंदर केसेज़ का निपटारा हो?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विधि मंत्री को देखना है।

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, उन्हें सिफारिश भेजनी होगी।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि लॉ कमीशन ने बहुत सारी रिकमंडेशनंस दी थीं और उन रिकमंडेशंस में से कुछ रिकमंडेशंस पर हमने अमल किया है, कुछ पर हमें अमल करना है लेकिन जहां तक इस दृष्टि से कानून बदलने का सवाल है, वह काम यहां से किया जाता है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति आदि का काम केन्द्रीय सरकार के पास है। डिस्ट्रिक्ट जज, सैशन जज, सिविल जजेज ओर मजिस्ट्रेट का काम स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हमारे देश में करीब–करीब 13,000 कोर्ट हैं और यह संख्या बहुत कम है। इसमें जजेज की संख्या भी कम है। इसलिए प्रान्तीय सरकारों को बताया गया है कि आप ज्यादा संख्या में जजों का अपाइंटमेंट करें ताकि सैशन्स कोर्ट और नीचे के जो कोर्ट हैं, वहां जल्दी केसेज डिस्पोज ऑफ हो सकें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेज के अपाइंटमेंट का काम है, वह केन्द्र की ओर से होता है। लेकिन यह बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछ रहे हैं और आपका इरादा प्रश्न पूछने का यह है कि जो न्याय करने में देरी होती है, वह किस प्रकार से कम की जाए। उसे कम करने के लिए सरकार की ओर से बहुत कारगर कदम उठाये गये हैं। स्पीड से काम करने के लिए नये कोर्ट्स बनाये गये हैं। आर्बिट्रेशन का कानून भी बनाया गया है। दूसरे, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से सरकिट कोर्ट की व्यवस्था भी की जा रही है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जजेज जाएंगे, गांवों में जजेज जाएंगे, कोर्ट गांवों में पहुंचेगा और वहां केसेज को निपटारा होगा। उन्हें जो कुछ पैसा देना है, वह भी सरकार की ओर से देने का काम चल रहा है। इसके साथ–साथ जो हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट किया है, उसके अंदर भी प्री–बार्गेनिंग का एक प्रोवीजन बनाया गया है। उससे भी आप केसेज की संख्या कम कर सकते हैं।

दूसरी बात उसके अंदर जो बतायी गई है, वह यह है कि जिन बहुत सारे छोटे–छोटे केसेज को आसानी से कम्पाउंड नहीं किया जा सकता था, उन्हें कंपाउंड करने के लिए भी प्रोवीजन बनाया गया है। तीसरी बात बतायी गई है कि जो समरी केसेज और वारंट केसेज होते हैं, इनमें वॉरंट केसेज की संख्या ज्यादा थी और समरी ट्रॉयल की संख्या कम थीं। उसमें भी वॉरंट केसेज की संख्या कम करके समरी ट्रॉयल से केसेज का किस प्रकार से निपटारा कर सकें, उसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। मगर मैं सम्मानीय सदस्य को कहूंगा कि जो अमेंडमेंट 2005 और 2006 में किए गए हैं, वे बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स हैं। लॉ कमीशन की ओर से जो रिकमंडेशंस आई थीं, उनके आधार पर, जो दूसरी कमेटियां बनी थीं, उसके आधार पर और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमंडेशंस दी थीं, उसके आधार पर, यहां जो सदस्यों की कमेटियां बनी थीं, उनके कहने पर ये बनाये गये हैं। माननीय सदस्य अगर उन सबको देख लें तो आपको यह पता चलेगा कि पहले से आज के इन कानूनों के नीचे केसेज डिसाइड करने में कितनी आसानी हो सकती है। उनका पता चलने पर आपके मन में जो शंका है, उसका पूरी तरह से समाधान होगा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा मगर काफी समाधान उससे हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदय, न्यायमूर्ति मलैमथ की अध्यक्षता में आपराधिक न्याय सुधारों संबंधी एक समिति गठित की गई थी जिसने सरकार को एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर अब कार्यवाही की जा रही है। इस प्रतिवेदन के कुछ भागों को स्वीकार कर लिया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब सरकार द्वारा प्रतिवेदन के उन कुछ भागों को स्वीकार कर लिया गया है, तो उन्हें आज की तारीख तक लागू क्यों नहीं किया गया है? यह न्याय व्यवस्था बड़ी खामियों को भी दूर करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई गवाह आज मुकर जाते हैं। क्या आप मामलों में गवाहों द्वारा ईमानदारी से गवाही देने हेतु गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी किसी कार्यक्रम के बारे में विचार कर रहे हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : मलैमथ समिति का प्रतिवेदन वास्तव में एक व्यापक प्रतिवेदन है और हमने मलैमथ समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया है। हमने दंड–प्रक्रिया संहिता और अन्य कानूनों में भी उन बातों का समावेश किया है। हमने राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को लागू करने को कहा है। एक सिफारिश यह है कि कानून में सौदाअभिवाक (प्ली बारगेनिंग) का प्रावधान होना चाहिए और कानून में इसका प्रावधान पहले ही कर दिया गया है। हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि एक अभियोजन निदेशालय हो जो इस संबंध में सहायता कर सके। इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। अब राज्य सरकारों को निदेश जारी करना है और ऐसे साधन उपलब्ध कराने हैं

जो मलैमथ समिति की सिफारिशों के अनुसार न्याय हेतु आवश्यक हैं।

अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग गवाहों को दी जाने वाली सुरक्षा के बारे में है। तीसरा संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है और उसमें दंड–प्रक्रिया संहिता और अन्य आपराधिक कानूनों के बारे में यह व्यवस्था की गई है कि गवाहों को किस प्रकार से सुरक्षा दी जा सकतीहै? उस कानून में हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा श्रव्य और दृश्य टेपों पर वक्तव्य रिकार्ड किया जाए। यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ मामलों में दंडाधिकारी द्वारा वक्तव्य रिकार्ड किए जाएं। यह भी व्यवस्था है कि यदि वादी और न्यायाधीश यह सुझाव दे रहे हों कि गवाह को सुरक्षा दी जाए तो उस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जायेगी। उस कानून में यह भी व्यवस्था है कि यदि लंबे समय तक सुरक्षा दी जानी आवश्यक हो तो ऐसा भी किया जाना चाहिए। किंतु यह काफी कठिन स्थिति है। मान लीजिए कि हम सभी गवाहों को सुरक्षा दे रहे हों और यदि हम राज्य सरकारों से सभी गवाहों को सुरक्षा देने के लिए कहें तो राज्य सरकारों पर काफी बोझ पड़ेगा। हमें उनका सहयोग लेना पड़ेगा क्योंकि तभी हम ऐसा कर सकते हैं। किंतु हम गवाहों को सुरक्षा देने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने एक प्रश्न के लिए पहले ही 20 मिनट का समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन मैं केवल इतनी बात पूछ रहा हूं कि क्या राजस्थान सरकार ने आपको अपराध रोकने के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं, यदि दिये हैं, तो आपने उनको क्रियान्वित भी कर ही दिया होगा। यदि क्रियान्वित नहीं किया है, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ऑमनीबस प्रश्न है कि उन्होंने हमें क्या सुझाव दिये और क्या नहीं दिये मगर जहां तक मेरे मालूमात हैं, क्रिमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एवीडेंस एक्ट इनको अमेंड करने का अधिकार जहां हमारी पार्लियामेंट को हैं वहीं स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी है, क्योंकि वह कंकरेंट लिस्ट में हैं। यह सिर्फ स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में नहीं हैं। इसलिए जो भी राजस्थान की सरकार करना चाहती है, वह करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारे बनाये हुए कानून और उनके बनाये हुए कानून में यदि कोई विरोधाभास है, तब कोई चीज हमारे पास आकर यहां से उनको देने की जरूरत है। आपने अगर दूसरे तरीके से मुझे मालूम कराया है, किस प्रकार के कानून के बारे में आप यहां प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उसे देखकर आपको बता दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने सभी संभावित मुद्दों का व्यापक उत्तर दिया है।

समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं

+

383. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी) और समेकित जनजातीय विकास एजेंसियां जनजातीय कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए संबंधित राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में राज्य सरकारों के प्रशासनिक यूनिट हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के समेकित विकास परियोजनाओं के निधिकरण के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी के लिए एससीए) के अधीन जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों में वर्ष 2003–04 से आईटीडीपी/आईटीडीए–वार निधियां आरक्षित रखना शुरू किया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईटीडीपी/आईटीडीए के लिए आरक्षित रखी गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध–I पर दिया गया है।

(ख) और (ग) निधियों की निर्मुक्ति के लिए टीएसपी के लिए एससीए के अधीन राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं की प्रस्तुति पर बल नहीं दिया जाता है क्योंकि यह निर्मुक्ति राज्य को दिए गए आबंटन

और राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अधीन यथापेक्षित पिछले वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के अनुसार की जाती है। वर्ष 2006–07 के लिए, अनुबंध–II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार पात्र राज्यों को पहले से ही निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।

(घ) आईटीडीपी/आईटीडीए का मुख्य कार्य जनजातीय समुदाय के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ अपने विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की सावधिक रूप से समीक्षा करता है।

अनुबंध-I

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन 2003–04 से 2006–07 के दौरान आईटीडीपी/आईटीडीए को आरक्षित निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आईटीडीपी/आईटीडीए की संख्या	आईटीडीपी/आईटीडीए को आरक्षित निधियां			
			2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	899.70	899.70	899.70	1065.210
2.	असम	19	2331.60	2331.60	2331.60	2655.000
3.	गुजरात	9	2916.03	2916.03	2916.03	3503.887
4.	हिमाचल प्रदेश	5	278.96	278.96	278.96	428.669
5.	जम्मू और कश्मीर**	–	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	5	98.55	98.55	98.55	176.34
7.	केरल	7	183.22	183.22	183.22	205.77
8.	मध्य प्रदेश	31	4309.91	4309.91	4309.91	5390.185
9.	महाराष्ट्र	16	1341.39	1341.39	1341.39	1341.390
10.	मणिपुर	5	635.86	635.86	635.86	738.07
11.	उड़ीसा	21	3942.07	3942.07	3942.08	4518.819
12.	राजस्थान	5	1430.83	1430.83	1430.83	1835.703
13.	सिक्किम	4	91.88	91.88	91.88	111.518
14.	तमिलनाडु	9	92.78	92.78	92.78	46.390
15.	त्रिपुरा	3	741.42	741.42	741.42	854.647
16.	उत्तर प्रदेश	1	9.88	9.88	9.88	0.00

1	2	3	4	5	6	7
17.	पश्चिम बंगाल	12	954.47	954.47	954.45	1092.982
18.	उत्तरांचल**	–	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	बिहार**	–	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	छत्तीसगढ़	19	3177.46	3177.46	3202.96	3668.696
21.	झारखंड	14	4506.11	4506.11	4506.12	4506.120
22.	गोवा*	–	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0.00

* 2006-07 में पहली बार गोवा को निधि प्रदान की गई है।
** जम्मू व कश्मीर, बिहार और उत्तरांचल राज्यों में किसी आईटीडीपी/आईटीडीए का पता नहीं लगाया गया है।

अनुबंध-II

वर्ष 2006–2007 (15.12.2006 की स्थिति के अनुसार) के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों की निर्मुक्ति

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नमा	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2912.00
2.	असम	1568.00
3.	बिहार	0.00
4.	छत्तीसगढ़	4769.00
5.	गोवा	110.00
6.	गुजरात	4251.00
7.	हिमाचल प्रदेश	890.00
8.	झारखंड	6131.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1088.00
10.	कर्नाटक	1242.00
11.	केरल	277.00
12.	मध्य प्रदेश	8817.00
13.	महाराष्ट्र	3888.00
14.	मणिपुर	398.00
15.	उड़ीसा	6701.00
16.	राजस्थान	4214.00
17.	सिक्किम	118.00
18.	तमिलनाडु	0.00
19.	त्रिपुरा	1080.00
20.	उत्तर प्रदेश	0.00
21.	उत्तरांचल	50.00
22.	पश्चिम बंगाल	2270.00
	कुल	50774.00

श्री सुग्रीव सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें आईटीडीपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रही है और इसके फलस्वरूप, जनजातीय लोगों को नुकसान हो रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कार्यक्रमों की सतत निगरानी करने का है ताकि प्रत्येक राज्य में आई टी डी पी के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

श्री पी. आर. किन्डिया : आई टी डी पी संकल्पना इस अर्थ में एक अच्छी संकल्पना है कि यह उस परियोजना एजेंसी के माध्यम से

जनजातीय लोगों के लिए केन्द्रित सामाजिक–आर्थिक विकास लाएगी। इसका ब्यौरा मेरे उत्तर में दिया गया है। ये राज्य सरकारों की प्रशासनिक इकाइयां हैं। मुझे पता है कि कुछ समय से आई टी डी पी और आई टी डी ए का महत्व कम हुआ है जैसा कि उड़ीसा में हुआ है। किंतु इसके साथ–साथ हमने राज्य सरकारों को आई टी डी पी के माध्यम से वित्तपोषण कराकर उसे अधिक केन्द्रित बनाने का प्रयास किया है। यह उनके विकास, उनके कार्यक्रम में सुधार करने का एक तरीका है। किंतु अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाएं हैं। वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से नकारात्मक उत्तर मिला है। किंतु इसके साथ–साथ मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमें आई टी डी पी और आई टी डी ए एजेंटों को सुदृढ़ करना चाहिए।

श्री सुग्रीव सिंह : मेरे राज्य उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष अनुदान जारी करने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के कारण आई टी डी पी के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने में धनराशि की भारी कमी का सामना कर रहा है। इसके मद्देनज़र, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी अपने मंत्रालय को वित्त वर्ष की शुरूआत में धनराशि जारी करने का निदेश देंगे ताकि राज्य निर्धारित राशि को समय पर खर्च कर सके।

श्री पी. आर. किन्डिया : मेरी चिंता यह है कि आई टी डी पी को और अधिक प्रभावी रूप से काम करना चाहिए। किंतु हम उन्हें सीधे धनराशि नहीं दे सकते हैं। हमें उन्हें राज्य सरकार के माध्यम से धनराशि देनी पड़ती है। यदि माननीय सदस्य मुझे यह जानकारी दे सकें कि आई टी डी पी किस तरीके से काम नहीं कर रही है, तो मैं राज्य सरकार के साथ यह बात उठाकर उनकी सहायता कर सकता हूं किंतु हम सीधे धनराशि नहीं दे सकते हैं। राज्य सरकार को अपनी ओर से सक्रिया होना चाहिए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : उनका प्रश्न केवल धनर.शि जारी करने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : वे समय पर अनुदान जारी न करने के बारे में शिकायत कर रहे थे।

श्री पी. आर. किन्डिया : यह करना राज्य सरकार का काम है।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई पी. पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान गुजरात में आई.टी.डी.पी. प्रोजैक्ट्स के लिए आबंटित धनराशि को अन्य स्कीमों में खर्च किये जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार आई.टी.डी.पी. प्रोजैक्ट्स के लिए आबंटित धनराशि के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या–क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. आर. किन्डिया : साफ–साफ कहूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। किंतु जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम राज्य–सरकार को बर तरफ नहीं कर सकते हैं। कई योजनाएं अथवा परियोजनाएं हैं जिनका कार्य–निष्पादन काफी महत्वपूर्ण है। किंतु हम अपनी तरफ से यह कर सकते हैं कि यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट जानकारी मुझे दें तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने तरीके से कदम उठाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, लेकिन इन सारी योजनाओं का लाभ दुर्गम क्षेत्रों, वनों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस आशय की कोई जानकारी है, यदि हां, तो इन वनों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के विकास तथा इन सभी योजनाओं का फायदा उन्हें मिले, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. आर. किन्डिया : हम राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम यही कर सकते हैं कि जनजातीय उप–योजना को सुदृढ़ करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से धनराशि जारी कर दें।

यह उस राज्य के जनसंख्या अनुपात के आधार पर तथा देश की पूरी जनसंख्या के संदर्भ में किया जा रहा है। हम राज्य सरकारों से उन योजनाओं को लेने के लिए अनुरोध कर रहे हैं जो तैयार की जा चुकी हैं। शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयोजनार्थ काफी योजनाएं हैं। मुख्यतया दो आधारभूत योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम राज्यों की सहायता करते हैं। एक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से और दूसरा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के माध्यम से जिसमें हम राज्यों को सहायता देते हैं। उनको निधियां पहुंचाने के ये दो आधारभूत तरीके हैं और तत्पश्चात् राज्य सरकारें योजनाएं ले सकती हैं। फिर, हमने आई.टी.डी.पी. स्तर पर प्रणाली में संशोधन किया है।

श्री अबु अयीश मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से

यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाएं होने के बावजूद देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में भुखमरी के कारण मौत की घटनाएं हुई हैं। यदि हां, तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह काफी अस्पष्ट है।

श्री पी. आर. किन्डिया : महोदय, यह अति सामान्य प्रश्न है। यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो आपके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री पी. आर. किन्डिया : जी, हां, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मूल प्रश्न के लिखित उत्तर के भाग 'घ' में जवाब दिया है कि आईटीडीपी/आईटीडीए का मुख्य कार्य जनजातीय समुदाय के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

महाराष्ट्र के मुख्यतः तीन जिलों – अमरावती, ठाणें और धुले में बड़ी संख्या में आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं। और भी कई जिले हैं – गढ़चिरौली है, चंद्रपुर है, लेकिन मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं, वह है कि पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के इन जिलों में कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण गरीबी है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में राज्य सरकार को आदेश दिये हैं कि बाल मृत्यु को रोका जाए। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि जहां आदिवासी जनजाति बस्तियों में कुपोषण से बाल मृत्यु हो रही है, उसे रोकने के लिए अनेक योजनाएं हैं, उनमें से एक प्रमुख योजना की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने की है कि उन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी का प्रायोजन ज्यादा संख्या में करेंगे, जिससे उसके जरिये उन बालकों को अच्छा आहार मिल सके। जो आंगनवाड़ी की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने की है, उसे पूरा करने के लिए क्या राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास आया है? यदि आया है, तो केन्द्र सरकार ने इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की है?

अध्यक्ष महोदय : इतना लंबा प्रश्न पूछेंगे तो कैसे काम होगा?

[अनुवाद]

श्री पी. आर. किन्डिया : महोदय, यह काफी लम्बा प्रश्न है। लेकिन मैं जनजातीय लोगों की आजीविका तथा कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किए जाने के महत्व के बारे में माननीय सदस्य से सहमत हूं। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने ऐसे किसी कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी नहीं दी है। इस समय तो स्थिति यही है।

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है।

श्री बनलाल जावमा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में यह कहा है कि उत्तर पूर्व में चार जनजातीय राज्य अर्थात् मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आई.टी.डी.पी. तथा आई.टी.डी.ए. योजनाओं में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए भी उत्तर पूर्व क्षेत्र के इन चार राज्यों को शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, माननीय मंत्री जी स्वयं मेघालय के हैं। मैं नहीं जानता हूं कि इस उप योजना में इन चार जनजातीय राज्यों को शामिल नहीं करने का क्या कारण है।

श्री पी. आर. किन्डिया : महोदय, यह एक काफी अच्छा प्रश्न है। देश में ऐसे राज्य हैं जो जनजातीय बहुल हैं। मिजोरम एक जनजातीय राज्य है; मेघालय एक जनजातीय राज्य है; अरुणाचल प्रदेश एक जनजातीय राज्य है; तथा नागालैण्ड एक जनजातीय राज्य है। ये मुख्यतया जनजातीय राज्य हैं। अतः, उनके लिए मात्र एक विशेष योजना की आवश्यकता है। सम्पूर्ण योजना जनजातीय योजना है। यह 50 प्रतिशत से अधिक है तथा मिजोरम के मामले में यह लगभग 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य धीरे–धीरे ब्रीफ में बोलें। हम लोग प्रीफेस बहुत ज्यादा करते हैं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं तथा आई.टी.डी.एस. जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए राज्य की प्रशासनिक इकाइयां हैं।

वर्ष 2003–04 से, भारत सरकार जनजातीय उप–योजना के अंतर्गत आई.टी.डी.एस. को निधियां भेज रही है। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा निधियों का उपयोग अन्य योजनाओं के लिए किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी के पास इस संबंध में कोई सूचना है, यदि हां, तो भारत सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

महोदय, यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। हम प्रत्यक्षतः जनजातीय कल्याण के लिए निधियां जारी कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें उन निधियों को अन्य योजनाओं में लगा रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, राज्य सरकारें निधियों का उपयोग अन्य योजनाओं में कर रही हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी. आर. किन्डिया : हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी कल्याण की योजनाएं भारत सरकार राज्य सरकार की ओर से कई सालों से चल रही हैं मगर उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं चले हैं। भारत सरकार ने ट्राइबल्स सबप्लान भी बनाया है। ट्राइबल्स की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 8.2 प्रतिशत है। पिछले साल का बजट 5,63,000 करोड़ रुपये का था। उसमें ट्राइबल्स के लिए कम से कम 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की आवश्यकता थी। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि 2006–2007 के बजट में ट्राइबल्स के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किये थे और अगले बजट में 8.2 प्रतिशत, यानी 50 हजार करोड़ रुपये आदिवासियों के लिए मंजूर करने के लिए आपका मंत्रालय क्या प्रयत्न कर रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे अधिक धनराशि चाहते हैं।

श्री पी. आर. किन्डिया : महोदय, यह भविष्य के लिए प्रश्न है। हम ग्यारहवीं योजना में निधियों के आबंटन में वृद्धि के लिए माननीय सदस्य के सुझाव लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

औद्योगिक पार्क

+

384. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार स्थापित किए गए औद्योगिक पार्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में और औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या औद्योगिक विकास हेतु योजनाएं शुरू किए जाने के पश्चात् इन औद्योगिक पार्कों की प्रासंगिकता समाप्त हो गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा–पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य–वार अनुमोदित और स्थापित किए गए औद्योगिक पार्कों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) औद्योगिक पार्क योजना, 2002 एक जारी योजना है। इस योजना के तहत, उन उपक्रमों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा, 80, 1ए के तहत आयकर लाभ उपलब्ध हैं, जो औद्योगिक पार्कों को विकसित करने, चलाने एवं उनके रख–रखाव के व्यवसाय में लगे हैं। ये लाभ मार्च, 2009 तक उपलब्ध हैं। इस योजना के अनुसार निरंतर आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। इस योजना में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, व्यवसाय शुरू हो जाने के पश्चात् पंद्रह निर्धारण वर्षों के ब्लॉक में, लगातार दस वर्षों की अवधि तक ढांचागत सुविधाओं के विकास में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों को, लाभों पर देय कर की गणना पर छूट दी जाती है। चूंकि योजना में गुणवत्तायुक्त औद्योगिक ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा देने की परिकल्पना है, जो कि औद्योगिकरण का एक अनिवार्य घटक है, अतः यह डेवेलपर्स को आकर्षक लग रही है।

अनुबंध

पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित किए गए एवं कार्यशील औद्योगिक पार्कों की राज्य–वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	पिछले 3 वर्षों के दौरान औद्योगिक पार्क योजना के तहत अनुमोदित किए गए औद्योगिक पार्कों की संख्या	पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्यशील औद्योगिक पार्कों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20	6
2.	चंडीगढ़	1	1

1	2	3	4
3.	गुजरात	4	1
4.	हरियाणा	2	1
5.	कर्नाटक	39	20
6.	महाराष्ट्र	56	23
7.	पंजाब	1	–
8.	राजस्थान	63	5
9.	तमिलनाडु	10	2
10.	उत्तर प्रदेश	5	3
11.	उत्तरांचल	5	–
12.	पश्चिम बंगाल	7	4
	योग	213	66

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल पार्क्स स्कीम पॉलिसी केन्द्र सरकार ने 1977 से बनाई है और मार्च 2009 तक उसे एक्सटैन्ड भी किया है। यह इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्कीम्स हैं, वह राष्ट्र के हित में है, स्टेट्स के हित में है, इंडस्ट्रीज़ के हित में हैं और लेबरर्स के हित में हैं। राज्य सरकारों ने भी इस पर अच्छा रिस्पौन्स दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने आप इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने की कोशिश की है और विदेशों के साथ एम.ओ.यू. साइन करके भी इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने की कोशिश की है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि गुजरात सरकार ने कुल कितने इंडस्ट्रियल पार्क्स की योजनाओं के प्रपोज़ल केन्द्र सरकार को भेजे हैं और केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार की कितने इंडस्ट्रियल पार्क्स की योजनाओं को स्वीकृत किया है?

[अनुवाद]

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, औद्योगिक पार्क योजना उन योजनाओं में से है जो भारत सरकार द्वारा हमारे विभाग में संचालित की जा रही है। यह काफी सफल योजना सिद्ध हुई है क्योंकि यह गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना से संबंधित है। मैंने उत्तर में सूचना दी है।

जहां तक गुजरात का संबंध है, योजना के अंतर्गत स्वीकृत औद्योगिक पार्कों की संख्या चार है, तथा विगत तीन वर्षों से गुजरात राज्य में चल रहे औद्योगिक पार्क की संख्या एक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब उत्तर में दिया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : ये तो अनुमोदित हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने शुरू किए हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कितने लंबित हैं? क्या आपके पास आवश्यक सूचना है?

श्री अश्विनी कुमार : कुल मिलाकर पूरे देश से 157 प्रस्ताव लंबित हैं। जहां एक मेरी जानकारी का संबंध है, इस चार्ट के अनुसार विगत तीन वर्षों में गुजरात से कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, लेकिन जहां तक गुजरात का संबंध है मैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल पार्क की स्कीम के तहत गुजरात सरकार ने एक लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पार्क ओर्डीनेंस भारत सरकार को भेजा है। वह आर्डीनेंस बहुत लम्बे समय से स्वीकृति के लिए यहां पैंडिंग है। जो आर्डीनेंस गुजरात सरकार ने भारत सरकार के पास भेजा है, उसकी स्वीकृति कब तक मिलेगी?

[अनुवाद]

श्री अश्विनी कुमार : प्रश्न में इसके बारे में नहीं बताया गया है। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। यह किसी राज्य विशेष से संबंधित है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सही कह रहे हैं।

श्री अश्विनी कुमार : मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा तथा इसे माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडीया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक पार्क योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई समय–सीमा का भी निर्धारण किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सीमा के उल्लंघन की स्थिति में क्या कोई दंडात्मक प्रावधान भी है?

[अनुवाद]

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, यह योजना मूलतः 2006 में समाप्त होनी थी। अब इसे 2009 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के

क्रियान्वयन की समय–सीमा में यह निहित है कि पार्क को यथाशीघ्र बनाए जाने का सीधा सा कारण यह है कि इसके बाद ही सम्बन्धित इकाईयों को आबंटित कर या इसे बेचकर डवलपर को लाभ मिलेगा। यद्यपि वो विनिर्दिष्ट समय–सीमा नहीं है लेकिन, इस पर विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अत्यधिक विलम्ब हो जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाती है तथा डवलपर को बुलाया जाता है।

श्री एन. एस. वी. चित्तन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य के अनुसार, भारत सरकार ने 10 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए हैं, तथा उनमें से केवल दो पार्क ही कार्यशील हैं। महोदय, आपके माध्यम से क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि शेष आठ औद्योगिक पार्कों के कार्यशील नहीं होने के क्या कारण हैं?

महोदय, मदुरै तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दक्षिण तमिलनाडु आर्थिक रूप से तथा औद्योगिक रूप से पिछड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण तमिलनाडु में औद्योगिक पार्क शुरू करने के लिए कोई आवेदन लम्बित है। यदि नहीं, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दक्षिण तमिलनाडु में औद्योगिक पार्क शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देगी।

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, यह योजना किसी राज्य विशेष के लिए नहीं है। यह इस प्रश्न से नहीं पता चलता है। लेकिन माननीय सदस्य की सन्तुष्टि के लिए मैं उन्हें बता सकता हूं कि किसी भी राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाता है बशर्ते कि वह पात्रता के सामान्य मापदण्डों को पूरा करता हो।

मोहम्मद सलीम : महोदय, माननीय मंत्री ने औद्योगिक पार्कों की स्वीकृत संख्या एवं उनमें से कितने कार्यशील हैं के बारे में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े दिए हैं। मूल प्रश्न यह था। मेरा प्रश्न यह है। मंत्री जी ने प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दिया है तथा कहा है कि यह सतत प्रक्रिया है, तथा जब–जब भी उन्हें आवेदन प्राप्त होते हैं तदनुसार उन्हें स्वीकृत किया जाता है। बहुत से पार्क स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन दो–तिहाई से भी अधिक कार्यशील नहीं हैं। प्रतिवर्ष आपको कितने आवेदन प्राप्त हो रहे हैं? उदाहरणार्थ, इस वर्ष तथा गत वर्ष कितने पार्क स्वीकृत किए गए? यदि आप इनका ब्यौरा दे दें तो हमें ज्ञात हो जायेगा कि स्वीकृत किए जाने के बाद कितने पार्क कार्यशील नहीं हैं। एस ई जेड नियम – यह मूल प्रश्न था – जिसे मंत्री जी ने टाल दिया, फरवरी, 2006 में कितने पार्क अंतिम रूप देने के बाद तथा क्या अभी भी इसका महत्व है? आपके आंकड़े यह बताएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता हूं कि मंत्री जी ने इसे टाल दिया है।

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, यह इससे बहुत संगत प्रश्न है। मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम इसका एस ई जेड से सीधा कोई संबंध नहीं है क्योंकि एस ई जेड पूर्णतया अलग योजना है। यह निर्यातों से जुड़ा हुआ है। यह गुणवत्तायुक्त बुनियादी संरचना के लिए है। यह सत्य है कि स्वीकृत पार्कों की संख्या तथा कार्यशील पार्कों की संख्या में अंतर है।

अब हमने इस बात के मद्देनजर इस योजना की समीक्षा शुरू की है ताकि किसी प्रकार की खामी को दूर किया जा सके तथा हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी पार्क स्वीकृत हों वे वास्तव में कार्य करना शुरू करें। इसलिए हमने वित्त मंत्रालय, जो कि एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, में एक नोट परिचालित किया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी पार्क स्वीकृत हो वह कार्य शुरू करे, हम इस योजना में शीघ्र ही संशोधन करेंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, इस योजना में गुणवत्तायुक्त बुनियादी संरचना को प्रोत्साहन देने की कल्पना की गई है। लेकिन वक्तव्य में दिए गए परिणाम से पता चलता है कि परिणाम काफी नगण्य है एवं हतोत्साहित करने वाला है। तीन वर्षों में केवल 12 राज्यों के आंकड़े ही उपलब्ध हुए हैं। परियोजना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 213 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं जबकि वास्तव में कार्यरत औद्योगिक पार्कों की संख्या केवल 66 ही है। इसमें देश के सभी राज्य शामिल नहीं हैं।

इसलिए, अन्य राज्य आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? दिक्कत क्या है? क्या यह योजना बहुत अधिक प्रोत्साहित करने वाली नहीं है? मेरे विचार से इन सभी योजनाओं के लिए कुछ और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस संबंध में दृष्टिकोण क्या है। चूंकि परिणाम बहुत ही नगण्य हैं तथा हतोत्साहित करने वाला है, वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं? अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अन्य राज्यों के साथ क्या हो रहा है? वे आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपको प्रश्न दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। एक प्रश्न को तीन बार पूछने से यह प्रबल होने वाला नहीं है।

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, कोई राज्य विशेष किसी अन्य राज्य से अधिक सक्रिय क्यों है यह बात राज्य सरकारों को बतानी चाहिए, तथा उनकी अकर्मण्यता के बारे में भी वे ही बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह ठीक है।

श्री अश्विनी कुमार : जहां तक इस योजना का संबंध है न केवल इस योजना के अंतर्गत बल्कि गुणवत्तायुक्त बुनियादी रचना से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त बुनियादी संरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए हम सीमाओं से बाहर जाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि जो भी खामियां पाई गई हैं, चाहे वे योजना के क्रियान्वयन में हों या विभिन्न राज्य सरकारों तथा विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय में हो, पर समीक्षा की चालू प्रक्रिया के जरिए ध्यान किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री रामकृपाल यादव आपको विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ रैलेवेंट क्वैश्चन पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ रैलेवेंट प्रश्न ही पूछूंगा। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में पिछले तीन वर्षों में अनुमोदित प्रौद्योगिक पार्कों के विषय में एक चार्ट दिया है जिसके अनुसार 12 राज्यों में ये अनुमोदित किए गए हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कई ऐसे राज्य हैं, जहां गरीबी है, पिछड़ापन है, फटेहाली है – जैसे बिहार। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार से अभी तक कोई प्रोपोजल नहीं आया है, यदि नहीं, तो क्या वे बिहार में इसकी स्थापना के बारे में सोच रहे हैं ताकि वहां का पिछड़ापन, गरीबी एवं फटेहाली दूर हो सके?

श्री अश्विनी कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि आप कोई भी प्रोपोजल लेकर आएं और अगर एक एलीजिबिलिटी क्राइटीरिया में होगा, तो हमें खुशी होगी कि बिहार में इंडस्ट्रियल पार्क लगे, लेकिन जैसी मैंने पिछले तीन साल की इन्फर्मेशन दी है, उसके अनुसार बिहार में ऐसा कोई प्रोपोजल नहीं आया है।

श्री चंद्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील राज्य है। वहां से जो 56 प्रपोजल आने की सूचना उन्होंने अपने उत्तर में दी है। उनमें से पिछले तीन सालों में 23 प्रपोजल क्रियान्वित होना बताया गया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो बाकी 33 प्रपोजल हैं, वे किन कारणों से स्वीकृत नहीं हुए, ये कब तक विचाराधीन रहेंगे और उनके नाम भी यदि वे बता सकें, तो बेहतर होगा?

श्री अश्विनी कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक नामों का सवाल है, मैं उन्हें सूचना दे दूंगा। जहां तक कारणों का सवाल है कि वे किन कारणों से स्वीकृत नहीं हो पाए, इस बारे में निवेदन है कि प्रत्येक इंडस्ट्रियल पार्क स्वीकृत होने के विशेष कारण हो सकते हैं, इसके लिए स्पेसीफिकली देखना पड़ेगा। मैं इसकी मालूमात लेकर उन्हें अवगत करा दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 385 : श्री इकबाल अहमद सरडगी – उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 386 : श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव – उपस्थित नहीं।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल।

भारतीय जड़ी-बूटियों तथा पौधों को पेटेंट करवाना

+

***386. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हाल ही में कतिपय जड़ी–बुटियों/औषधीय पौधों के गुणों के आधार पर विभिन्न भारतीय जड़ी–बूटियों तथा औषधीय पौधों सम्मिश्रणों का अपने नाम पेटेंट करवा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा–पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) प्रकृति में विद्यमान जड़ी–बूटियां और औषधीय पौधे सामान्यतः पेटेंटनीयता के मानदंडों, नामतः, नवीनता, आविष्कार के गुण तथा औद्योगिक उपयोग, को पूरा नहीं करते। तथापि, कुछ विशेष जड़ी–बूटियों/औषधीय पौधों के गुणों पर आधारित सम्मिश्रणों पर पेटेंट किए जाने की रिपोर्टें आई हैं।

(ख) और (ग) ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती, क्योंकि पेटेंट विभिन्न देशों द्वारा अपने–अपने पेटेंट कानूनों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं और ये उसी देश में प्रभावी होते हैं, जिस देश में वे प्रदान किए गए हों।

जब कुछ विशेष मदों पर पेटेंट दिए जाने की सूचना मिलती है, जिन्हें पेटेंटनीय न समझा जाता हो और जिनसे भारत के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो संबंधित देश के कानूनों के तहत उसे चुनौती देने के लिए प्रभावित व्यक्ति द्वारा संभावनाओं का पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, हल्दी के घाव भरने संबंधी गुणों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किए गए एक पेटेंट को चुनौती दी गई और उसे रद्द करवा दिया गया।

जैव संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से, 2005 में यथा–संभावित, पेटेंट अधिनियम, 1970 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में पेटेंट के लिए आवेदन करते समय, आविष्कार में प्रयोग की गई जैव–सामग्री के स्रोत और भौगोलिक उत्पत्ति का अनिवार्य रूप से खुलासा करना होगा। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 (ञ) के अनुसार, पौधे और जंतु, संपूर्ण रूप में या उनके हिस्से, सूक्ष्मजीवों को छोड़कर, लेकिन बीज, किस्में और प्रजातियां तथा पौधों व जंतुओं के उत्पादन तथा वृद्धि हेतु मूलतः जैविक प्रक्रियाएं, पेटेंटनीय नहीं हैं। अधिनियम की धारा 10, 25 और 64 में प्रावधान किए गए हैं ताकि जैव–सामग्री का स्रोत और भौगोलिक उत्पत्ति का खुलासा न करने या गलत खुलासा करने को, प्रदान किए गए पेटेंट के विरोध करने तथा उसे रद्द करवाने का आधार बनाया जा सके।

पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट होने से बचाने के लिए, पेटेंट अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी आविष्कार, जो वास्तव में पारंपरिक ज्ञान हो, अथवा जो पारंपरिक तौर पर ज्ञात घटक या घटकों के ज्ञात गुणों का मिश्रण या उनकी प्रतिकृति हो, पेटेंटनीय नहीं होगा। अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार, ज्ञान द्वारा आविष्कार का अनुमान, चाहे वह मौखिक ज्ञान हो या अन्यथा, जो भारत में या कहीं भी किसी भी स्थानीय या देशी समुदाय में मौजूद हो, पेटेंट प्रदानगी के विरोध हेतु एक आधार होगा। किसी दिए गए पेटेंट को रद्द करवाने हेतु अधिनियम की धारा 64 में इसी प्रकार के आधारों की व्यवस्था है।

सरकार ने पेटेंट आवेदन प्रारूप में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों के लिए एक पारंपरिक ज्ञान की डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया है ताकि ऐसे ज्ञान पर आधारित आविष्कारों को पेटेंट करने से रोका जा सके।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : महोदय, औषधीय पौधे और जड़ी–बूटियों पर हमारे देश का परंपरागत एकाधिकार रहा है और बहुत से आयुर्वेद आचार्यों ने जड़ी–बूटियों और औषधीय पौधों की संरचना के बारे में पुस्तकें लिखी हैं। आजकल गुणवत्ता, अच्छी पैकिंग और विपणन के मामले में इसकी स्पर्धा एलोपेथी से है। परंतु ऐसा देखा गया है कि बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां औषधीय पौधों को खरीदकर अपने स्वयं के पेटेंटों पर उत्पादों को बेच रही हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, यह सच है कि पूर्व में विशेषकर अमरीका और यूरोप में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हमारे कतिपय भौगोलिक संकेतकों तथा नीम, हल्दी और बासमती जैसे जैव विविधता वाले उत्पादों को पेटेंट किया गया। परन्तु जैसे ही हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया, संबंधित संगठनों ने इस मामले को उठाया, उन्होंने मामलों के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन किया; और सभा को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हल्दी, नीम और बासमती के मामले में हम गलत तरीके से दिए गए पेटेंट वापस करवाने में सफल रहे हैं।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : महोदय, दिनांक 1.10.2006 के नेशनल हेरॉल्ड में समाचार आया था कि भारत जल्द ही देश से संबंधित परंपरागत जानकारी संबंधित 1,07,000 नामों को इंटरनेट पर डालेगा, जिसे विश्व में कोई भी पेटेंट नहीं करा सकता। निसंदेह इसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा। परंतु यदि ऐसा ही है तो सरकार, अन्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूर्व में किए पेटेंटों के बारे में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही बताया है कि हमने परंपरागत जानकारी वाली डिजीटल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाने वाली जानकारी निकाली है, जहां विदेशी रजिस्ट्रियों के लाभ के लिए परंपरागत जानकारी के 1,60,000 संदर्भ हैं ताकि किसी अज्ञानतावश पेटेंट प्रदान न किए जाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा विशेषकर बासमती, हल्दी, नीम, ब्रिंजल और जामुन से संबंधित विशिष्ट मामलों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया था। हमने गलत रूप से पेटेंट प्रदान किए गए मामलों को सफलतापूर्वक चुनौती दी और चार मामलों में पेटेंट वापस लेने में हम सफल रहे। जब भी गलत तरीके से प्रदान किए पेटेंटों तथा इसकी जानकारी हमें दी जाएगी, हम अपनी परंपरागत जानकारी और जैव–विविधता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।

डा. सुजान चक्रवर्ती : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां विश्व में भारत की सबसे अधिक जैव–विविधता है। हम सभी जानते हैं कि हिमालय से सुंदरबन तक यह फैली हुई है। हमारे देश में जड़ी–बूटियों और औषधीय पौधों का परंपरागत इस्तेमाल भी बहुत होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक गांव में किसी न किसी प्रकार की परंपरागत जानकारी होती है। परन्तु सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में अमरीका और चीन में औषधीय पौधों,

जड़ी–बूटियों, उसके भागों के पेटेंट तथा उनका उपयोग भारत में कहीं अधिक हुआ है। मोटे तौर पर यह भारत से 60 से 70 गुणा अधिक है।

मेरी राय में सरकार को इस मुद्दे पर और गंभीर होना चाहिए। लिखित उत्तर में यह उल्लेख है कि :

> "जब कतिपय मदों, जिन्हें पेटेंटयोग्य नहीं माना जाता तथा जो भारतीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, को पेटेंट किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा पेटेंट कानूनों के अंतर्गत इसे चुनौती देने के लिए संभावनाएं तलाशी जाती हैं।"

इससे ऐसी राय बनती है कि पेटेंट और पेटेंटयोग्यता से लोगों के हित ही प्रभावित होते हैं। इसे राष्ट्रीय हित माना जाना चाहिए और उसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए।

मेरा प्रश्न है कि टी के डी एल के बावजूद गांवों में परंपरागत जानकारी है, क्या सरकार परंपरागत जानकारी के बारे में एक सार–संग्रह बनाने तथा विकसित करने वाली है। उस दृष्टि से, सरकार को पेटेंट के मुद्दे को सबसे गंभीर मानकर राष्ट्र हित में इसे उठाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

डा. सुजान चक्रवर्ती : मैं जानता हूं कि क्या सरकार परंपरागत जानकारी का एक सार–संग्रह तैयार करने तथा विकसित करने वाली है ताकि पेटेंट आवेदन तथा पेटेंट योग्यता राष्ट्र हित में सरकार की जिम्मेदारी बन सके। यह केवल प्रभावित व्यक्ति की ही जिम्मेदारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार केवल पेटेंट प्रदान करती है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ) : महोदय, सरकार ने इस संबंध में बहुत से कदम उठाए हैं।

दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा में परंपरागत जानकारी से संबंधित मुद्दों का निरीक्षण करने की आवश्यकता जताई गई है। कृपया यह मत भूलिए कि 29 मई, 2006 को भारत ने ब्राजील, कोलंबिया, क्यूबा, पाकिस्तान, थाईलैंड और तंजानिया के साथ मिलकर ट्रिप्स में संशोधन करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) से कहा ताकि इसके मूल का खुलासा करना अनिवार्य हो जाए। हमने 29 मई को यह कदम उठाया था। परंपरागत जानकारी और मूल का खुलासा होना ही चाहिए। हम बहुत कड़े रूप से इसे उठा रहे हैं। हमारी यही कोशिश है और जब भी दोहा दौर समाप्त होगा हम इसका प्रयास करेंगे। इस प्रयास का हम थोड़ा विस्तार करेंगे ताकि बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और संरक्षण प्रदान हो सकें।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : महोदय, जैसा कि सवाल से स्पष्ट है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विदेशों में हिन्दुस्तान के जो जीन पूल हैं, उनके औषधीय गुणों के लिए पेटेंट कराया है। हम स्पेसिफिकली आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि उनका क्वाण्टम, उनकी तादात क्या है? उसको काउण्टर करने के लिए आपने क्या किया है और काउण्टर करने में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं?

श्री अश्विनी कुमार : जैसा मैंने कहा है कि जितने भी गलत पेटेंट ग्राण्ट हुए हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है और उन पेटेंट्स को रिवोक कराने के लिए हमने उचित कार्रवाई की है और उसका मैंने आपको विवरण भी दिया है। जहां तक हल्दी का सवाल है, नीम का सवाल है, बासमती का सवाल है और सबसे बड़ी बात, जैसा मंत्री जी ने अभी कहा, जहां तक दोहा राउंड के इनीशिएटिव का सवाल है, उसके अलावा हमने अपने पेटेंट कानून, 2005 में सैक्शन तीन, 10, 25, 26 और 60 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी हम सारे बाहर के लोगों को दें, बाहर की विदेशी रजिस्टरों को भी दें ताकि गलत पेटेंट न हो सकें और जो यहां पर गलत पेटेंट, बायोडाइवर्सिटी की ट्रेडीशनल नॉलिज को जो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, नॉन डिस्क्लोज़र के माध्यम से अगर पेटेंट ले लेते हैं तो उस पेटेंट को रिवोक करने के प्रावधान हमने अपने कानून पेटेंट कानून, 2005 में सम्मिलित किए हैं। इसमें हर सतह पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गलत पेटेंट न दिये जा सकें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। नहीं यह आपस में प्रश्नोत्तर करने का सत्र नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : महोदय, जड़ी–बूटियों के, मेडीशनल प्लांट्स को पेटेंट कराने के संबंध में जो डिस्प्यूट्स सामने आये हैं, हम कुछ प्लांट्स के संबंध में पीछे रह गये और विदेशी राष्ट्रों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने उनके पेटेंट करवाने का प्रयत्न किया, तो ऐसे कितने केसेज़ अभी पेंडिंग हैं और उसमें हमने जो प्लीड किया है, वह प्लीड करते समय कितने केसों में हम फेल हुए हैं और कितने में ठीक फैसला हुआ है? यह एक प्रमुख प्रश्न है।

श्री अश्विनी कुमार : जैसा मैंने पहले अपने उत्तर में कहा कि पेटेंट ग्राण्ट होते हैं, खास तौर पर विदेशी कम्पनियां विदेशी मुल्कों की रजिस्ट्रीज़ में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करती हैं और क्योंकि उन रजिस्ट्रियों को जानकारी नहीं होती, वे पेटेंट दे देते हैं, उसकी पूरी डिटेल तो हमारे पास नहीं है कि किस मुल्क में किस कम्पनी ने किसके

लिए पेटेंट मांगा है, लेकिन जहां–जहां की हमें जानकारी मिलती है कि कहीं गलत पेटेंट दे दिया गया है, जैसा मैंने बताया कि हल्दी के लिए, बासमती के लिए हमने एक्शन लिया और हर जगह हमें कामयाबी मिली है, यह मैं सदन को बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, भारत जैव–विविधता में बहुत समृद्ध होने के बावजूद, इसी प्रकार की सम्पदा से समृद्ध बहुत से देशों के मुकाबले पीछे है। भारतीय औषधि में उद्यमियों के समक्ष एक अवरोध है, उचित भेषज–संग्रह का अभाव। क्या सरकार टी के डी एल के साथ मिलकर एक भरोसेमंद भेषज–संग्रह तैयार करने के लिए किसी विशेषज्ञ निकाय को लगा रही है?

श्री अश्विनी कुमार : समय–समय पर हम अपने वैज्ञानिक तथा अनुसंधान प्रतिष्ठानों को लगाते रहे हैं। सी एस आई आर विशेष रूप से सक्रिय है और भेषज–संग्रह सहित सभी मार्गों को खोजा जा रहा है। माशेलकर समिति की सिफारिशों के आने के बाद हम इस सभा को बेहतर रूप से अवगत करा पाएंगे।

सब्जियों/फलों का निर्यात

+

***387. श्री एस. के. खारवेनथन :**
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की सब्जियों तथा फलों का, विशेषकर आम का, निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार को इन वस्तुओं के निर्यात में आ रही समस्याओं के बारे में निर्यातकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं का समाधान करने तथा ऐसी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित फलों एंव सब्जियों की मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मात्रा : मीट्रिक टन में; मूल्य : करोड़ रु. में)

2003–04		2004–05		2005–06	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
12,91,307	1457	12,96,530	1364	14,65,040	1659

(स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

(ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित आम की मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मात्रा : मीट्रिक टन में; मूल्य : करोड़ रु. में)

2003–04		2004–05		2005–06	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
60,551	111	53,480	90	69,607	128

(स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

(ख) जी, हां।

(ग) निर्यातकों की शिकायतों का निवारण तथा फलों एवं सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस दिशा में उठाए गए कदमों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं का प्रावधान, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार विकास, अवसंरचना विकास संबंधी अपनी स्कीमों के अंतर्गत अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता, परिवहन सहायता तथा गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास, कृषि निर्यात जोनों की स्थापना और शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने के उपाय शामिल हैं।

श्री एस. के. खारवेनथन : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार भारत सरकार फलों और अन्य नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात के विकास के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास सब्जियों और फलों के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में ऐसे किसी कृषि–निर्यात क्षेत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है।

श्री जयराम रमेश : महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में लगभग 60 कृषि निर्यात क्षेत्र अस्तित्व में आए हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निजी उद्यमियों के संयुक्त उद्यमों के परिणामस्वरूप ये कृषि–निर्यात क्षेत्र अस्तित्व में आए हैं। इन कृषि निर्यात क्षेत्रों में लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसके परिणामस्वरूप लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है।

माननीय सदस्य ने डिंडीगुल जिले में आमों से संबंधित कृषि–निर्यात क्षेत्र की स्थापना के संबंध में विशिष्ट प्रश्न पूछा है। राज्य सरकार से वास्तव में इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल जब तक वर्तमान पीढ़ी के कृषि निर्यात क्षेत्रों को पूरी तरह से चालू नहीं किया जाता तब तक कृषि निर्यात क्षेत्रों के विस्तार को रोक दिया गया है। हमने अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कुछ और

अधिक आकर्षक कृषि निर्यात क्षेत्रों को शुरू करने के लिए कुछ धनराशि की व्यवस्था कर रखी है और ए पी ई डी ए के मत के अनुसार यदि तमिलनाडु में आमों के लिए विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव निर्यात की दृष्टि से आकर्षक लगा तो, मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी शुरूआत भी की जायेगी।

श्री एस.के. खारवेनथन : महोदय, भारत विश्व में उत्पादित होने वाले कुल आमों का लगभग आधे हिस्से का उत्पादन करता है। नाथम जो कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है, में निर्यात की जाने वाली आमों की किस्मों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। लेकिन किसानों को आमों के भंडारण से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आम उगाने वाले किसानों के लिए तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के नाथम में एक शीतागार की स्थापना करेगी।

श्री जयराम रमेश : महोदय, इस वर्ष हमने आम के निर्यात में एक उपलब्धि हासिल की है। जापान जिसने लगभग पिछले 20 वर्षों से भारत से आमों के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, ने अब भारत से अल्फांसो, बागनपल्ली, चौसा, कैसर, लंगड़ा और मल्लिका नामक आमों की छः विशिष्ट किस्मों का आयात करने की अनुमति दे दी है। आम की ये छः किस्में अब जापान भेजी जा सकती हैं। आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अब हम अमरीका, आस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड से बातचीत कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : स्वागत है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : महोदय, मैंने सोचा कि आमों के निर्यात की प्रशंसा की जा रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : महोदय, मंत्री जी को ऐसा लगा कि उन्होंने मैंगोज का नाम लिया, इसलिए तालियां बज रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, उन्होंने सदन का समय खराब किया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : महोदय, हम सक्रियता से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आम और लालू जी दोनों मीठे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, मैं इस बात को याद रखूंगा; अगले सत्र में आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश : महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप बिहार से भी आमों के निर्यात में वृद्धि होगी और हमें जापान और अमरीका में नया बाजार प्राप्त हो रहा है तथा मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि आमों के निर्यात के लिए जहां भी संभव है हम वहां पर शीतागार सुविधाएं और पैक–हाउस सुविधाओं की स्थापना भी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अंजनकुमार यादव जी, आप ब्रीफ में अपना क्वैश्चन पूछिये।

श्री एम. अंजनकुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार ने सब्जी और फलों के निर्यात के लिए किसान वर्ग के साथ गत दो वर्षों में क्या कोई बातचीत की है? यदि हां, तो उस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : महोदय, ए पी ई डी ए ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आमों के निर्यात को सुकर बनाने के लिए वैपर हीट ट्रीटमेंट सुविधाओं और इराडीऐशन सुविधाओं की स्थापना का कार्य कर रहा है। यह सतत् प्रक्रिया है। जब कभी भी और अधिक बाजार खुलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इन सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। लेकिन ए पी ई डी ए ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता का मामला मानकर इन सुविधाओं के विस्तार का कार्य कर रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आरक्षण नीति का क्रियान्वयन

*385. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को लागू करने हेतु सृजित की जाने वाली आवश्यक अवसंरचना तथा इस पर होने वाले संभावित व्यय का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन हेतु आवश्यक धनराशि का भी आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवश्यक अवसंरचना का सृजन कब तक कर लिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सहायता–प्राप्त/अनुरक्षित/स्थापित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़े गर्वों के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण लागू करने की नीति संसद के समक्ष विचाराधीन प्रस्तावित कानून के लागू होने के पश्चात कार्यान्वित की जाएगी। सरकार ने अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है जो केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अपनी क्षमताओं में वृद्धि के लिए अपनी अवसंचना और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में पेश किए गए प्रस्तावों को अनुमोदित करेंगी।

[हिन्दी]

राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

*388. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजभाषा अधिनियम लागू करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या राजभाषा नीति लागू करने हेतु निर्धारित लक्ष्य विभिन्न सरकारी संगठनों/विभागों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2005–06 के दौरान उक्त लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे संगठनो/विभागों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राजभाषा नीति के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) राजभाषा नीति को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालना के निदेश हैं।

(ख) विभिन्न सरकारी संगठन/विभाग निर्धारित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। तथापि, संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके भरसक प्रयास किए जाते हैं।

(ग) वर्ष 2005–06 के दौरान राजभाषा विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो मंत्रालय, विभाग, उपक्रम, बैंक आदि प्रमुख लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किए कर पाए हैं उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) जी हां, गत तीन वर्षों (2003–04, 2004–05 तथा 2005–06) के दौरान कुल 58 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) ये शिकायतें मुख्यतया विज्ञापनों के द्विभाषी रूप में जारी न होने, पत्र–शीर्ष, रबड़ की मोहरें, फार्म आदि द्विभाषी न होने, हिंदी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देने आदि से संबंधित हैं। इन शिकायतों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के साथ उठाया गया तथा उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के निदेश दिए गए।

(च) विभिन्न सरकारी कार्यालयों आदि द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की समीक्षा करने तथा और अधिक कारगर ढंग से कार्य करने के लिए, संसदीय राजभाषा समिति, केन्द्रीय हिंदी समिति, मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समितियां तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि की राजभाषा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करके उनकी समीक्षा की जाती है और राजभाषा संबंधी निरीक्षण भी किए जाते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों को निदेश दिए जाते हैं। चूंकि सरकार की नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सदभावना से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की है, इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं भी लागू की गई हैं।

विवरण

		धारा 3(3) का अनुपालन	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना	हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण की स्थिति	हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की स्थिति	द्विभाषी कोड मैनुअल	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें करना
1	2	3	4	5	6	7	8
मंत्रालय/विभाग							
1.	अंतरिक्ष विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
2.	आयुष विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
3.	आर्थिक कार्य विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
4.	इस्पात विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	*	हां
5.	उपभोक्ता मामले विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
6.	उर्वरक विभाग	हां	नहीं	हां	नहीं	*	हां
7.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
8.	कम्पनी कार्य विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
9.	कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
10.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	*	हां
11.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
12.	कोयला विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
13.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
15.	खान मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
16.	गृह मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
17.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	*	हां
18.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
19.	जल संसाधन मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
20.	डाक विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	दूर संचार विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
22.	परमाणु ऊर्जा विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
23.	पर्यटन विभाग		हां	हां	नहीं	*	हां
24.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
25.	पशु पालन एवं डेयरी विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
26.	पूर्ति प्रभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
27.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां
28.	बायोटैक्नोलोजी विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	*	हां
29.	बैंकिंग प्रभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
30.	भारत निर्वाचन आयोग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
31.	भारी उद्योग विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	*	हां
32.	भूमि संसाधन विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
33.	मंत्रिमंडल सचिवालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
34.	महासागर विकास विभाग	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
35.	महिला एवं बाल विकास विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
36.	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
37.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	हां	नहीं	नहीं	नहीं	*	हां
38.	योजना आयोग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
39.	रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	*	हां
40.	रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
41.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
42.	राजस्व विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
43.	रेलवे बोर्ड	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां
44.	लघु उद्योग मंत्रालय	हां	हां	हां	नहीं	*	हां
45.	लोक उद्यम विभाग	हां	हां	हां	नहीं	*	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	वस्त्र मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	
47.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां
48.	विदेश मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
49.	विद्युत मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
50.	विधायी विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
51.	विधि कार्य विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
52.	व्यय विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
53.	शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
54.	संघ लोक सेवा आयोग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
55.	संसदीय कार्य मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
56.	संस्कृति विभाग	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
57.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
58.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
59.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
60.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
61.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	हां	हां	नहीं	नहीं	*	हां

नोट : नहीं : जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है।
हां : जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है।
* लागू नहीं

उपक्रम

		धारा 3(3) का अनुपालन	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना	हिंदी आशुलिपि टाइपिंग प्रशिक्षण की स्थिति	द्विभाषी कोड/ मैनुअल	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें
1	2	3	4	5	6	7
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग के उपक्रम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां
2.	हिदुंस्तान पेपर का. लिमिटेड, कोलकाता	हां	हां	नहीं	हां	हां
3.	नेपा लिमिटेड, नेपा नगर	हां	हां	नहीं	हां	नहीं

1	2	3	4	5	6	7
4.	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	हां	नहीं	हां	हां	हां
5.	हैवी इंजीनियरिंग का. लिमिटेड, रांची	नहीं	हां	हां	हां	हां
6.	हिंदुस्तान सॉल्टस लिमिटेड	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
7.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां
8.	रिचर्डसन एंड क्रूडस 1972 लिमिटेड, मुंबई	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं
9.	हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम, केरल	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं
10.	भारत वैगन एंड इंजि. कं. लिमि.	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां
11.	त्रिवेणी स्ट्रकचर्स लि.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
12.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म	हां	हां	नहीं	हां	हां
13.	टायर कॉ. ऑफ इंडिया लिमि.	हां	हां	नहीं	हां	हां
14.	भारत पंप एंड लिमिटेड	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
15.	रक्षा मंत्रालय के उपक्रम, अंतर सेवा संगठन के कार्यालय	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां
16.	रक्षा उपक्रम	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां
17.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं
18.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ	हां	नहीं	हां	नहीं	हां

नोट : नहीं – जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है।

हां – जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है।

राष्ट्रीयकृत बैंक

		धारा 3(3) का अनुपालन	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना	हिंदी आशुलिपि टाइपिंग प्रशिक्षण की स्थिति	द्विभाषी कोड/ मैनुअल	राजभाषा कार्यकरण समिति की बैठकें
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारतीय स्टेट बैंक, कार्पोरेट केन्द्र, मुंबई	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
2.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
3.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	हां	हां	नहीं	नहीं	हां

1	2	3	4	5	6	7
4.	इलाहाबाद बैंक	हां	हां	नहीं	हां	हां
5.	बैंक ऑफ इंडिया	हां	हां	नहीं	हां	हां
6.	यूको बैंक	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
7.	भारतीय लघु उद्योग बैंक	हां	हां	नहीं	हां	हां
8.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	हां	हां	नहीं	हां	हां
9.	इंडियन बैंक	हां	हां	नहीं	हां	हां
10.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	हां	हां	नहीं	हां	हां
11.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	हां	हां	नहीं	हां	हां
12.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
13.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर	हां	हां	नहीं	हां	हां
14.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	हां	हां	हां	नहीं	हां
15.	आंध्र बैंक	हां	हां	नहीं	हां	हां
16.	पंजाब एंड सिंध बैंक	हां	हां	नहीं	हां	हां
17.	कार्पोरेशन बैंक	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
18.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
20.	दि आई.एफ.सी.आई. लि.	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	हां	हां	नहीं	हां	हां
22.	देना बैंक	हां	हां	नहीं	हां	हां
23.	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक	हां	हां	नहीं	हां	हां
24.	भारतीय रिजर्व बैंक	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
25.	केनरा बैंक	हां	हां	नहीं	हां	हां
26.	विजया बैंक	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
27.	बैंक ऑफ बड़ौदा	हां	हां	नहीं	हां	हां
28.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
29.	सिंडिकेट बैंक	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
30.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	हां	हां	नहीं	हां	हां

नोट : नहीं – जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है।

हां – जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है।

[अनुवाद]

व्यापार संबंधी बातचीत

*389. **श्रीमती अर्चना नायक** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी/पश्चिम एशिया/अफ्रीकी देशों के साथ देश का व्यापार कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार मुक्त व्यापार समझौते पर खाड़ी सहयोग परिषद और निवेश प्रोत्साहन समझौते पर पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत करने का है;

(ग) यदि हां, तो इन समझौतों के फलस्रूप होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन समझौतों को मूर्त रूप देने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) डीजीसीआईएस, कोलकाता के डाटा बैंक के अनुसार वर्ष 2005–06 के दौरान खाड़ी/पश्चिम एशिया/अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार का मूल्य 36856.94 मिलियन डालर रहा था।

(ख) जी, हां।

(ग) व्यापार एवं निवेश के द्विपक्षीय प्रवाह के संवर्धन हेतु मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बीआईपीए) सुविधाकारी तंत्र हैं।

(घ) प्रस्तावित एफटीए पर भारत एवं खाड़ी सहयोग परिषद के बीच वार्ताओं का एक दौर आयोजित किया जा चुका है। बीआईपीए पर अल्जीरिया, इथोपिया, घाना, ईरान, इराक, केन्या, लेबनान, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया, तंजानिया, ट्यूनिशिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ वार्ताएं आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ पत्राचार किया गया है।

खनन क्षेत्र का विकास और वृद्धि

*390. **श्री निखिल कुमार** :
श्री अधीर चौधरी :
क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में खनन क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली में हुई खनिज सलाहकार परिषद (एम.ए.सी.) की बैठक में देश के खनन क्षेत्र के और अधिक विकास और वृद्धि के लिए उपायों की सिफारिश की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और खनिज सलाहकार परिषद् की सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) देश में खनन क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए खान मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :–

(i) 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की।

(ii) गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिज क्षेत्र को प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) सहित निजी क्षेत्र के निवेश हेतु खोल दिया गया।

(iii) वास्तविक पूर्वेक्षण प्रचालनों में पहले तथा उससे एक पृथक चरण के रूप में टोही परमिट (आर.पी.) की संकल्पना को लागू किया।

(iv) राज्य सरकारों को और अधिक प्राधिकार प्रत्यायोजित किए।

खनन क्षेत्र में और अधिक वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने और खनन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संभव संशोधनों की सिफारिश करने के लिए, श्री अनवरूल होदा, योजना आयोग की अध्यक्षता में, एक उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है।

(ख) और (ग) जी, हां। यह बैठक खनिज सलाहकार परिषद की थी जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था तथा जो मुख्यमंत्री नहीं आ सके उन्होंने अपने खान मंत्री को इस बैठक के लिए भेजा। परिषद के इस बैठक में राज्य सरकारों के खान सचिव भी शामिल थे। राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, उद्योग तथा खनिज सलाहकार परिषद के अन्य सदस्यों ने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अपनी राय व्यक्त की है।

विदेशी निवेश

*391. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन विदेशी निवेशकों को नई एफ. डी.आई. नीति के दायरे में लाने का है, जो नई नीति लागू होने से पहले ही देश में अपना व्यापार स्थापित कर चुके थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने एक उदार तथा पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति की शुरूआत की है। मौजूदा एफ.डी.आई. नीति के ब्यौरे सदन के सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) एफ.डी.आई. नीति को वर्तमान में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (एफईएमए. 1999) की धारा 6(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा जारी करना) विनियमन, 2000 (एफईएमए) में सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के बनने से पूर्व भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में व्यापार के स्थानों की स्थापना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (एफईआरए) की धारा 29 द्वारा शासित होती थी जिसे निरस्त कर दिया गया है। एफ.ई.एम.ए., 1999 की धारा 49(5) (क) के अनुसरण में एफ.ई.आर.ए. के तहत की गई कार्रवाई को एफ.ई.एम.ए., 1999 के सदृश उपबंधों के तहत की गई कार्रवाई माना गया है।

विवरण

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की नीति

I. एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र

i. खुदरा व्यापार (सिंगल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार को छोड़कर)

ii. परमाणु ऊर्जा

iii. लॉटरी व्यापार

iv. गैम्बलिंग एवं बेटिंग

II. निम्नलिखित परिस्थितियों में एफडीआई के लिए सभी गतिविधियों/क्षेत्रों के लिए सरकारी पूर्वानुमोदन लेना होगा :

i. जहां प्रेस नोट–1 (2005 श्रृंखला) के उपबंध लागू होते हैं

ii. जहां लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के निर्माण के लिए लगायी जाने वाली प्रस्तावित विदेशी इक्विटी 24 प्रतिशत से अधिक हो

III. लागू क्षेत्रीय नियम/विनियमों के अध्यधीन उन क्षेत्रों/गतिविधियों में जिनका ब्यौरा नीचे नहीं दिया गया है, स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

IV. एफडीआई के लिए क्षेत्र विशेष की नीति :

क्रम सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई सीमा/ इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें	आईपीपी विभाग द्वारा जारी संबंधित प्रेस नोट
1	2	3	4	5	6
1. एयरपोर्ट :					
क	ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट	100 प्रतिशत	स्वतः	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रवार विनियमों के अध्यधीन	प्रेस नोट 4/2006
ख	मौजूदा परियोजनाएं	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रवार विनियमों के अध्यधीन	प्रेस नोट 4/2006
2.	एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस	49 प्रतिशत– एफडीआई; 100 प्रतिशत– एनआरआई के लिए निवेश	स्वतः	विदेशी एयरलाइनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार न होने की शर्त पर। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी भारत सरकार की 2.11.2004 की गजट अधिसूचना	प्रेस नोट 4/2006

1	2	3	4	5	6
3.	अल्कोहल–डिस्टीलेशन एंड ब्रिइयिंग	100 प्रतिशत	स्वतः	सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस के अध्यधीन	प्रेस नोट 4/2006
4.	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनीज	49 प्रतिशत (केवल एफडीआई)	एफआईपीबी	जहां पर कोई निवेश इक्विटी के 10 प्रतिशत से अधिक हो वहां पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के सिक्योरिटीजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट की धारा 3(3) (एफ) की शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए	
5.	एटॉमिक मिनरल्स	74 प्रतिशत	एफआईपीबी	परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 6.10.98 के संकल्प सं. 8/1(1)/97–पीएसयू/1422 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन	
6.	बैंकिंग–प्राइवेट सेक्टर	74 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	स्वतः	विदेशी बैंकों की शाखाएं/ सबसिडरीज स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन	प्रेस नोट 2/2004
7.	प्रसारण				
क	एफएम रेडियो	एफडीआई+ एफआईआई 20 प्रतिशत तक निवेश	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अध्यधीन	प्रेस नोट 6/2005
ख	केबल नेटवर्क	49 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स (1994) के अध्यधीन	
ग	डायरेक्ट–टू–होम	49 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई) इस सीमा के अन्तर्गत एफडीआई का घटक 20 प्रतिशत से अधिक न हो	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन	

1	2	3	4	5	6
घ	हार्डवेयर सुविधाओं अर्थात अप–लिंकिंग, हब आदि की स्थापना	49 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अप–लिंकिंग नीति के अध्यधीन	प्रेस नोट 1/2006
ङ	अप–लिंकिंग ए न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल	26 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन	प्रेस नोट 1/2006
च	अप–लिंकिंग ए नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन	प्रेस नोट 1/2006
8.	सिगार और सिगरेट–विनिर्माण	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अध्यधीन	प्रेस नोट 4/2006
9.	कोल माइंस (नेशनलाइजेशन) एक्ट 1973 के अधीन अनुमति दी गयी अन्य पात्र गतिविधियों के साथ–साथ विद्युत परियोजनाओं और लोहा और इस्पात, सीमेंट उत्पादन की कैप्टिव खपत के लिए कोयला और लिग्नाइट माइनिंग	100 प्रतिशत	स्वतः	कोल मांइस (नेशनलाइजेशन) एक्ट 1973 के उपबंधों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
10.	कॉफी और रबर प्रस्संकरण और भंडारण	100 प्रतिशत	स्वतः		प्रेस नोट 4/2006
11.	निर्माण विकास परियोजनाएं जिनमें आवास, वाणिज्यिक क्षेत्र, रिसॉर्ट, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप शामिल हैं	100 प्रतिशत	स्वतः	प्रेस नोट 2 (2005 सीरीज) द्वारा अधिसूचित शर्तों के अध्यधीन ये शामिल हैं : क. पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सबसिडरी के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर तथा संयुक्त उद्यम के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर की न्यूनतम पूंजी। ये राशि कम्पनी के व्यापार आरंभ करने के 6 महीनों के भीतर लानी होगी	प्रेस नोट 2/2005 और 2/2006

1	2	3	4	5	6
				ख. प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र– सेवा आवास प्लॉटों के विकास के मामले में 10 हेक्टेयर विकास परियोजना के निर्माण के मामले में 50 हजार वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र : और सम्मिलित परियोजना के मामले में उपर्युक्त में से कोई एक (नोट –अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए प्रेस नोट 2/2005 में दी गयी शर्तें लागू नहीं हैं)	
12.	पैकिटों, पार्सलों और अन्य वस्तुओं, जो भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 की परिधि में नहीं आती हैं, के लिए कूरियर सेवाएं	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	वर्तमान कानूनों और पत्रों के वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर जो केवल सरकार के लिए आरक्षित है के अध्यधीन	प्रेस नोट 4/2001
13.	रक्षा उत्पादन	26 प्रतिशत	एफआईपीबी	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस और शस्त्र और गोला बारूद के उत्पादन में एफडीआई के दिशानिर्देशों के अध्यधीन	प्रेस नोट 4/2001 और 2/2002
14.	नियंत्रित परिस्थितियों में फ्लोरीकल्चर, हार्टीकल्चर, बीजों के विकास पशुपालन, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर, सब्जियों और मशरूम की खेती और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सेवाएं	100 प्रतिशत	स्वतः		प्रेस नोट 4/2006

1	2	3	4	5	6
15.	खतरनाक रसायन अर्थात हाईड्रोसायनिक एसिड और इसके उत्पाद, फोर्सजेन और इसके उत्पाद और हाईड्रो कार्बन के आइसोसायनेट्स और डिसोसायनेट्स	100 प्रतिशत	स्वतः	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस और अन्य क्षेत्रवार विनियमों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
16.	औद्योगिक विस्फोटक–विनिर्माण	100 प्रतिशत	स्वतः	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस और विस्फोटक अधिनियम 1898 के विनियमों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
17.	बीमा	26 प्रतिशत	स्वतः	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस देने की शर्त पर	प्रेस नोट 10/2000
18.	अवसंरचना/सेवा क्षेत्रों में (दूरसंचार क्षेत्र को छोड़कर) निवेश करने वाली कम्पनियां	49 प्रतिशत	एफआईपीबी	अवसंरचना/सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनी का विदेशी निवेश क्षेत्रीय सीमा के लिए नहीं गिना जाएगा बशर्ते कि निवेश 49 प्रतिशत तक हो और कम्पनी का प्रबंधन भारतीयों के हाथ में हो	प्रेस नोट 2/2000 और 5/2005
19.	हीरों और बहुमूल्य रत्नों, सोना, चांदी और खनिजों के अन्वेषण और खनन को शामिल करते हुए खनन	100 प्रतिशत	स्वतः	माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 की शर्त पर जहां तक खनन क्षेत्र का संबंध है 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की स्थापना के लिए प्रेस नोट 18(1998) और प्रेस नोट 1/(2005) लागू नहीं है बशर्ते कि आवेदक द्वारा यह घोषित किया हो कि उसका इसी क्षेत्र में और/या किसी विशेष खनिज के लिए कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम नहीं है	प्रेस नोट 2/2000 और 3/2005 और प्रेस नोट 4/2006

1	2	3	4	5	6
20.	गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियां अनुमोदित गतिविधियां				
(i)	मर्चेंट बैंकिंग	100 प्रतिशत	स्वतः	निम्नलिखित शर्तें के अध्यधीन :	प्रेस नोट 2/2000,
(ii)	अंडर राइटिंग			क एनबीएफसी के लिए फंड	प्रेस नोट 6/2000
(iii)	पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस			बेस का न्यूनतम पूंजीकरण	और प्रेस नोट
(iv)	निवेश परामर्शदात्री सेवाएं			मानदंड–51 प्रतिशत तक	2/2001
(v)	वित्तीय परामर्शदात्री सेवाएं			एफडीआई के लिए लाई	
(vi)	स्टॉक ब्रोकिंग			जाने वाली अपफ्रंट राशि	
(vii)	एसेट मैनेजमेंट			0.5 मिलियन अमरीकी डालर :	
(viii)	वेंचर कैपिटल			51 प्रतिशत से अधिक और	
(ix)	कस्टोडियल सर्विसेस फैक्टरिंग			75 प्रतिशत तक एफडीआई	
(x)	क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज			के लिए लाई जाने वाली	
(xi)	क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज			अपफ्रंट राशि 5 मिलियन अमरीकी	
(xii)	लीजिंग एंड			डालर : 75 प्रतिशत से अधिक	
(xiii)	फाइनेंस			और 100 प्रतिशत तक एफडीआई	
(xiv)	हाऊसिंग फाइनेंस			लाई जाने वाली राशि 50 मिलियन	
(xv)	फॉरेक्स ब्रोकिंग			अमरीकी डालर जिसमें से 7.5	
(xvi)	क्रेडिट कार्ड बिजनेस			मिलियन अमरीकी डालर अपफ्रंट	
(xvii)	मनी चेंजिंग बिजनेस			में लाई जाए तथा शेष 24 महीने	
(xviii)	माइक्रो क्रेडिट			के भीतर लाई जाए	
(xix)	रूरल क्रेडिट			ख. नॉन फंड बेस्ड एनबीएफसी	
				गतिविधियों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण	
				मानदंड – 0.5 मिलियन अमरीकी डालर	
				ग. विदेशी निवेशक अपनी इक्विटी	
				का न्यूनतम 25 प्रतिशत भाग	
				भारतीय कम्पनियों में विनिवेश	
				करने की शर्त के बिना ही 100	
				प्रतिशत तक कार्यशील सहायक	
				कम्पनियां स्थापित कर सकते हैं	
				बशर्ते कि वे बिना अतिरिक्त पूंजी	
				लाए कार्यशील सहायक कम्पनियों	
				की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध	
				के 50 मिलियन अमरीकी डालर लाएं	
				घ. संयुक्त उद्यम कार्यशील गैर	
				बैंकिंग वित्त निगमों (एनबीएफसी) को,	
				जिनका विदेशी निवेश 75 प्रतिशत	

1	2	3	4	5	6
				या 75 प्रतिशत से कम होगा अन्य एफबीएफसी क्रियाकलाप प्रारंभ करने हेतु सहायक कम्पनियां स्थापित करने की भी अनुमति होगी, बशर्ते सहायक कम्पनियां भी लागू न्यूनतम पूंजी अंतर्वाह का पालन करें। ङ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें।	
21.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र				
क.	शोधन को छोड़कर बाजार अध्ययन और प्रतिपादन समीकरण निवेश/वित्तीय व्यवस्था: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन के लिए अवसंरचना की स्थापना	100 प्रतिशत	स्वत:	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी क्षेत्रवार विनियमों के अध्याधीन और पेट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक व्यापार और विपणन के मामले में 5 वर्ष के अन्दर भारतीय भागीदार/जनता के पक्ष में 26 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश	प्रेस नोट 1/2004 और प्रेस नोट 4/2006
ख.	शोधन	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में 26 प्रतिशत, निजी कम्पनियों के मामले में 100 प्रतिशत	एफआईपीबी (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में) (निजी कम्पनियों के मामले में) स्वत:	क्षेत्रवार नीति की शर्त पर	प्रेस नोट 2/2000
22.	प्रिंट मीडिया				
क.	समाचारों और सामयिकी से संबंधित समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों की शर्त पर	
ख.	वैज्ञानिक पत्रिकाओं/विशेष पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्त पर	प्रेस नोट 1/ 2004
23.	बिजली का उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण और बिजली की खरीद-फरोख्त	100 प्रतिशत	स्वत:	विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों की शर्त पर	प्रेस नोट 2/1998, 7/2000 और 4/2006

1	2	3	4	5	6
24.	चाय बागान सहित चाय क्षेत्र	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	5 वर्ष के भीतर भारतीय भागीदार/भारतीय जनता के पक्ष में 26 प्रतिशत के विनिवेश की शर्त पर और भू उपयोग में परिवर्तन के लिए राज्य सरकार के अग्रिम अनुमोदन पर	प्रेस नोट 6/2002
25.	दूरसंचार				
क.	बेसिक एंड सेल्युलर, यूनिफाईड एसेस सर्विसेस, नेशनल/इंटर–नेशनल लांग डिस्टेंट, वी–सेट, पब्लिक मोबाईल रेडिया ट्रंक्ड सर्विसेस (पीएमआर टीएस), ग्लाब मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेस (जीएमपीसीएस) और अन्य वैल्यू एडेस टेलीकॉम सर्विसेस	74 प्रतिशत (जिसमें एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर, जीडीआर, कन्वर्टेबल प्रफरेंस शेयर और भारतीय प्रीमोटरों/ निवेशक करने वाली कम्पनी में आनुपातिक विदेश इक्विटी शामिल है)	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	प्रेस नोट 5 (2005 श्रृंखला) में अधिसूचित दिशनिर्देशों की शर्त पर	प्रेस नोट 2/2005
ख.	गेटवेज, रेडियो पेजिंग, एंड–टू–एंड वैंडविथ के साथ आईएसपी	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंस लेने और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2001
ग.	गेटवे के बिना आईएसपी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग डार्क फाइबर, इलेक्ट्रानिक मेल एंड वायस मेल	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	यदि ये कम्पनियां विश्व के किसी अन्य भाग में सूचीबद्ध हैं तो इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी कम्पनियां 5 वर्षों में भारतीय जनता के पक्ष में अपनी 26 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश कर देंगी इसके अतिरिक्त जहां कहीं अपेक्षित हो लाइसेंस लेने और सुरक्षा अपेक्षाओं को देखते हुए	प्रेस नोट 9/2000
घ.	दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100 प्रतिशत	स्वतः	क्षेत्रवार अपेक्षाओं की शर्त पर	प्रेस नोट 2/2000
26.	व्यापार (ट्रेडिंग)				

1	2	3	4	5	6
क.	थोक/भुगतान करो और ले जाओ व्यापार	100 प्रतिशत	स्वत:	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रेस नोट 3 (2006 श्रृंखला) के द्वारा जारी व्यापार में एफडीआई के लिए दिशा निर्देशों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
ख.	निर्यात का व्यापार	100 प्रतिशत	स्वत:		
ग.	लघु उद्योग क्षेत्र से प्राप्त की गयी वस्तुओं का व्यापार	100 प्रतिशत	एफआईपीबी		
घ.	ऐसी वस्तुओं के टेस्ट मार्केटिंग जिनके निर्माण के लिए कम्पनी के पास अनुमोदन है	100 प्रतिशत	एफआईपीबी		
ङ	सिंगल ब्रांड उत्पाद का खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत	एफआईपीबी		
27.	सेटलाइट स्थापना और परिचालन	74 प्रतिशत	एफआईपीबी	अन्तरिक्ष विभाग/इसरो द्वारा जारी क्षेत्रवार दिशानिर्देशों की शर्त पर	
28.	विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र जिनमें इन क्षेत्रों की स्थापना और इन क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना शामिल है	100 प्रतिशत	स्वत:	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 और विदेश व्यापार नीति की शर्त पर	प्रेस नोट 9/2000, 2/2006 और 4/ 2006

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

***392. डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय क्षेत्र की व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) का उनमें प्रशिक्षित किए गए जनजाति युवकों सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में, विशेषकर असम में और अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2004–2005 से अनुदान सहायता जारी न किए जाने के कारण विशेष रूप से असम में अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकरण में बाधा पहुंची है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अपेक्षित धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) ऐसे केन्द्रों को समय पर अनुदान जारी किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) विगत तीन वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों/गैर–सरकारी संगठनों को स्वीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा इस मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर तथा निधियों की उपलब्धता की स्थिति में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों/ गैर–सरकारी संगठनों को उनके द्वारा प्रस्तावित स्थान पर अनुसूचित जनजातियों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए जाते हैं। असम को पहले ही 26 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा और अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) के लिए प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान असम राज्य सरकार को चल रहे 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में 62,53,800/– रुपए की निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

(च) निधियां उपलब्ध होने पर पूर्व वर्ष में निर्मुक्त निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्टों सहित संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

क्रम सं.	राज्य	2003–04		2004–05		2005–06	
		केन्द्र	लाभार्थी	केन्द्र	लाभार्थी	केन्द्र	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	9	900	0	0	09	900
2.	असम	0	0	10	500	10	500
3.	गुजरात	13	1300	13	1414	0	0
4.	जम्मू–कश्मीर	0	0	0	0	1	50
5.	कर्नाटक	0	0	10	1000	10	1000
6.	केरल	0	0	3	300	0	0
7.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	10	500
8.	महाराष्ट्र	15	779	0	0	0	0
9.	मिजोरम	5	500	0	0	5	500
10.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	4	400
11.	छत्तीसगढ़	0	0	12	1200	0	0
12.	सिक्किम	3	100	0	0	10	300
	कुल	45	3579	48	4415	59	4150

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों (राज्य–वार) को निर्मुक्त सहायता अनुदान

क्रम सं.	राज्य	2003–04		2004–05		2005–06	
		केन्द्र	लाभार्थी	केन्द्र	लाभार्थी	केन्द्र	लाभार्थी
1.	असम	2	200	2	200	3	300
2.	कर्नाटक	1	100	2	200	0	0
3.	मध्य प्रदेश	2	200	1	100	1	100
4.	महाराष्ट्र	1	100	0	0	0	0
5.	मेघालय	1	100	1	100	1	100
6.	उड़ीसा	3	300	0	0	0	0
7.	तमिलनाडु	1	100	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	1	100	0	0	0	0
9.	दिल्ली	0	0	0	0	1	30
	कुल	12	1200	6	600	6	530

[हिन्दी]

शिक्षा उपकर का उपयोग

*393. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा उपकर से जुटाई गई निधि में से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्यों को विशेषकर मध्य प्रदेश को, इस निधि में से विशेष सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) शिक्षा उपकर की प्राप्तियों का उपयोग अनन्य रूप से सरकार की सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिए किया जाता है। राज्यों को शिक्षा उपकर में से अलग से आबंटन नहीं किए जाते हैं। उनको सहायता सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन की अलग-अलग योजनाओं के तहत इन योजनाओं के संबंधित दिशानिर्देशों एवं बजटीय आबंटनों के अनुसार जारी की जाती है।

मांस के निर्यात पर प्रतिबंध

*394. **श्री रामदास आठवले :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में मांस का निर्यात किया गया तथा उससे प्रत्येक देश से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार को मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न पक्षों से कोई अनुरोध/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए मांस उत्पादों के निर्यात से संबंधित देश-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

चालू वर्ष के लिए मांस उत्पादों के निर्यात की देश-वार मात्रा का ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि, अप्रैल-अगस्त, 2006 के लिए मांस एवं उससे निर्मित वस्तुओं के निर्यात का कुल मूल्य 1190.57 करोड़ रु. रहा था।

(ख) और (ग) मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में महाराजा कुमारपाल जीवोदया ट्रस्ट, चेन्नई; जैन सोशल ग्रुप, अकोला, महाराष्ट्र; एनीमल राइट्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली तथा पशु संरक्षण न्यास, अहमदाबाद जैसे संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार गो मांस एवं भैंसे, भेड़ एवं बकरे के हड्डी समेत मांस का निर्यात प्रतिबंधित है। तथापि, अन्य प्रकार के मांस के मुक्त निर्यात की अनुमति है।

विवरण

भैंसें, भेड़ तथा बकरे, कुक्कुट एवं सुअर के मांस का निर्यात

मात्रा मी. टन में मूल्य लाख रु. में

	2003-04		2004-05		2005-06	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
मलेशिया	82741.39	38239.69	65529.69	35593.80	82337.98	49939.08
सऊदी अरब	5406.12	4234.16	28273.87	18687.14	41140.72	27950.85
फिलिपींस	50774.01	21489.84	35624.74	17889.08	48917.88	26927.75

1	2	3	4	5	6	7
यूएई	25220.90	14462.12	21909.58	13177.30	34733.37	22029.50
जॉर्डन	37882.88	16899.11	20130.37	11010.11	39044.18	21984.91
अंगोला	30949.66	11706.06	24690.52	11969.74	39794.41	21963.33
कुवैत	11224.90	6256.97	14352.93	8306.95	34320.84	21785.87
ईरान	7878.34	3339.75	7876.60	3885.56	16986.48	8390.31
वियतनाम	577.00	403.62	2215.59	1298.20	11917.45	7317.19
जॉर्जिया	22906.95	9035.36	9349.40	4885.43	13997.10	7240.60
ओमान	10509.82	5756.39	8069.77	5031.28	11106.79	7148.59
कांगो	4993.17	1882.99	6609.30	2964.54	10994.16	5702.96
अजर–बैजान	1062.80	519.41	2092.50	1127.12	8277.10	4794.52
सेनेगल	1242.51	474.47	1504.18	746.21	6865.50	3741.81
गेबोन	3962.24	1535.57	3501.21	1593.74	7354.00	3394.21
आइवरी कोस्ट	2467.00	912.72	2434.50	1101.66	6351.00	3037.58
पाकिस्तान	0.00	0.00	72.70	31.41	5232.55	2587.42
कतर	2245.59	1362.81	3277.22	2052.26	3598.90	2512.68
यमन अरब गणराज्य	3934.21	1415.81	2489.50	1250.55	4310.00	2000.56
कोरिया गणराज्य	4228.00	1689.80	7974.08	3895.08	4137.00	1983.96
यूनान	1109.00	439.19	2938.70	1351.91	3875.60	1951.61
मॉरीशस	3158.30	1536.92	2578.38	1515.28	3081.50	1913.83
बहरीन	2647.32	1509.32	2179.66	1389.42	4174.61	1839.46
चीन	1581.01	678.58	855.50	354.92	2913.50	1712.93
अफगानिस्तान	320.80	139.13	1666.70	780.99	3297.00	1685.19
उज्बेकिस्तान	742.00	311.18	3416.90	1809.94	2812.00	1400.00
हांगकांग	1519.09	798.05	2183.75	1274.96	2043.68	1265.48
घाना	584.32	207.53	1205.55	444.98	3166.60	1208.40
तुर्की	1545.00	711.18	1731.03	932.99	1205.50	732.27

1	2	3	4	5	6	7
यूक्रेन	1.55	2.13	322.50	156.20	1354.00	665.80
इराक	323.00	123.88	3073.50	1653.84	1051.00	603.24
अर्मेनिया	1454.85	593.44	3178.70	1540.73	1012.05	536.89
बेल्जियम	27.13	12.62	799.00	168.84	2089.00	467.42
इक्वेटोरियल गुइन	111.00	42.17	330.40	144.30	784.00	374.89
कोमोरोस	0.00	0.00	0.00	0.00	627.91	353.31
अल्बेनिया	479.00	206.32	414.53	207.70	500.00	278.14
पैराग्वे	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	268.81
मालदीव	112.06	62.79	203.06	131.92	371.20	247.66
मोजाम्बिक	0.00	0.00	100.50	47.23	448.50	221.13
लाइबेरिया	56.00	22.09	165.50	67.00	420.00	193.02
रूस	0.00	0.00	926.00	271.35	556.50	146.01
सिंगापुर	4297.33	1952.02	420.00	221.33	270.71	138.53
सिएरा लिओन	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	117.07
तजकिस्तान	78.00	37.12	110.50	52.78	200.00	106.86
जर्मनी	6393.27	2698.79	3734.87	1889.10	155.59	62.82
गुयाना	374.00	154.43	195.00	91.78	89.60	59.36
थाईलैंड	283.72	120.78	28.00	14.21	82.50	48.00
लेबनान	5262.52	2600.24	673.40	356.95	56.00	39.65
साइप्रस	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	31.64
यूके	289.44	134.43	43.64	41.60	36.00	29.75
सेसेल्स	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	29.00
यूएसए	2055.37	891.27	126.50	75.20	28.75	27.32
कैमरून	56.00	24.16	0.00	0.00	51.00	26.53
मिस्र	155.90	65.87	0.00	0.00	25.00	19.28
गाम्बिया	28.00	10.30	0.00	0.00	28.00	17.20

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण अफ्रीका	279.20	113.66	3.76	2.95	28.00	14.72
युगांडा	51.58	22.37	0.00	0.00	26.00	13.75
आस्ट्रेलिया	14.00	1.62	0.11	0.08	19.00	13.58
फ्रांस	647.63	264.13	247.10	138.23	10.30	12.49
नीदरलैंड	3362.80	1356.13	2252.50	1100.61	24.00	10.99
श्रीलंका	662.77	295.03	32.00	20.95	17.15	6.77
बांग्लादेश	9.62	13.83	6.00	2.85	6.13	5.50
नेपाल	22.15	16.26	16.00	10.44	4.72	5.07
जमैका	101.37	40.21	0.00	0.00	4.69	5.01
बोस्निया हर्जेगोविना	9.23	6.53	0.65	0.58	3.95	3.84
स्पेन	290.99	147.79	22.50	23.45	2.50	3.80
म्यांमार	6486.96	3163.98	3416.11	1994.11	9.00	3.15
अमेरिकी समोआ	0.00	0.00	1.20	1.05	3.10	2.48
इरिट्रिया	1.30	0.85	2.25	1.89	1.55	1.42
आयरलैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.97
ब्राजील	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.65
तंजानिया	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.23
इंडोनेशिया	346.03	161.55	364.00	176.20	0.08	0.05
टोगो	40.00	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
रियूनियन	79.99	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
नाइजीरिया	219.01	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य अफ्रीका	0.00	0.00	28.50	6.72	0.00	0.00
नाइजर	28.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
माली	57.01	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
गुयाना–बिसाऊ	83.50	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
माल्टा	1454.78	583.65	1051.05	546.61	0.00	0.00
न्यूजीलैंड	545.02	254.12	0.00	0.00	0.00	0.00
पुर्तगाल	50.00	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
इटली	875.28	328.65	230.50	95.44	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
डेनमार्क	135.00	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य	1253.81	504.82	0.01	0.01	0.00	0.00
चीनी ताइपेई	263.54	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
फिनलैण्ड	0.00	0.00	84.00	42.04	0.00	0.00
सरियाई अरब गणराज्य	0.00	0.00	102.00	42.42	0.00	0.00
स्विटजरलैंड	1.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
एस्टोनिया	0.00	0.00	984.00	429.61	0.00	0.00
लातीविया	476.00	189.00	728.00	368.80	0.00	0.00
लिथुआनिया	256.00	97.39	4531.00	2172.59	0.00	0.00
पनामा नहर जो	4.36	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
मैसीदर्निया	50.02	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
मोरक्को	0.00	0.00	0.50	0.38	0.00	0.00
पोलैण्ड	0.00	0.00	763.18	401.12	0.00	0.00
कीनिया	28.67	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
जापान	446.19	213.72	9.00	5.06	0.00	0.00
प्यूर्टोरिको	420.00	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00
नीदरलैंड एंटी	214.62	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
हैती	27.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
डोमिनिक गणराज्य	3.70	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
बहामास	41.39	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलम्बिया	28.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
बोलीविया	180.00	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्जेंटीना	77.98	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
कनाडा	20.64	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
पापुआ न्यूगिनी	28.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	364926.61	166381.73	316455.94	171068.80	469181.13	271356.65

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज मामले

***395. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के पास पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सेना, अर्ध–सैनिक बलों तथा पुलिस के विरुद्ध मामलों सहित कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) एन.एच.आर.सी. ने आतंकवादी गति–विधियों में लिप्त अभियुक्तों के कितने मामलों को लिया है;

(ग) क्या एन.एच.आर.सी. ने अपने पास दर्ज सभी मामलों में निर्णय दे दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो एन.एच.आर.सी. द्वारा अब तक कुल कितने मामलों को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा इन मामलों के निपटारे में एन.एच.आर.सी. ने औसतन कितना समय लिया; और

(ङ) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एन.एच.आर.सी. द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) के पास सेना, अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस के विरुद्ध दर्ज मामलों सहित समस्त मामलों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	एन एच आर सी के पास दर्ज शिकायतों की संख्या
2004–05	74,401
2005–06	74,444
2006–07 (30.11.2006 तक)	54,654
कुल	203,499

(ख) एन एच आर सी ने वर्ष 2004–2005 से 2006–2007 (31.10.2006 तक) के दौरान, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्त व्यक्तियों से संबंधित 14 मामले दर्ज किए हैं।

(ग) एन एच आर सी ने विगत वर्षों के दौरान (30.11.2006 तक) उनके पास दर्ज 2,03,499 मामलों में से 1,84,561 मामलों का निपटारा कर दिया है तो कुल मामलों का नब्बे प्रतिशत है।

(घ) एन एच आर सी आमतौर पर उन शिकायतों का निपटारा करता है जिनमें मामले प्रथम दृष्टया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और विनियमनों के अनुसार पोषणीय नहीं पाए जाते हैं। रिपोर्ट मांगे जाने वाले मामलों के निपटान हेतु एन एच आर सी द्वारा लिया गया समय, संबंधित प्राधिकारियों से प्रत्युत्तर के तुरंत प्राप्त होने पर निर्भर करता है। अतः रिपोर्टों के प्राप्त न होने पर विलंब होता है।

(ङ) मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एन एच आर सी द्वारा किए गए कारगार उपायों में रजिस्ट्रार (विधि), महानिदेशक (अन्वेषण) और महासचिव, एन एच आर सी के स्तर पर नोटिसों, अनुस्मारकों, अर्ध–शासकीय अनुस्मारक जारी किया जाना शामिल है। अर्ध–शासकीय अुनस्मारकों को जारी करने के पश्चात भी रिपोर्टों के प्राप्त न होने पर मुख्य सचिव और पुलिस और जेल महानिदेशक सहित राज्य के अधिकारियों को सशर्त समन या समन जारी किए जाते हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अपने दौरों के दौरान एन एच आर सी के अध्यक्ष और सदस्य सदैव राज्य के अधिकारियों को नियत तिथि के भीतर रिपोर्टें प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। आयोग, मामलों के निपटाने के दौरान, समय–समय पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु राज्य प्राधिकारियों को उचित सिफारिशें भी करता है।

एएसआईडीई योजना के अंतर्गत राज्यों को सहायता

***396. श्री एल. राजगोपाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात अवसंरचना और अन्य सहायक गतिविधियों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) संबंधी योजना के अंतर्गत विभिनन राज्यों को आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निधियां आबंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों द्वार एएसआईडीई योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर सेवाओं हेतु निधियों के आबंटन के लिए राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किए गए आबंटनों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एएसआईडीई निधि के 50% का आबंटन निर्यात निष्पादन के आधार पर और शेष 50% का आबंटन पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में वृद्धि के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) एएसआईडीई निधि का उपयोग निर्यात संबंधी सॉफ्टवेयर सेवाओं हेतु अवसंरचना के विकास के लिए भी किया जाता है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटित राशि 02–03	आबंटित राशि 03–04	आबंटित राशि 04–05	आबंटित राशि 05–06	आबंटित राशि 06–07
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1,200.00	1,300.00	1,385.00	1,545.00	1700.00
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	200.00	200.00	200.00	200.00	220.00
3	बिहार	300.00	650.00	200.00	200.00	220.00
4	चंडीगढ़	100.00	200.00	200.00	320.00	350.00
5	छत्तीसगढ़	400.00	400.00	500.00	500.00	550.00
6	दादरा और नगर हवेली	150.00	300.00	200.00	200.00	220.00
7	दमन और दीव	150.00	300.00	200.00	200.00	220.00
8	दिल्ली	100.00	200.00	265.00	265.00	290.00
9	गोवा	600.00	600.00	373.00	609.00	670.00
10	गुजरात	1,400.00	1,500.00	3,578.00	4,338.00	4770.00
11	हरियाणा	600.00	600	849.00	1,405.00	1545.00
12	हिमाचल प्रदेश	700.00	750	500.00	553.00	600.00
13	जम्मू और कश्मीर	600.00	600.00	500.00	525.00	580.00
14	झारखंड	400.00	400.00	500.00	500.00	550.00
15	कर्नाटक	1,800.00	1,900.00	2,414.00	3,399.00	3740.00
16	केरल	1,100.00	1,200.00	930.00	1,069.00	1175.00
17	लक्षद्वीप	200.00	200.00	200.00	200	220.00
18	मध्य प्रदेश	2,000.00	1,100.00	1,435.00	1,435.00	1580.00
19	महाराष्ट्र	1,600.00	3,400.00	5,709.00	6,552.00	7210.00
20	उड़ीसा	450.00	1000.00	605.00	693	765.00
21	पांडिचेरी	300.00	300.00	200.00	200	220.00
22	पंजाब	900.00	1000.00	968.00	1,217.00	1340.00
23	राजस्थान	1,200.00	1,300.00	1,320.00	1,320.00	1453.00

1	2	3	4	5	6	7
24	तमिलनाडु	2,800.00	3,000.00	3,919.00	3,919.00	4312.00
25	उत्तर प्रदेश	2,000.00	2,100.00	1,259.00	2,100.00	2310.00
26	उत्तरांचल	400.00	400.00	500.00	527.00	580.00
27	पश्चिम बंगाल	1,000.00	1,100.00	1,491.00	2,009.00	2210.00
	योग	22,650.00	26,000.00	30,400.00	36,000.00	39600.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र						
1	अरुणाचल प्रदेश	100.00	125.00	251.00	251.00	276.00
2	असम	400.00	500.00	1149.00	1,257.00	1383.00
3	मणिपुर	200.00	250.00	200.00	206.00	227.00
4	मिजोरम	100.00	250.00	200.00	324.00	356.00
5	मेघालय	200.00	250.00	572.00	834.00	917.00
6	नागालैंड	100.00	125.00	200.00	200.00	220.00
7	सिक्किम	50.00	125.00	200	200.00	220.00
8	त्रिपुरा	300.00	375.00	828.00	728.00	801.00
	कुल	1450.00	2000.00	3600.00	4000.00	4400.00
	महायोग	24,100.00	28,000.00	34,000.00	40,000.00	44000.00

नशीली दवाइयों और हथियारों की तस्करी

*397. **श्री नवीन जिन्दल :**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नशीली दवाओं के दुर्व्यापार और हथियारों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए निगरानी बढ़ा दी है और नई प्रणाली बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006 के दौरान प्रकाश में आए ऐसे विभिन्न प्रकार के मामलों और इन मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन राज्यों का तस्करी हेतु अधिकांशतः सामान लाने-ले-जाने के प्रमुख स्थानों के रूप में उपयोग किया जाता है; और

(ङ) अन्य देशों से नशीली दवाइयों और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :- (i) सुरक्षा बलों की तैनाती करना और सीमाओं, हवाई अड्डों, जांच चौकियों आदि में सख्त चौकसी रखना, (ii) नशीले पदार्थों की आवाजाही के ज्ञात मार्गों पर गहन निवारक और निषेधादेश के प्रयास करना, (iii) कानून प्रवर्तन करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, (iv) सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संपर्क स्थापित करना, (v) अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों से संबंधित इलैक्ट्रानिक डाटा बेस तैयार करना, (vi) कानून प्रवर्तन करने वाले पदाधिकारियों के कौशल का उन्नयन करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण आदि प्रदान करना।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2006 (नवम्बर, 2006 तक) की स्थिति नीचे दी गई है :–

	नशीले पदार्थ	हथियार
सूचित किए गए मामले	12,202	122
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	14,051	85

(घ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में सुभेद्य स्थान हैं। जहां तक हथियारों की तस्करी का संबंध है, बताया जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी भूमि के सीमावर्ती सभी राज्य सुभेद्य हैं।

(ङ) सरकार ने इन सीमाओं के पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश की सीमाओं पर बाड़ का निर्माण करने, तेज रोशनी करने और सड़कों का निर्माण करने का भी कार्य शुरू किया है। सरकार ने सीमाओं का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करने हेतु देश की सीमाओं पर उच्च तकनीकी वाला इलैक्ट्रानिक चौकसी उपकरण लगाने का भी निर्णय लिया है। तटवर्ती क्षेत्रों में सख्त सतर्कता बरतने हेतु सुरक्षा का भी उन्नयन किया जा रहा है।

नागा उग्रवादियों की गतिविधियां

***398. डा. टोकचोम मैन्या** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन. एस.सी.एन.–आई./एम.) द्वारा जबरन वसूली की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एन.एस.सी.एन. (आई./एम.) को अपने काडरों हेतु लोगों की भर्ती करते हुए पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार और एन. एस. सी. एन. (आई./एम.) के बीच युद्धविराम और अनेक दौर की वार्ताओं के परिणामस्वरूप नागा मुद्दे के निपटारे की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) एन एस सी एन (आई एम) सहित भूमिगत समूहों द्वारा जबरन धन वसूली की रिपोर्टें हैं। सरकार ने जबरन धन ऐंठने को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया जाना, स्थापित संगठनों द्वारा बड़ी परियोजनाओं का निष्पादन करना, विकासात्मक परियोजनाओं में व्यापक श्रम अवयव को शामिल करना, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं मुख्य सड़कों पर सुरक्षा और संरक्षा में सुधार करना तथा इन क्षेत्रों में सुरक्षा पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से मुख्य शहरों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति को सुदृढ़ करना, शामिल है।

(ग) और (घ) कुछ रिपोर्टें हैं कि एन एस सी एन (आई एम) नए केडरों की भर्ती कर रहा है। तथापि, इस संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब नहीं है।

(ङ) नागा समस्या पर एन एस सी एन (आई एम) के साथ वार्ता आयोजित करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। श्री आस्कर फर्नांडिस, श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में भारत सरकार की टीम और एन एस सी एन (आई एम) नेताओं के बीच वार्ता का नवीतम दौर एमस्टर्डम में 4–6 दिसम्बर, 2006 के बीच आयोजित किया गया था। वार्ता अनिर्णायक रही है तथा अगले वर्ष के शुरू में चर्चा को दुबारा शुरू करने पर सहमति हो गई है।

कॉफी का पुनर्रोपण

***399. श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने क्षेत्र में कॉफी की पैदावार हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार कॉफी का पुनर्रोपण करके कॉफी की खेती के क्षेत्र को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कॉफी के पुनर्रोपण हेतु विचार किए जा रहे वित्तीय पैकेज सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस समय कॉफी के अंतर्गत आने वाला भू–क्षेत्र लगभग 3.81 लाख हैक्टेयर है।

(ख) सरकार मौजूदा बागानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कॉफी की अनुत्पादक पुरानी झाड़ियों के स्थान पर पुनर्रोपण एवं गैर–परम्परागत क्षेत्रों में नवरोपण को प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) कॉफी के पुनर्रोपण हेतु प्रोत्साहन Xवीं योजना के लघु

उत्पादक क्षेत्र को सहायता (एसएसजीएस) के संघटकों में से एक संघटक है। यह स्कीम 10 से 20 हैक्टेयर क्षेत्र रखने वाले उत्पादकों पर भी लागू की गई है। पुनर्रोपण हेतु कुल लागत के 20% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है जो अधिकतम 20,000 रु./हेक्टैयर है। कॉफी बोर्ड ने अपनी XIवीं योजना प्रस्तावों में पुराने कॉफी खण्डों के 90,000 हैक्टेयर क्षेत्र पर उच्च पैदावार वाली किस्मों के रोपण को शामिल किया है।

[हिन्दी]

वस्त्र मिलों का बंद होना

***400. श्री श्रीचन्द कृपलानी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष बंद हुई वस्त्र मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से कुछ मिलें ऋणग्रस्तता के कारण बंद हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी मिलों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) :

विवरण

(क) 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत कॉटन/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर लघु उद्योग) की संख्या 1334 थी। राज्य–वार संख्या निम्नलिखितानुसार है :–

क्र.सं.	राज्य	स्पिनिंग	मिश्रित	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	66	0	66
2.	असम	1	0	1
3.	बिहार	1	1	2
5.	दादरा नगर हवेली	4	2	6
6.	दमन और दीव	1	0	1
7.	गोवा	1	0	1
8.	गुजरात	28	24	52
9.	हरियाणा	50	2	52
10.	हिमाचल प्रदेश	18	0	18
11.	जम्मू और कश्मीर	1	0	1
12.	झारखंड	1	0	1
13.	कर्नाटक	31	3	34
14.	केरल	22	4	26
15.	मध्य प्रदेश	33	6	39
16.	महाराष्ट्र	96	32	128
18.	उड़ीसा	3	0	3
19.	पांडिचेरी	8	2	10
20.	पंजाब	65	4	69
21.	राजस्थान	26	8	34
22.	तमिलनाडु	726	19	745
23.	उत्तर प्रदेश	24	2	26
24.	उत्तरांचल	3	0	3
25.	प. बंगाल	14	2	16
	कुल	1223	111	1334

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार बंद हुई कॉटन/मानवनिर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर लघु उद्योग) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

राज्य का नाम	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4
तमिलनाडु	39	5	3
प. बंगाल	2	1	1

1	2	3	4
महाराष्ट्र	9	1	2
उत्तर प्रदेश	2	2	4
गुजरात	0	4	0
पंजाब	0	0	0
कुल	52	13	10

(ग) और (घ) इन मिलों के बंद होने के मुख्य कारण वित्तीय समस्याएं, श्रमिक समस्याएं/हड़ताल और बिजली कटौती आदि हैं। सरकार एक नीतिगत व्यवस्था विकसित कर रही है जिससे भारतीय उद्योग के विकास और वृद्धि में सुविधा हो। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, रुग्ण इकाइयों का लाभकारी इकाइयों में विलय, रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (सामाजिक प्रावधान) अधिनियम के तहत बीआईएफआर की स्थापना आदि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करता रहा है जिनमें औद्योगिक पुनर्वासन के सभी क्षेत्र अर्थात आरंभिक स्तर पर औद्योगिक रुग्णता का पता लगाना, रुग्ण/कमजोर इकाइयों की पहचान करना, इकाइयों की अर्थक्षमता का अध्ययन करना और फिर केवल अर्थक्षम इकाइयों को राहत और रियायतें देना, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं तथा स्वयं बैंकों के बीच समन्वय बैठाना, संवर्द्धकों के अंशदान के लिए मानदंड, ऋणों के पुर्नभुगतान/पुर्ननिर्धारण के लिए विस्तारित अवधि, पैनेल दरों/चक्रवृद्धि ब्याज को परिवर्तित करना तथा माफ करना आदि शामिल है। रुग्ण और संभावित कंपनियों का समय से पता लगाने की व्यवस्था करने की दृष्टि से और ऐसी कंपनियों के संबंध में शीघ्र किए जाने वाले आवश्यक निवारक, सुधारक और उपचारात्मक कदमों के तेजी से निर्धारण के लिए बीआईएफआर की स्थापना कर दी गई है। वह संभावित रूप से अर्थक्षम एककों के संबंध में पुनर्वासन प्रस्तावों की तैयारी के लिए परिचालन एजेंसियां नियुक्त करता है। वह अपने परिणामों के आधार पर पुनर्वासन का निर्णय लेता है।

[अनुवाद]

कागज उद्योग का विकास

*401. **श्री सुरेश कलमाडी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कागज बनाने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उद्योग के विकास को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। कागज के विनिर्माण के लिए अपेक्षित अच्छे किस्म के सेल्यूलोसिकयुक्त कच्चे माल की कमी है। वर्तमान में देश में कागज के विनिर्माण के लिए कच्चे माल की आधार-सामग्री लकड़ी (30%), कृषि-अवशेष (32%) और पुनः उपचारित रेशा (30%) हैं। कागज के विनिर्माण के लिए लकड़ी और पुनः उपचारित रेशे की आपूर्ति अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान 0.38 मिलियन टन लकड़ी का गुदा और 1.76 मिलियन टन पुनः उपचारित रेशा आयात किया गया।

(ग) कागज उद्योग के विकास को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शुल्क ढांचे को योक्तिकरण, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को निधियां उपलब्ध कराना, कागज उद्योग को लाइसेंस-मुक्त बनाना, स्वतः मार्ग के तहत 100% एफ.डी.आई. की अनुमति देना शामिल हैं।

[हिन्दी]

भूमि उपयोग का परिवर्तन

3765. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ में भूमि का अन्यत्र उपयोग किये जाने संबंधी कोई अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चंडीगढ़ में भूमि का अन्यत्र उपयोग किये जाने संबंधी कितने मामलों को अनुमति दी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पट्टेदार/मालिक/जी पी ए धारक या किराएदार (मालिक की सहमति से), निर्धारित प्रपत्र में, नामोद्दिष्ट एजेंसी के नाम से आहरण किए जाने योग्य डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में भूमि के अन्यत्र उपयोग संबंधी शुल्क सहित नामोद्दिष्ट एजेंसी अर्थात चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात एजेंसी भूमि के 'अन्यत्र उपयोग संबंधी मामलों पर कार्रवाई करेगी तथा आवेदन के

प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपना निर्णय सूचित करेगी लेकिन ऐसा तभी किया जाएगा जब सभी औपचारिकताएं पूरी की गई हों और संपदा कार्यालय और अन्य विभागों द्वारा यदि कोई आपत्तियां उठाई गई हैं तो उन्हें दूर कर लिया गया हो।

(ग) वर्ष 2005 में इस योजना के शुरू होने से अब तक 17 मामलों में अनुमति प्रदान की गई है।

के वी आई सी द्वारा विपणन एवं प्रचार

3766. श्री रशीद मसूद :
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) के वी आई सी द्वारा विपणन किए जाने वाली वस्तुओं की खरीद तथा उनके प्रचार हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना आई है जहां निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके वस्तुओं की खरीद एवं प्रचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में के वी आई सी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा अपने विभागीय बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बिक्री के लिए पंजीकृत खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) संस्थानों तथा ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों से मदों की खरीद के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित है :

(i) माल की गुणवत्ता स्वीकार्य होनी चाहिए और उसे बिक्री योग्य स्थिति में प्राप्त किया जाना चाहिए;

(ii) खरीद परेषण के आधार पर होनी बिक्री न हुई मदों को उत्पादन करने वाली इकाइयों को वापस किया जा सकता है;

(iii) विभागीय बिक्री केन्द्रों द्वारा पंजीकृत केवीआई संस्थानों अथवा आरईजीपी के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों द्वारा उत्पादित न किए गए उत्पादों की बिक्री को हतोत्साहित किया जाता है।

केवीआई उत्पादनों का प्रचार साधारणतः स्थानीय मीडिया में किया जाता है। विशेष बिक्री, प्रदर्शनियों, इत्यादि के समय, प्रचार के लिए बाह्य एजेन्सियों को भी लगाया जाता है। तथापि, एक विशेष इकाई द्वारा उत्पादित किसी विशेष मद के प्रचार का कार्य केवीआईसी द्वारा नहीं किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

स्वः वित्तपोषित महाविद्यालयों को एन सी टी ई द्वारा मान्यता दिया जाना

3767. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन सी टी ई) संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना ही स्वः वित्तपोषित पी टी सी महाविद्यालयों को मान्यता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे एफ.एफ.आई., पी टी सी महाविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों में एन सी टी ई द्वारा मान्यता दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) दिनांक 13.11.2002 के विनियमों के अनुसार, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु मान्यता की इच्छुक संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों के साथ संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' लगाना जरूरी था। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनापत्ति प्रमाणपत्र/पृष्ठांकन रहित आवेदनों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संबद्ध क्षेत्रीय समिति द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती थी।

पहले से माध्यमिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चला रही संस्थाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधी इन प्रावधानों में जनवरी, 2004 में आंशिक रूप से छूट दी गई। इन संस्थाओं को यह छूट दी गई कि वे राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना भी प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों अथवा प्री-स्कूल अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दिनांक 13.1.2006 को राजपत्र में प्रकाशित एन.सी.टी.ई. विनियम, 2005 के खण्ड 7 के अनुसार अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समिति को संबद्ध संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ एक लिखित सूचना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजनी होती है। इस सूचना के प्राप्त होने पर संबद्ध राज्य सरकार/संघ

राज्य क्षेत्र प्रशासन आवेदन पर अपनी सिफारिशें इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर एन.सी.टी.ई. की क्षेत्रीय समिति को सौंपेगें। यदि सिफारिश नकारात्मक होती है तो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इसके विस्तृत कारण/आधार बताएंगे, जिनको संबद्ध क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जा सके। यदि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशसन से निर्धारित 60 दिनों में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कोई सिफारिश नहीं करनी है। इन विनियमों में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से एक विशिष्ट 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों से सूचना एकत्र की जा रही है और उनसे सूचना प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

सर क्रीक से सेना को हटाया जाना

3768. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्रीमती रक्षाताई डी. पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सर क्रीक से सेना को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में पाकिस्तान के साथ हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) सर क्रीक क्षेत्र में सेना तैनात नहीं की जाती है, इसकी चौकसी सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

ऑस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात

3769. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑस्ट्रेलिया की एडब्ल्यूबी कंपनी से आयातित गेहूं की खरीद नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) ने नई आमंत्रित निविदाओं में एडब्ल्यूबी निविदाओं को पुनः स्वीकार किया है;

(ग) यदि हां, तो घटिया स्तर के गेहूं की आपूर्ति के बावजूद एडब्ल्यूबी निविदा को पुनः स्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस गेहूं आयात सौदे की कोई जांच कराएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) ने प्रतिस्पर्धी शर्तों पर एडब्ल्यूबी (जेनेवा), एसए की निविदा स्वीकार की थी क्योंकि वह निर्धारित मानकों के अनुरूप थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण

3770. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी करके उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण संबंधी मुद्दे पर स्थायी समिति की रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आंकड़ा संग्रहण संबंधी ब्यौरा न्यायालय को प्रदान कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण लागू करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव संसद के समक्ष विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में जवाब सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है तथा यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

प्राइवेट एन.एड. कॉलेज

3771. श्री के.सी. पल्लानीशामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राइवेट एम.एड. कालेजों को स्वीकृति/मान्यता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ऐसे राज्यवार कितने कालेज हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृति की गई है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार राज्य–वार कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) देश में शेष कॉलेजों को कब तक मान्यता प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) विश्वविद्यालयों के विभाग और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाएं जो बी.एड. कार्यक्रम चला रहे हैं, एम.एड. पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए पात्र हैं बशर्ते उनके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा यथा निर्धारित पर्याप्त अनुदेशात्मक और अवसंरचनात्मक सुविधाएं हों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ भूमि, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं एवं योग्य संकाय शामिल हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने (क) पूर्णकालिक एम.एड. पाठ्यक्रमों; (ख) अंशकालिक एम.एड. पाठ्यक्रमों; तथा (ग) दूरस्थ शिक्षा माध्यम वाले एम.एड. पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग प्रावधान निर्धारित किए हैं। पाठ्यक्रम की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग–अलग मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इन मानदण्डों का ब्यौरा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.ncte-in.org पर उपलब्ध है।

आवेदक संस्था को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संबद्ध क्षेत्रीय समिति को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है। संबद्ध क्षेत्रीय समिति के इस बात से संतुष्ट हो जाने के पश्चात कि आवेदक संस्था के पास पर्याप्त वित्तीस संसाधन, आवास, पुस्तकालय, योग्य कर्मचारी, प्रयोगशाला आदि हैं और यह अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम चलाने के लिए सभी शर्तें पूरी करती है तो समिति आवेदक संस्था को मान्यता प्रदान करते हुए एक आदेश पारित करेगी। यदि क्षेत्रीय समिति का यह मत होता है कि ऐसी संस्था निर्धारित अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है, तो वह मान्यता को अस्वीकार करते हुए एक आदेश पारित करेगी। किसी संस्था की मान्यता को अस्वीकार करने का आदेश पारित करने से पूर्व क्षेत्रीय समिति संबद्ध संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक तर्कसंगत अवसर प्रदान करेगी।

(ख) और (ग) मान्यता हेतु आवेदन करने वाले प्राइवेट एम.एड. कॉलेजों की संख्या तथा जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है उनके ब्यौरे से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) आवेदनों पर कार्रवाई के मानदण्ड दिनांक 13.1.2006 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एन.सी.टी.ई. (मानदंड एवं प्रक्रिया की मान्यता) विनियम, 2005 के खण्ड–7 में निहित है। ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इन विनियमों के अनुसार पूर्ण आवेदनों पर संबद्ध क्षेत्रीय समिति द्वारा संगत आवेदनों की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार से सिफारिशें प्राप्त करने हेतु 60 दिन की समय–सीमा निर्धारित है। संस्था को अपनी त्रुटियां सुधारने के लिए 90 दिन की समयावधि अनुमत्य है। आवेदन पर कार्रवाई पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर कार्यक्रम के संचालन के लिए संस्था की तैयारी के संबंध में निरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

बुनकरों को स्वरोजगार

3772. श्री गिरिधारी यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वरोजगार शुरू करने हेतु दस्तकारों एवं बुनकरों को राज्य–वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित दस्तकारों और बुनकरों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास हेतु सरकार की योजनाओं का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार मुहैया कराना नहीं है। मुख्य योजनाओं में से एक बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, जो शिल्प कलस्टरों के एकीकृत विकास के लिए हस्तशिल्प विकास निगमों/ समितियों/ गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से कारीगरों के मध्य स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है। हथकरघा क्षेत्र में, सरकार दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिलगेट प्राइज योजना, आदि जैसी मुख्य विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से विपणन सहायता मुहैया कराके और बुनकरों के कौशल का उन्नयन करके तथा बुनियादी आदान उपलब्ध करवाकर उनकी आय और सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003–04 से 2005–06 के दौरान अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003–04 से

2005–06 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनागत एवं योजनेतर स्कीमों के अन्तर्गत बुनकरों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण–II एवं III के रूप में संलग्न हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003–04 से 2005–06 तक के दौरान, अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए शिल्पियों के राज्य–वार आंकडे विवरण–IV में संलग्न हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003–04 से 2005–06 तक के दौरान लाभान्वित हुए बुनकरों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–V में संलग्न है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष के दौरान अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत मुहैया कराई गई राज्य–वार सहायता का राज्य–वार और संघ शासित क्षेत्र–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003–04	2004–05	2005–06
		रिलीज की गई धनराशि/उपगत व्यय	रिलीज की गई धनराशि/उपगत व्यय	रिलीज की गई धनराशि/उपगत व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,47,19,882	1,77,42,483	2,67,74,169
2.	अरुणाचल प्रदेश	27,15,572	27,70,751	27,56,467
3.	असम	1,51,53,420	3,26,39,754	3,42,24,013
4.	बिहार	5,45,000	15,63,000	13,76,500
5.	छत्तीसगढ़	17,91,867	19,33,600	11,24,000
6.	दिल्ली	32,56,192	33,60,318	16,31,376
7.	गोवा	2,50,000	–	1,00,000
8.	गुजरात	69,40,979	1,08,03,579	3,29,61,000
9.	हरियाणा	25,14,058	31,71,519	36,56,551
10.	हिमाचल प्रदेश	53,91,622	1,25,02,753	96,79,853
11.	जम्मू और कश्मीर	40,61,168	54,18,259	1,15,14,111
12.	झारखंड	6,46,000	10,91,040	17,99,500
13.	कर्नाटक	38,70,696	40,95,909	65,36,785
14.	केरल	74,63,947	44,31,514	94,17,669
15.	मध्य प्रदेश	66,23,241	69,73,483	70,72,925
16.	महाराष्ट्र	23,64,716	33,04,386	18,78,430
17.	मणिपुर	20,01,220	17,73,514	76,37,276
18.	मेघालय	4,57,870	000	1,50,000
19.	मिजोरम	15,82,250	16,58,500	37,500
20.	नागालैंड	30,11,325	12,03,500	40,06,000

1	2	3	4	5
21.	उड़ीसा	79,13,837	76,78,523	2,07,47,866
22.	पांडिचेरी	–	16,905	–
23.	पंजाब	41,61,579	15,12,250	56,96,700
24.	राजस्थान	64,69,404	88,01,206	58,59,061
25.	सिक्किम	000	–	–
26.	तमिलनाडु	33,44,689	31,14,809	93,75,986
27.	त्रिपुरा	34,97,284	49,08,529	36,76,317
28.	उत्तर प्रदेश	1,64,25,535	2,61,06,197	3,63,47,707
29.	उत्तरांचल	59,78,205	21,13,500	40,12,521
30.	पश्चिम बंगाल	78,14,680	1,66,41,449	1,20,16,684
	कुल	14,09,66,238	18,73,31,230	26,20,66,967

विवरण-II

वर्ष 2003–2004, 2004–05, 2005–05 के दौरान विभिन्न हथकरघा प्लान स्कीमों के अन्तर्गत निर्मुक्त राशि के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	20.76	122.25	397.00
2.	आंध्र प्रदेश	1784.14	848.21	829.44
3.	असम	762.86	469.33	409.12
4.	बिहार	12.62	–	–
5.	छत्तीसगढ़	46.63	18.70	19.72
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	64.18	22.55	50.42
8.	हरियाणा	35.26	69.71	32.10
9.	हिमाचल प्रदेश	173.32	110.59	82.13
10.	झारखंड	–	–	38.22
11.	जम्मू और कश्मीर	40.76	63.41	31.13
12.	कर्नाटक	451.40	472.18	1140.59
13.	केरल	821.84	706.53	372.42
14.	मध्य प्रदेश	45.23	61.22	83.52
15.	महाराष्ट्र	11.66	60.73	43.85
16.	मणिपुर	115.79	480.70	486.17
17.	मिजोरम	32.19	27.74	24.74
18.	मेघालय	3.91	3.97	26.56
19.	नागालैंड	1114.22	903.13	1239.91
20.	उड़ीसा	78.03	250.33	276.97
21.	पांडिचेरी	–	–	–
22.	पंजाब	–	5.33	–
23.	राजस्थान	122.14	124.66	88.19
24.	सिक्किम	–	–	–

1	2	3	4	5
25.	तमिलनाडु	2619.46	3978.96	4910.25
26.	त्रिपुरा	35.98	54.16	32.13
27.	उत्तर प्रदेश	1070.08	1366.90	1407.76
28.	उत्तरांचल	10.13	62.31	21.54
29.	पश्चिम बंगाल	180.45	961.26	440.39
30.	दिल्ली	112.00	115.43	15.73
	कुल जोड़	9765.04	11360.29	12500.00

विवरण-III

वर्ष 2003–2004, 2004–05, 2005–06 के दौरान विभिन्न हथकरघा (नॉन प्लान) स्कीमों के अन्तर्गत निर्मुक्त राशि के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	949.46	253.89	582.55
3.	असम	114.90	625.40	368.41
4.	बिहार	97.80	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	15.29
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	14.16	108.30	48.58
8.	हरियाणा	–	179.19	77.80
9.	हिमाचल प्रदेश	–	71.21	35.06
10.	झारखंड	–	–	–
11.	जम्मू और कश्मीर	–	112.07	147.43
12.	कर्नाटक	266.03	245.60	55.80
13.	केरल	294.19	731.58	215.97
14.	मध्य प्रदेश	42.80	7.20	6.23
15.	महाराष्ट्र	–	–	–
16.	मणिपुर	33.00	–	–
17.	मिजोरम	11.13	3.05	150.62
18.	मेघालय	0.10	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–
20.	उड़ीसा	158.89	416.15	623.49
21.	पांडिचेरी	–	13.49	27.87
22.	पंजाब	–	10.23	–
23.	राजस्थान	11.72	61.53	76.04
24.	सिक्किम	–	–	–
25.	तमिलनाडु	560.85	695.42	572.84
26.	त्रिपुरा	12.05	19.13	–
27.	उत्तर प्रदेश	193.62	656.43	705.20
28.	उत्तरांचल	6.98	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	356.16	338.06	253.31
30.	दिल्ली	–	25.00	–
	कुल जोड़	3123.84	4572.93	3962.49

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ए एच वी वाई के अंतर्गत लाभान्वित हस्तशिल्प कारीगरों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2003–04 कारीगरों की संख्या	2004–05 कारीगरों की संख्या	2005–06 कारीगरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11010	323	3952
2.	अरुणाचल प्रदेश	120	000	500
3.	असम	1238	1790	2356
4.	बिहार	550	1034	1070
5.	छत्तीसगढ़	000	265	000

1	2	3	4	5
6.	दिल्ली	100	120	400
7.	गोवा	500	000	200
8.	गुजरात	5950	8266	16600
9.	हरियाणा	500	350	520
10.	हिमाचल प्रदेश	1071	1315	296
11.	जम्मू और कश्मीर	550	1710	2090
12.	झारखंड	200	600	300
13.	कर्नाटक	2790	373	1660
14.	केरल	2490	570	585
15.	मध्य प्रदेश	2000	982	1684
16.	महाराष्ट्र	2883	190	000
17.	मणिपुर	417	700	3405
18.	मेघालय	000	000	300
19.	मिजोरम	000	165	75
20.	नागालैंड	220	695	1330
21.	उड़ीसा	200	555	550
22.	पांडिचेरी	000	000	000
23.	पंजाब	100	133	133
24.	राजस्थान	500	475	750
25.	सिक्किम	000	000	000
26.	तमिलनाडु	300	3530	630
27.	त्रिपुरा	350	840	513
28.	उत्तर प्रदेश	3185	3441	33620
29.	उत्तरांचल	550	000	100
30.	पश्चिम बंगाल	450	2150	1615
	कुल जोड़	38224	30572	45234

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) के दौरान विभिन्न हथकरघा स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त बुनकरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	सहायता प्राप्त बुनकरों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	21616
2.	असम	812719
3.	आंध्र प्रदेश	295196
4.	बिहार	824
5.	छत्तीसगढ़	4663
6.	दिल्ली	2823
7.	गुजरात	24262
8.	हरियाणा	745
9.	हिमाचल प्रदेश	6525
10.	जम्मू और कश्मीर	2570
11.	झारखंड	11260
12.	कर्नाटक	116891
13.	केरल	61895
14.	मध्य प्रदेश	8651
15.	मणिपुर	20291
16.	महाराष्ट्र	7936
17.	मेघालय	1071
18.	मिजोरम	240
19.	नागालैंड	36477
20.	उड़ीसा	100379
21.	पंजाब	12700

1	2	3
22.	राजस्थान	42235
23.	त्रिपुरा	2027
24.	तमिलनाडु	949062
25.	उत्तर प्रदेश	73701
26.	उत्तरांचल	5790
27.	पश्चिम बंगाल	62236
28.	अन्य एजेंसियां	2995
	कुल	2687780

[अनुवाद]

बांस

3773. श्री हितेन बर्मन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में बांस जीविकोपार्जन का एक सतत स्त्रोत है और इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के पास प्रचुर संभावनाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को प्रोत्साहित कर इसकी मदद करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार (कृषि मंत्रालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग में) ने 2006–07 के लिए 91.37 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित 568.23 करोड़ रुपये की कुल लागत से 28 राज्यों (पश्चिम बंगाल सहित) में राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के आरंभ को स्वीकृति दी है।

[हिन्दी]

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

3774. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भूमि और जल संरक्षण, कृषि जैव–प्रौद्योगिकी, वानिकी, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डेयरी तथा बीज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु कोई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के दक्षिणी परिसर के विकास हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए शैक्षिक योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु 192 करोड़ रुपए की निधि का प्रस्ताव किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) विश्वविद्यालय, सभी स्तरों पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम तैयार करने और आरंभ करने के लिए स्वतंत्र है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2007–08 से अपने दक्षिण परिसर में निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है :–

(i) मृदा तथा जल संरक्षण

(ii) कृषि हेतु जैव–प्रौद्योगिकी

(iii) कृषि वानिकी

(iv) पर्यावरणिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

(v) डेयरी प्रौद्योगिकी

(vi) बीज प्रौद्योगिकी

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने बरकच्छा, मिर्जापुर में अपने दक्षिण परिसर के विकास हेतु अभी हाल में ही एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसमें पांच वर्षों की अवधि में 192.00 करोड़ रु. का व्यय शामिल है। अवसंरचना के विकास के अतिरिक्त प्रस्ताव में उपर्युक्त परिसर में कई नए पाठ्यक्रम आरंभ्ज्ञ करना शामिल है। आशा है कि इन पाठ्यक्रमों से निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के छात्र लाभान्वित होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ 16.00 करोड़ रु. अनुमोदित किए है जिसमें से 12.00 करोड़ रु. पहले से ही दिए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शेष राशि को XI वीं योजना प्रस्तावों में शामिल करने का परामर्श दिया गया है।

[अनुवाद]

भारत विरोधी गतिविधियां

3775. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूटान सरकार अपने क्षेत्र से भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों को समाप्त करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो भूटान में भारत–विरोधी उग्रवादी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) भूटान की शाही सेना द्वारा दिसम्बर, 2003 में भारतीय विद्रोही ग्रुपों (आई आई जी) के विरुद्ध जो अभियान चलाए गए वे कारगर सिद्ध हुए। सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) भूटान के क्षेत्र के भीतर भारतीय विद्रोही ग्रुपों द्वारा किसी भी भारत–विरोधी गतिविधि की सूचना संबंधी कोई रिपोर्टें नहीं हैं।

सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और भूटान के बीच चौथी बैठक 22–23 सितम्बर, 2006 के बीच थिम्पू में आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति हुई कि आई आई जी संबंधी गतिविधियों को रोकने हेतु सतर्कता बनाए रखने और आसूचना आदान–प्रदान करने की काफी जरूरत है।

ग्रोथ पोल्स्

3776. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को ग्रॉथ पोल्स् के निर्माण के लिए भौगोलिक स्थानों हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी स्थिति क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार को ग्रॉथ पोल्स की स्थापना के लिए असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के राष्ट्रीय आयोग से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार सृजन

3777. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सी बी सी, डी एस ई पी, बी डी पी योजनाओं के तहत वर्ष–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ख) लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट (सीबीसी) योजना के अंतर्गत कोई अलग रोज़गार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। विशेष रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) तथा ब्लाक विकास कार्यक्रम (बीडीपी) को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा 1994–95 के दौरान शुरू किया गया था। केवीआईसी ने रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु 10,000 व्यक्तियों के प्रति जिला रोज़गार लक्ष्य के साथ एसईपी के अन्तर्गत 50 पिछड़े जिलों तथा 100 व्यक्तियों के प्रति ब्लाक रोजगार लक्ष्य के साथ पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण पद्धति (आरपीडीएस) ब्लाक के बीडीपी के अन्तर्गत 125 ब्लाकों की पहचान की है। केवीआईसी द्वारा दिए गए प्रयासों के बावजूद, इन दो कार्यक्रमों से अधिकांशतः जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं बैंकों की भागीदारी में कमी होने से प्राप्त होने वाले आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए, इन कार्यक्रमों को 1999–2000 के दौरान संस्थानों को सहायता के खादी एवं ग्रामोद्योग के चालू कार्यक्रमों के साथ मिला दिया गया।

संघ राज्य क्षेत्र की कृषि भूमि पर पेट्रोल पंप लगाना

3778. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय के तहत उसी प्रशासन के अंतर्गत होने के बावजूद दमण और दीव तथा दादरा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में, भूमि उपयोग संबंधी कानूनों में विषमता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दादरा नागर हवेली में पेट्रोल पंप आदि लगाने के लिए कृषि भूमि के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति है जबकि दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं है; और

(घ) दमण और दीव तथा दादरा नागर हवेली दोनों संघ राज्य

क्षेत्रों में कृषि भूमि के उपयोग में समानता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) दमण और दीव में भूमि उपयोग संबंधी कानून, दादरा एवं नागर हवेली के संघ शासित क्षेत्र के भूमि उपयोग संबंधी नियमों के कतिपय लिहाज से भूमि उपयोग संबंधी नियमों से भिन्न है।

(ख) दादरा एवं नागर हवेली के लिए लागू क्षेत्रीय योजना और विकास नियंत्रण नियम ग्रीन जोनों में पेट्रोल पंपों को लगाने की अनुमति देते हैं लेकिन कृषि भूमि के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति नहीं देते हैं। दमण और दीव में दमण जिले हेतु लागू क्षेत्रीय योजना और विकास नियंत्रण नियम विभिन्न विशिष्टताओं जैसे कि भू-उपयोग की उपलब्धता, भौगोलिक और वहां व्याप्त सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण ग्रीन जोन में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति नहीं देते हैं।

(ग) क्षेत्रीय योजना और विकास नियंत्रण नियम के अनुसार दमण एवं दीव में पेट्रोल पंप लगाने हेतु कृषि भूमि के वाणिज्यिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

(घ) उपर्युक्त कारणों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड योजना

3779. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड, योजना के तहत दस्तकारों और बुनकरों को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस योजना के तहत लाभान्वित दस्तकारों और बुनकरों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) हस्तशिल्प कारीगरों को निर्बाध रूप से ऋण देने के लिए 1,36,000 आर्टिजन क्रेडिट कार्ड (ए सी सी) जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहां तक स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड का संबंध है, जिसके अंतर्गत बुनकरों को कवर किया जाता है, नाबार्ड द्वारा कोई क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) हस्तशिल्प क्षेत्र में आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कवर किए जाने वाले कारीगरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, अब तक 90,701 कारीगर कवर किए जा चुके हैं। स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड जो हथकरघा बुनकरों सहित कई प्रकार के छोटे-छोटे कर्जदारों को कवर करता है, के संबंध में नाबार्ड द्वारा कर्जदारों के अलग-अलग समूहों के अलग-अलग आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं। स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित छोटे-छोटे कर्जदारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	जारी किए गए एससीसी की सं.
1	2
अंडमान और निकोबार	73
आंध्र प्रदेश	61439
असम	2381
बिहार	23756
छत्तीसगढ़	13524
गोवा	327
गुजरात	15522
हरियाणा	39357
हिमाचल प्रदेश	5028
झारखंड	6536
कर्नाटक	50480
केरल	59504
मध्य प्रदेश	14765
महाराष्ट्र	8601
मिजोरम	95
नागालैंड	4
उड़ीसा	30746
पंजाब	14852

1	2
राजस्थान	19816
तमिलनाडु	20837
त्रिपुरा	23
उत्तर प्रदेश	79505
उत्तरांचल	6092
पश्चिम बंगाल	21876
कुल जोड़	495139

संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग

3780. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे राज्य कौन से हैं जहां पत्थर उद्योग विशेषकर संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग पनप रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में विशेषकर राजस्थान में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या संगमरमर के आयात का देश में विशेषकर राजस्थान में घरेलू संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में संगमरमर और ग्रेनाइट व्यापारियों/उद्यमियों से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (छ) निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004–09 के अध्याय 25 के अंतर्गत वर्गीकृत अपरिष्कृत संगमरमर तथा ग्रेनाइट का आयात प्रतिबंधित है। वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत आयात हेतु अनुमत्य संगमरमर की मात्रा से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार करते समय समस्त संगत घरेलू चिंताओं पर ध्यान दिया जाता है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) में परिभाषित ग्रेनाइट और संगमरमर लघु खनिज हैं। तदनुसार, इन खनिजों के विकास हेतु संबंधित राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से जिम्मेवार हैं।

[अनुवाद]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें

3781. श्री तथागत सत्पथी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और सीमा सड़क संगठन की सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उड़ीसा में पी एम जी एस वाई के अधीन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2005–06 के दौरान सात सड़क प्रस्तावों को और 2006–07 में आठ सड़क प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों और बी आर ओ द्वारा ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट

3782. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्रीमती कमला शुक्ला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2005 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली देश के 35 बड़े शहरों में महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के दृष्टिकोण से रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं;

(घ) उक्त रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 2005 की "भारत में अपराध" नामक रिपोर्ट के अनुसार 35 बड़े शहरों में से दिल्ली शहर में महिलाओं के प्रति अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 के दौरान इन शहरों में रिकार्ड किए गए अपराधों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) अपराध को समाप्त करने के लिए रिपोर्ट में कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं; इसमें केवल सामान्य अपराध, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बच्चों आदि के प्रति अपराध संबंधी विस्तृत आंकड़ों को दर्शाया गया है। महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है : महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठों की स्थापना; सभी नौ पुलिस जिलों में बलात्कार जोखिम हस्तक्षेप केन्द्रों की स्थापना; महत्वपूर्ण स्थानों पर सादी वर्दी में स्टाफ की तैनाती; समर्पित टेलीफोन हेल्पलाइनों की शुरुआत; विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए 24 घंटे कॉलों को ग्रहण करने के लिए "महिला मोबाइल टीम" का गठन; बालिकाओं के लिए आत्म–सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम; "परिवर्तन" नामक स्कीम की शुरूआत करना जिसके अंतर्गत चुने हुए स्लम क्षेत्रों में महिला बीट कांस्टेबलों की तैनाती की जाती है; प्रतिष्ठित महिला कॉलेजों में गश्त करने वाली प्रत्येक पी सी आर वैन में एक महिला पुलिस कांस्टेबल की तैनाती; महिला कालेजों के शिक्षक संकाय और विद्यार्थियों से सभी जिलों में सम्पर्क करने के लिए "नए सम्पर्क कार्यक्रम" की शुरुआत करना; छेड़खानी की घटनाओं को समाप्त करने के लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण मार्गों पर बसों की अचानक जांच करना; तथा महिला कालेजों में बालिकाओं के लिए करने और न करने योग्य तथा आत्म सुरक्षा की युक्तियों वाले शैक्षणिक साहित्य और इश्तेहारों का परिचालन करना।

विवरण

क्र.सं.	शहर	2005 में महिलाओं के प्रति किए अपराधों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	489
2.	अहमदाबाद	1004
3.	इलाहाबाद	102
4.	अमृतसर	66
5.	आसनसोल	377
6.	बंगलौर	1488
7.	भोपाल	364
8.	चेन्नई	815
9.	कोयम्बटूर	331
10.	दिल्ली	3850
11.	धनबाद	92
12.	फरीदाबाद	410
13.	हैदराबाद	2057
14.	इंदौर	522
15.	जबलपुर	415
16.	जयपुर	782
17.	जमशेदपुर	168
18.	कानपुर	644
19.	कोच्चि	129
20.	कोलकाता	544
21.	लखनऊ	582
22.	लुधियाना	215
23.	मदुरई	261
24.	मेरठ	353
25.	मुम्बई	1288
26.	नागपुर	440
27.	नासिक	207

1	2	3
28.	पटना	226
29.	पुणे	565
30.	राजकोट	211
31.	सूरत	379
32.	बड़ोदरा	189
33.	वाराणसी	86
34.	विजयवाड़ा	613
35.	विशाखापत्तनम	733

[अनुवाद]

इस्को खनन पट्टा

3783. श्री सुशील खां : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्को, मिलाई स्टील और कुदरेमुख के खनन पट्टे को उनका बकाया पट्टा मिल गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) खान मंत्रालय ने वर्ष 2001 से अब तक मैसर्स कुदरेमुख आयरन ओर कंपनी लि. के पक्ष में आंध्र प्रदेश में कुल 687.779 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क के लिए खनन पट्टा प्रदान करने के लिए छः प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। दिनांक 23.10.2006 को इस मंत्रालय को मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. के पक्ष में रोघाट 'एफ' ब्लॉक, जिला कांकेर और बस्तर, छत्तीसगढ़ में 2028.797 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क के लिए खनन पट्टे को स्वीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस मंत्रालय को वर्ष 2001 से अब तक इस्को के पक्ष में खनिज रियायत प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आंध्र प्रदेश में स्वयंसिद्ध योजना

3784. श्री वाडिराज रामकृष्णा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वयंसिद्ध योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्वयंसिद्ध योजना के तहत केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए कितनी सहायता बढ़ाई गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना से लाभान्वित लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) स्वयंसिद्धा स्कीम का उद्देश्य सभी मौजूदा क्षेत्रीय कार्यक्रमों के संकेन्द्रण और संघटन की सतत् प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं का संसाधनों पर नियंत्रण और प्रत्यक्ष पहुंच सुनिश्चित करके उनका विशेषकर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समग्र सशक्तिकरण करना है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें संबंधित वर्ष हेतु प्रस्तावित क्रियाकलापों की सूची का ब्यौरा देने वाली वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करती हैं। वार्षिक कार्य योजना तथा व्यय की उनकी स्थिति के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान स्वयंसिद्ध स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान स्वयंसिद्धा स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त अनुदान		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	*	143.57	110
2	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*

1	2	3	4	5
3	असम	*	*	100
4	बिहार	*	*	100
5	छत्तीसगढ़	39	25	60
6	गुजरात	*	*	30.6
7	हरियाणा	69	33.6	69.62
8	हिमाचल प्रदेश	3.63	39.17	32.39
9	जम्मू और कश्मीर	*	28	70.98
10	झारखंड	51.01	*	25
11	कर्नाटक	99.06	25.22	110
12	केरल	33.89	20	132.43
13	मध्य प्रदेश	*	45	200
14	महाराष्ट्र	81	136	159.48
15	मणिपुर	12.39	19.31	*
16	मेघालय	6	5	29
17	मिजोरम	5	13.74	27.12
18	नागालैंड	11.41	23.92	46.71
19	उड़ीसा	50	92.14	113.45
20	पंजाब	*	*	25
21	राजस्थान	*	25	180
22	सिक्किम	8	17	25.75
23	तमिलनाडु	70	175	167.02
24	त्रिपुरा	9	6.5	10.94
25	उत्तर प्रदेश	122.44	*	*
26	उत्तरांचल	*	25	83
27	पश्चिम बंगाल	76.98	50	99.63
28	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	*	*	*
29	दिल्ली	5.68	*	*
30	लक्षद्वीप	*	*	*
31	पांडिचेरी	*	*	13.4

* वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तुत न करने/अपूर्ण वार्षिक कार्य योजना/निधि का सही उपयोग न करने के कारण कोई अनुदान निर्मुक्त नहीं किया गए।

विवरण-II

स्वयंसिद्धा स्कीम के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	50944
2	अरुणाचल प्रदेश	2270
3	असम	60000
4	बिहार	86639
5	छत्तीसगढ़	21907
6	गुजरात	44309
7	हिमाचल प्रदेश	10721
8	हरियाणा	18016
9	जम्मू और कश्मीर	21500
10	झारखंड	41225
11	कर्नाटक	47061
12	केरल	41232
13	मध्य प्रदेश	41066
14	महाराष्ट्र	49549
15	मणिपुर	4925
16	मेघालय	7250
17	मिजोरम	3797
18	नागालैंड	8506
19	उड़ीसा	54000
20	पंजाब	25897
21	राजस्थान	34014
22	सिक्किम	6898
23	तमिलनाडु	87738
24	त्रिपुरा	4852
25	उत्तर प्रदेश	126000
26	उत्तरांचल	18369
27	पश्चिम बंगाल	63935
28	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1560
29	दिल्ली	2625
30	लक्षद्वीप	2460
31	पांडिचेरी	5227
	कुल	994492

कच्चे माल की कमी

3785. श्रीमती गीता पटैरिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उत्पादन के लिए कच्चे माल में तेजी से कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

3786. श्रीमती जयावहन वी. ठक्कर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता देता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी गई सहायता वाले स्वयंसेवी संगठनों की राज्य-वार संख्या क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	689	710	719
2.	असम	346	242	193
3.	अरुणाचल प्रदेश	94	89	101
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	95	116	111
5.	बिहार	479	484	486
6.	चंडीगढ़	86	80	41
7.	छत्तीसगढ़	183	138	175
8.	दिल्ली	206	154	184
9.	गुजरात	321	333	314
10.	हरियाणा	240	179	155
11.	हिमाचल प्रदेश	196	153	113
12.	जम्मू और कश्मीर	102	122	141
13.	झारखंड	07	26	116
14.	कर्नाटक	489	495	466
15.	केरल	538	511	521
16.	लक्षद्वीप	35	52	131
17.	मध्य प्रदेश	759	720	1001
18.	महाराष्ट्र	577	628	664
19.	मणिपुर	326	302	332
20.	मेघालय	252	196	235
21.	मिजोरम	217	209	258
22.	नागालैंड	134	77	54
23.	उड़ीसा	596	544	545
24.	पंजाब	161	90	106
25.	पांडिचेरी	176	155	144
26.	राजस्थान	241	289	279
27.	सिक्किम	115	88	98
28.	तमिलनाडु	799	689	605
29.	त्रिपुरा	149	149	136
30.	उत्तर प्रदेश	705	705	645

1	2	3	4	5
31.	उत्तरांचल	62	95	124
32.	पश्चिम बंगाल	729	469	661
33.	गोवा	16	15	17
34.	दादरा और नागर हवेली	02	02	10
	कुल	10122	9306	9881

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र अभियान पर अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिक

3787. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अभियानों के माध्यम से समय-समय पर अर्द्धसैनिक बलों, विशेषकर आईटीबीपी और बीएसएफ कार्मिकों की नियुक्ति विभिन्न देशों में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अभियानों में नियुक्त जवानों की बल-वार और पद-वार संख्या क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जहां इनकी नियुक्ति हुई है;

(ग) क्या ऐसे अभियान के तहत कुछ जवान अफ्रीकी देश कांगो भी भेजे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कांगों में नियुक्त अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों को उक्त अवधि के दौरान उनका वेतन नहीं मिलता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ऐसे कार्मिकों को वेतन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की प्रत्येक में से गठित 125 कर्मियों वाली एक-एक पुलिस यूनिट, शांति बनाए रखने संबंधी अभियानों के लिए कांगो में संयुक्त राष्ट्र में तैनात की गई है। इन कर्मियों के बल-वार और पद-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) कांगो में तैनात इन कर्मियों से संबंधित वेतन तथा भत्ते नियमित रूप से आहरित किए जा रहे हैं तथा उनके बैंक में जमा किए जा रहे हैं। बढ़ी हुई दर पर विदेशी तैनाती भत्ते (ओ डी ए) भी अनुमोदित किए गए हैं।

विवरण

सीमा सुरक्षा बल

वर्ष	कांगो	
2004	–	
2005	कमांडेंट	01
	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	02
	उप कमांडेंट	01
	सहायक कमांडेंट	03
	निरीक्षक	03
	उप निरीक्षक	02
	सहायक उप निरीक्षक	07
	हैड कांस्टेबल	28
	कांस्टेबल	71
	क्लास (28.11.2005 से तैनात)	07
2006		–
कुल		125

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

वर्ष	कांगो	
2004	–	
2005	सेकंड इन कमांडेंट	01
	उप कमांडेंट	03
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	02
	निरीक्षक	07
	उप निरीक्षक	03
	सहायक उप निरीक्षक	01
	हैड कांस्टेबल	39
	कांस्टेबल	65
	फॉलोअर (क्लास-IV) (09.11.2005 से तैनात)	04
2006		–
कुल		125

[अनुवाद]

हस्तनिर्मित ग्रामोद्योग उत्पाद

3788. श्री ए. वी. वेल्लारमिन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि हस्तनिर्मित उत्पादों के नाम पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) द्वारा कतिपय उत्पादों का क्रय तथा विपणन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण उद्योग का अर्थ है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग, जो सामान्य श्रेणी क्षेत्रों में नियोजित प्रति कामगार 1 लाख रु. तक (पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रु.) के नियत पूंजी निवेश की शर्त के अधीन विद्युत के प्रयोग सहित अथवा प्रयोग के बिना, किसी माल का उत्पादन करता है अथवा सेवा प्रदान करता है। इसलिए ये उत्पादन हस्त निर्मित अथवा ग्रामीण उद्योग उत्पादन कहे जाते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई) संस्थान तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के विभागीय बिक्री केन्द्र, के वी आई सी अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्डों तथा ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित इकाइयों द्वारा प्रमाणित के वी आई संस्थानों/इकाइयों से हस्त–निर्मित एवं ग्रामीण उद्योग उत्पादनों की खरीद एवं उनका विपणन करते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कॉलेज, नागपुर

3789. श्री सुबोध मोहिते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नागपुर में उत्तर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कॉलेज की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार आपदाओं के समय युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए देश के अन्य भागों में ऐसे कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

बी एड कॉलेजों को मान्यता

3790. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बगैर बी.एड. कॉलेजों को मान्यता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने के बावजूद एम.एड. पाठ्यक्रमों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) दिनांक 13.1.2006 को राजपत्र में प्रकाशित एन.सी.टी.ई. विनियम, 2005 के खण्ड 7 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) की क्षेत्रीय समिति संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ एक लिखित सूचना संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजेगी। इस सूचना के प्राप्त होने पर संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवेदन पर अपनी सिफारिशें इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर एन.सी.टी.ई. की क्षेत्रीय समिति को सौंपेंगे। यदि सिफारिश नकारात्मक होती है तो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इसके विस्तृत कारण/आधार बताएंगे जिनको संबद्ध क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जा सके। यदि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से निर्धारित 60 दिनों में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जायेगा कि संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासन को कोई सिफारिश नहीं करनी है। इन विनियमों में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से एक विशिष्ट 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने हेतु मान्यता प्रदान किए जाने के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की एन. सी.टी.ई. अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से जांच की जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल सीमा पर राजमार्ग

3791. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार राज्य सरकार से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत–नेपाल सीमा पर 750 कि.मी. लंबे राजमार्ग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के पूरा होने पर कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) भारत सरकार ने उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम राज्यों में भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमा के साथ–साथ सड़क के निर्माण/उन्नयन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें बिहार में 446 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगभग 656.5 कि.मी. की सड़क शामिल है। इस प्रस्ताव का आकलन संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया गया है। भारत सरकार ने परियोजना के वित्तपोषण के तंत्र को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

खनिज विकास कोष

3792. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनिज विकास कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कोष में राज्य और केन्द्र के अंशदान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने खनिज विकास कोष में बराबर का अपना अंशदान जारी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने तथा खनन क्षेत्र में निजी निवेश का बढ़ावा देने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संभव संशोधनों की सिफारिश करने के लिए, श्री अनवरूल होडा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में, एक उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है। सिफारिशों में एक सिफारिश खनिज विकास कोष की स्थापना करने से संबंधित है। एच एल सी की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष

3793. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरभाष संख्या 100 मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने के लिए है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दूरभाष संख्या दिल्ली क्षेत्र के लिए है और यह सम्पूर्ण एन सी आर क्षेत्र के लिए नहीं है, जैसा कि दिनांक 5 नवम्बर, 2006 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन पर क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है और एन सी आर के लिए केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष (सीपीसीआर) को कब तक स्थापित किया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस का केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन संख्या 100, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता हेतु है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे राज्यों के जिले अर्थात् गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, झज्जर, गाजियाबाद,

नोएडा, बागपत और मेरठ में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई किए जाने के लिए नौ हाट लाईन टेलिफोनों के माध्यम से भी कॉले प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें पड़ोसी राज्यों के संबंधित जिलों को तुरंत भेजा जाता है। 5 नवम्बर, 2006 के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित "दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 100 नम्बर आपके लिए नहीं है" नामक शीर्षक रिपोर्ट से उल्लिखित टेलीफोन कॉल, दिल्ली पुलिस के केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्वचालित कॉल वितरण प्रणाली में अंकित कालों में मौजूद नहीं पाया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष के गठन का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जनजातियों का उत्थान

3794. श्री बसुदेव आचार्य : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान रांची की उन जनजातियों के कष्टों और सामाजिक–आर्थिक उत्थान की ओर आकर्षित किया गया है जिन्हें उनकी उस वन भूमि से हटाया जा रहा है जहां वे दशकों से रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इन लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) से (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय केवल संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए एक नोडल मंत्रालय है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का "रांची" समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हालांकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह आयोग का गठन किया है, जो "रांची" के मामले की भी जांच करेगा।

बच्चों के अपहरण से संबंधित एनसीआरबी की रिपोर्ट

3795. श्री उदय सिंह :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री अशोक अर्गल :
श्री अधीर चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से देश में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में बच्चों/व्यक्तियों के अपहरण से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कुल कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कुल कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया;

(घ) सरकार ने ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान अपहरण और व्यपहरण के अपराधों (बच्चों सहित) के राज्य–वार दर्ज किए गए मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप–पत्र दायर किए गए व्यक्तियों, विचारण पूर्ण हुए व्यक्तियों, दोष सिद्ध और दोष मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और लोक "व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपहरण और व्यपहरण के अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और जनता को सुरक्षा प्रदान करें। संघ सरकार समय–समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह जारी करती रहती है जिसमें उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करें ताकि उनके क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों को रक्षा और सुरक्षा प्रदान की जा सके।

विवरण

2003–2005 के दौरान अपहरण और व्यपहरण (बच्चों सहित) (आई पी सी की धारा 363–373) के अपराधो के लिए दर्ज किए गए मामले (सीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति(पी ए), आरोप पत्र दायर किए गए व्यक्ति (पी सी), विचारण पूर्ण हुए व्यक्ति (पी डी), दोष सिद्ध हुए व्यक्ति (पी वी) और दोष मुक्त (पी क्यू) व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003						2004						2005					
		सीआर	पीए	पीसी	पीडी	पीवी	पीक्यू	सीआर	पीए	पीसी	पीडी	पीवी	पीक्यू	सीआर	पीए	पीसी	पीडी	पीवी	पीक्यू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	1485	1752	1459	1133	173	960	1526	1921	1596	1468	211	1257	1612	2156	1849	1240	174	1066
2	अरुणाचल प्रदेश	68	74	29	0	0	0	65	76	39	5	5	0	58	45	30	17	6	11
3	असम	1628	2361	1459	944	160	784	1906	2561	1474	998	226	772	1751	2846	1683	1027	202	825
4	बिहार	2427	4002	3416	2816	510	2306	3413	4937	3381	2677	366	2311	2693	5218	4336	2776	369	2407
5	छत्तीसगढ़	177	206	212	148	42	106	214	317	307	383	114	269	246	339	334	209	58	151
6	गोवा	14	14	17	9	0	9	13	17	10	7	1	6	17	32	12	13	2	11
7	गुजरात	1044	1293	1285	807	56	751	1133	1573	1591	916	70	846	1164	1627	1568	841	89	752
8	हरियाणा	388	548	552	715	137	578	423	538	548	673	139	534	492	531	506	466	121	345
9	हिमाचल प्रदेश	113	104	102	95	10	85	123	106	67	53	3	50	118	143	121	103	5	98
10	जम्मू और कश्मीर	712	753	758	264	3	261	735	715	696	364	5	359	748	793	764	396	7	389
11	झारखंड	487	521	427	237	130	107	468	521	427	237	130	107	621	721	415	1501	154	1347
12	कर्नाटक	531	625	616	477	13	464	592	686	683	742	28	714	589	690	614	795	39	756
13	केरल	189	258	190	139	29	110	232	297	194	153	14	139	226	367	409	280	24	256
14	मध्य प्रदेश	887	1554	1545	1857	368	1489	832	1605	1632	1314	297	1017	847	1557	1556	1681	444	1237
15	महाराष्ट्र	926	1451	1320	1066	86	980	1045	1642	1639	1153	67	1086	1194	2046	1840	1118	87	1031
16	मणिपुर	120	91	3	2	0	2	128	90	2	3	0	3	106	81	2	4	1	3
17	मेघालय	49	113	20	5	0	5	54	56	22	3	0	3	48	43	26	27	0	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	मिजोरम	8	9	6	7	6	1	15	14	9	3	1	2	13	6	5	14	10	4
19	नागालैंड	38	44	35	2	2	0	23	40	67	125	119	6	26	30	35	62	57	5
20	उड़ीसा	477	658	601	625	66	559	526	648	659	542	57	485	641	685	673	450	49	401
21	पंजाब	464	481	408	305	83	222	463	489	563	547	242	305	478	568	460	273	47	226
22	राजस्थान	2238	1588	1587	2293	591	1702	2384	2104	2090	2112	619	1493	1993	1597	1606	1579	513	1066
23	सिक्किम	0	0	0	2	2	0	5	5	3	0	0	0	3	3	1	0	0	0
24	तमिलनाडु	879	1246	992	810	106	704	870	1228	1195	963	99	864	1029	1268	1276	1242	203	1039
25	त्रिपुरा	146	195	121	114	27	87	99	243	200	186	49	137	85	105	126	188	22	146
26	उत्तर प्रदेश	2208	3930	3748	4698	2412	2286	3337	5714	5142	4882	2619	2263	2955	5098	4643	4148	2195	1953
27	उत्तरांचल	171	328	266	111	59	52	213	428	261	164	62	102	203	391	242	195	85	110
28	पश्चिम बंगाल	902	1822	1517	1098	127	971	1200	1925	1413	1083	83	1000	1207	1841	1703	1228	346	882
	कुल (राज्य)	18776	26021	22691	20779	5198	15581	22037	30496	25910	21756	5626	16130	21163	30827	26835	21853	5309	16544
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	0	0	0	0	3	2	3	12	10	2	2	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	32	46	38	44	8	36	54	73	64	51	36	15	54	46	27	20	3	17
31	दादरा और नागर हवेली	7	16	27	16	2	14	12	20	10	10	0	10	13	17	22	17	0	17
32	दमन और दीव	1	1	0	9	0	9	2	5	5	10	0	10	4	13	13	0	0	0
33	दिल्ली	1156	427	255	184	25	159	1209	495	478	170	21	149	1590	873	615	270	91	179
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	18	29	8	5	0	5	10	13	10	15	3	12	6	14	26	10	1	9
	कुल (संघ शासित)	1216	520	328	258	35	223	1290	608	570	268	70	198	1669	963	703	317	95	222
	कुल (अखिल भारत)	19992	26541	23019	21037	5233	15804	23327	31104	26480	22024	5696	16328	22832	31790	27538	22170	5404	16766

स्रोत : भारत में अपराध

पुलिस फायरिंग में व्यक्तियों का मारा जाना

3796. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, विशेषकर 20 सितम्बर, 2006 को दिल्ली पुलिस द्वारा फायरिंग किए जाने से कुल कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ख) उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत पुलिस फायरिंग करती है और उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत 20 सितम्बर, 2006 को, विशेषकर दिल्ली बंद के दौरान पुलिस को फायरिंग की जरूरत पड़ी;

(ग) क्या सरकार ने फायरिंग की प्रत्येक घटना की जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने दोषी पाये गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) दिल्ली बंद के दौरान 20 सितम्बर, 2006 को घटित गोलीकांड की एक घटना के सिवाय वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 के दौरान (14 दिसम्बर तक) दिल्ली पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाए जाने की और कोई घटना घटित नहीं हुई है। दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सीलिंग और तोड़फोड़ के अभियानों के दौरान 20 सितम्बर, 2006 को आयोजित किए गए, दिल्ली बंद के दौरान उत्तर–पूर्व के जिलों में भीड़ हिंसक हो गई थी जिसके कारण दिल्ली मेट्रो रेल निगम की संपत्ति सहित अनेक स्थानों पर सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति पहुंची, यातायात अवरुद्ध हो गया; भीड़ द्वारा ईंट–पत्थर फेंके गये और देसी पिस्तौलों से गोलियां भी चलाई गईं। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस के 103 कार्मिकों और दिल्ली अग्निशमन सेवा के चार अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने अनियंत्रित भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने, प्लास्टिक की गोलियां चलाने और हवा में गोली चलाने सहित सभी निरोधक उपायों का सहारा लिया। तथापि, चूंकि ये सभी उपाय प्रभावी सिद्ध नहीं हुए, इसलिए अपने सरकारी दायित्व को ईमानदारी से निभाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

[हिन्दी]

एनटीसी मिलों का आधुनिकीकरण

3797. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कितनी एनटीसी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा पहले आरंभ की गई आधुनिकीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) एनटीसी पुनरुद्धार योजना के तहत अपनी 22 मिलों का आधुनिकीकरण करने की प्रक्रिया में है।

(ख) और (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने 2002 में एन टी सी के लिए पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन किया जिसमें 65 गैर अर्थक्षम मिलों को बंद करने तथा 52 अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार की परिकल्पना है। 52 मिलों में से 22 मिलों का आधुनिकीकरण एनटीसी द्वारा स्वयं तथा 29 मिलों का संयुक्त उद्यम मार्ग के जरिए किया जाना है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एनटीसी द्वारा जुलाई, 2005 में शुरू की गई थी।

(घ) और (ङ) एनटीसी एक स्व:वित्तपोषित पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित कर रही है तथा इसकी निधियों का सृजन एनटीसी द्वारा अपनी बेशी परिसंपत्तियों की बिक्री से किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी हत्या मामला

3798. श्रीमती मेनका गांधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या के उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) किस घोषित अपराधी के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने श्रीलंका सरकार के साथ ऐसे अपराधियों के प्रत्यर्पण के मामले पर बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) मामले में सीबीआई की विशेश जांच टीम (एस आई टी) द्वारा की गई जांच के अनुसार, विनिर्दिष्ट टाडा कोर्ट, चैन्नई में विभिन्न अपराधों के लिए 41 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें से दो व्यक्ति घोषित अपराधी माने गये हैं और इनके विरुद्ध इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां, महोदय। भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को घोषित अपराधियों के संबंध में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है।

वस्त्र सलाहकार समिति में अनियमितताएं

3799. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित विभिन्न सलाहकार समितियों के लिए सदस्यों के चयन में गंभीर अनियमितताएं करने के मामले में कोई जांच करायी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त मंत्रालय के अंतर्गत गठित सलाहकार समितियों के सदस्यों को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों में लिप्त पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। वस्त्र मंत्रालय से संबंधित विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्यों का चयन/नामांकन एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, अतः इनके चयन में किसी प्रकार की अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं है। इन सदस्यों की भूमिका पूर्णतः सलाहकारी प्रकृति की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्दू शिक्षकों और पुस्तकों का अभाव

3800. श्री विजय कृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भाषा शिक्षकों (उर्दू) की नियुक्ति संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार/संघ क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा देश में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) ब्यौरे संलग्न हैं।

(ख) राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रौन्नयन परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है जिसे उर्दू भाषा के विकास और संवर्धन का अधिदेश प्राप्त है। इसके कुछ कार्यकलाप इस प्रकार हैं:–

- कम्प्यूटर शिक्षा, जिसमें इनपेज नामक उर्दू सॉफ्टवेयर की जानकारी शामिल है।
- सम्मेलन आयोजित करना, अकादमिक परियोजनाएं चलाना, पुस्तकों और पांडुलिपियों का प्रकाशन।
- दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से उर्दू डिप्लोमा।
- उर्दू पुस्तक मेले।
- केलीग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केन्द्र इत्यादि।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में "भाषा शिक्षकों (उर्दू) की नियुक्ति" संबंधी स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान तथा शिक्षकों की संख्या

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003–04		2004–05		2005–06	
		अध्यापकों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	अध्यापकों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	अध्यापकों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
2.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
3.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
4.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
5.	कर्नाटक	–	–	55	6.60	–	–
6.	आंध्र प्रदेश	245	45.72	290	51.12	–	–
7.	केरल	–	–	85	10.20	–	–
8.	असम	–	–	–	–	–	–
9.	तमिलनाडु	–	–	10	1.20	–	–
10.	उत्तर प्रदेश	–	–	290	34.80	–	–
11	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	5	0.60	–	–
12.	राजस्थान	–	–	45	5.40	–	–
13.	हरियाणा	–	–	10	1.20	–	–
14.	दिल्ली	–	–	5	0.60	–	–
15.	मध्य प्रदेश	–	–	15	1.80	229	27.48
16.	महाराष्ट्र	–	–	1454	88.74	–	–
17.	पश्चिम बंगाल	–	–	530	63.60	–	–
18.	गुजरात	–	–	70	8.40	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	झारखंड	–	–	65	7.80	–	–
20.	उत्तरांचल	–	–	–	–	263	31.56
21.	बिहार	–	–	360	43.20	–	–
	कुल	245	45.72	3289	325.26	492	59.04

[हिन्दी]

अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा

3801. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) उन व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी–वार कुल संख्या कितनी है/उनके नाम क्या हैं जिन्हें विभिन्न श्रेणियों, विशेषरूप से वाई, जेड तथा एसपीजी सुरक्षा दी गई है;

(ग) ऐसी सुरक्षा पर वार्षिक रूप से कुल कितना व्यय किया जाता है;

(घ) क्या सुरक्षा संबंधी मामलों की जांच/समीक्षा करने के लिए हाल ही में कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस समिति द्वारा रिपोर्ट भेज दी गई है; और

(च) इसका ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा कवर खतरे की आशंका या परिस्थितियों के आधार पर प्रदान की जाती है। उन व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या, जिन्हें श्रेणीकृत सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है, समय–समय पर इस संबंध में की गई समीक्षाओं पर निर्भर करते हुए भिन्न–भिन्न होती है।

(ग) सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कुल वार्षिक व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें और एजेंसियां प्रबंध प्रदान करती हैं।

(घ) से (च) जी हां, श्रीमान। व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में नीति की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

3802. डा. आर. सेनथिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई आई टी तथा आई आई एस सी, बंगलौर में अध्यापक तथा शिक्षकेत्तर और तकनीकी पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में संविधान में दिए गए आरक्षण संबंधी मानदण्डों का पालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी–वार, वर्ष–वार तथा संस्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी स्तर के पदों पर अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की भर्ती करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

वस्त्र क्षेत्र में इटली द्वारा निवेश

3803. श्री जी.वी. हर्ष कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटली स्थित वस्त्र कंपनी ने वारंगल जिले में 600 करोड़ रुपये के निवेश से एक फैक्ट्री स्थापित करने की अपनी इच्छा जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई बातचीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का एक इटली आधारित कंपनी मै. कमौजी टेक्सटाइल प्राइवेट लि., के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श हुआ था। कंपनी ने वारंगल जिले के इलम गांव में 2 लाख मीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले परिष्कृत सूती वूवन कपड़े, 80 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले निटेड फेब्रिक्स तथा दोनों प्रकार के फेब्रिक्स के प्रसंस्करण के लिए मैचिंग क्षमता के विनिर्माण के लिए दो चरणों में यूके के लेज बर्न लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के अधीन एक वस्त्र एकक स्थापित करने की योजना बनायी है। कंपनी के अनुरोध के आधार पर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें बहुत बड़ी परियोजना होने के नाते विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने की सहमति दी गई है।

(घ) इससे राज्य में नई प्रौद्योगिकियां आएंगी तथा मूल्यवर्धन भी होगा। इसके अलावा, इससे राज्य में 1000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

एनडीएमसी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की एनजीओ द्वारा निगरानी

3804. श्री ई. पोन्नुस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनडीएमसी के शिक्षा विभाग ने एनडीएमसी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के कार्यकरण की निगरानी का कार्य गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजार्थ किन–किन गैर–सरकारी संगठनों को कार्य सौंपा गया है;

(ग) क्या एनडीएमसी के उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापकों के कार्यकरण पर टिप्पणी करने के लिए एनजीओ के सदस्य उपयुक्त रूप से योग्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादियों द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग

3805. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप आतंकवादियों द्वारा बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के मोबाइल फोनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सक्रिय विभिन्न आतंकवादियों से जब्त किए गए मोबाइल फोनों तथा सिम कार्डों की राज्य–वार संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि पाक अधिकृत कश्मीर/पाक आधारित उग्रवादी नेता भारतीय क्षेत्र में संचालित अपने केडरों से संचार के कार्य के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा लाए गए 10 मोबाइल फोन, 2 सैटेलाईट फोन एक डेक्टाफोन और चार सिमकार्ड जब्त किए गए हैं।

(घ) इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आसूचना नेटवर्क का उन्नयन करके, आधुनिक निगरानी उपस्कर मुहैया कराकर और विभिन्न आसूचना एजेंसियों के बीच समन्वय करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

गैर-प्रशुल्क अवरोध

3806. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एजो फ्री डाइज" के मुद्दे जैसे गैर प्रशुल्क अवरोधों द्वारा बुरी तरह से प्रभावित लघु वस्त्र उत्पादकों की सहायता करने के लिए सरकार का कोई कोष है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में आबंटित कुल निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय लघु उत्पादकों के लिए गैर-प्रशुल्क अवरोधों के प्रभाव से निपटने में सहायक कौन-कौन सी परियोजनाएं उपलब्ध हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) "एजो फ्री डाइज" जैसे गैर-प्रशुल्क अवरोधों द्वारा प्रभावित वस्त्र उत्पादकों के लिए विशेष रूप से कोई योजना नहीं बनाई गई है। गैर-प्रशुल्क अवरोध संस्थागत प्रकृति के नहीं हैं और इस बारे में क्षतिपूर्ति करने की भी कोई योजना नहीं है। विश्व व्यापार संगठन मंच बहु-पक्षीय मंच/मंचों पर गैर प्रशुल्क अवरोधों को हटाने का कार्य करता है। तथापि, भारत सरकार ने प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को नैटवर्क स्थापित किया है ताकि मानकों को पूरा करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके। वस्त्र समितियां इसे वाणिज्यिक आधार पर प्रशासित करती हैं।

लघु एवं अति लघु उद्योग

3807. श्री के. सुब्बारायन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र क्षेत्र में लघु एवं अति लघु इकाइयों की राज्य-वार तथा संघ शासित प्रदेश-वार संख्या कितनी है;

(ख) वस्त्र उद्योग की "लेबर प्रोफाइल" क्या है; और

(ग) वस्त्र उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) वस्त्र क्षेत्र में लघु एवं छोटे एककों के क्रियाकलाप मुख्य रूप से विकेन्द्रिकृत हैं। उनके क्रियाकलापों और श्रम स्वरूप के संबंध में कोई इकट्ठे आंकड़े वस्त्र मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) वस्त्र उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% का योगदान करता है।

महिलाओं का यौन-उत्पीड़न

3808. श्री जोआकिम बखला :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री के. सुब्बारायन :
श्री रशीद मसूद :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पॉपूलेशन काऊंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी अध्ययन के निष्कर्षों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निष्कर्षों तथा सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे से निपटने के लिए प्रणालियों का प्रभावी कार्यान्वयन कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जनसंख्या परिषद, दक्षिण एवं पूर्व एशिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, परिषद ने "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न : स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं के अनुभव" पर परिषद ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के निष्कर्षों में, अन्य चीजों के साथ-साथ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होने तथा शिकायत तंत्र की मदद लेने में महिलाओं की अनिच्छा की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच तथा कार्य स्थल पर उत्पीड़न समाप्त करने के लिए और महिलाओं को शिकायत के कारगर निवारण हेतु सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

(ग) सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समस्या के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा

- सरकार ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से शिकायत निवारण समितियों का गठन करने तथा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) ने कार्यस्थल हेतु आचार संहिता का निरूपण किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त

दिशा–निर्देशों को सरल तरीके से बताया गया है। इस आचार संहिता को राज्य महिला आयोगों, गैर–सरकारी संगठनों, निगमित क्षेत्र के शीर्ष निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जन–प्रचार माध्यमों, मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संस्थाओं को परिचालित किया गया है।

– रा.म.आ. ने इन दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं/होटलों/प्रचार–माध्यमों आदि के साथ विचार–विमर्श बैठकों का आयोजन किया है।

– सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मई 1998 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को परिपत्र जारी किया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के कार्यकारी प्रमुखों से कहें कि वे अपने सी.डी.ए. नियमों में संशोधन करके कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के निवारण के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

– उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में जहां तक दुकानों एवं कॉल सेंटरों जैसे छोटे संस्थानों में शिकायत निवारण समितियों के गठन का संबंध है, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 की धारा 1(3) उन सभी संस्थानों पर लागू होती है, जहां 100 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों। तथापि, सक्षम सरकार अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी औद्योगिक संस्थान, जिसमें 100 से कम व्यक्ति कार्यरत हों, पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकती है। चूंकि दुकानों तथा कॉल सेंटरों जैसे व्यावसायिक संस्थानों के मामले में राज्य सरकारें सक्षम सरकारें हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2005 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत दुकानों तथा कॉल सेंटरों जैसे छोटे संस्थानों पर औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के प्रावधानों को लागू करने हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए सभी श्रम सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

– यौन उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में संशोधन किया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण तथा अपील), नियमावली, 1965 में भी जुलाई 2004 में संशोधन किया गया है, ताकि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग अथवा कार्यालय में गठित शिकायत निवारण समिति अनुशासन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण मानी जाए तथा शिकायत निवरण समिति जहां तक सम्भव हो इन नियमों में उल्लिखित कार्य विधि (अर्थात् बड़ी सजा देने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच करने हेतु कार्यविधि) के अनुसार जांच कर सके।

– औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में संशोधन किए गए हैं, ताकि निजी क्षेत्र में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को एक अपराध माना जा सके तथा उत्पीड़न करने वाले कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सके।

– महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का पालन करने सहित महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार अभियान चलाया है।

सिगरेटों का उत्पादन

3809. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सिगरेट उत्पादन की घरेलू मांग पांच से छः प्रतिशत तक बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्पादन को सीमित करने के लिए सिगरेट उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिगरेट का उत्पादन निम्नानुसार बढ़ा है:

वर्ष	उत्पाद (मिलियन संख्या में)
2003–04	49769.0
2004–05	54747.5
2005–06	75711.3

(ख) और (ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 में तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में घरेलू सिगरेट उत्पादन, उपभोग एवं व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण की सख्त व्यवस्था है। तंबाकू से बने सिगारों एवं सिगरेटों का उत्पादन औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता के अधीन है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा मामलों की जांच सी बी आई को सौंपना

3810. श्री बी. के. तुम्मर :

श्री गिरिधारी यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कई मामलों की जांच के लिए सी. बी.आई. को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा सी. बी. आई. को कितने मामले सौंपे गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सी. बी. आई. को सौंपे गए इन मामलों में से कुल मामलों में सी. बी. आई. ने केस दर्ज किए है;

(घ) इन मामलों में से कुल कितने मामलों में अब तक जांच पूरी नहीं की गई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कारण जांच में रुकावट आई हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसे मामलों में संलिप्त दिल्ली पुलिस के ए सी पी रैंक के ऊपर के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) वर्ष 2003 से 30 नवम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व में दर्ज किए गए 35 मामलों की जांच–पड़ताल को सी बी आई ने अपने हाथ में लिया। इन मामलों की जांच–पड़ताल को सी बी आई ने अपने हाथों में लिया। इन मामलों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। इन मामलों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:–

मामलों की स्थिति	मामलों की संख्या
न्यायालय में दाखिल आरोप–पत्र	10
अभियोजन प्राधिकरण से इच्छित अभियोजन के लिए स्वीकृति	1
बंद	5
जांच पड़ताल जारी	19

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्र. सं.	दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज तथा सी बी आई को स्थानांतरित मामलों के ब्यौरे	सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों की संख्या
1	2	3
1.	कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली, में एफ आई आर सं.732/2000	आर सी 4/2003–सी सी बी–I/डी एल आई
2.	पुलिस स्टेशन ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली में एफ आई आर सं.467/1999	आर सी 7/2003–एस बी बी–I/डी एल आई
3.	पुलिस स्टेशन पटेल नगर, नई दिल्ली में एफ आई आर सं.771/2000	आर सी 3/2004–एस सी बी–I/डी एल आई
4.	पुलिस स्टेशन डाबरी, दिल्ली में एफ आई आर सं.853/2002	आर सी 4/2004–एस सी बी–I/दिल्ली
5.	पुलिस स्टेशन गांधी नगर, दिल्ली में एफ आई आर सं.312/1996	आर सी 2/2005–एस सी बी–I/डी एल आई
6.	पुलिस स्टेशन विकास पुरी, नई दिल्ली में एफ आई आर सं.429/2005	आर सी 4/2006–एस सी बी–I/डी एल आई
7.	पुलिस स्टेशन हरी नगर, नई दिल्ली में एफ आई आर सं.422/2005	आर सी10/2006–एस सी बी–I/डी एल आई
8.	पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में एफ आई आर सं.107/2001	आर सी 4/2004–एस सी बी–II/डी एल आई
9.	पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी, दिल्ली में एफ आई आर सं.178/1984	आर सी 6/2005–एस सी बी–II/डी एल आई

1	2	3
10.	पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी, दिल्ली में एफ आई आर सं.250/1984	आर सी 7/2005–एस सी बी–II, दिल्ली
11.	पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी, दिल्ली में एफ आई आर सं.307/1994	आर सी 8/2005–एस सी बी–II, दिल्ली
12.	पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी, दिल्ली में एफ आई आर सं.487/2002	आर सी 1/2003–एस आई यू–I
13.	पुलिस स्टेशन नजफगढ़ में एफ आई आर सं. 592/2003	आर सी 4/2003–एस आई यू–I
14.	पुलिस स्टेशन शालीमार बाग, दिल्ली में एफ आई आर सं. 174/2001	आर सी 18/2005–एस आई यू–I
15.	पुलिस स्टेशन करोल बाग, दिल्ली में एफ आई आर सं. 867/84	आर सी 22/2005–एस आई यू–I
16.	पुलिस स्टेशन बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली में एफ आई आर सं. 316/84	आर सी 23/2005–एस आई यू–I
17.	पुलिस स्टेशन दिल्ली कैंट में एफ आई आर सं. 416/84	आर सी 24/2005–एस आई यू–I
18.	पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी, दिल्ली में एफ आई आर सं. 347/91	आर सी 25/2005–एस आई यू–I
19.	पुलिस स्टेशन खजूरी खास, दिल्ली में एफ आई आर सं. 201/96	आर सी 12/2006–एस आई यू–I
20.	पुलिस स्टेशन महरौली, नई दिल्ली में एफ आई आर सं. 276/2004	आर सी 5/2005–एस सी यू–V
21.	पुलिस स्टेशन पंजाबी बाग, नई दिल्ली में एफ आई आर सं. 917/2002	आर सी 12/2005–एस सी यू–V
22.	पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी, दिल्ली में एफ आई आर सं. 541/2004	आर सी 1/2006–एस सी यू–V
23.	पुलिस स्टेशन रेलवे सराय रोहिल्ला, दिल्ली में एफ आई आर सं. 49/2003	आर सी 3/2006–एस सी यू–V
24.	पुलिस स्टेशन संगम विहार, नई दिल्ली में एफ आई आर सं. 386/2006	आर सी20/2006–एस सी यू–V
25.	पुलिस स्टेशन नारायणा में एफ आई आर सं. 243/2004	आर सी 3/2005–एस टी एफ/दिल्ली
26.	पुलिस स्टेशन लोधी कालोनी, नई दिल्ली में एफ आई आर सं. 154/2001	आर सी 5/2005–एस सी आर–III
27.	पुलिस स्टेशन कोतवाली, दिल्ली में एफ आई आर सं. 164/2005	आर सी 2/2005–ई ओ यू–VII
28.	पुलिस स्टेशन उत्तम नगर, दिल्ली में एफ आई आर सं. 575/2002	आर सी 3/2003–ई ओ यू–IV
29.	पुलिस स्टेशन कालकाजी में एफ आई आर सं. 878/2000	आर सी 2/2003–ई ओ यू–VI/V
30.	पुलिस स्टेशन दरियागंज में एफ आई आर सं. 442/2001	आर सी 1/2004–ई ओ यू–V
31.	पुलिस स्टेशन हौज खास में एफ आई आर सं.604/2002	आर सी 2/2004–ई ओ यू आई–V
32.	पुलिस स्टेशन डिफैंस कालोनी में एफ आई आर सं. 803/1999	आर सी 5/2004–ई ओ यू आई–V
33.	पुलिस स्टेशन विकासपुरी में एफ आई आर सं. 129/2004	आर सी 9/2004–ई ओ यू–V
34.	पुलिस स्टेशन तिमारपुर में एफ आई आर सं. 164/2005	आर सी 2/2005–ई ओ यू–V
35.	पुलिस स्टेशन कमला मार्किट, दिल्ली में एफ आई आर सं. 82/2005	आर सी 3/2005–ई ओ यू–V

[अनुवाद]

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की संभावना

3811. श्री सुव्रत बोस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात हेतु भारत में विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य तथा समुद्री उत्पादों की संभावनाओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी ब्रांड नाम का प्रयोग करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या उड़ीसा में समुद्री प्रसंस्करण इकाइयों की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) शत–प्रतिशत निर्यात के उद्देश्य से स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की राज्य–वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) निर्यात निष्पादन के आधार पर निम्नलिखित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात की संभावनाएं हैं:–

(1) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां
सूखी एवं संरक्षित सब्जियां, आम का गूदा, अचार तथा चटनी

(2) पशु उत्पाद
भैंस का मांस, कुक्कुट उत्पाद, दुग्ध उत्पाद और शहद

(3) अन्य प्रसंस्कृत खाद्य
ग्वारगम, गुड़ एवं मिठाई, अनाज से बनी वस्तुएं, अनाज एवं बासमती चावल

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की निर्यात संभावना के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

समुद्री उत्पादों में निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं और इनका निर्यात मुख्यतः पिपावाव, मुम्बई, पोरबंदर, कालीकट, हल्दिया, कोलकाता, गोवा, कांडला और पारादीप पत्तनों से किया जा रहा है।

(ग) यह सूचना वाणिज्य मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) लघु प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, आबद्ध और स्वतंत्र पूर्व प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण एवं उनका जीर्णोद्धार करने तथा प्रतिजैविकों की जांच हेतु त्वरित जांच किट की खरीद के लिए उड़ीसा समेत देश के समी समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्ताओं और निर्यातकों को सब्सिडी प्रदान करके सहायता प्रदान करता है। एम्पीडा द्वारा समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण क्षेत्र में उड़ीसा को भी विकासपरक स्कीमों हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(च) समुद्री उत्पादों के संबंध में शत–प्रतिशत निर्यात के लिए स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

राज्य	प्रशीतन संयंत्र	कैनिंग संयंत्र	संवर्धित प्रशीतित शुष्क संयंत्र	अलग–अलग प्रशीतित संयंत्र
केरल	108	3	2	42
तमिलनाडु	44	0	0	9
कर्नाटक	11	0	1	15
आंध्र प्रदेश	56	1	0	34
गोवा	7	2	0	0
गुजरात	58	2	0	18
उड़ीसा	19	0	0	5
महाराष्ट्र	36	0	0	18
पश्चिम बंगाल	32	0	0	2

(स्रोत : एम्पीडा)

यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

3812. डा. सिबैस्टियन पॉल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को लागू करने तथा इसका अनुमोदन करने के लिए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वैश्विक न्याय के युग में एक मजबूत सुधारात्मक प्रणाली के रूप में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आई सी सी) को समर्थन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के वैकल्पिक नयाचार को अपनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) यातना और अन्य क्रूर अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा सजा (सी ए टी) के विरुद्ध अभिसमय पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। अभिसमय को लागू करने का प्रश्न इसके अनुमोदन के पश्चात उठेगा।

(ग) और (घ) भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इस संविधि में अनेक कमियां हैं जैसे कि यह ऐसे विभिन्न अपराधों को न्यायालय की परिधि में लाता है जोकि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के विषय हैं और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की प्राथमिकता को न्यायालय की संतुष्टि पर आधारित करता है। इसमें आतंकवाद को मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया है। यह विभिन्न मामलों को न्यायालय को संदर्भित करने और विचारण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विशेष और भेदभावपूर्ण अधिकार प्रदान करता है।

(ङ) और (च) भारत ने सिविल और राजनैतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(छ) और (ज) इस विषय पर श्वेत पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों हेतु सहायता

3813. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने तथा चलाने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी सहायता प्रदान की गई;

(घ) पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से कितने आवेदन केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(ङ) इन आवेदनों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, गैर सरकारी संगठनों सहित एक पात्र उद्यमी, के वी आई सी से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेकर ग्रामीण उद्योग की स्थापना कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए सम्भावी उद्यमी को के वी आई सी के राज्य कार्यालयों अथवा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्डों (के वी आई बी) अथवा कार्यान्वयन बैंकों को सीधे परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। परियोजना का अनुमोदन संबंधित बैंकों द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पर निर्भर करता है। पूर्व-सैनिकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों, इत्यादि जैसी श्रेणियों में आवेदक 10 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए 30 की दर पर मार्जिन सहायता के पात्र हैं, जबकि सामान्य श्रेणियों के आवेदक 25 प्रतिशत के पात्र हैं। पहले की श्रेणियों को स्वयं के अंशदान के रूप में परियोजना लागत के केवल 5 प्रतिशत का अंशदान करना होता है (जबकि सामान्य श्रेणियों के उद्यमियों को 10 प्रतिशत का अंशदान करना होता है)।

(ग) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान आर ई जी पी के अंतर्गत जारी की गई मार्जिन मनी का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

वर्ष	जारी की गई मार्जिन मनी (करोड़ रु.)
2003-04	288.00
2004-05	344.01
2005-06	391.59
2006-07 (अक्तूबर, 2006 तक)	100.93

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) में वर्णित उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा सीधे आवेदन प्राप्त नहीं किए जाते हैं। आर ई जी पी के अंतर्गत पात्र उद्यमी को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के राज्य कार्यालय अथवा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के

खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्डों अथवा भाग लेने वाले बैंकों को सीधे परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है।

संबंधित बैंक द्वारा मूल्यांकन एवं ऋण की स्वीकृति के पश्चात आर ई जी पी के प्राचलों (पैरामीटर) के अनुसार आवेदकों के पक्ष में सरकारी अनुदान (सब्सिडी) स्वीकृत एवं जारी की जाती है।

दोहा घोषणा

3814. श्री असदुद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दोहा घोषणा में गरीब देशों को तकनीकी रूप से अति आवश्यक औषधियों की चीप कॉपीज खरीदने की अनुमति दी गई है लेकिन अमेरिका, भारत एवं थाईलैण्ड जैसे देशों जिनके पास जेनरिक प्रकार की औषधियों का उत्पादन करने एवं इन्हें बनाने तथा बेचने की क्षमता है, को रोकने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका भेषज कंपनियों के अनुरोध पर विकासशील देशों में उच्चतम स्तर के बौद्धिक अधिकार की रक्षा की मांग कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन देशों में गरीब लोग बिना वजह से मर रहे हैं चूंकि अमीर देश विकासशील देशों को वहनीय औषधियां प्राप्त करने से रोक रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन स्तर पर अन्य विकासशील देशों के समन्वय से गरीब लोगों का जीवन बचाने हेतु इन औषधियों का सस्ती दरों पर प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) अनेक विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में व्याप्त स्वास्थ्य समस्याओं विशेष रूप से एचआईवी एड्स, क्षय रोग, मलेरिया एवं अन्य महामारियों से उत्पन्न समस्याओं की गंभीर स्थिति को स्वीकार करते हुए, वर्ष 2001 में दोहा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के चौथे डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ट्रिप्स करार एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में एक घोषणा की गई थी जिसमें डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स परिषद को विशेष रूप से भेषजीय क्षेत्र में अपर्याप्त अथवा कोई विनिर्माण क्षमता न रखने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए इस समस्या का समाधान ढूंढने का निर्देश दिया गया था। मंत्रियों ने खासकर अनिवार्य लाइसेंसिंग तथा सुलभ कीमतों पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु समानांतर आयात हेतु, ट्रिप्स करार में अन्तर्निहित लोचशीलताओं का उपयोग करने में देशों की क्षमता को भी रेखांकित किया तथा अल्प विकसित देशों के लिए वर्ष 2016 तक भेषजीय पेटेंट संरक्षण पर छूट प्रदान की है। इन उपायों से अपर्याप्त अथवा कोई विनिर्माण क्षमता न रखने वाले विकासशील तथा अल्प विकसित देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु अनिवार्य लाइसेंसों के तहत पेटेंटशुदा औषधियों के किफायती सामान्य प्रतिरूप खरीद सकेंगे।

(ग) से (ङ) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 में वर्ष 2001 में दोहा में ट्रिप्स करार एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित घोषणा के तत्वों को शामिल किया जा चुका है। इन संशोधनों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित उत्पाद हेतु भेषजीय क्षेत्र में अपर्याप्त अथवा कोई विनिर्माण क्षमता न रखने वाले किसी देश को पेटेंटशुदा भेषजीय उत्पादों का विनिर्माण और निर्यात करने की अनुमति मिल जाती है।

[हिन्दी]

गूगल डाट कॉम में गोपनीय सूचना

3815. डा. राजेश मिश्रा :
श्री पी. एम. आरुन रशीद :
श्री अवतार सिंह भडाना :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय तथा साउथ ब्लॉक कार्यालय की यथासंभव कड़ी सुरक्षा के बावजूद विश्व प्रसिद्ध इंटरनेट सर्च इंजिन गूगल पर इन भवनों के फोटो उपलब्ध हैं जो मौजूदा सुरक्षा इंतजामों में खामियों को दर्शाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार को गूगल सर्च इंजन के माध्यम से इंटरनेट पर कुछ प्रमुख संस्थानों/क्षेत्रों के चित्रों की उपलब्धता की जानकारी है और वेबसाइट पर इन चित्रों को डाले जाने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना

3816. श्री. मुनव्वर हसन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश में राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कितनी कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) इन इकाईयों द्वारा विनिर्मित किए जा रहे माल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों की स्थापना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई और ये आबंटन किन-किन योजनाओं के अंतर्गत किए गए?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली सहित सरकार (कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय में) की दो महत्वपूर्ण योजनाओं, अर्थात् ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के पात्र लाभार्थियों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्रमशः विवरण-I एवं II में दी गई है।

(ख) आरईजीपी के तहत सहायता प्राप्त ग्रामीण उद्योगों के समूहों और उत्पादों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। पीएमआरवाई के तहत सहायता प्राप्त उद्योगों के संबध में ऐसी सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) आरईजीपी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और स्वीकृत अनुदान केवीआईसी को जारी किए जाते हैं, जो बदले में, निधियों (मार्जिन मनी सहायता के लिए) को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में संस्वीकृत परियोजनाओं के मुकाबले बैंकों को जारी करता है। वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत केवीआईसी द्वारा प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी-वार) ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है। पीएमआरवाई के तहत, सब्सिडी का आबंटन तथा निधियों को जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए लक्ष्यों पर आधारित है। सब्सिडी राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जारी की जाती है, जो बदले में आवश्यक राशि कार्यान्वयक बैंकों को जारी करता है। वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आरबीआई को जारी सब्सिडी राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	पीएमआरवाई के तहत जारी सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
2003-04	147.63
2004-05	190.48
2004-05	251.36
2006-07*	103.69

* 15 दिसम्बर, 2006 तक

वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान, पीएमआरवाई के तहत उद्यमिता विकास तथा आकस्मिकताओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई अनुदान राशि विवरण-V में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आर ई जी पी के तहत स्थापित ग्रामीण उद्योग इकाइयों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित इकाइयों की संख्या			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	8	8	3	10
2.	दादरा और नगर हवेली	2	0	0	0
3.	दिल्ली	7	9	15	8

1	2	3	4	5	6
4.	हरियाणा	923	1140	1058	275
5.	हिमाचल प्रदेश	414	469	650	252
6.	जम्मू और कश्मीर	775	922	1402	249
7.	पंजाब	882	864	440	207
8.	राजस्थान	2496	1537	2133	520
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	58	6	598	127
10.	बिहार	88	254	692	206
11.	झारखंड	323	240	217	95
12.	उड़ीसा	1031	991	650	137
13.	पश्चिम बंगाल	3348	2584	2078	489
14.	अरुणाचल प्रदेश	32	43	76	40
15.	असम	1223	1658	2229	706
16.	मणिपुर	36	102	65	5
17.	मेघालय	210	146	206	28
18.	मिजोरम	33	162	365	441
19.	नागालैंड	61	151	316	179
20.	त्रिपुरा	244	233	306	1
21.	सिक्किम	113	139	106	35
22.	आंध्र प्रदेश	1097	1988	2278	509
23.	कर्नाटक	1422	934	1314	444
24.	केरल	2046	914	1217	380
25.	लक्षद्वीप	9	0	26	0
26.	पांडिचेरी	47	7	56	3
27.	तमिलनाडु	1568	925	1036	334
28.	गोवा	126	138	136	51

1	2	3	4	5	6
29.	गुजरात	290	376	516	130
30.	महाराष्ट्र	857	1773	3120	241
31.	छत्तीसगढ़	697	656	551	178
32.	मध्य प्रदेश	1041	1361	736	241
33.	उत्तरांचल	1106	513	527	244
34.	उत्तर प्रदेश	2134	2210	1532	516
	जोड़	24747	23453	26650	7281

*अक्टूबर, 2006 तक

विवरण-II

वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान पीएमआरवाई के तहत स्थापित स्वरोजगार उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003–04	2004–05	2005–06*	2006–07**
1	2	3	4	5	6
1	हरियाणा	7277	7755	9508	1410
2	हिमाचल प्रदेश	2862	2853	2926	768
3	जम्मू और कश्मीर	656	639	311	67
4	पंजाब	7558	8372	7969	787
5	राजस्थान	12769	12919	13760	976
6	चंडीगढ़	68	206	72	5
7	दिल्ली	904	819	681	116
8	असम	5844	8256	5625	1263
9	मणिपुर	520	387	357	55
10	मेघालय	403	568	562	94
11	नागालैंड	53	109	2225	47
12	त्रिपुरा	2043	1747	2032	492
13	अरुणाचल प्रदेश	668	440	423	6

1	2	3	4	5	6
14	मिजोरम	775	142	472	0
15	सिक्किम	30	32	31	4
16	बिहार	9860	10396	12075	978
17	झारखंड	4774	4804	4570	453
18	उड़ीसा	8779	11339	12645	574
19	पश्चिम बंगाल	2822	3796	4614	1119
20	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	182	142	150	15
21	मध्य प्रदेश	19748	20642	20775	1405
22	छत्तीसगढ़	3275	3276	3419	395
23	उत्तर प्रदेश	40481	42534	37238	6642
24	उत्तरांचल	5361	6637	7402	1441
25	गुजरात	6755	6406	6315	1270
26	महाराष्ट्र	17230	21819	23485	2604
27	दमन और दीव	3	4	14	0
28	गोवा	116	45	43	4
29	दादरा और नगर हवेली	0	22	24	3
30	आंध्र प्रदेश	17729	22542	20608	3095
31	कर्नाटक	11929	13931	15256	467
32	केरल	14024	16553	21540	3213
33	तमिलनाडु	12738	16902	19417	1643
34	लक्षद्वीप	17	4	5	0
35	पांडिचेरी	294	329	335	30
	विनिर्दिष्ट नहीं	897	897	1397	163
	जोड़	219444	248264	258281	31604

*अनंतिम आंकड़े **सितम्बर, 2006 तक

विवरण-III

आरईजीपी के तहत सहायता प्राप्त ग्रामोद्योगों के समूहों और उत्पादों का ब्यौरा

1. रसायन आधारित उद्योग

- कुटीर माचिस
- मोमबत्ती
- पीवीसी इंसुलेटेड तार और केबल
- पीवीसी पाइप
- कुटीर साबुन
- पैकिंग वस्तुएं (प्लास्टिक)

2. खाद्य और कृषि आधारित उद्योग

- घानी तेल
- भारतीय मिष्ठान्न बनाना
- दुग्ध उत्पाद
- सॉफ्ट ड्रिंक
- विद्युत आटा चक्की
- मसाला उद्योग
- काजू प्रसंस्करण इकाई
- फल और सब्जी प्रसंस्करण
- मिनी चावल मिल
- पशुओं का चारा
- गन्ने का गुड़ और खंडसारी
- बेकरी उत्पाद

3. वन आधारित उद्योग

- आयुर्वेदिक औषधियां
- मधुमक्खी पालन
- शहद या मोम निर्माण
- फोटो फ्रेम निर्माण

4. हस्तनिर्मित कागज का रेशा उद्योग

- हस्तनिर्मित कागज और थर्माकोल
- एक्सरसाइज बुक बाइंडिंग
- कत्था
- कागज के कप

5. खनिज आधारित उद्योग

- ईंट भट्टा
- सीमेंट ब्लॉक/हॉलो ब्लॉक
- चूना पत्थर/लाइम शैल एवं अन्य चूना उत्पाद
- पत्थर कटाई
- पेंट
- पालिशिंग ग्रेनाईट स्टोन
- स्लैब/ग्रेनाईट क्रशिंग

6. ग्रामीण इंजीनियरी एवं जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग

- लुहार गिरी
- इंजीनियरी कार्यशाला
- फैबरिकेशन
- आयरन ग्रिल
- बॉयो–मैन्यूअर एवं बॉयो–मैथेन
- वायरनेटस
- बढ़ईगिरी
- कार्वड वूड एवं आर्टिस्टिक फर्नीचर
- वुड वर्क
- मोटर वाईन्डिंग
- स्टील ग्रिल
- गोल्डस्मीथी/ज्वैलरी
- इंजीनियरी औजार एवं फैबरिकेशन वर्क
- वर्मिकम्पोस्ट/कल्चर

7. सेवा उद्योग

- ऑटो सर्विसिंग
- ढाबा (शराब परोसने वाले नहीं)
- डीजल इंजनों, पम्प सैटों, इत्यदि की मरम्मत

- इलैक्ट्रिक वायरिंग एवं इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की सर्विसिंग
- सोफा मरम्मत
- स्वीट स्टाल
- टेलरिंग एवं रेडिमेड गारमेंट्स
- वीडियो एवं फोटोग्राफी स्टूडियो
- हौजरी
- टायर वल्केनाईजिंग
- साईकिल मरम्मत
- टेलीविजन मरम्मत
- साउंड सिस्टम
- कॉटन टैक्स्टाईल फैबरिक पर स्क्रीन प्रिंटिंग
- हर्बल ब्यूटी पार्लर
- टी स्टॉल
- ऑफसेट प्रिंटिंग एवं बाईन्डिंग
- केबल टीवी/कम्प्यूटर नैटवर्क

विवरण-IV

2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आर ई जी पी के तहत प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6
I	**उत्तरी क्षेत्र**				
1	चंडीगढ़	10.24	21.45	3.63	11.34
2	दिल्ली	12.31	8.09	16.66	3.86
3	हरियाणा	1938.96	2142.25	1782.18	534.55
4	हिमाचल प्रदेश	757.11	657.72	889.90	407.41
5	जम्मू और कश्मीर	363.45	584.55	833.56	148.66
6	पंजाब	819.03	1834.63	837.21	399.98
7	राजस्थान	2890.28	2064.33	2679.91	675.63
II	**पूर्वी क्षेत्र**				
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	28.44	4.16	218.87	22.15
2	बिहार	186.03	281.69	570.54	176.83
3	झारखंड	198.08	320.60	351.12	140.42
4	उड़ीसा	784.11	863.05	837.22	186.97
5	पश्चिम बंगाल	1693.51	1999.62	2100.06	509.28

1	2	3	4	5	6
III	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**				
1	अरुणाचल प्रदेश	52.77	66.03	126.54	64.13
2	असम	806.83	1277.42	2719.99	767.62
3	मणिपुर	41.19	73.66	43.85	5.16
4	मेघालय	121.79	196.03	234.14	35.12
5	मिजोरम	61.10	257.48	995.54	675.07
6	नागालैंड	117.20	204.46	286.22	122.87
7	त्रिपुरा	224.02	214.14	289.95	0.90
8	सिक्किम	127.67	165.78	139.54	36.90
IV	**दक्षिणी क्षेत्र**				
1	आंध्र प्रदेश	1675.40	3394.19	3627.58	891.03
2	कर्नाटक	1692.17	1063.83	1697.66	608.15
3	केरल	2753.15	1027.95	1603.41	561.18
4	लक्षद्वीप	7.42	0.00	16.39	0.00
5	पांडिचेरी	11.38	9.05	12.66	4.20
6	तमिलनाडु	1362.17	1147.28	1217.13	447.93
V	**पश्चिमी क्षेत्र**				
1	दादरा और नगर हवेली	4.13	0.00	0.00	0.00
2	गोवा	82.98	88.90	103.68	135.00
3	गुजरात	130.34	530.55	883.08	265.14
4	महाराष्ट्र	873.25	1439.17	1596.48	298.69
VI	**केन्द्रीय क्षेत्र**				
1	छत्तीसगढ़	1098.00	1000.91	1152.87	374.10
2	मध्य प्रदेश	1355.07	2125.71	1114.33	394.99
3	उत्तरांचल	979.70	578.63	617.86	267.81
4	उत्तर प्रदेश	3415.18	3596.64	2495.99	919.54
	कुल जोड़	26574.46	29239.95	32095.75	10092.61

* अक्टूबर 2006 तक

विवरण-V

2003–04, 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान पी एम आर वाई के तहत उद्यमिता विकास एवं आकस्मिकताओं के लिए जारी किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुदानों का ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07*
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	191.44	293.34	176.72	144.47
2	असम	58.97	100.71	77.80	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	3.47	5.39	4.54	0.00
4	बिहार	101.54	19.87	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	36.08	50.84	41.02	22.63
6	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	20.27	53.07	13.38	0.00
9	हरियाणा	68.99	74.20	45.64	36.40
10	हिमाचल प्रदेश	19.48	5.12	15.03	21.06
11	जम्मू और कश्मीर	13.16	0.00	11.71	10.30
12	झारखंड	0.00	34.56	0.06	0.0
13	कर्नाटक	148.93	173.19	124.08	80.36
14	केरल	112.21	175.75	176.63	144.14
15	मध्य प्रदेश	149.32	265.38	226.32	103.53
16	महाराष्ट्र	191.31	173.92	128.04	17.99
17	मणिपुर	5.57	4.55	1.23	4.02
18	मेघालय	7.10	8.29	8.22	0.35
19	मिजोरम	3.61	3.24	8.22	0.00
20	नागालैंड	1.00	17.12	22.03	0.20

1	2	3	4	5	6
21	उड़ीसा	91.34	147.50	135.46	83.29
22	पंजाब	78.18	81.45	55.67	0.00
23	राजस्थान	106.01	104.30	109.97	83.45
24	तमिलनाडु	147.94	136.75	155.28	91.77
25	त्रिपुरा	18.23	21.24	22.70	10.40
26	उत्तर प्रदेश	402.53	644.91	422.85	205.25
27	उत्तरांचल	25.83	92.76	64.16	47.60
28	पश्चिम बंगाल	0.00	19.12	29.10	2.45
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.06	2.51	0.55	0.60
30	चंडीगढ़	0.47	1.02	3.98	0.57
31	दमन और दीव	0.04	0.03	0.03	0.03
32	दादरा और नगर हवेली	0.15	0.20	0.19	0.03
33	लक्षद्वीप	0.12	0.14	0.05	0.03
34	पांडिचेरी	5.37	4.74	0.57	1.78
35	सिक्किम	0.48	0.25	0.89	0.37
	जोड़	2010.20	2715.43	2082.12	1113.07

* 8 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार

** स्थापित इकाइयों का लगभग 50 प्रतिशत अनुमानित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय झण्डे का अपमान

3817. श्री काशीराम राणा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष झण्डे का अपमान करने की कोई जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कुल कितने व्यक्ति शामिल हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय झण्डे के अपमान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की अपमान किए जाने संबंधी कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं। ऐसे मामलों के ब्यौरों के दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। राष्ट्रीय ध्वज के अनादर/अपमान वाले ऐसे सभी मामलों में संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार द्वारा जिनके कार्य क्षेत्र में घटना घटित हुई है, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अपमान निवारक अधिनियम,

1971 के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और अनादर करना एक दंडनीय अपराध है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि जो कोई भी किसी सार्वजनिक स्थान अथवा अन्य किसी स्थान पर जनता के बीच भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगा अथवा उसका अनादर करेगा उसे तीन वर्षों की अवधि के लिए कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों दंड मिलेगा। समय–समय पर सरकार ध्वज के उपयुक्त इस्तेमाल के बारे में आम जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से सभी राज्य/संघ शासित सरकारों और बड़े पैमाने पर जनता को भी भारतीय ध्वज संहिता के उपबंधों से अवगत करवाती रहती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को सूचित राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के ब्यौरों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम सं.	नाम	राज्य	किया गया अपराध	अपराध की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सर्वश्री बयाबंग दुर्गा, बयाबंग मुसी, तापर रिडो, ताई राकेश, हुरा सोनम और 5 अन्य	अरुणाचल प्रदेश	विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालय परिसरों से 13 राष्ट्रीय ध्वजों को हटाया गया।	26.1.2004	राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अपमान निवारक अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
2.	अशोक रंजन रे	उड़ीसा	भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन	15.8.2004	शिकायतकर्ता द्वारा डी जी पी और अन्य के विरुद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
3.	सुश्री स्वेता मेनन और श्री आशीष गुप्ता	राजस्थान	राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान द्वारा आयोजित फैशन शो के दौरान एक मॉडल सुश्री स्वेता मेनन ने रैंप पर तिरंगा अपने शरीर पर लपेट रखा था और उसे कई बार लहराया	29.10.2004	राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अपमान निवारक अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह और श्री भूपेन्द्र, बस संख्या डी एल 1 पी–ए–5117 का स्वामी/ड्राइवर	दिल्ली	बस के पिछले हिस्से में बम्पर के नीचे रबड़ के टुकड़े पर राष्ट्रीय ध्वज को पेंट किया गया था।	12.02.2005	–तदैव–
5.	होंडा सिटी कार नं. डी एल–8–सी जी–2400 का स्वामी	दिल्ली	कार के डेश बोर्ड पर ऊपर से नीचे की स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया था।	21.04.2005	–तदैव–
6.	केन्द्रपाडा मुख्य डाक कार्यालय प्राधिकरण	उड़ीसा	कटे हुए राष्ट्रीय ध्वज को लहराना	26.01.2005	–तदैव–
7.	श्री उमाचरन बेहरा	उड़ीसा	ध्वजारोहण के समय राष्ट्रीय ध्वज का नीचे गिरना	15.08.2005	–तदैव–

1	2	3	4	5	6
8.	श्री ऋषिकेश जेना	उड़ीसा	समग्र रात्रि में राष्ट्रीय ध्वज को लहराया गया	15.08.2005	–तदैव–
9.	श्री नील रत्न बावली	उड़ीसा	दोषी को बांग्लादेश के दो ध्वज ले जाते हुए पाया गया जो कि समाचार पत्र पर तारे और गहरे रंग की स्याही में अन्य चिन्हों के साथ तैयार किया गया था और वह ध्वजों को लहरा रहा था और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा था।	15.08.2005	–तदैव–

[हिन्दी]

अशोक प्रधान और उमेश सहगल समिति की सिफारिश

3818. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के विकास हेतु सुझाव देने के लिए गत महीनों में उमेश सहगल समिति और अशोक प्रधान समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों का गठन किस तारीख को किया गया था और इन्हें क्या–क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं;

(ग) क्या सरकार को दोनों समितियों की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इनमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली नगर निगम के पुनर्गठन के संबंध में उमेश सहगल समिति और दिल्ली में विकास से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाले बहुतायत संस्थानों के संबंध में अशोक प्रधान समिति का गठन 26 अप्रैल, 2006 को किया था।

उमेश सहगल समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिये गये हैं:

(i) विगत दो रिपोर्टों अर्थात् वर्तमान स्थिति के संदर्भ में दिल्ली नगर निगम का पुनर्गठन करने के मुद्दे पर बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट और वीरेन्द्र प्रकाश समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करना।

(ii) कुशल नागरिक सेवायें प्रदान करने के दृष्टिकोण से पूरी दिल्ली के लिए एक निगम की अपेक्षा छोटे–छोटे निगम होने के लाभों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(iii) वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहार्यता, विद्यमान कर्मचारियों के वितरण और छोटे–छोटे निगमों में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में विचार करना।

(iv) उल्लिखित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए दिल्ली नगर निगम के पुनर्गठन के लिए उचित मॉडल का सुझाव देना; और

(v) पुनर्गठन करने के लिए वर्तमान कानूनों में अपेक्षित परिवर्तनों का सुझाव देना।

अशोक प्रधान समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिये गये हैं:

(i) उन प्राधिकरणों/एजेंसियों की पहचान करना जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शहरी विकास और नागरिक सुख–सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्य कर रहे हैं;

(ii) समन्वय (संस्थागत अथवा अन्यथा) के लिए उनकी संबंधित भूमिकायें, जिम्मेदारियां, अंतर–संबंध और वर्तमान व्यवस्थाओं का निर्धारण करना;

(iii) राष्ट्रीय राजधानी के सु–नियोजित विकास को बढ़ावा देने में इन एजेंसियों के सहयोग, शहरी विकास के मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावकारिता का स्तर, शहरी विकास के मुद्दों से निपटने में अवरोध (शहरी, संस्थागत और प्रक्रियात्मक) और समन्वय तथा प्रभावकारिता में कैसे सुधार किया जा सकता है;

(iv) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में दिल्ली के कार्यों को चलाने के लिए बहुतायत प्राधिकरणों की वर्तमान व्यवस्था आवश्यक है; और

(v) यदि नहीं, तो ऐसे वैकल्पिक तंत्र की पहचान करना जिसे अपनाया जा सके और यह कि ऐसा वैकल्पिक तंत्र कैसे स्थापित किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) जी हां। उमेश सहगल समिति और अशोक प्रधान समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें विवरण में दी गई हैं। समितियों की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

विवरण

(क) दिल्ली नगर निगम के पुनर्गठन के संबंध में उमेश सैगल समिति की प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) दिल्ली नगर निगम को त्रिस्तरीय आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है – प्रथम स्तरीय पर नगर निगम, द्विस्तरीय पर जनपद और त्रिस्तरीय आधार पर वार्ड;

(2) 134 वार्डों को प्रत्येक वार्ड को वार्ड सभी के रूप में गठित किया जा सकता है, जिसमें वार्ड के परिषद को अध्यक्ष के रूप में और अन्य शहरी प्रबंधन विशेषज्ञों, रिहायशी कल्याण संघ, मार्किट संघों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि की श्रेणियों से वार्ड में रह रहे लोगों में से नामांकित किए जा सकते हैं;

(3) वार्ड सभा, परिषद को, स्वेच्छानिर्णय निधि, शिकायतों की सुनवाई और निवारण, क्षेत्रीय योजना तैयार करना, विभिन्न प्राधिकारियों के ध्यान में क्षेत्र माइक्रो–स्तरीय समस्याओं को लाना और क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए सलाह दे सकती है;

(4) वार्ड अधिकारी को वार्ड सभा के सचिव और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है;

(5) अपराधों की सूची को अद्यतन करके और दंड तथा जुर्माने की दरों में वृद्धि करके और उन्हें "पोलयूटर पेज" के सिद्धांतों में उन्हें लाकर प्रवर्तन प्रणाली को सुदृढ़ तथा उसमें सुधार किया जा सकता है;

(6) विशेष नगरपालिका अधिकारियों को नगरपालिका संबंधी अपराधों के मामले में अभियोजन की संस्वीकृति के लिए प्राधिकरण के साथ विशेष पुलिस अधिकारियों की तर्ज पर प्रत्येक वार्ड में नियुक्त किया जा सकता है;

(7) संक्षिप्त विचारण हेतु प्रावधान के साथ प्रत्येक वार्ड कार्यालय में नगरपालिका न्यायालय का गठन किया जा सकता है;

(8) प्रत्येक जनपद में पृथक विचार–विमर्श और कार्यकारी विंग हों जिनके वही संबंध और वही भूमिका हो जो इस समय दिल्ली नगर निगम में है – जनपद परिषद विचार–विमर्श करने विंग हो और इसकी कार्यकारी विंग में आयुक्त हों;

(9) जनपद सहित वार्डों से निर्वाचित सभी पार्षदों और वे विधायक और सांसद जिनके निर्वाचन क्षेत्र अथवा उसके आंशिक भाग जनपद के क्षेत्र में पड़ते हैं, मतदान अधिकारों के साथ सदस्य होने चाहिए तथा राजस्व उपायुक्त और पुलिस तथा जनपद क्षेत्र में दो अथवा तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति जनपद परिषद के मतदान अधिकारों के बिना सदस्य होने चाहिए;

(10) जनपद के आयुक्त की नियुक्ति दिल्ली सरकार द्वारा की जाए और वह भारत सरकार द्वारा की जाए और वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होना चाहिए;

(11) करों का संग्रहण और उन्हें अपने पास रखने का कार्य जनपद द्वारा किया जाए तथा वित्त आयोग द्वारा किए जाने वाले आबंटनों में नगर निगम की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए;

(12) प्रत्येक जनपद में जनपद कोष नामक अलग से कोष होना चाहिए जोकि नगर कोष से अलग हो जिसे नगर निगम द्वारा अनुरक्षित किया जाए;

(13) वार्डों द्वारा गठित निगम से निर्वाचित पार्षदों से नगर निगम बनाया जाए जो अपने सदस्यों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और मेयर निर्वाचन करें;

(14) नगर निगम में मेयर की अध्यक्षता में मेयर समिति (नगर निगम) होनी चाहिए और उसमें मुख्य आयुक्त हों जो इस समिति के उपाध्यक्ष हों, इस समिति के अन्य सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में पांच जनपद अध्यक्ष (यदि सदस्य अधिक होंगे तो आवर्तन की प्रणाली अपनायी जाए; यदि कम होंगे तो बाकी का निर्वाचन पार्षदों में से किया जाए) और पांच सरकारी सदस्य–तीन दिल्ली सरकार से और दो भारत सरकार से शामिल किए जाएं।

(15) निगम की समग्र कार्यपालक शक्ति मेयर समिति में निहित हो;

(16) मुख्य आयुक्त निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह भारत सरकार के अपर सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए तथा भारत सरकार के परामर्श से दिल्ली सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाए तथा सभी जनपद आयुक्त उनको रिपोर्ट करें;

(17) निगम को केवल मात्र ऐसे तथा अन्य कार्यों का निष्पादन करना चाहिए जो अनिवार्य अथवा लोक प्रकृति के नहीं हैं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा और बड़े अस्पतालों को दिल्ली सरकार को सौंपा जाना चाहिए;

(18) भवन उप–कानूनों को लागू करने का समग्र दायित्व मुख्य आयुक्त को सौंपा जाना चाहिए तथा भवन विनियमों के उल्लंघन हेतु अधिक कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए;

(19) परिभाषित भूमिका के साथ नगर पुलिस के गठन और अनुरक्षण (जैसे कि भवन उप–कानूनों के प्रवर्तन, अधिग्रहण को हटाना, अनधिकृत निर्माणों का नियंत्रण, रोकथाम और विध्वंस और अवैध कालोनी आदि को समाप्त करना आदि) को नए निगम के अनिवार्य कार्यों के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

(20) बालाकृष्णन समिति द्वारा यथा संस्तुत एम सी डी के स्लम विंग को पृथक स्वायत्तशाली स्लम सुधार बोर्ड के रूप में गठित किया जाना चाहिए तथा जनपदों को बोर्ड की स्कीमों के निष्पादन का कार्य सौंपा जाना चाहिए।

(ख) दिल्ली में प्राधिकरणों की बहुलता पर अशोक प्रधान समिति की मुख्य सिफारिशों में निम्न शामिल हैं:

(1) प्राधिकरणों की संख्या को इस तरीके से पुनः संगठित/पुर्नव्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे कि एक निश्चित संस्थान एक प्राधिकरण के लिए जिम्मेदार हो;

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) को अपनी गतिविधियों को भूमि की योजना और विकास के इसके महत्वपूर्ण कार्यों तथा उनके निपटारे तक सीमित करना चाहिए;

(3) मुख्य मंत्री, दिल्ली को इस शर्त के साथ डी डी ए का अध्यक्ष होना चाहिए कि प्राधिकरण के सभी प्रस्तावों और निर्णयों को कार्यान्वयन से पहले अनुमोदन हेतु उप राज्यपाल, दिल्ली के सम्मुख रखा जाएगा;

(4) डी डी ए से आवासन गतिविधियों को वापस लिया जाना चाहिए तथा इस उद्देश्यार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत हाऊसिंग बोर्ड जैसा उद्देश्यपूर्ण साधन गठित किया जाना चाहिए;

(5) दिल्ली नगर निगम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तहत काम करना चाहिए जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से निर्देश जारी करने की शक्तियां केन्द्र सरकार के पास हों और अनुपालन न किए जाने की सूरत में एम सी डी को अधिक्रमित करे तथा केन्द्र सरकार के पास भवन विनियमों से संबंधित अधिभावी शक्तियां हों;

(6) एम सी डी को अपने कार्य कोर क्रियाकलापों तक सीमित रखने चाहिए और अस्पतालों तथा स्कूलों से संबंधित कार्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए छोड़ने चाहिए;

(7) एम सी डी के जोनों को पुलिस जिलों के सम रूप में होना चाहिए;

(8) भवन विनियमों को लागू करने की शक्तियां, उप राजस्व आयुक्त को दी जानी चाहिए;

(9) लाल डोरे के तहत आने वाले क्षेत्र (पुरानी आबादी)/फिरोनी (नई आबादी तक जिसका विस्तार किया गया है) को एकीकृत भवन विनियमों और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत लाया जाना चाहिए;

(10) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर पालिका निकायों के तहत विशेष प्रयोजन वाहन का सृजन किया जाना चाहिए; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तहत गंदी बस्ती और झुग्गी झोंपड़ी के लिए पृथक बोर्ड का सृजन किया जाना चाहिए;

(11) आयुक्त, एम सी डी की नियुक्ति केन्द्र सरकार के बजाए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा की जानी चाहिए;

(12) स्थानीय निकायों के कार्यों का समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में एक पृथक स्थानीय स्व–शासन विभाग गठन किया जाना चाहिए;

(13) केन्द्र सरकार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन डी एम सी) का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और अधीक्षण करना जारी रखना चाहिए;

(14) नागरिकों को दैनदिन सेवायें प्रदान करने की सुविधा, उन्हें यथासंभव उसकी रिहायश के निकट होनी चाहिए और जिन विभिन्न कार्यालयों में नागरिक आते हैं आस–पास स्थित होना चाहिए;

(15) एम सी डी, डी डी ए, पुलिस और राजस्व जिलों की भौगोलिक सीमायें आपस में मिली हुई होनी चाहिए;

(16) राजस्व जिलों के कार्यालयों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और जिला आयुक्त को राजस्व प्रशासन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की फील्ड एजेंसियों दिल्ली जल बोर्ड, परिवहन, डी डी ए और यहां तक कि एम सी डी के सभी अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए;

(17) सभी नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया जाना चाहिए;

(18) विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई समान सेवाओं के लिए समान फीस ली जानी चाहिए और समान सेवाओं के लिए सभी एजेंसियों के सभी आवेदन फार्म होने चाहिए;

(19) सड़क निर्माण/रख रखाव एजेंसियों को बिजली, टेलीफोन, जल आदि जैसी आवास सेवाओं के लिए नियमित अंतरालों पर भूमिगत पार–पथों के साथ सड़कों के समानांतर वाले गड्ढो का निर्माण/भराव करना चाहिए;

(20) ठोस अपशिष्ट का निपटान करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और मशीनरी लगाई जानी चाहिए;

(21) प्रत्येक संस्थान को स्वतंत्र एजेंसी से उच्च स्तर की लेखा परीक्षा करवानी चाहिए; और

(22) एक स्वतंत्र यमुना नदी विकास प्राधिकरण होना चाहिए।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी मिल

3819. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेणुका चीनी उद्योग को कर्नाटक में विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना हेतु अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह अनुमति विशेष आर्थिक क्षेत्र के मूल विचार के अनुरूप है और ऐसी अनुमति के लिए कृषि मंत्रालय की आवश्यक सहमति ले ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) मै. रेणुका शुगर्स लिमिटेड को कर्नाटक में एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की स्थापना हेतु अब तक कोई अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तम्बाकू की निर्यात किस्म

3820. डा. बाबू राव मिडियम :
श्री जी. एम. सिद्दीश्वर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजारी ताकतें राज्यों में तम्बाकू की निर्यात किस्म की कीमतें तय करने और निर्यात में भेदभाव बरत रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की निर्यात में भागीदारी कितनी है;

(ग) क्या पीयर समिति ने तीन वर्षों के भीतर तम्बाकू बोर्ड के स्टाफ में कटौती करने और तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस लेने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हमारे देश से राज्यवार कितनी मात्रा में तम्बाकू का निर्यात किया गया; और

(च) सरकार द्वारा पीयर समिति की सिफारिश के अनुसार हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। समिति ने यह सिफारिश की है कि एफसीवी तम्बाकू के उत्पादन को नियंत्रण मुक्त किया जाए। नियंत्रण मुक्त एवं बाजार संचालित प्रणाली की ओर अग्रसर होने के लिए 3 वर्ष की संक्रमण अवधि अपनाई जाए। संक्रमण अवधि के दौरान एमएसपी की प्रणाली जारी रखी जाए। परिपूर्ण समीक्षा समिति ने उसकी सिफारिश के कार्यान्वयन के बाद आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की जरूरत हेतु आंतरिक कार्य अध्ययन कराने का सुझाव दिया है।

(ङ) निर्यातकों से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से एफसीवी तम्बाकू का अनुमान निम्नानुसार है:–

(मात्रा : टन, मूल्य : करोड़ रु.)

वर्ष	आंध्र प्रदेश		कर्नाटक		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2003–04	52482	324.06	46701	378.24	99183	702.30
2004–05	64192	440.78	41225	377.34	105417	818.12
2005–06	67764	460.68	41811	397.30	109575	857.90

(च) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन तम्बाकू बोर्ड बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप तम्बाकू की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसके उत्पादन को पुनरभिमुखी बनाने हेतु विभिन्न विस्तार एवं विकास स्कीमों के जरिए किसानों को सहायता प्रदान करता है। भारतीय तम्बाकू के संवर्धन हेतु यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करता है और विभिन्न देशों को तम्बाकू व्यापारियों तथा निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडल भी भेजता है। भारतीय तम्बाकू के संवर्धन हेतु बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक प्रचार अभियान भी चलाया जाता है।

[हिन्दी]

मातृ मृत्यु दर

3821. श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितनी सफलता हासिल की गई; और

(ख) इन वर्षों के दौरान प्रासंगिक योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र–वार यूनीसेफ से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत किए गए अनेकों उपायों का परिणमा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2007 तक घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 45 तक लाना है। इसी प्रकार, वर्ष 2007 तक मातृ मृत्यु दर को घटाकर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 200 तक लाना है। भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2003 में मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 301 हो गई है। वर्ष 2004 में शिशु मृत्यु दर घट कर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 58 हो गई है।

(ख) यूनिसेफ अन्य बातों में साथ–साथ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के भारत सरकार के प्रयासों में सहायता कर रहा है। गत तीन वर्षों (2004–06) के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और बाल विकास एवं पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत यूनीसेफ द्वारा दी गई सहायता राशि 284 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। राज्य एवं संघ क्षेत्र–वार विवरण एकत्रित करके सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

लघु एवं मझौले उद्यमी

3822. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु एवं मझौले उद्यमियों (एस एम ई) की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पीटिटिवनेस प्रोग्राम (एन सी एम पी) बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पीटिटिवनेस काऊंसिल ने 10 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए नीति बनाने हेतु हाल ही में बैठक की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विस्तृत चर्चा हुई; और

(ङ) इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन

विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पीटिटिवनेस काउन्सिल (एन एम सी सी) द्वारा तैयार की गई लघु तथा मझौले उद्यमियों के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पीटिटिवनेस प्रोग्राम (एन एम सी पी) में निम्नलिखित 10 योजनाएं परिकल्पित हैं:–

1. लीन मैन्युफैक्चरिंग अनुप्रयोग संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम
2. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का संवर्धन
3. मिनी टूल रूम
4. लघु तथा मझौले उपक्रमों (एस एम इज़) हेतु प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता उन्नयन सहायता
5. एस एम इज़ के उद्यमियता तथा प्रबंधकीय विकास हेतु सहायता
6. विनिर्माण क्षेत्र को डिजाइन विशेषज्ञता लाने में डिजाइन क्लीनिक योजना
7. गुणवत्ता प्रबंध मानकों तथा गुणवत्ता प्रौद्योगिकी औजारों के जरिये विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी होने में सक्षम बनाना।
8. बौद्धिक संपदा में निवेश हेतु राष्ट्रीय अभियान
9. एस एम ईज़ तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यकलापों को बाजार सहायता
10. एस एम ईज़ को विपणन समर्थन/सहायता

(ग) से (ङ) एन एम सी सी ने 18.8.2006 को हुई अपनी बैठक में एन एम सी पी के क्रियान्वयन की स्थिति पर विचार–विमर्श किया था। एन एम सी पी के क्रियान्वयन हेतु लघु उद्योग मंत्रालय को सिद्धांततः अनुमोदन देने के समय योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से इसके क्रियान्वयन का सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योगों के लिए धनराशि

3823. श्री टेक लाल महतो : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन राज्यों से कुटीर उद्योगों के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में कुटीर उद्योगों की वृद्धि दर क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) कुटीर उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए, जिनमें अन्य के साथ–साथ खादी, पोलिवस्त्र, कॅयर एवं ग्रामीण उद्योग शामिल हैं, सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) द्वारा प्रस्ताव सीधे प्राप्त नहीं किए जाते हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) कुटीर उद्योग की वृद्धि दर का राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है। वर्ष 2005–06 के दौरान खादी की समग्र वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.46 प्रतिशत और ग्रामीण उद्योगों की लगभग 13.93 प्रतिशत थी।

[अनुवाद]

भारत चीन समझौता

3824. श्री मोहन रावले :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के राष्ट्रपति की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान चीन के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे समझौते से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारत ने विश्व व्यापार संगठन में चीन की कंपनियों के खिलाफ सबसे ज्यादा पेटेंट उल्लंघन के मामले दायर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत ने चीन को एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था मानने से इंकार कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) नवम्बर, 2006 में चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान निर्यात कार्गो (लौह अयस्क) के निरीक्षण संबंधी एक समझौता ज्ञापन तथा भारत से चीन को चावल का निर्यात करने हेतु पादप स्वच्छता अपेक्षाओं के संबंध में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऊपर उल्लिखित समझौता ज्ञापन तथा प्रोटोकॉल से सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले संभावित राजस्व का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जून, 2003 में प्रधानमंत्री की बीजिंग यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के अनुसरण में भारत–चीन संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया गया था। अप्रैल, 2005 में चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच जीएसजी की अंतिम रिपोर्ट का आदान–प्रदान किया गया था। जेएसजी ने भारत–चीन क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) की व्यवहार्यता तथा उसके प्राप्तव्य लाभों का विस्तृत अध्ययन करने तथा उसकी विषयवस्तु के संबंध में अपनी संस्तुति देने के लिए एक संयुक्त कार्यबल नियुक्त करने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

चमड़ा उद्योग

3825. श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(ख) क्या राज्यों को प्रदान की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) चमड़ा क्षेत्र में स्वदेशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने और चमड़ा उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(छ) चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और डब्ल्यू टी ओ एवं द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अन्य देशों के बाजार में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने चमड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु "चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास" (आईडीएलएस) शीर्षक से एक व्यापक योजना अधिसूचित की है। यह योजना 03 नवम्बर, 2005 से संचालन में आई। इस योजना में राज्यवार निधियों के आबंटन की व्यवस्था नहीं होती है बल्कि यह चमड़ा क्षेत्र में एककों को निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करती है और उस सीमा तक यह एक मांग प्रेरित योजना है।

राज्यों में स्थित एककों को अनुमोदित तथा जारी की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दर्शाये गये हैं:–

(रुपये करोड़ में)

राज्य	नवंबर, 2005 से मार्च, 2006 तक		अप्रैल, 2006 से अब तक	
	राज्यों में एककों को अनुमोदित निवेश अनुदान	राज्यों में एककों को जारी निवेश अनुदान	राज्यों में एककों को अनुमोदित निवेश अनुदान	राज्यों में एककों को जारी निवेश अनुदान
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	0.07	शून्य
हरियाणा	शून्य	शून्य	1.45	शून्य

1	2	3	4	5
पंजाब	शून्य	शून्य	0.90	
महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	0.75	0.58
तमिलनाडु	0.71	शून्य	11.81	2.40
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	5.50	0.78
प. बंगाल	शून्य	शून्य	4.88	शून्य
दिल्ली	शून्य	शून्य	1.31	0.30

(घ) आई डी एल एस योजना अन्य बातों के साथ-साथ चर्मशोधन शालाओं को लघु उद्योग एककों को 30 प्रतिशत की दर से तथा गैर-लघु उद्योग एककों को 20 प्रतिशत की दर से लघु उद्योग तथा गैर-लघु उद्योग एककों दोनों को 50 लाख रुपये की उच्चतम सीमा के साथ निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करती है। घरेलू तथा विदेशी दोनों निवेशों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने दिनांक 29 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 603(ई) तथा दिनांक 03 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 649(ई) के तहत पूर्ण पी वी सी फुटवियर चप्पलें, सैंडल तथा शूज तथा चमड़े की वस्तुओं तथा परिधानों (गारमेंट) के लिए मेटल फिटिंग्स को छोड़कर लघु उद्योग सूची में चर्मशोधनशालाओं सहित चमड़ा क्षेत्र में विनिर्माण की सभी मदों को हटा दिया है। भारत ने विदेशी निवेशों/संयुक्त उद्यमों/तकनीकी सहयोगों को आकृष्ट करने तथा चमड़ा क्षेत्र में संभाव्यताओं तथा अवसरों को रेखांकित करने के लिए एक विशेष पहल के रूप में भारत सरकार 10वीं योजनावधि के दौरान "चमड़ा क्षेत्र का आधारभूत सुदृढ़ीकरण" (आई एस एल एस) योजना के अंतर्गत इंटेकर्माट उपकार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। इसके अलावा विदेशी व्यापार नीति 2004-05 के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने चमड़ा तथा फुटवियर क्षेत्र हेतु रियायतों की भी घोषणा की है।

(छ) चमड़ा भारत के लिए महत्वपूर्ण उद्योग होने के कारण इसकी सुरक्षा करने तथा इसके अलावा विभिन्न व्यापार समझौतों से बात-चीत करते समय चमड़ा में हमारे घरेलू हित की रक्षा करने के लिए काफी सावधानी बरती जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय वस्त्र उद्योग की क्षमता

3826. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे मालों की प्रचुरता कताई, बुनना और बुनाई (निटिंग) क्षमता और वस्त्र निर्माण की कम लागत की वजह से हमारे देश में दक्षिण एशिया में दौड़ में अग्रणी रहने और वृद्धि करने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षमताओं का दोहन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां। भारत में वस्त्र एवं क्लोदिंग क्षेत्र में दक्षिण एशिया की गति और विकास से आगे बढ़ने की क्षमता है क्योंकि भारत को (i) अपेक्षाकृत रूप से किफायती और कुशल कार्यबल की उपलब्धता, (ii) डिजायन विशेषज्ञता, (iii) संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति, और (iv) आधारभूत कच्ची सामग्री के व्यापक उत्पादन आधार के प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त हैं।

(ख) कोटा पश्चात् व्यवस्था में उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क दर कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार

ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) लघु वस्त्र एवं पटसन औद्योगिक एककों के लिए सरकार ने ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएस) 13.1.2005 से 12% से बढ़ाकर 15% कर दी है।

(5) विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए उच्च प्रौद्योगिक बुनाई पार्क, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, समूह कार्यशाला योजना और 20% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही सरकार ने 13.01.05 से 20% पूंजी सब्सिडी योजना–टीयूएफएस के तहत मशीनरी के लिए पूंजी सीमा 60.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 100.00 लाख रुपये कर दी है।

(6) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(7) बजट 2004–05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005–06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(8) कोटा पश्चात् व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005–06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी गई 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) है। 5% का रियायती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(9) बजट 2005–06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

(10) बजट 2006–07 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:–

- सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करना।
- सभी मानवनिर्मित फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- डीएमटी, पीटीए और एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- वर्ष 2006–07 के लिए टीयूएफएस के लिए आबंटन 435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 535 करोड़ रुपये करना।
- वर्ष 2006–07 के लिए हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रावधान 195 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 241 करोड़ रुपये करना।
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 2006–07 के दौरान 189 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना के साथ–साथ गोल्डन फाइबर की संभाव्यता बढ़ाने के लिए 2006–07 में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करना।

(11) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8–9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(12) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(13) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(14) सरकार ने सिले–सिलाये परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(15) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप,

उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(16) विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:–

- अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

महिला छात्रावासों के लिए धनराशि

3827. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूजीसी के पास विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला छात्रावासों और अन्य सुविधाओं के वित्त पोषण और वित्त उपलब्ध कराने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो महिला छात्रावासों विशेषकर कर्नाटक के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के वित्त पोषण के लिए विश्वविद्यालय-वार 2005–06 में यू जी सी द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्त पोषण में वृद्धि के लिए सरकार ने क्या कदम सुझाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां। छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की "महिला छात्रावास निर्माण" की एक योजना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा में महिलाओं हेतु निम्नलिखित स्कीमें/सुविधाएं भी क्रियान्वित कर रहा है:

(i) महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना।

(ii) महिलाओं के लिए अंशकालीन शोध एसोसिएटशिप।

(iii) विश्वविद्यालयों में दिवा–देखभाल केन्द्र

(iv) छात्राओं, अध्यापिकाओं और शिक्षणेतर महिला कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं।

(ख) कर्नाटक में विश्वविद्यालयों को महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य के लिए दिए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में इस स्कीम के तहत महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु दिशा–निर्देशों को संशोधित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गैर महानगरीय शहरों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए अधिकतम सीमा को 25.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये और महानगरीय शहरों में 2.00 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है।

विवरण

महिला छात्रावास स्कीम 2005–06 के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य को दिया गया अनुदान

क्र. सं.	कर्नाटक राज्य के विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेज	वर्ष 2005–06 के दौरान संस्वीकृति राशि
1	2	3
	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	
1	श्रीमती विरम्मा गंगाश्री महिला कालेज एवान–ए शाही रोड गुलबर्गा–585102	1000000
2	बीर सेवा कालेज कैंट, बेल्लारी – 583104	800000
	कुल	1800000

1	2	3
	कर्नाटक विश्वविद्यालय	
3	कलेस राजा लक्खमगोड्डा, विज्ञान संस्थान, बेलगाम – 590001	584000
4	एम.पी.ई. एस.डी.एम. मानविकी विज्ञान तथा वाणिज्य कालेज होनावर–581334	1000000
5	वाजस मानविकी तथा विज्ञान महिला कालेज रानेबीनूर हवेरी जिला–581115	552000
6	एस.एस.ई.एस. महासती मानविकी वाणिज्य तथा विज्ञान कालेज, अलगा करवार–581328	600000 600000
7	वीटीएम श्री एसआरएन मानविकी तथा श्री एमबी शीरूर वाणिज्य कालेज जिला बगलकोट– 587101	800000
8	एलईएस श्रीमती कुसुमबती मीराजी मानविकी तथा वाणिज्य कालेज वेडकीहल–591214	600000
9	के.एल.ई.एस. पी.सी. जाबिन विज्ञान कालेज विद्यानगर हुबली– 580031	800000
10	बी.वी.एस. बासवेश्वर वाणिज्य कालेज बागलकोट–587101	1000000
11	के.एल.ई.एस.ए. जी.आई. बागेवाड़ी मानविकी विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज निपानी–591237	600000
12	केआर बेलार्ड मानविकी एवं वाणिज्य कालेज, मुंदरगी जिला गदाग– 582118	600000
13	के.एल.ई.एस. बासवप्रभु कोर मानविकी विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज चिकोडी–591201	800000
14	के.एन.वी.वी.एस. मानविकी एवं वाणिज्य कालेज किन्तूर बेलहोंगल ताल्लुक बेलगाम जिला–591115	580000
15	एस.के.ई.एस. गोविन्दराम शेखसारिया विज्ञान कालेज बेलगाम– 590006	800000
16	एस.एच.ए.एस. समिति श्रीमती के.एस. जीगलूर महिला मानविकी एवं वाणिज्य कालेज धारवाड़– 580008	800000 800000
17	जे.एस.एस. विज्ञान मानविकी एवं वाणिज्य कालेज गोकक–591307	800000
	कुल	10916000

1	2	3
	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	
18	ए.डी.बी. प्रथम ग्रेड कालेज हरपनहल्ली जिला देवनगेर– 583131	600000
19	श्रीशैला शिक्षा कालेज हरिहर देवनगेर जिला–577601	97000
	कुल	697000
	मंगलौर विश्वविद्यालय	
20	एस.टी. एलाईसिज़ कालेज लाईट हाउस हिल मंगलौर – 575003	250000
21	सेंट मेरी सिरियन कालेज बह्मावर उदिपी जिला – 576213	800000
22	सेंट मेरी कालेज सिरवा उदिपी –574116	800000
	कुल	1850000
	मैसूर विश्वविद्यालय	
23	जे.एस.एस. महिला कालेज सरस्वती पुरम मैसूर – 570009	800000
24	एच.के. वेरन्नागोघ प्रथम ग्रेड कालेज मंट्टूर मांड्या जिला–571428	600000
25	जे.एस.एम. मानविकी, वाणिज्य एवं विज्ञान कालेज ऊटी रोड मैसूर – 570025	600000
	कुल	2000000
	कुल योग	17263000

[हिन्दी]

भारत में वियतनाम को वस्त्र और चमड़े का निर्यात

3828. श्री मोहन सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वियतनाम भारतीय वस्त्रों और चमड़े की वस्तुओं का प्रमुख आयातक है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने वियतनाम को वस्त्रों और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई पहल की है;

(ग) वियतनाम को निर्यातित वस्त्र और चमड़े की वस्तुओं की मात्रा और कीमत कितनी है; और

(घ) वस्त्र और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) सरकार का सतत प्रयास व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, क्रेता–विक्रेता बैठकों में भागीदारी, सूचना एंव शिष्टमंडलों आदि के आदान–प्रदान के जरिए वस्त्र एवं चर्म वस्तुओं के भारत के वैश्विक निर्यातों को बढ़ाने का रहता है।

(ग) वर्ष 2005–06 के दौरान वियतनाम को वस्त्र एवं चर्म वस्तुओं का निर्यात क्रमशः 40.49 मिलियन अम. डा. और 21.69 मिलियन अम.डा. का रहा है।

[अनुवाद]

खुदरा व्यापार क्षेत्र

3829. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुदरा व्यापार क्षेत्र 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है और 5–10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन में इसका अंशदान वर्तमान 11 प्रतिशत बढ़कर 20–25 प्रतिशत हो जाएगा; और

(ख) पिछड़ते हुए असंगठित क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) की अध्ययन रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार, कुल खुदरा व्यापार में संगठित खुदरा व्यापार का हिस्सा बहुत कम है, संगठित खुदरा बाजार के आकार के संबंध में वर्ष 2001–02 से 2007 तक 18% संयुक्त औसत वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है और भारत में खुदरा बाजार क्षेत्र का अनुमानित हिस्सा जीडीपी का लगभग 10% है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3830. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या वाणिज्य और **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीन, हांगकांग, सिंगापुर और भारत में क्रमशः वर्ष 2005–06 में बिलियन डालर में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ;

(ख) क्या विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत में व्यापार प्रारंभ करना 11 चरणों वाली प्रक्रिया है जिसमें 35 दिन लगते हैं जबकि अन्य देशों में इसमें केवल 2 दिन लगते हैं; और

(ग) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने और जटिल प्रशुल्क संरचना को संशोधित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त सम्मेलन (अंकटाड) की विश्व निवेश रिपोर्ट (डब्ल्यूआईआर), 2006 के अनुसार, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, एवं भारत में वर्ष 2005 के दौरान हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह निम्नानुसार थे:–

(राशि अमरीकी बिलियन डालर)

देश	अंतर्वाह
चीन	72.41
हांगकांग	35.90
सिंगापुर	20.08
भारत	6.60

(ख) जी, हां। विश्व बैंक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, केवल आस्ट्रेलिया में व्यवसाय की शुरूआत करने के लिए 2 दिन का समय लिया जाता है।

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को बढ़ावा देने के उद्देश्य ने एक उदार एवं निवेशक – अनुकूल नीति बनाई है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वतः मार्ग के तहत् 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। राज्य स्तर के कर–ढांचे को सरल बनाने के लिए अधिकांश राज्यों में मूल्य संवर्धित कर (वैट) लागू कर दिया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक सरल एवं उदार कर नीति भी लागू की गई है। सरकार एककों की स्थापना एवं उनको चलाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को भी सरल कर रही है।

सीमा पर भूमि का अर्जन

3831. चौधरी लाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के समीप विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए निजी भूमि/राज्य भूमि पर कब्जा/का अर्जन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों को मुआवजा अब तक स्वीकृत/संवितरित कर दिया गया है और इस बारे में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) लंबित मुआवजा मामलों का निपटान कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के पश्चात् भूमि मालिकों/गांव वालों को मुआवजा देने और जारी करने का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा अपने मानदंडों के अनुरूप किया जाता है।

(ग) भूमि का अधिग्रहण करना और मुआवजा प्रदान करना एक सतत् प्रक्रिया है।

एस सी/एस टी उद्यमियों से खरीद

3832. श्री मोहन जेना : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एस सी/एस टी वर्गों से संबंधित उद्यमियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनसे मदों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योगों के लिए विद्यमान 'खरीद और मूल्य वरीयता नीति' के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाली लघु उद्योग इकाइयों से सरकारी खरीदों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

(ग) दलित मामलों पर मंत्रियों की समिति की सिफारिशों को अभी अंतिम अनुमोदन मिलना बाकी है।

[हिन्दी]

'ए' और 'बी' श्रेणी का सीमांकन

3833. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 'ए' और 'बी' श्रेणी के जिलों के सीमांकन के लिए अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए श्रेणीकरण प्रणाली के उद्देश्यों और इसके अंतर्गत कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यों से जिलों की उपरोक्त श्रेणियां किस सीमा तक लाभान्वित हुई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने कुछ वित्तीय, अवसंरचनात्मक एवं औद्योगिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एक मिश्रित सूचकांक के आधार पर औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को चिन्हित कर उन्हें वर्गीकृत किया है। ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को जिन्होंने 01.10.1994 से 31.03.2004 की अवधि के दौरान इन जिलों में विनिर्माण सुविधाएं या कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए थे, विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए आयकर अधिनियम के तहत 100 प्रतिशत तक लाभों से छूट की अनुमति है। अनेक उद्यमियों ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुए वहां उद्योग स्थापित किए, किंतु स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों के जिले-वार आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

3834. श्री एम. अप्पादुरई : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान खनन कार्य के समय कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई है;

(ख) पीड़ितों के परिवारों को संवितरित मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुकंपा के आधार पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान खनन कार्य के समय जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई, उसका विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मारे गए कर्मचारियों की संख्या	
	कोयला खानें	गैर–कोयला खानें
2003	113	62
2004	96	64
2005*	120	61
2006* (सितम्बर, 06 तक)	113	54

* वर्ष 2005 और 2006 के आंकड़े अनंतिम हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की खानों में कार्य करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) और (ग) कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 20 के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए अपने–अपने कामगार मुआवजा आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम को कार्यान्वित किया जा रहा है। खान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम ने किसी मुआवजे का संवितरण/अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की है क्योंकि गत तीन वर्षों के दौरान उनकी खानों में किसी भी खनिक की मृत्यु नहीं हुई है।

चीनी फर्मों के साथ भेदभाव

3835. श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में चीनी फर्मों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने इस मुद्दे को सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। एफडीआई नीति को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 में समाहित किया गया है। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ–साथ उन देशों का उल्लेख है जहां से निवेश को अनुमति नहीं दी गई है। चीन से होने वाले निवेश पर इन विनियमों में कोई पाबंदी नहीं है। हाली ही में, भारत सरकार ने चीन के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौता (बी.आई.पी.ए.) किया है जिसमें दोनों देशों से निवेश के लिए राष्ट्रीय व्यवहार करने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा का विकास

3836. श्री ब्रजेश पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षी योजना में संस्कृत भाषा के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं के लिए कितना आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार संस्कृत भाषा को विद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय "संस्कृत शिक्षा का विकास" नामक केन्द्रीय योजना स्कीम संचालित करता है जिसके लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में 65.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, जो कि अब सम विश्वविद्यालय बन चुका है, भी संस्कृत के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें चलाता है जिसके लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में 91.71 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए पहले से ही 'संस्कृत शिक्षा का विकास' नामक परियोजना चला रहा है जिसके निम्नलिखित घटक हैं:–

(i) विषम परिस्थितियों में रह रहे प्रतिष्ठित संस्कृत पंडितों को सम्मान राशि।

(ii) उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पुरस्कार।

(iii) माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(iv) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण।

(v) संस्कृत संवर्द्धन के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों, सम संस्कृत विश्वविद्यालयों और गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान।

(vi) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान/सम विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदि को केन्द्रीय अनुदान।

इसके अतिरिक्त, देश में 11 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 8 मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नामक सम विश्वविद्यालय देश भर में संस्कृत अध्ययन के विकास, संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमें चलाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने अपनी चालू स्कीमों के अतिरिक्ति कई नए प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनमें से कुछ हैं: नए परिसरों की स्थापना, ऑन लाईन/अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा कार्यक्रम, इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत आदि।

(घ) इन नई परियोजनाओं के लिए निधियों की मांग योजना आयोग के समक्ष रख दी गई।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

3837. श्री पी. सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात, मूल्य संवर्धन प्रक्रिया और मूल्य संवर्धन संबंधी निर्यातों के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका के साथ समझौता

3838. श्री रविन्द्रन सिप्पीपारई : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2006 में अमरीकी कृषि विभाग और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में क्षमता निर्माण और आदर्श बाजारों का सृजन करने हेतु अमरीका की सहायता से आधुनिक विपणन अवसंरचना का सृजन करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) तथा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) जयपुर ने भारत में कृषि विपणन प्रणालियों को सुदृढ़ करने में सहयोग करने हेतु 11/07/2006 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।

(ख) और (ग) करार के तहत, यूएसएआईडी द्वारा एनआईएएम तथा राज्य एजेंसियों के साथ ग्रेडों एवं मानकों के विकास, खाद्य सुरक्षा, भण्डारण, शीतागार तथा कोल्ड चेन प्रबंधन में तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण हेतु कार्य किया जायेगा। वे विपणन समाचार आसूचना तथा विपणन विस्तार प्रणाली के क्षेत्र में भी कार्य करेंगे।

लघु औद्योगिक सम्पदाएं

3839. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में लघु औद्योगिक संपदाओं का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2007–08 और 2008–09 के लिए विशेषकर गुजरात हेतु राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी औद्योगिक सम्पदाओं को स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु औद्योगिक संपदाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना

के माध्यम से उनके प्रयासों का समर्थन और अनुपूरण करती है, जिसके अंतर्गत नए लघु औद्योगिक संपदाओं की स्थापना और विद्यमान संपदाओं में सुधार के लिए सहायता दी जाती है। यह योजना मांग प्रेरित है और देश के सभी क्षेत्रों को कवर करती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण हैं। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त स्थान चुनना और प्रदान करना, प्रस्तावों का ब्यौरा देना और उन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा मूल्यांकित कराना होता है। सिडबी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाता है।

आर्थिक सम्मेलन

3840. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **वाणिज्य और उद्योगमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय आर्थिक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सम्मेलन के परिणाम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय उद्योग परिसंघ और विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित 22वां भारतीय आर्थिक सम्मेलन दिनांक 26 से 28 नवम्बर, 2006 के दौरान नई दिल्ली में हुआ था। यह सम्मेलन 30 से अधिक देशों से व्यवसाय, राजनीति और नागरिक समाज के 600 से अधिक नेताओं को भारत – केन्द्रित मुद्दों, जैसे – राज्य और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता, विकास के प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और अवसंरचना विकास पर विचार–विमर्श करने हेतु एक साझे मंच पर ले आया। चूंकि यह सम्मेलन निजी/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था, अतः सरकार का इसके परिणाम के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, हालांकि केन्द्र और कई राज्य सरकारें अपनी नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन में इसका ध्यान रखती हैं।

[हिन्दी]

शहरों में अपराधों को रोकने हेतु योजना

3841. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल एम. पटले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के मुख्य शहरों में अपराधों और चोरियों को रोकने हेतु योजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि में वृद्धि की है जैसा कि दिनांक 2 दिसम्बर, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी मुख्य शहरों में अपराधों को सैटेलाइट के माध्यम से रोके जाने का प्रस्ताव है और क्या इस प्रयोजनार्थ संवेदनशील शहरों की पहचान कर ली गई है;

(ग) उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और इस प्रयोजनार्थ सैटेलाइट कब तक छोड़े जाने की संभावना है;

(घ) अपराधों और चोरियों को रोकने जैसी आंतरिक सुरक्षा पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या आधुनिकीकरण पर खर्च के बाद यह योजना सफल सिद्ध हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एम पी एफ) की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 2005–06 से अहमदाबाद, बंगलौर, चैन्ने, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता में महानगरीय पुलिस व्यवस्था के मानदंडों का उन्नयन करने तथा सुरक्षा, निगरानी और अपराध की जांच–पड़ताल, यातायात प्रबंधन और महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे आधुनिक नियंत्रण कक्षों, डिजिटल रेडियो ट्रंकिंग, संचार प्रणाली, पी सी आर वैन नेटवर्क इत्यादि के संदर्भ में इन बड़े शहरों की विशेष जरूरतों को पूरा करने हेतु ध्यान दिया है। इन शहरों के लिए सहायता एम पी एफ योजना के अनुरूप संबंधित राज्य सरकारों को जारी की जाती हैं। वर्ष 2005–06 के दौरान बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था हेतु 22 करोड़ रु. का केन्द्रीय अनुदान जारी किया गया है। एम पी एफ योजना, वर्ष 2006–07 के अंतर्गत बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था हेतु 86 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जिनमें से केन्द्रीय सहायता के 46.47 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम

3842. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों ने सरकार से वस्त्रों को प्रोत्साहन देने के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंतर्गत निर्यात मूल्य की उच्चतम सीमा को हटाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात संवर्द्धन परिषदों द्वारा अन्य क्या मांग/अनुरोध किए गए हैं;

(घ) क्या परिषदों ने निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न

समस्याओं की जांच करने के लिए अंतर–मंत्रालयी समूह के तंत्र की समीक्षा हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) निर्यात संवर्द्धन परिषदों ने आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 54 से 63 के तहत शामिल कुछ वस्त्र मदों के संबंध में शुल्क वापसी दरों में वृद्धि करने और वापसी मूल्य प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी सुझाव दिए हैं।

(ग) निर्यात संवर्द्धन परिषदों ने अपने बजटपूर्व (2007–08) प्रस्तावों में मानव निर्मित फाइबर पूंजी सामानों, रंगाई एवं रसायनों, फर्नेस ऑयल आदि पर राजकोषीय शुल्कों में परिवर्तनों के सुझाव दिए।

(घ) और (ङ) निर्यात संवर्द्धन परिषदों से अभी हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदें समय–समय पर सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर बल देती रही है ताकि उनकी समस्याओं/शिकायतों के शीघ्र समाधान को सुकर बनाया जा सके जिन्हें वस्त्र मंत्रालय द्वारा निपटाया जा रहा है।

फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम

3843. श्री वाडिग्ग रामकृष्णा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉफी, रबड़ और मसाला बोर्डों के वैज्ञानिकों के लिए फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम के विस्तार को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे वैज्ञानिकों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा और क्या उपर्युक्त बोर्डों में अधिकाधिक वैज्ञानिक बने रहेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) विद्यमान दिशा–निर्देशों के अनुसार लोचशील मानार्थ स्कीम (फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम) को दिनांक 6 जुलाई, 2006 से कॉफी, रबड़ तथा मसाला बोर्डों के वैज्ञानिकों के लिए भी लागू किया गया है। यह स्कीम कॉफी बोर्ड में 12,000–16,500 रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक "घ" के स्तर तक और रबड़ तथा मसाला बोर्डों में 10,000–15,200 रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक "ग" के स्तर तक के लिए लागू है।

(ग) संबंधित ग्रेडों में अपेक्षित–न्यूनतम अवधि पूरी करने के बाद वैज्ञानिक अगले उच्चतर ग्रेड के पात्र बन जाते हैं, बशर्ते वे अन्य शर्तों को पूरा करते हों। इस स्कीम से वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ने की आशा है और इन वस्तु बोर्डों में वैज्ञानिकों को आकर्षित करने एवं बनाए रखने में भी मदद मिलने की आशा है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 2006

3844. श्रीमती गीता पटैरिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 2006 के उपबंधों में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेशम उत्पादन क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करने का है; और

(घ) देश में रेशम की वर्तमान मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है और सरकार रेशम की कमी को किस प्रकार पूरा करती है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 के रूप में 14 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–II (खंड–1) में केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का LXI) में कुछ संशोधन अधिसूचित किए गए थे। (2006 की अधिसूचना संख्या 42)

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार उपर्युक्त संशोधनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है।

(ग) रेशम उत्पादन क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखितानुसार हैं:–

1. 10वीं योजना अवधि के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत रेशम उत्पादक कृषकों/रीलरों को गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं;
2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से सहायता लेकर नई द्विफसलीय प्रजातियां विकसित की हैं। इन प्रजातियों के वाणिज्यिक उपयोग से देश में शहतूती अपरिष्कृत रेशम के अंतर्राष्ट्रीय मानक के आयात प्रतिस्थापन ग्रेड का उत्पादन हुआ है;

3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अपने आरएंडडी प्रयासों से द्विफसलीय रेशम कीटों को उष्णकटिबंधीय बनाने में और उच्च पैदावार वाले शहतूती पौधों की नई किस्में विकसित करने में जानकारी प्राप्त की हैं जिनके परिणामस्वरूप रेशम उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है;

4. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधीन केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान (सीएसटीआरआई) ने उन्नत उपकरण, नई मशीनें, उपस्कर विकसत किए हैं, जिनसे रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने में मदद मिली है;

5. केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यार्न की गुणक्ता बढ़ाने के लिए स्वचालित रेशम रीलिंग मशीनों का आयात करने एवं उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहा है;

6. भारत सरकार ने विख्यात डिजायनरों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य डिजायन इनपुट वाले मूल्यवर्धित शहतूती एवं वन्य रेशम उत्पादों का उत्पादन प्रोत्साहित किया है;

7. मोटरीकृत रेशम रीलिंग/कताई मशीनों को शामिल किए जाने और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना से गैर-शहतूती क्षेत्र में यार्न और फैब्रिक्स की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया है;

3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने दसवीं योजना के दौरान देश में कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक पृथक परियोजना "रेशम के लिए गुणवत्ता प्रणालियां" शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्पादन/प्रक्रिया से विभिन्न स्तरों (रेशम कीट बीज, कोया और कच्ची रेशम का उत्पादन) पर गुणवत्ता का रख-रखाव सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने "रेशम मार्क" योजना शुरू की है जो शुद्ध प्राकृतिक रेशम से बने उत्पादों के लिए एक हॉलमार्क है तथा यह रेशम उत्पादों की शुद्धता की गारंटी देता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए कच्ची रेशम के उत्पादन, आयात और खपत नीचे दी गई है:-

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	कच्ची रेशम का कुल उत्पादन	कच्ची रेशम का आयात	कच्ची रेशम की खपत
2003-04	15,742	9,258	25,000
2004-05	16,500	7,948	24,448
2005-06	17,305	8,383	25,688

रेशम का वर्तमान उत्पादन लगभग 26,000 मीट्रिक टन की अनुमानित मांग की तुलना में लगभग 17,305 मीट्रिक टन है। उत्पादन मांग का केवल 66.5% है और अंतराल को आयात से पूरा किया जा रहा है। भारत में व्यापक घरेलू बाजार है और 85% रेशम सामान, यथा साड़ियां, मेड-अप्स आदि की खपत स्थानीय रूप से होती है। चूंकि उत्पादित 94% शहतूती कच्ची रेशम बहु-द्विफसलीय किस्म की है जो वार्प के लिए निर्यात गुणवत्ता की नहीं है, भारत सरकार रेशम उत्पादन के सभी चरणों को शामिल करते हुए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से रेशम की गुणवत्ता में सुधार को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

भारतीय पटसन निगम

3845. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) घाटा, यदि कोई है, के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम का पुनर्गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पटसन उद्योग में लगे कामगारों के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) द्वारा अर्जित लाभ/उठाए गए घाटों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

2003-04	1.53 करोड़ रु. लाभ
2004-05	14.47 करोड़ रु. लाभ
2005-06	17.76 करोड़ रु. घाटा
2006-07	चालू वर्ष के लिए लेखे वर्ष की समाप्ति के बाद संकलित किये जायेंगे।

(ख) भारतीय पटसन निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए 32.23 करोड़ रु. के लागत वाली अपनी अवसंरचना (वर्ष 2005-06 के लिए) बनाए रखनी है लेकिन जेसीआई ने अपने अभियान के माध्यम से 14.47 करोड़ रु. का अंशदान प्राप्त किया है जिसके फलस्वरूप कुल घाटा 32.23 करोड़ रु. से घटकर 17.76 करोड़ रु. हो गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लेकर जेसीआई की वित्तीय और कार्यात्मक पुनर्गठन की मंजूरी दी है:-

(i) संचयी घाटे (144.17 करोड़ रु.), प्राप्त होने वाली सब्सिडी (301.88 करोड़ रु.) और जेसीआई का एनजेएमसी पर दावा (64.13 करोड़ रु.) के प्रति 195.68 करोड़ रु. की बकाया ऋण और इन ऋणों पर 313.97 करोड़ रु. के ब्याज (31.03.2003 की स्थिति के अनुसार) को बट्टे खाते डालना।

(ii) जेसीआई को वर्ष 2003-04 के सतत आधार पर जेसीआई द्वारा एमएसपी अभियान के कारण घाटे दूर करने के लिए सब्सिडी देना। सब्सिडी की मात्रा में जेसीआई द्वारा कच्ची पटसन की खरीद और बिक्री मूल्य में अंतर शामिल होगा। एमएसपी घाटों का परिकलन करते समय जेसीआई को ऊपरी शीर्ष लागतों की प्रतिपूर्ति किसी विशेष वित्तीय वर्ष में एमएसपी के तहत खरीद मूल्य का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) में आईडीए वेतनमान के तहत शामिल किए गए कर्मचारियों के संबंध में 01.01.1992 से आईडीए वेतनमान में कार्योत्तर संशोधन।

(iv) भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) में आईडीए वेतनमान के तहत शामिल किए गए कर्मचारियों के संबंध में 01.01.1997 से आईडीए वेतनमान में संशोधन।

(ङ) सरकार ने संपूर्ण पटसन क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पटसन उद्योग में कार्यरत कामगारों को लाभ मिलेगा।

(i) सरकार ने पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) का अनुमोदन किया है जिसका उद्देश्य उद्योग का आधुनिकीकरण करना और उत्पादकता बढ़ाना है ताकि पटसन अपेक्षाकृत अधिक गतिशील क्षेत्र बन सके। जेटीएम की कामगारों को प्रशिक्षण और उनका कौशल उन्नयन करने की योजनाएं भी हैं।

(ii) सरकार ने पटसन उद्योग में सतत रोजगार के लिए 1987 से जीपीएम अधिनियम के माध्यम से पटसन उद्योग को सुरक्षा प्रदान की है;

(iii) सरकार ने राष्ट्रीय पटसन बोर्ड स्थापित करने के लिए संसद में पटसन बोर्ड विधेयक 2006 पेश किया है जिसमें कामगारों के कल्याण के लिए उपयुक्त कदम उठाने का अधिकार होगा।

(iv) केन्द्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनसे पटसन उद्योग में कार्यरत कामगारों को मदद मिलती है जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला और प्रदर्शन, डिजाइन विकास योजनाएं, बाजार सहायता योजनाएं और गैर-सरकारी संगठन सहायता योजना।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

3846. श्री के. पी. पद्मनाभन सामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार का राज्य में कोई तटवर्ती विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2004 में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) द्वारा एन्नौर, चेन्नई के निकट एक एसईजेड की स्थापना हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन संसूचित किया था।

मिशन खादी

3847. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 'मिशन खादी' किस तिथि को शुरू किया गया था और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त मिशन के माध्यम से केवल शहरी लोगों पर ध्यान केन्द्रित करती है और उसका विचार वैश्विक बाजार को ढूंढने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने पहनने/इस्तेमाल के लिए तैयार खादी उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने, इन उत्पादों के मानकीकरण, उन्हें एक सामान्य ब्रांड नाम के तहत बेचने और लघु खादी संस्थानों को सेवा देने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना द्वारा इस प्रक्रिया में मदद करने के उद्देश्य से 2005-06 में 'मिशन खादी' का कार्यान्वयन आरंभ किया।

(ख) और (ग) मिशन खादी घरेलू (ग्रामीण तथा शहरी) तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को लक्ष्य करती है।

शहद के व्यापार में रोजगार

3848. श्री ए. वी. वेल्लारविन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों विशेषकर शहद के उत्पादन और व्यापार में कन्याकुमारी जिले में राज्य-वार कितने कामगारों को रोज़गार मिला हुआ है;

(ख) क्या इन कामगारों के पास भंडारण और विपणन सुविधाओं का अभाव है;

(ग) क्या सरकार को परम्परागत उद्योग पुनरुद्धार निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में 12.55 लाख कामगार और कारीगर खादी तथा ग्रामोद्योग में कार्यरत हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 1828 लोग मधुमक्खीपालन तथा शहद के उत्पादन में लगे हुए हैं।

(ख) कन्याकुमारी जिले के मधुमक्खी पालकों के पास शहद के भंडारण, प्रसंस्करण तथा बोतल बंद करने के लिए पर्याप्त आधारभूत तंत्र है। तथापि, वे अधिप्राप्ति मूल्य में अंतर-राज्यीय भिन्नताओं के कारण विपणन समस्याओं का सामना करते हैं।

(ग) और (घ) खादी के 29 क्लस्टरों (तमिलनाडु में 2 सहित), ग्रामोद्योग के 50 क्लस्टरों (तमिलनाडु में 3 सहित) और कॅयर के 25 क्लस्टरों (तमिलनाडु में 6 सहित) को स्फूर्ति के तहत विकास के लिए पहचाना गया है।

मूल्य स्थिरीकरण न्यास कोष

3849. श्री नवीन जिन्दल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पौधरोपण हेतु मूल्य स्थिरीकरण न्यास कोष (पीएसटीएफ) की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएसटीएफ की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) इस कोष से लघु उत्पादकों को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या यह कोष मूल्य के उतार-चढ़ाव से उत्पादकों की रक्षा करेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (च) कॉफी, चाय, रबड़ और तम्बाकू के लघु उत्पादकों के लिए वर्ष 2003 में कीमत स्थिरीकरण निधि न्यास की स्थापना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य इन वस्तुओं की कीमतें विनिर्दिष्ट स्तर से कम हो जाने की स्थिति में इन उत्पादकों को राहत प्रदान करना है। स्कीम के तहत वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्रम सं.	वर्ष की श्रेणी	पीएसएफ न्यास द्वारा निक्षेप	सदस्य उत्पादक द्वारा निक्षेप
1.	उच्चतम कीमत वर्ष	0	1000/- रुपये
2.	सामान्य कीमत वर्ष	500/- रुपये	500/- रुपये
3.	अल्पतम कीमत वर्ष	1000/- रुपये	0

उच्चतम कीमत वर्ष वह वर्ष है जब औसत घरेलू कीमत 7 वर्ष की अस्थायी औसत अंतर्राष्ट्रीय कीमत से 20% अधिक हो जाती है। सामान्य कीमत वर्ष वह वर्ष है जब औसत घरेलू कीमत 7 वर्ष की अस्थायी औसत अंतर्राष्ट्रीय कीमत के ±20% के भीतर रहती है। अल्पतम कीमत वर्ष वह वर्ष है जब औसत घरेलू कीमत 7 वर्ष की अस्थायी औसत अंतर्राष्ट्रीय कीमत से 20% कम हो जाती है। तथापि, सरकार ने इस स्कीम को और अधिक कारगर बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

लोहे की चादरों का निर्यात

3850. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने 30 मई, 2006 तक भारत से लोहे की चादरों के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ग) क्या इसके लिए भूकंप पुनर्गठन एवं पुनर्वास प्राधिकरण (ईआरआरए) की स्वीकृति हासिल करनी आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) पाकिस्तान की सरकार तथा भूकंप पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्राधिकरण (ईआरआरए) ने भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के प्रयोजनार्थ बाघा भू-सीमा के जरिए भारत से कोरूगेटिड लोहे की चादरों के आयात की अनुमति प्रदान की थी। आरंभिक अनुमति 31 मार्च, 2006 तक प्रदान की गई थी जिसे बाद में 30 सितम्बर, 2006 तक बढ़ा दिया गया था। भारत सरकार ने भी कोरूगेटिड लोहे की चादरों के निर्यात की अनुमति प्रदान की थी।

असम में गोलीबारी की घटना

3851. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम के कामरूप जिले में 01 दिसम्बर, 2002 को सादे कपड़ों में रक्षाकर्मियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के कारण कितने लोग मारे गऐ/घायल हुए;

(ख) कराई गई जांच के निष्कर्षों तथा चूककर्ता रक्षाकर्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी क्षतिपूर्ति कब और किस प्रकार की जाएगी;

(ङ) यदि नहीं, तो घायल लोगों तथा प्रभावित रक्षाकार्मिकों सहित नागरिकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(च) मुआवजे के भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) देहर कुरीहा गांव, कामरूप जिला, असम में धन ऐंठने की सूचना के संबंध में 1.12.2002 को सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। गलती से उन्हें उग्रवादी समझकर गांव वालों ने सैन्य इकाई पर क्रूड हथियारों से हमला कर दिया था। उक्त घटना में 10 व्यक्ति (2 सैन्य कार्मिक और 8 सिविलियन) मारे गए थे और 7 व्यक्ति (1 सैन्य कार्मिक और 6 सिविलियन) घायल हुए थे।

(ग) से (च) इस घटना से संबंधित रिट याचिका (सिविल) संख्या 3083/2003 और 3085/2003 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि चूंकि सेना को राज्य की ओर से कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने का कार्य सौंपा गया था और पूरा ऑपरेशन राज्य प्रशासन के सहायतार्थ था इसलिए मुआवजे के भुगतान की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

आईटीपीओ

3852. श्री सुनील खां :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्री ब्रजेश पाठक :
डा. टोकचोम मैन्या :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय देशों में भारतीय व्यापार प्रदर्शनियां आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) को दो लाइसेंसों की लाइसेंस फीस न बढ़ाने के कारण 2.76 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई तथा इन लाइसेंसों से 1.94 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बकाया धनराशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या 1984 में विदेशों में आईटीपीओ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में एक करोड़ रुपये से अधिक वैट की बकाया राशि के रूप में वसूले जाने है;

(च) यदि हां, तो इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या विदेशों में इस प्रकार की प्रदर्शनियों के आयोजन करने वालों से यह धनराशि वसूली जा सकती है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन अधिकारियों से कितनी धनराशि वसूली जा चुकी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान आईटीपीओ का निम्नलिखित भारतीय व्यापार प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है :- (i) भारतीय व्यापार प्रदर्शनी, मॉरिशस (पोर्ट लुईस), 1-7 फरवरी, 2007 (ii) भारतीय व्यापार प्रदर्शनी, साओपोलो (ब्राजील), 6-11 मार्च, 2007 (iii) भारतीय व्यापार प्रदर्शनी, दुशानवे (ताजिकिस्तान), 27-31 मार्च, 2007 (iv) मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में भारत मेला मार्च 29-अप्रैल 1, 2007।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आईटीपीओ का 2.76 करोड़ रुपये की राजस्व हानि नहीं हुई थी। 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार 193.53 लाख रुपये की राशि बकाया थी। इस राशि की वसूली की जा चुकी है।

(ङ) जी, हां। विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों के लिए वैट के अंतर्गत 102.41 लाख रुपये की राशि वसूल की जानी है।

(च) वैट की वसूली हेतु आईटीपीओ ने दो वैट परामर्शदाता एजेंसियों को किराए पर लिया है। इन परामर्शदाताओं के लिए संबंधित वैट प्राधिकारियों को 71.61 लाख रुपये के दावे प्रस्तुत किए गए हैं। 30.80 लाख रुपये की शेष राशि के संबंध में वसूली के दावे संबंधित दल के प्रमुखों द्वारा सीधे ही अथवा संबंधित भारतीय दूतावास/भारतीय वाणिज्यदूत के जरिए प्रस्तुत किए गए थे।

(छ) जी, हां। आज की स्थिति के अनुसार यह राशि बकाया है और वसूली योग्य है।

(ज) इस संबंध में ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आज की स्थिति के अनुसार दल प्रमुख द्वारा सीधे ही अथवा ईओआई/सीजीआई के जरिए दायर वैट संबंधी दावों की स्थिति

क्र.सं.	तारीख	मेले का नाम	मुद्रा	राशि वि.मु. में	मुद्रा	राशि वि.मु. में	दल प्रमुख	31.03.06 की स्थिति के अनुसार संशोधित आरओआई	राशि (रु.) 31.3.06	जिसके द्वारा दावा दायर किया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	84–85	एच/डब्ल्यू, कोलोन 3/85	डीएम	12,442.25	यूरो	6,361.62	डीएम–आर वर्धराजन सेवानिवृत्त	53.90	342,891.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
2	84–85	सियाल पैरिस 6/84	एफएफ	19,660.20	यूरो	2,997.18	डीएम–डीएस दीनदयाल सेवानिवृत्त	53.90	161,548.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
3	88–89	प्रेट–ए–पोर्टर पेरिस 9/88	एफएफ	43,912.31	यूरो	6,694.39	एसएम–सहदेव सेवानिवृत्त	53.90	360,828.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्ति लाभ में से 3.50 लाख रुपये की वसूली की गई।
4	89–90	डोमेटेक्स हनोवर 1/90	डीएम	1,140.36	यूरो	583.05	जीएम–पीजीएस	53.90	31,426.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
5	90–91	सेबिट हनोवर 3/91	डीएम	709.94	यूरो	362.98	जीएम–एफएफडी जीएमवीडीएनआर सेवानिवृत्त	53.90	19,565.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
6	92–93	डोमोटेक्स हनोवर 1/93	डीएम	4,358.81	यूरो	2,228.62	जीएम–एडएफडी/ जीएम एचकेजे सेवानिवृत्त	53.90	120,123.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
7	92–93	एच/डब्ल्यू हाउसवेयर बर्माह 9/92	एसटीजी	3,779.27	एसटीजी	3,779.27	एसएम–वीएम/एम–बीएम सेवानिवृत्त	77.45	292,704.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
8	92–93	वायर ट्यूब डसलडोर्फ 4/92	डीएम	606.67	यूरो	310.18	डीजीएम–एमएम सबरवाल सेवानिवृत्त.	53.90	16,719.00	दल प्रमुख	सेवा निवृत्त लाभ में से 17479.00 रुपए की वसूली की गई।
9	93–94	पार्टनर फॉर प्रॉग बर्लिन 6/93	डीएम	3,540.32	यूरो	1,810.14	जीएम–एफएफडी/डीजीएम–टीडीएम सेवानिवृत्त	53.90	97,567.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
10	93–94	प्रेट ए पोर्टर पेरिस 2/94	एफएफ	262.78	यूरो	40.06	जीएम–एफएफडी/डीएम–वीपीजी–सेवानिवृत्त	53.90	2,159.00.	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	94–95	हिमटेक्सिल फ्रैंकफर्ट 1/95	डीएम	2,588.63	यूरो	1,323.55	एम–एमएमएन एसजीएम बीबी सेवानिवृत्त	53.90	71,339.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
12	94–95	टेक्सटाइल बांबे 1/95	डीएम	157.50	यूरो	80.53	एसजीएम–पी लोरिया	53.90	4,341.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
13	94–95	टेक्सटाइल बांबे 1/95	डीएम	1,701.90	यूरो	870.17	एसजीएम– पी लोरिया	53.90	46,902.00	दल पमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
14	95–96	पार्टनर फार प्रोग बर्लिन 4/95	डीएम	104.03	यूरो	53.19	डीएम–सुरेश केआर/एसजीएम–बीबी, सेवानिवृत्त	53.90	2,867.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
15	96–97	कैरेबियन एक्सपो 4/96	टीटीडा.	103.95	टीटीडा.	103.95	एसएम–बी कुमार	6.79	706.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
16	97–98	69वीं पोजापन इंटरनेशनल फेयर 5/97	अम.डॉ.	65.89	अम.डॉ.	65.89	जीएम–एफएफडी–जीएम एचकेजे–सेवानिवृत्त	44.45	2,929.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
17	97–98	69वीं पोजानन इंटरनेशनल फेयर 5/97	एनपीजेड	104.67	एनपी जेड	104.67	जीएम–एफएफडी/जीएम एचकेजे–सेवानिवृत्त	24.50	2,564.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
18	97–98	ईआईसीएमए मिलान 9/97	ईसीयू	2,375.00	यूरो	324.71	डीजीएम–एएस	53.90	17,502.00	दल प्रमुख	सेवानिवृत्त/पदमुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजे गए।
19	99–00	साईटैक्स 10/99	रैंड	25,171.16	रैंड	25,171.16	ओएसडी–बीके साधु	6.50	163,613.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
20	99–00	साईटैक्स 10/99	रैंड	7,200.48	रैंड	7,200.48	ओएसडी–बीके साधु	6.50	46,803.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
21	00–01	साईटैक्स 10/00	अम.डॉ.	5,508.30	अम. डॉ.	5,508.30	डीएम (एनएम/डीजीएम–केबीएम सेवानिवृत्त)	44.45	244,844.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
22	00–01	साईटैक्स 10/00	रैंड	394.23	रैंड	394.23	डीएम–(एनएम/डीजीएम–केबीएम सेवानिवृत्त)	6.50	2,562.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
23	00–01	सियाल फूड फेयर पेरिस 10/00	एफएफ	14,766.74	यूरो	2,251.17	एसएम–टी अहमद	53.90	121,338.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
24	00–01	सियाल फूड फेयर पेरिस 10/00	यूरो	12,417.74	यूरो	12,417.74	एसएम–टी अहमद	53.90	669,316.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
25	03–04	कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन, टोरॉंटो 08/03	सी. डॉ.	6,203.81	सी. डॉ.	6,203.81	ओएसडी–बीके साधु डाएम–एस कुमार	38.24	237,234.00	दल प्रमुख	नोटिस भेजे गए।
									3,080,390.00		

[हिन्दी]

आरक्षित वैकलांग रिक्त पदों को भरना

3853. श्री गिरिधारी यादव :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री एन. अंजनकुमार यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

शिक्षक दिवस मनाना

3854. श्री पी.बी. हर्ष कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शिक्षक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवसर पर क्या लक्ष्य तय किए जाते हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षकों को वर्ष–वार कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए;

(ङ) क्या शिक्षकों के कल्याण हेतु कोई धनराशि भी एकत्र की जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या उद्देश्य हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर को मनाया जाता है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा एक महान दार्शनिक एवं एक उत्कृष्ट शिक्षक डा. एस. राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। यह दिवस उनके तथा शिक्षक समुदाय के सम्मान में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या
2003	283
2004	306
2005	309

(ङ) और (च) धन एकत्र करने का कार्य सरकार नहीं करती है बल्कि यह कार्य पूर्ण रूप से स्वेच्छा से राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान और इस प्रतिष्ठान की राज्य ईकाईयों के तत्वाधान में किया जाता है। इस धनराशि को उनके द्वारा अनुरक्षित संचित निधि में जमा किया जाता है। इस संचित निधि से अर्जित होने वाले ब्याज का उपयोग कुछ स्कीमों यथा (i) गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों को चिकित्सीय सहायता (ii) स्कूल शिक्षकों के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा हेतु सहायता, (iii) शिक्षक सदनों का निर्माण (iv) उन लब्धप्रतिष्ठ शिक्षकों को सवेतन अवकाश जिन्होनें सराहनीय सेवा दी हो और (v) शैक्षिक कार्यकलाप हेतु शिक्षकों को आर्थिक सहायता के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।

कुशल श्रमशक्ति

3855. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वस्त्र क्षेत्र को कुशल श्रम शक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में नए ऐपेरेल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर्स खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये केन्द्र कहां–कहां स्थापित किए जाएंगे और इनके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) वर्तमान में इन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय लगभग 35 मिलियन लोग वस्त्र क्षेत्र में कार्यरत हैं। कुशल कार्मिकों की कमी की मात्रा के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस समय दिल्ली, जयपुर, बेंगलूर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, गुड़गांव, लुधियाना, तिरूपुर, त्रिवेन्द्रम, मुंबई, इंदौर और सूरत स्थित 18 केन्द्र पहले से कार्य कर रहे हैं। चेन्नई, त्रिवेंद्रम, गाजियाबाद, कानपुर, फरीदाबाद, भुवनेश्वर और गांधीनगर स्थित 7 अन्य एटीडीसी शुरू होने के उच्च चरण में हैं। नए एटीडीसी की स्थापना विभिन्न कारकों जैसे भारतीय अपैरल उद्योग में वस्त्र समिति द्वारा आयोजित तकनीकी कार्मिकों और प्रशिक्षण अवसंरचना संबंधी अध्ययन की सिफारिशों, मौजूदा वस्त्र समूहों में निचले स्तर पर कामगारों की मांग, भारी संख्या में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्र में विनिर्माण क्रियाकलाप, राज्य सरकार की सिफारिशों आदि पर निर्भर करती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व बैंक

3856. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक का विचार भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देशभर में विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कितने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफएससी) की स्थापना का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने भारत में इन प्रस्तावों हेतु कोई विनियामक तंत्र विकसित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) चूंकि विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) अधिनियम, 2005 की धारा 18(2) के अनुसार दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों की स्थापना करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

कार लॉक के कार्य न करने से हुई मौतें

3857. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारों आदि के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के कार्य न करने से मौतें होने के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले की जांच का ब्यौरा/निष्कर्ष क्या है;

(घ) सरकार द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले सेंट्रल कार लॉकिंग सिस्टम बनाने वाले निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) वर्ष 2004, 2005 और 2006 (30 नवम्बर तक) के दौरान दिल्ली में कारों की सैन्ट्रल लॉकिंग सिस्टम के फेल होने के कारण मौत होने के किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

तमिल शरणार्थियों का आगमन

3858. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत आने वाले श्रीलंकाई तमिलों की अक्टूबर, 2006 में आश्चर्यजनक कमी के बावजूद भी इनकी संख्या 15,000 से अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या शरणार्थी अभी भी तमिलनाडु में आ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु की शरणार्थी सूची में कितने शरणार्थी हैं;

(घ) श्रीलंका से शरणार्थियों के आगमन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ङ) उन्हें वापस भेजने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) 1.11.2006 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु की सूची में 67,606 तमिल शरणार्थी हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार का दृष्टिकोण उनकी आवाजाही को हतोत्साहित करना है लेकिन यदि कोई शरणार्थी आ जाते हैं तो उन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान की जाती है (उनके श्रीलंका में वापस प्रत्यावर्तन के उद्देश्य के साथ)/शरणार्थियों की छान-बीन राज्य सरकार की "क्यू" शाखा के अधिकारियों तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाती है। उनकी फोटो ली जाती है तथा उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। उन्हें मंडपम, रामानाथापुरम जिले में ट्रैन्जिट कैंप में ठहराया जाता है तथा यथासमय नियमित कैंपों में भेजा जाता है। यदि किसी भी उग्रवादी की पहचान हो जाती है तो उन्हें अलग कर लिया जाता है तथा विशेष कैंपों में रखा जाता है।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा

3859. श्री रशीद मसूद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घर बैठे विदेशी डिग्री प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के हित में ऑनलाइन शिक्षा को कानूनी मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुमोदन देने से पूर्व संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी रखने हेतु कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कानून कब तक बना दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जिसमें ऑन-लाइन शिक्षा भी शामिल है, की प्रोन्नति एवं समन्वय, और उनके मानकों एवं अन्य संबंधित मामलों के निर्धारण एवं अनुरक्षण हेतु एक सांविधिक प्राधिकरण स्थापित करने से संबंधित एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

समेकित बाल विकास योजनाएं

3860. श्री रामदास आठवले : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित समेकित बाल विकास योजना (आई सी डी एस), जो कि तीन वर्षों से लंबित पड़ी है, के अंतर्गत "पोषाहार परियोजना" के लिए अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल अपराधियों द्वारा अपराध

3861. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल अपराधियों द्वारा किये गये अपराधों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति को रोकने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2003, 3004 और 2005 में देश में भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत किशोरों द्वारा अपराधों के क्रमशः कुल 17,819, 19229 और 18,939 मामले दर्ज किए गए। इसी प्रकार, वर्ष 2003, 2004 और 2005 में विशेष और स्थानीय कानूनों के अंतर्गत किशोरों द्वारा अपराधों के क्रमशः 7867, 5756 और 6662 मामले दर्ज हुए। इन आंकड़ों से इस अवधि के दौरान ऐसे अपराधों में वृद्धि का कोई निश्चायक रुख परिलक्षित नहीं होता है। भारतीय दण्ड संहिता तथा विशेष और स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत किशोरों द्वारा अपराधों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2003–2005 तक के दौरान दंड संहिता (भा.दं.सं.) के अंतर्गत किशोरों द्वारा किए गए संज्ञेय अपराधों तथा विशेष तथा स्थानीय कानूनों (वि.स्था.का.) के अंतर्गत किए गए अपराधों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003		2004		2005	
		भा.दं.सं.	वि.स्था.का.	भा.दं.सं.	वि.स्था.का.	भा.दं.सं.	वि.स्था.का.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	1533	631	1079	861	1186	1006
2	अरुणाचल प्रदेश	163	0	45	0	104	0
3	असम	366	0	307	0	311	0
4	बिहार	234	26	195	19	259	27
5	छत्तीसगढ़	1050	129	1350	469	1495	1429
6	गोवा	68	3	48	11	44	5
7	गुजरात	1224	738	1255	752	1390	839
8	हरियाणा	1120	523	968	447	922	394
9	हिमाचल प्रदेश	90	4	92	2	136	9
10	जम्मू और कश्मीर	9	0	9	0	5	1
11	झारखंड	708	113	708	113	182	7
12	कर्नाटक	250	58	390	19	188	6
13	केरल	181	42	217	33	217	61
14	मध्य प्रदेश	4368	505	5145	504	4557	625
15	महाराष्ट्र	3246	485	3651	524	4216	530
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	32	3	44	2	67	3
18	मिजोरम	39	22	607	211	297	79
19	नागालैंड	0	1	3	0	3	0
20	उड़ीसा	219	0	256	5	389	41

1	2	3	4	5	6	7	8
21	पंजाब	81	31	59	17	78	23
22	राजस्थान	1292	179	1280	131	1324	164
23	सिक्किम	17	0	8	0	23	1
24	तमिलनाडु	705	4002	683	1573	644	1259
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26	उत्तरांचल	43	2	80	5	80	9
27	उत्तर प्रदेश	2	26	16	20	16	7
28	पश्चिम बंगाल	26	80	70	5	92	39
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	0	12	0	10	0
30	चंडीगढ़	76	4	70	4	78	2
31	दादरा और नगर हवेली	2	0	4	0	8	0
32	दमन और दीव	1	0	0	0	1	0
33	दिल्ली	636	57	543	29	585	94
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	0
35	पांडिचेरी	29	3	35	0	31	2
	कुल	17819	7867	19229	5756	18939	6662

संघ राज्य क्षेत्रों की नगरपालिका परिषदों हेतु धनराशि का आबंटन

3862. श्री दाह्यभाई वल्लभभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव से नगरपालिका परिषदों तथा जिला पंचायतों हेतु धनराशि आबंटन में वृद्धि संबंधी कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि में कितनी वृद्धि हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3863. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने संयुक्त उद्यमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवश्यक अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल से कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा तत्संबंधी स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) निवेशकों से, सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए, जहां आवश्यक हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विदेशी निवेशकों के साथ एक संयुक्त उद्यम (जे.वी.) बनाने के लिए किसी राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) अप्रैल, 2003 से सितम्बर, 2006 की अवधि के दौरान सरकार ने, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 671.42 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 58 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है।

अनुसूचित जाति के युवकों को परीक्षा पूर्व कोचिंग

3864. श्री सुग्रीव सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु अनुसूचित जाति के युवकों को सहायता/कोचिंग प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समाज के इस वर्ग को ऐसी सहायता/परीक्षा पूर्व कोचिंग से संतोषजनक लाभ हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) जी, हां।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जनजातीय अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने हेतु देश के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए निधियां दी जाती हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा निजी रूप से चल रहे संस्थानों द्वारा प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय छात्रों को नियमित रूप से कोचिंग दी जाती है। वर्ष 2005–06 में लगभग 3000 अनुसूचित जनजातीय छात्रों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। किसी विशेष परीक्षा में किसी छात्र की सफलता अथवा अन्य बातों का कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, केन्द्रीय सरकार सफलता की दर को बढ़ाने हेतु सतत प्रयास कर रही है।

(ङ) और (च) वर्ष 2005–06 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव उसी वित्त वर्ष में स्वीकृत कर दिए गए हैं। वर्ष 2005–06 के दौरान राज्यों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से वर्ष 2006–07 के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर प्रक्रिया पहले ही शुरू की गई है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2005–06 के दौरान निर्मुक्त राशि
1.	आंध्र प्रदेश	32.05
2.	असम	3.23
3.	कर्नाटक	2.00
4.	केरल	0.48
5.	महाराष्ट्र	11.02
6.	मध्य प्रदेश	6.40
7.	उड़ीसा	4.82
	योग	60.00

[हिन्दी]

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 में संशोधन

3865. श्री भपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री पी. मोहन :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री बालेश्वर यादव :
श्री महेश कनोडीया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 में संशोधन कर समलैंगिकता को कानूनी मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में सरकार ने कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास दर

3866. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006–2007 के दौरान औद्योगिक वृद्धि, विशेषकर आधारिक संरचना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं एवं प्राप्त किए गए हैं;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर उपभोक्ता वस्तु उद्योग द्वारा औद्योगिक वृद्धि में किये गये योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में विकास दर में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इस वित्त वर्ष हेतु निर्धारित विकास दर को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) वर्ष 2006–07 के लिए लक्षित उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्षेत्र	इकाई	लक्षित उत्पादन
1	2	3
सीमेन्ट	मिलियन टन	162.0
कोयला	मिलियन टन	425.1
विद्युत	बिलियन यूनिट	663.0
स्टील	मिलियन टन	52.2
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	मिलियन मीट्रिक टन	135.3
कच्चा तेल	मिलियन मीट्रिक टन	35.4

(ख) से (घ) उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र, खनन, विनिर्माण तथा विद्युत क्षेत्र में अप्रैल–अक्टूबर, 2006–07 में क्रमशः 9.8 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत, 11.2 प्रतिशत तथा 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर क्रमशः 13.5 प्रतिशत, 0.9 प्रतिशत, 9.7 प्रतिशत तथा 5.2 प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें उपभोक्ता वस्तु उद्योग भी शामिल है, में वृद्धि के कारण अप्रैल–अक्टूबर, 2006–07 की अवधि के दौरान समग्र औद्योगिक वृद्धि दर 10.3 प्रतिशत रही है।

(ङ) बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक वृद्धि, अन्य बातों के साथ–साथ, बाजारू शक्तियों से प्रभावित होती है। केन्द्र सरकार, विशिष्ट सहायता उपायों के माध्यम से एवं निवेश अनुकूल वातावरण का सृजन करके राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। केन्द्र सरकार की योजनाओं जैसे विकास केन्द्र, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, एकीकृत अवसंरचना विकास, क्लस्टर विकास कार्यक्रम आदि का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र का और अधिक विकास करना है। सरकार ने एक उदार एवं पारदर्शी विदेशी निवेश व्यवस्था भी लागू की है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों/उद्योगों में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

हस्तशिल्प विकास हेतु सहायता

3867. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में हस्तशिल्प के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदान की गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वर्षवार उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सहायता का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अब तक धनराशि का उपयोग नहीं करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(छ) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। देश में हस्तशिल्प के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना; विपणन सहायता एवं सेवाएं; प्रशिक्षण एवं विस्तार; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; निर्यात संवर्धन; अनुसंधान एवं विकास; विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना (एस एच टी पी); बीमा योजना; वर्क-शेड योजना और क्रेडिट गारंटी योजना आदि शामिल हैं। ये योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की प्लान योजनाएं हैं और योजनाएं सहायता अनुदान के रूप में राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/गैर-सरकारी संगठनों/शीर्ष सहकारी समितियों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसी एजेंसियों को मुहैया कराई गई राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में उपलब्ध है।

(ग) निधियों की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वनकारी अभिकरणों से प्राप्त केवल उन्हीं व्यवहार्य प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाता है जो संबंधित योजना के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हों।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि राज्य सरकारों को सीधे कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाती है।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2006-07 नवम्बर, 2006 के दौरान राज्य-वार/योजना-वार रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 नवम्बर, 06 तक
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	212.04	248.32	440.96	122.47
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.67	8.59	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	28.12	44.56	29.21	15.37
4	असम	267.29	531.22	678.55	194.3
5	बिहार	9.64	34.66	40.95	28.78
6	चंडीगढ़	15.10	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	22.58	38.98	25.48	53.47
8	दिल्ली	1147.67	926.09	1277.03	543.96
9	गोवा	2.77	375.78	17.60	0.84
10	गुजरात	108.80	239.92	401.22	72.78
11	हरियाणा	57.24	80.09	85.84	52.07
12	हिमाचल प्रदेश	130.90	151.08	206.94	70.37
13	झारखंड	11.98	16.60	63.94	22.36

1	2	3	4	5	6
14	जम्मू और कश्मीर	292.98	335.15	660.17	85.17
15	कर्नाटक	72.08	102.46	89.25	63.09
16	केरल	89.28	59.82	118.08	36.52
17	मध्य प्रदेश	144.07	198.63	161.47	32.73
18	महाराष्ट्र	124.11	98.92	94.35	40.52
19	मणिपुर	33.61	47.06	176.39	66.88
20	मेघालय	7.70	0.80	11.11	13.60
21	मिजोरम	33.63	32.47	1.22	2.12
22	नागालैंड	93.24	70.63	83.99	18.46
23	उड़ीसा	140.50	190.46	314.48	109.85
24	पंजाब	44.86	24.42	75.82	17.96
25	पांडिचेरी	0.48	6.64	11.91	11.09
26	राजस्थान	196.64	254.38	158.40	114.21
27	सिक्किम	0.00	0.00	0.40	0.00
28	तमिलनाडु	74.55	234.63	173.77	91.09
29	त्रिपुरा	39.51	68.94	44.34	22.33
30	उत्तर प्रदेश	321.37	623.02	956.58	486.81
31	उत्तरांचल	111.63	68.64	85.91	63.99
32	पश्चिम बंगाल	195.66	349.27	223.39	74.09
	कुल	4030.03	5455.31	6717.34	2527.28

[हिन्दी]

बंद वस्त्र मिलें

3868. डी. कुन्हबर हसन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक देश में राज्यवार कितनी वस्त्र मिलें बंद पड़ी हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की भूमि को बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मिलों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

3869. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में पुरुष–महिला अनुपात प्रति 1000 पुरुष 933

महिला के वर्तमान अनुपात से घटकर 2026 तक प्रति 1000 पुरुष 930 होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक राज्य विशेषकर झारखंड में विद्यमान पुरुष–महिला अनुपात का पता लगाने तथा महिलाओं के विकास के लिए चल रही एवं लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के महापंजीयक की अध्यक्षता में जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च, 2001–2006 की जनसंख्या की अनुमानित विशेषताएं यह दर्शाती हैं कि महिला–पुरुष अनुपात 1 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष से कम होकर 1 मार्च 2006 एवं 1 मार्च, 2011 तक 932 तथा 1 मार्च, 2016 तक 931 और 1 मार्च 2011 एवं 2026 तक 930 रह जाएगा।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, मादा भ्रूण हत्या की रोकथाम के उद्देश्य से प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 झारखंड सहित सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम को पहले से अधिक व्यापक बनाने के लिए संशोधित किया गया है तथा इसका नाम बदलकर 'गर्भाधान–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम 1994 कर दिया गया है। गर्भाधान–पूर्व लिंग चयन की तकनीक को इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में लाया गया है ताकि महिला–पुरुष अनुपात को कम करने वाली ऐसी तकनीकों के उपयोग को पहले से ही रोका जा सके। अल्ट्रासाउंड मशीनों के प्रयोग को भी इस अधिनियम के दायरे में पहले से अधिक स्पष्ट ढंग से शामिल किया गया है, ताकि भ्रूण के लिंग का पता लगाने एवं बताने के उद्देश्य से इन मशीनों का दुरुपयोग किए जाने की प्रवृत्ति की रोकथाम की जा सके, जिससे यह प्रवृत्ति मादा भ्रूण हत्या का कारण न बने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड को इस अधिनियम के कार्यान्वयन के मानीटरन हेतु पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्यों में इस अधिनियम के मानीटरन के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की तर्ज पर ही राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण बोर्ड गठित किए गए हैं। इस अधिनियम के उल्लंघन की घटनाओं को कम से कम करने के लिए निवारक के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत पहले से अधिक कठोर सजा निर्धारित की गई है। अल्ट्रासाउंड मशीनों तथा भ्रूण के लिंग के चयन में सक्षम अन्य उपकरणों के प्रयोग के संबंध में और जिन परीक्षणों एवं कार्यविधियों के द्वारा लिंग का गर्भाधान–पूर्व चयन किया जा सकता है, उन परीक्षणों एवं कार्यविधियों के संबंध में भी समुचित रिकार्ड रखे जाने को अनिवार्य कर दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निकायों को ही अल्ट्रासाउंड मशीनें बेचे जाने की शर्त लगाकर इन मशीनों की बिक्री का विनियमन किया गया है।

कम होते महिला–पुरुष अनुपात को बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय इस विषय से जुड़े विभिन्न पक्षों के लिए जागरूकता एवं संचेतना कार्यक्रम चला रहा है।

झारखंड सहित देश के सभी राज्यों में महिलाओं के विकास के लिए चलाई जा रही महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन का गहन मानीटरन किया जाता है। इन स्कीमों का मानीटरन राज्य सरकारों की निरीक्षण रिपोर्टों, तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा राज्यों के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठकों और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से किया जाता है।

[अनुवाद]

जनजातीय भाषाएं

3870. डा. बाबू राम मिडियम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातीय बोलियों (भाषाओं) की संख्या राज्यवार और जनजातिवार कितनी हैं; और

(ख) जनजातीय भाषाओं के ह्रास को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) ने सूचित किया है कि भारत की जनगणना 1991 के अनुसार यह समझा जाता है कि 89 भाषाएं जनजातीय भाषाएं हैं।

भारत की जनगणना 1991 के अनुसार, बोली जाने वाली राज्यवार जनजातीय भाषा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर सभी भारतीय भाषाओं के विकास से संबंधित है और इसने बहुत सी जनजातीय भाषाओं पर प्रकाशन भी निकाले हैं। हाल के अधिकतर अनुसंधान कार्य इन भाषाओं के वर्णन और शिक्षण सामग्रियों के निर्माण से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'अनुसंधान और प्रशिक्षण : जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता–अनुदान' के अंतर्गत जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं,

जिसमें जनजातीय भाषाएं भी सम्मिलित हो सकती हैं, पर अनुसंधान करने के लिए राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को निधियां उपलब्ध कराता है।

विवरण

भारत में बोली जाने वाली जनजातीय भाषाओं का 1991 की जनगणना में दर्शाया गया ब्यौरा

क्र.सं.	भाषा	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
1	भिली/भिलोडी	राजस्थान
		मध्य प्रदेश
		महाराष्ट्र
		दादरा और नगर हवेली
		गुजरात
2	संथाली	बिहार
		पश्चिम बंगाल
		उड़ीसा
		असम
3	गोंडी	मध्य प्रदेश
		महाराष्ट्र
		आंध्र प्रदेश
		उड़ीसा
4	कुरुख/ओरांव	बिहार
		मध्य प्रदेश
		पश्चिम बंगाल
		उड़ीसा
		असम
5	बोडो/बोरो	असम
		पश्चिम बंगाल
6	खांदेशी	महाराष्ट्र
		गुजरात
		मध्य प्रदेश
7	हो	बिहार
		उड़ीसा
8	खासी	मेघालय
		असम
9	मुंडारी	बिहार
		उड़ीसा
		पश्चिम बंगाल
		असम
10	त्रिपुरी/कोक बोरोक	त्रिपुरा
		मिजोरम
		असम
11	गारो	असम
		मेघालय
12	कुई	उड़ीसा
13	लुशाई/मिजो	मिजोरम
14	हलबी	मध्य प्रदेश
		महाराष्ट्र
15	कोर्कु	मध्य प्रदेश
		महाराष्ट्र
16	मुंडा	उड़ीसा
		असम
		पश्चिम बंगाल
		बिहार
17	मिरि/मिशिंग	असम
18	कारबी/मिकिर	असम
19	सावरा	उड़ीसा
		आंध्र प्रदेश
20	कोया	आंध्र प्रदेश
		उड़ीसा
21	खारिया	बिहार
		उड़ीसा
22	खोंड/कॉध	उड़ीसा
		आंध्र प्रदेश
23	निस्सी/दाफला	अरुणाचल प्रदेश
24	आओ	नागालैंड
25	सेमा	असम
		नागालैंड
26	किसान	उड़ीसा

1	2	3
27	आदि	अरुणाचल प्रदेश
28	राभा	असम
		मेघालय
29	कोंयाक	नागालैंड
30	माल्टो (पहिरया)	बिहार
31	थाडो	मणिपुर
32	तंगखुल	मणिपुर
33	कोलामी	महाराष्ट्र
		आंध्र प्रदेश
34	अंगामी	नागालैंड
35	दीमासा	असम
36	लोथा	नागालैंड
37	माओ	मणिपुर
38	तिब्बतन	हिमाचल प्रदेश
		कर्नाटक
39	कावुई	मणिपुर
40	फोम	नागालैंड
41	हमार	असम
		मणिपुर
42	किन्नौरी	हिमाचल प्रदेश
43	कुकी	मणिपुर
		असम
		नागालैंड
44	भोटिया	हिमाचल प्रदेश
		सिक्किम
45	पैते	मणिपुर
46	चाकरू/चोकरी	नागालैंड
47	संगतम	नागालैंड
48	यिमचुंगरे	नागालैंड

1	2	3
49	भुमिज	बिहार
		उड़ीसा
50	पार्जी	मध्य प्रदेश
51	मोन्पा	अरुणाचल प्रदेश
52	वांको	अरुणाचल प्रदेश
53	लेपचा	सिक्किम
54	रेंगमा	नागालैंड
55	जेलियांग	नागालैंड
56	लालुंग/तिवा	असम
57	चांग	नागालैंड
58	छाखेसंग	नागालैंड
59	नोक्टे	अरुणाचल प्रदेश
60	हलाम	त्रिपुरा
61	मिसमी	अरुणाचल प्रदेश
62	कोडा/कोरा	पश्चिम बंगाल
63	लिम्बु	सिक्किम
64	गदाबा	उड़ीसा
65	मोघ	त्रिपुरा
66	तांग्सा	अरुणाचल प्रदेश
67	कोरवा	मध्य प्रदेश
68	लियांगमेई	मणिपुर
		नागालैंड
69	निकोबारी	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
70	वाइफेई	मणिपुर
71	कोच	मेघालय
72	जटापु	आंध्र प्रदेश
73	खीमनुंगन	नागालैंड
74	लाखेर	मिजोरम
75	जेमी	असम

1	2	3
76	लाहौली	हिमाचल प्रदेश
77	देवरी	असम
78	कोंडा	आंध्र प्रदेश
79	जुआंग	उड़ीसा
80	शेरपा	सिक्किम
81	जोऊ	मणिपुर
82	पावी	मिजोरम
83	मरिंग	मणिपुर
84	गांग्ते	मणिपुर
85	कोम	मणिपुर
86	खेज़ा	नागालैंड
87	अनाल	मणिपुर
88	पोछुरी	नागालैंड
89	मारम	मणिपुर

[हिन्दी]

एचआईवी/एड्स ग्रस्त पाकिस्तानी महिलाएं

3871. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई है कि यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सुरक्षा बलों के जवानों को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु एचआईवी/एड्स ग्रसित महिलाएं भेजती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा बलों के कुछ जवान इस घातक रोग के शिकंजे में आ गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों तथा एड्स से सुरक्षा बलों के जवानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(1) केन्द्रीय पुलिस बलों (सी पी एफ) के कार्मिकों में एच आई वी/एड्स का निवारण करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना।

(2) इस प्रयोजनार्थ फील्ड स्तरों तक प्रत्येक सी पी एफ में कार्य बल का गठन किया गया है।

(3) इच्छुक कार्मिकों के लिए यूनिट अस्पतालों में टेस्टिंग किट उपलब्ध हैं।

(4) प्रभावित कार्मिकों का नियमित इलाज किया जा रहा है और सहायता प्रदान की जा रही है।

(5) टुकड़ियों में सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी सामग्री वितरित की गई है।

(6) शिक्षा और जागरूकता पैदा करने वाले कदम उठाए गए हैं।

(7) यूनिट मनोरंजन कक्षों और परिवार कल्याण केन्द्रों में एच आई वी/एड्स से संबंधित फिल्मों और वृत्तचित्रों को नियमित रूप से दिखाया जाता है।

(8) प्रशिक्षण विद्यालयों में शिक्षाप्रद पैंफलेट बांटे जाते हैं।

(9) कंडोम वितरण प्रणाली का सृजन किया गया है।

निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयां

3872. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के कुल आयात–निर्यात व्यापार में निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जाने वाले व्यापार का प्रतिशत कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या उक्त इकाइयों को कई आर्थिक रियायतें मिल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी रियायतों के दुरुपयोग के संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसी रियायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) वर्ष 2003–2004, 2004–2005 और 2005–2006 के दौरान निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा क्रमशः लगभग 6300 मिलि. अम. डा., 8300 मिलि अम.डा. और 8500 मिलि. अम.डा. (अनन्तिम) थी। वर्ष 2003–2004, 2004–2005 और 2005–2006 के दौरान देश के कुल निर्यातों में निर्यातोन्मुख इकाइयों का हिस्सा क्रमशः 9.83%, 9.94% और 8.28% था।

(ग) और (घ) जी, हां। निर्यातोन्मुख स्कीम के अंतर्गत इकाइयों को प्रोत्साहनों/वित्तीय रियायतों का एक पैकेज प्रदान किया जाता है जिससे पूंजीगत वस्तुओं, कच्ची सामग्रियों, उपभोक्ता वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/खरीद; माने गए निर्यात संबंधी लाभ; आयकर छूट, केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति शामिल है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा अन्य संगत अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत 457 इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(च) हाल में विदेश व्यापार नीति में संशोधन द्वारा दिनांक 31.08.2005 और 7.4.2006 से क्रमशः घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में संगमरमर की बिक्री और घरेलू टैरिफ (डीटीए) में क्रेता के एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी एकाउंट (ईईएफसी) खाते से भुगतान पर डीटीए में आपूर्तियों की सुविधा को वापस ले लिया गया है।

[अनुवाद]

निर्यातकों हेतु नीति

3873. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में नगण्य उपस्थिति रखने वाले उत्पादों के निर्यातकों को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सीआईएस देशों में विपणन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन देशों के साथ कितना व्यापार प्रत्याशित है;

(ग) इन बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विद्यमान योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किसानों को कौन–कौन से प्रोत्साहन दिए जाने के प्रस्ताव हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अफ्रीका, लैटिन अमरीका तथा सीआईएस देशों में विपणन हेतु भारत की व्यापार योग्य वस्तुओं में जिन उत्पादों के निर्यातकों की उपस्थिति नगण्य है, उन निर्यातकों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

निर्यात संवर्धन हेतु सहायता, बाजार पहुंच पहल स्कीम और बाजार विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

उप–सहारा अफ्रीका, लैटिन अमरीकी क्षेत्र तथा सीआईएस क्षेत्र को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्रमशः फोकसः अफ्रीका, फोकसः एलएसी तथा फोकसः सीआईएस कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन स्कीमों तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) सरकार वस्तु बोर्डों आदि की योजना स्कीमों के तहत उपायों एवं प्रोत्साहनों के जरिए कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली महिला आयोग द्वारा सर्वेक्षण

3874. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली महिला आयोग ने एक सर्वेक्षण में यह पाया है कि दिल्ली पुलिस बलात्कार के अधिकांश मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं करती है जैसा कि दिनांक 21 जून, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे मामलों में एफआईआर की तत्परतापूर्वक दर्ज किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली महिला आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) बलात्कार के मामलों का उचित पंजीकरण सुनिश्चित किए जाने के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में जो कार्य शामिल हैं वे हैं :– वरिष्ठ अधिकारियों और सतर्कता शाखा द्वारा स्टाफ की नियमित ब्रीफिंग और औचक जांच करना; इस प्रकार की सभी शिकायतों पर कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाना; जन शिकायतें/समस्याओं को सुनने के लिए थानाध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता के बारे में प्रत्येक पुलिस थाने में समय–सारणी प्रदर्शित करना; जनता द्वारा अविलंब शिकायतें दर्ज कराने के लिए ई–मेल सेवा की स्थापना करना; महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के अपराधों के संबंध में कार्रवाई किए जाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती करना; सभी नौ पुलिस जिलों में रेप क्राइसिज इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करना और बलात्कार की पीड़ितों को परामर्श/सुझाव इत्यादि देने के लिए ऐसे मामलों में उनका सहयोग लेना; महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना करना और बलात्कार के मामलों की जांच–पड़ताल में महिला पुलिस अधिकारियों और गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग लेना।

अवैध ढंग से सम्पत्ति पर कब्जा करने में दिल्ली पुलिस की संलिप्तता

3875. श्री वी. के. दुग्गर :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में संपत्तियों के वैध अधिभोगियों से अवैध ढंग से संपत्ति प्राप्त करने में लोगों की मदद करने में दिल्ली पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस गतिविधि में कुल कितने अधिकारी संलिप्त हैं और इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस को वर्ष 2004, 2005 और 2006 (30 नवम्बर तक) के दौरान दिल्ली में वैध अधिभोगियों से अवैध ढंग से संपत्ति प्राप्त करने में लोगों को मदद करने में दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की संलिप्तता के संबंध में 18 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में से 12 शिकायतें, जिनमें 24 पुलिस कार्मिक संलिप्त हैं, सही पाई गईं। इन कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में उन्हें निलंबित करना, नियमों के तहत उचित दंड देने हेतु विभागीय जांच शुरू करना, आपराधिक मामला दर्ज करना और परामर्शी ज्ञापन जारी करना शामिल हैं।

(ग) दिल्ली पुलिस कार्मिकों द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु उठाए गए कदमों में गश्त ड्यूटी और पुलिस पिकेटों के लिए तैनात कार्मिकों की गतिविधियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच करना; संदिग्ध चरित्र वाले कार्मिकों पर नजर रखना; आपराधिक प्रवृत्ति वाले कार्मिकों को गैर–संवेदनशील पदों पर स्थानांतरित करना; उन कार्मिकों के विरुद्ध कानूनी और विभागीय कार्रवाई करना जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं; जिला/यूनिटों में लोक शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना करना; संवेदनशील पदों पर आसीन कार्मिकों पर सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी रखना; जिलों के पुलिस आयुक्त द्वारा ऐसी शिकायतों का एक रजिस्टर बनाना; और भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध ई–मेल के माध्यम से शिकायत करने की सुविधा आम जनता को प्रदान करना शामिल है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ भेदभाव

3876. डा. आर. सेनथिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीएचडी/एमएस छात्रों विशेषकर आरक्षित श्रेणी के छात्रों द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों को बीच में छोड़ने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका श्रेणी–वार, वर्ष–वार, विभाग–वार, आईआईटी–वार और आईआईएससी बंगलौर से संबंधित कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संस्थानों में भेदभाव के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आरक्षित श्रेणियों के छात्रों के साथ हुए अन्याय को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पी.एच.डी./एम.एस. कार्यक्रम बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) अभी हाल ही में भेदभाव के संबंध में चार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथ्यों का पता लगाने के लिए सभी मामलों की जांच की गई थी तथा शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए थे।

विवरण

पाठ्यक्रम	आईआईटी, बम्बई						आईआईटी, कानपुर						आईआईटी, खड़गपुर						आईआईटी, गुवाहाटी						आईआईटी, दिल्ली					
	2003		2004		2005		2004		2005		2006		2004		2005		2006		2004		2005		2006		2004		2005		2006	
	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.
रसायन	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1		
भौतिकी	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
सिविल इंजीनियरी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–			
गणित	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–		
इलेक्ट्रिक इंजी.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–			
मैकेनिकल इंजी.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–			
रसायन इंजी.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–			
पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
धात्विकी और द्रव्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
जैव–प्रौद्योगिकी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–			
एचएसएस	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–			
एसबीबी	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
उपकरण अभिकल्पना इंजीनियरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–			
औद्योगिकी प्रौद्योगिकी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–			
प्रबंध अध्ययन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–			
वायुमंडल विज्ञान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1			

नोट- 1 यद्यपि आईआईटी रुड़की में अजा/अजजा के किसी भी छात्र ने पीएचडी/एमएस कार्यक्रम को बीच में नहीं छोड़ा है, तथापि आईआईटी, मद्रास में वर्ष 2004, 2005 और 2006 में अनुसूचित जाति के क्रमशः 4, 4 और 3 छात्रों ने इन कार्यक्रमों को बीच में ही छोड़ दिया। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में संबंधित सूचना अभी प्राप्त होनी है।

नोट- 2 पीएचडी/एमस कार्यक्रम बीच में छोड़ने के कारण हैं – व्यक्तिगत, अध्ययन में धीमी प्रगति, वृहत परीक्षा (पीएचडी) में असफलता, अन्य संस्थाओं में दाखिला, नौकरी शुरू करना आदि।

खादी एवं ग्राम उद्योग का आधुनिकीकरण

3877. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो दशकों में खादी उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1980 के दशक की तुलना में इस क्षेत्र में खादी के उत्पादन और रोजगार के ब्यौरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान योजनाबद्ध आर्थिक विकास में "चरखे" की भूमिका और खादी की प्रासंगिकता को पुर्नपरिभाषित करने का है; और

(घ) इस संबंध में तथा खादी एवं ग्राम उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) पिछले दो दशकों (1980–81 से 2005–06) के दौरान खादी के उत्पादन तथा रोजगार के मूल्यों का वर्ष–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह 1998–99 से 2000–2001 के दौरान खादी के उत्पादन तथा रोजगार में भी तीव्र ह्रास को दर्शाता है।

(ग) और (घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों में शामिल है: (i) खादी (तथा ग्रामोद्योग) उत्पादों के परिष्कृत डिजाइनों और पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप तथा पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना, (ii) खादी फैब्रिक को बाजार मांग के अनुरूप तैयार वस्त्रों में बदलना, (iii) खादी उत्पादों के लिए 'खादी इंडिया' ब्रांड नाम आरंभ करना, (iv) 2005–06 से आरंभ होकर पांच वर्षों में विकास के लिए 25 खादी क्लस्टरों में कार्यान्वयन हेतु परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि योजना आरंभ करना, (v) केवीआईसी के लिए मानी गई निर्यात संवर्धन परिषद् का दर्जा प्राप्त करना, इत्यादि।

विवरण

खादी उद्योग में उत्पादन का मूल्य और रोजगार का वर्ष–वार ब्यौरा

वर्ष	उत्पादन (रुपये लाख में)	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)
1	2	3
1980–1981	10684.96	12.06
1981 –1982	12339.88	12.73
1982–1983	14340.14	13.61
1983–1984	15348.71	13.59
1984–1985	15761.66	13.05
1985–1986	19501.53	13.47
1986–1987	21806.78	13.88
1987–1988	22751.57	14.14
1988–1989	23535.43	14.04
1989–1990	25787.65	14.12
1990–1991	28595.01	14.15
1991–1992	32863.30	14.20
1992–1993	35348.99	14.45
1993–1994	35727.96	13.87
1994–1995	38971.41	13.19
1995–1996	52223.14	13.97
1996–1997	62640.30	14.79
1997–1998	62409.92	14.01
1998–1999	63589.40	13.85
1999–2000	55194.13	12.35
2000–2001	43157.39	9.56
2001–2002	41668.80	8.48
2002–2003	44307.25	8.58
2003–2004	45350.47	8.61
2004–2005	46154.06	8.64
2005–2006	46830.32	8.68

[हिन्दी]

मदरसा बोर्ड का गठन

3878. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मदरसा बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इस कदम पर आपत्ति व्यक्त की है जैसा कि दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) इस समय केन्द्रीय मदरसा बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग द्वारा नई दिल्ली में 3 दिसम्बर, 2006 को आयोजित सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

[अनुवाद]

आठवीं अनुसूची में उर्दू भाषा

3879. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्दू मात्र एक क्षेत्रीय भाषा है जैसा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उर्दू को एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में हटाने तथा अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र में इसे दूसरी भाषा के रूप में आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) संविधान की आठवीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड फॉरेन ट्रेड

3880. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड वर्तमान में देश के किन स्थानों पर स्थित है तथा इनके मुख्य कार्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों विशेषकर तमिलनाडु में ऐसे और संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संस्थानों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का अहमदाबाद के पालडी में मुख्य कैम्पस है। गांधीनगर में एक स्नातकोत्तर कैम्पस और बेंगलूर में एक अनुसंधान व विकास केन्द्र की भी स्थापना की गई है। इनके मुख्य कार्य डिजाइन शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान व परामर्श देना है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) दिल्ली और कोलकाता में स्थित है और इसके मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान व परामर्श भी देना है।

(ख) से (घ) फिलहाल और अधिक भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और अधिक डिजाइन संस्थानों की स्थापना करना 11वीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर निर्भर है।

यूनिक आइडेनटिटी स्कीम

3881. श्री के. सी. पल्लानी स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी निवासियों के लिए यूनिक आइडेनटिटी स्कीम (यूआईएस) लागू करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) :

(क) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन 19.07.2006 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में, केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए विकास संबंधी प्रमुख कार्यक्रम जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत निर्माण योजना और सर्व शिक्षा अभियान और मिड–डे मील संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, सिविल सेवाओं के सुधार और लोक सेवा प्रदान करने में सुधार करने से संबंधित मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बी पी एल परिवारों हेतु प्रोजेक्ट यूनिक आई डी योजना आयोग की एक पहल है जिसका प्रारंभिक रूप से 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी निवासियों के एक कोर डाटाबेस का सृजन करने तथा ऐसे सभी निवासियों के लिए एक यूनिक आइडेन्टिफिकेशन नंबर (यू आई डी) का सृजन करने का प्रस्ताव है। इस यू आई डी का सृजन एवं इस्तेमाल ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान किए जाने का विचार है क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे (बी पी एल) के व्यक्तियों को विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी सेवाएं कुशलतापूर्वक प्रदान करने का यही आधार है।

मिर्ची के लिए मसाला बोर्ड

3882. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात अवसरों में वृद्धि करने हेतु मिर्ची हेतु मसाला बोर्ड की तर्ज पर एक पृथक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक और अन्य राज्यों में उगायी गई मिर्ची के निर्यात एवं पोषण के लिए एक पृथक बोर्ड गठित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) मसाला बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के सिकन्दराबाद, गुंटूर और पडेरू में क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। बोर्ड का प्रस्ताव कर्नाटक सहित लाल मिर्च उत्पादक समस्त राज्यों के लिए अपने 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव में निर्यातों को बढ़ाने सहित लाल मिर्च के विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को बढ़ाने का भी है।

चीनी निर्यात पर प्रतिबंध

3883. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने मार्च, 2007 तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीनी निर्यात के प्रतिबंध का निर्णय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (ईयू) को निर्यात की जाने वाली वरीयता प्राप्त चीनी के कोटे पर भी लागू होगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इससे भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार पर किसी सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने हेतु चीनी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए लिया गया था। देश में चीनी का निर्यात विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी संगत अधिसूचनाओं के तहत विनियमित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ईयू और अमरीका को निर्यात हेतु भारत का अधिमानी चीनी कोटा पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान है जिसे भारतीय निर्यातकों के लाभ हेतु प्राप्त किया गया है। इन देशों को कोटा–चीनी के निर्यात में किसी प्रकार के व्यवधान से कोटा कम हो जाता है जो पहले से ही अत्यंत सीमित है।

(ङ) सरकार सभी संगत चिंताओं का निवरण करती है।

ग्रामीण उद्योगों की स्थापना

3884. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006–2007 तक देश में 31,800 ग्रामीण उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य है;

(ख) यदि हां, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006–07 में आंध्र प्रदेश में कितने ग्रामीण उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) वर्तमान वर्ष के प्रथम 10 महीनों में कितने ग्रामीण उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त ग्रामीण उद्योगों को कितनी मार्जिन राशि एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(च) क्या किसी उद्यमी द्वारा एक ग्रामीण उद्योग स्थापित करने की किन्हीं शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) वर्ष 2006–07 के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आई ई जी पी) के तहत ग्रामीण उद्योग इकाइयों की स्थापना में सहायता का लक्ष्य 31,760 है। इन इकाइयों का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2006–07 (अक्टूबर, 2006 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश में 509 ग्रामीण उद्योग इकाइयां स्थापित की गई हैं और उन्हें 891.03 लाख रु. की राशि की मार्जिन मनी सहायता प्रदान की गई है।

(च) और (छ) आर ई जी पी के अंतर्गत के वी आई सी से मार्जिन सहायता एवं सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर अन्य आर्थिक रूप से जीवनक्षम क्रियाकलापों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में पात्र उद्यमी ग्रामीण उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

पात्रता शर्तों में शामिल है:– (i) लाभार्थी 18 वर्ष अथवा इससे ऊपर की आयु का होना चाहिए, (ii) एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है, (iii) सामान्य श्रेणी क्षेत्रों में नियोजित प्रति कामगार नियत पूंजी निवेश 1 लाख रु. (पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रु.) से अधिक नहीं होनी चाहिए, (iv) परियोजना लागत 25 लाख रु. (भूमि की लागत को परियोजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए) से अधिक नहीं होनी चाहिए, (v) लाभार्थी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, इत्यादि जैसी कुछ कमजोर श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत) अंशदान करेगा।

विवरण

वर्ष 2006–07 के लिए आर ई जी पी के अंतर्गत ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (इकाइयों की संख्या)
1	2	3
I	**उत्तरी क्षेत्र**	
1	चंडीगढ़	5
2	दिल्ली	15
3	हरियाणा	1193
4	हिमाचल प्रदेश	760
5	जम्मू और कश्मीर	724
6	पंजाब	1493
7	राजस्थान	2769
II	**पूर्वी क्षेत्र**	
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	152
2	बिहार	638
3	झारखंड	745
4	उड़ीसा	885
5	पश्चिम बंगाल	2268
III	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र**	
1	अरुणाचल प्रदेश	103
2	असम	1526
3	मणिपुर	185
4	मेघालय	304
5	मिजोरम	455
6	नागालैंड	173
7	त्रिपुरा	219
8	सिक्किम	108
IV	**दक्षिणी क्षेत्र**	
1	आंध्र प्रदेश	2940
2	कर्नाटक	2011
3	केरल	1389
4	लक्षद्वीप	2

1	2	3
5	पांडिचेरी	64
6	तमिलनाडु	1212
V	**पश्चिमी क्षेत्र**	
1	गोवा	304
2	गुजरात	613
3	महाराष्ट्र	1908
VI	**केन्द्रीय क्षेत्र**	
1	छत्तीसगढ़	914
2	मध्य प्रदेश	1291
3	उत्तरांचल	608
4	उत्तर प्रदेश	3784
	कुल	31760

एनटीसी की भूमि

3885. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने एनटीसी के चार मिलों की भूमि की बिक्री करने की मंजूरी नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस कदम से रुग्ण एनटीसी मिलों की लाभदायी योजना पर प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. थी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर, 2004 में विकास नियंत्रण विनियमन (डीआरसी) 58 के तहत 7 मिलों के लिए अनुमति दी है। इनमें से दो मिलों को बॉम्बे नगर निगम (बीएमसी)/महाराष्ट्र आवास क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) को डी सी आर 58 के तहत प्रोपर्टी के उनके हिस्से के रूप में सौंप दिया गया है। मई, 2006 में वस्त्र मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और एनटीसी के बीच त्रिपक्षीय बैठक में, महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि एनटीसी यातायात प्रभाव अध्ययन और पहले ही बेची गई और बेची जाने वाली मिलों की जमीन पर जल निकास संबंधी अध्ययन सहित नागरिक अवसंरचना संबंधी अध्ययन करे। तदनंतर, एक आदेश द्वारा, महाराष्ट्र सरकार ने मिल मालिकों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया कि मिल की जमीन के विकसित किए जाने अथवा पुनः विकसित किए जाने की अनुमति तब तक न दी जाए जब तक इसमें रहने वालों के लिए पुनर्वास का प्रस्ताव हो। एनटीसी ने महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया कि वह उन चार मिलों के लिए अनुमति दे जिनमें चॉल नहीं हैं जो कि अभी तक नहीं दी गई है। एनटीसी ने यातायात प्रभाव अध्ययन और जल निकास अध्ययन पहले ही शुरू कर दिया है और अनुमति शीघ्र मिल जाने की आशा है।

(घ) से (च) जी, हां। मिल की वेशी भूमि और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन योजना के वित्तपोषण के लिए मुख्य स्रोत है।

भूमि पत्तन प्राधिकरण

3886. श्री नवीन जिन्दल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वाणिज्यिक क्रियाकलापों का समन्वय करने हेतु भूमि पत्तन प्राधिकरण गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य-वार कितने पारगमन केन्द्रों के कार्य करने की संभावना है;

(घ) इन पारगमन केन्द्रों पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होंगी;

(ङ) क्या इस प्रयोजन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी संलग्न किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्राधिकरण को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विद्यांत रूप से देश की भू-सीमाओं पर पहचान किए

गए प्रवेश बिंदुओं पर एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) के निर्माण, प्रबंधन और उसके रख–रखाव का निरीक्षण करने हेतु भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई) की स्थापना किए जाने का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) 13 एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) की स्थापना की जानी है जो इस प्रकार है:– भारत–नेपाल–4, भारत–पाकिस्तान–1, भारत–बांग्लादेश–7, भारत–म्यामार–1। इन जांच चौकियों में आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा और सभी आधुनिक सुख–सुविधाओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ सुसज्जित एक एकल काम्पलैक्स में सहायक सुविधाएं जैसे कि वेअरहाऊसिंग, बैंकिंग, होटल, पार्किंग इत्यादि के सभी नियामक कार्यों की व्यवस्था होगी।

(ङ) और (च) वेअरहाऊसिंग, पार्किंग और नागरिक सुविधाओं हेतु निजी लोगों की भागीदारी की व्यवहार्यता का पता लगाया जायेगा।

(छ) प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय होगा और उसका गठन होने तक एक शक्ति प्राप्त संचालन समिति (ई एस सी) अंतरिम प्रबंधन के रूप में कार्य करेगी।

कपास की खरीद

3887. श्री सुनील खां : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उत्पादन–मिश्रण के माध्यम से लाभप्रदता में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक किस्म के सीमांत अंशदान/लाभ पर विचार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पाद–मिश्रण के माध्यम से लाभप्रदता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई) ने लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उत्पाद मिश्रण के बारे में विचार नहीं किया है। उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन उस क्रय नीति का एक अभिन्न भाग है जिसका सीसीआई द्वारा अनुसरण विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। चूंकि कपास एक कृषि संबंधी वस्तु है, अतः किसी किस्म में आवकों की गुणवत्ता में पूरे मौसम के दौरान एकरूपता नहीं है। मौसम के बढ़ने के साथ गुणवत्ता में परिवर्तन होता है/गिरावट आती है। लाभ अंशदान का किस्म की श्रेणी के साथ कोई प्रत्यक्ष सह–संबंध नहीं है क्योंकि वह खरीद और बिक्री के समय बाजार की स्थितियों, बाजार भावनाओं पर निर्भर करता है। सुदृढ़ और बढ़ते हुए बाजार में बेची गई किस्मों/श्रेणियों के फलस्वरूप उच्चतर लाभ अंशदान हो सकता है और कमजोर और गिरते हुए बाजार में बेची गई किस्मों/श्रेणियों के फलस्वरूप उच्चतर हानि अंशदान हो सकता है। किसी विशेष श्रेणी की खरीद भी बाजार में आवक की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करता है। कपास के आवकों में विभिन्न श्रेणियां हो सकती हैं, सामान्यतया यह उच्चतर श्रेणी में कम और निम्नतर श्रेणी में अधिक होता है। तथापि, कपास किसानों को लाभप्रद कीमत सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विभिन्न श्रेणियों के कपास की खरीद साथ–साथ की जाती है जो मिलों से इसकी मांग पर निर्भर करती है। विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद मिश्रण को बदलना दिन प्रतिदिन आधार पर खरीद सीमा निर्धारित करने के क्रम में एक नियमित कार्य है। उपयुक्त उत्पाद मिश्रण के माध्यम से बढ़ी हुई लाभप्रदता के लिए, तेजी से बदलने वाली किस्मों/श्रेणियों की अधिकतम खरीद करने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर स्थायी निर्माण

3888. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमा पार से चलाए जाने वाले आतंकवाद की रोकथाम करने हेतु भारत–पाकिस्तान सीमा पर स्थायी निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2006–07 के दौरान उक्त निर्माण पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) सीमा की चौकसी को सुकर बनाने के लिए सरकार ने सीमावर्ती चौकियों, प्रेक्षण चौकियां बनाने और बाड़ लगाने/तेल रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य प्रारंभ किया हुआ है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2006–07 के दौरान इन निर्माण कार्यों हेतु लगभग 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

विवरण

भारत–पाकिस्तान सीमा पर स्थायी निर्माण के ब्यौरे

राज्य का नाम	मौजूदा प्रेक्षण चौकी टावर	सीमा चौकियां		बाड़ (कि.मी.) निर्माण किया गया/जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है		तेज रोशनी की व्यवस्था का पूरा किया गया कार्य
		निर्मित	निर्माण कार्य चल रहा है	लगाई गई बाड़	निर्माण कार्य चल रहा है	
पंजाब	328	178	01	449.065	–	449.065
जम्मू और कश्मीर	18	90	–	184.8	1.2	170.529
राजस्थान	49	270	23	1056.626	–	1056.626
गुजरात	–	71	64	107.46	85.07	88.000
कुल	395	609	88	1797.951	86.27	1764.22

[अनुवाद]

शैक्षणिक परिसरों की स्थापना

3889. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री अनन्त नायक :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के उत्थान हेतु लो–लिटरेसी पॉकेटों में अतिरिक्त संख्या में शैक्षणिक परिसर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक आबंटित/प्रयुक्त धन का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) और (ख) इस समय जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए "जनजातीय क्षेत्रों में" महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के निवास के क्षेत्रों में भी लागू है। इस योजना की प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए इस मंत्रालय ने अतिरिक्त निवेश के साथ इसके नवीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया है।

(ग) यह योजना एक मांग संचालित योजना है। राज्य सरकारों के गैर–सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों को निधियों की निर्मुक्ति गत अनुदानों की निर्मुक्ति के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही की जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक परिसर योजना के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तपोषित संगठनों की राज्य–वार सूची

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (41 शैक्षिक परिसर)	11700000	23700000	32003406	26242500	0

1	2	3	4	5	6	7
2.	चैतन्य एजूकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट कुडप्पा	1482000	1293000	0	0	0
3.	हाई टेक यूथ एसोसिएशन 3–6–492, फ्लैट नं. 101, रवि किरन, गली नं. 6, हिमायत नगर, हैदराबाद	30000	0	0	0	0
4.	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसी रैयूपेट, नन्दीग्राम	1830000	0	0	0	0
5.	जागृति एजूकेशनल एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी जवाहर नगर, चिकडापल्ली, हैदराबाद	1523000	0	0	2136800	0
6.	नवोदय इन्टीग्रेशन कल्चरल सोशल एजूकेशन एण्ड वाल्यून्टरी एक्शन, कुरनूल	618000	1430037	0	1836378	0
7.	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन विशाखापट्टनम	0	653175	0	0	0
8.	रूरल महिला वेलफेयर सोसायटी कुरनूल	459000	0	858000	0	0
9.	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 10/11/635, बुरहानपुर, जिला खम्माम	30000	159000	0	543760	308469
10.	सोशल एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट, 131/बी, संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद	0	0	1089500	0	0
11.	सोशल इन्टीग्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, नलगोण्डा	1465000	0	0	1548908	0
12.	वेनेला एजूकेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, हैदराबाद	2046000	0	0	0	1900134

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश						
1.	ओजु वेलफेयर एसोसिएशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	904000	0	0	0	0
बिहार						
1.	मानव कल्याण समिति, गोपालगंज, बिहार	30000	0	0	0	0
छत्तीसगढ़						
1.	विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हैल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	973400	920400	1173400	942800	1585800
गुजरात						
1.	ग्रा स्वराज संघ, कच्छ, गुजरात	437730	0	1469000	0	0
2.	लोक निकेतन, एटी–ककनपुर बंसकांथा, गुजरात	1714000	858900	535900	1100000	1382733
3.	एमजीपी सर्वोदय आश्रम, श्री अमीरगढ़, जिला बंसकांथा, गुजरात	0	408116	0	0	0
4.	सर्वोदय समिति, गांधी नगर, कोरापूत–764020	2294443	720000	690000	0	0
5.	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, जिला बंसकांथा, गुजरात	423752	478000	0	0	0
6.	सुशील ट्रस्ट, कच्छ गुजरात	0	1125000	698417	0	0
7.	उत्तम ग्राम्य विकास सेवा, ट्रस्ट, एटी/पीओ : अम्बेटी, वाया, टा : कापराडा, जिला बलसाड, गुजरात	30000	159000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
8.	जरपन नासरपुर विभाग केवलानी मंडल, एटी/पीओ: वादी, जिला सूरत, वाया जनखाव, 394440 (गुजरात)	30000	135000	0	0	0
हिमाचल प्रदेश						
1.	भारतीय आदिमजातिसेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली	0	0	307200	0	0
झारखंड						
1.	भारतीय आदिमजातिसेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली	0	125094	307200	453600	0
मध्य प्रदेश						
1.	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड़, नियर ज्ञान मंदिर, हाईयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश	4086000	1157500	1351500	2616000	0
2.	बंदरबाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	879000	0	1158000	0	1392000
3.	ज्ञान विकास समिति, मध्य प्रदेश	30000	0	0	0	0
4.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम, इंदौर, मध्य प्रदेश	0	441330	88000	0	0
5.	म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, 166–ई, मुनिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश	30000	171000	0	642000	0
6.	पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, भोपाल, म.प्र.	1482000	0	1428000	1428000	0
7.	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, काठीवाड़ा, झबुआ, म.प्र.	562800	1248000	451000	2019360	0
8.	रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी, सिलवानी, मध्य प्रदेश	0	1126537	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
9.	सब्या सांची सैंटर फॉर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश	0	999500	0	0	0
10.	सेवा भारती, भोपाल, मध्य प्रदेश	675000	0	377305	0	0
11	श्री रामकृष्ण विवेकानन्द सेवाश्रम, सेहडोल, मध्य प्रदेश	1502000	527000	140000	0	0
12.	दीन दयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली	0	1821357	0	1102000	0
13.	ग्रामीण सेवा केन्द्र, मंडलीनाथु, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश	0	0	0	562000	549000
14.	श्री रामकृष्ण विवेकानन्द सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर पिन 484886, मध्य प्रदेश	0	0	0	0	1181607
महाराष्ट्र						
1.	एबीएम समाज प्रबोधन संस्था, थाने, महाराष्ट्र	1023000	0	0	0	0
2.	पिपल्स एजूकेशन सोसायटी, 18, नियर सरकुलरल रोड, बुलडाना–443001, महाराष्ट्र	30000	159000	0	0	0
3.	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, बड़गांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	30000	159000	0	0	0
4.	श्रीमती लक्ष्मीबाई राघोजी इंगेल शिक्षण प्रसारक मंडल मोरचंडी, यवतमाल	30000	0	0	0	0
उड़ीसा						
1.	अग्रगामी, पीओ : काशीपुर, जिला रायगडा, उड़ीसा	577063	547000	0	0	0
2.	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफयेर्स एटी/अस्वाखोला, पीओ – करमुल जिला धेनकाना–759014, उड़ीसा	1506000	1158000	0	1398000	711500

1	2	3	4	5	6	7
3.	ब्राइट कैरियर एकाडमी, कोरापुत, उड़ीसा	1698000	585000	1307000	1422000	706500
4.	काउंसिल आफ कल्चर ग्रोथ उड़ीसा	0	646867	0	0	0

नशीली दवाओं एवं हथियारों की तस्करी

3890. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए दिल्ली एक महत्वपूर्ण पारगमन केन्द्र बन गया है और इसने नशीली दवाओं के दुर्व्यापार के केन्द्र का रूप ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त गतिविधियों की रोकथाम करने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार प्राप्त हुई आसूचना रिपोर्टों और की गई जब्तियों से पता चलता है कि दिल्ली और मुम्बई देश के अंदर और बाहर स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार के पारगमन केन्द्र हैं। तथापि, यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि गत दो–तीन वर्षों में अवैध व्यापार की पद्धतियों में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राप्त हुई आसूचना रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि हेरोइन और कुछ मामलों में कोकीन के अवैध व्यापार में पश्चिम अफ्रीका के कुछ राष्ट्रीक संलिप्त हैं।

(ग) स्वापक पदार्थों और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की जांच करने, उनका पता लगाने और उसे रोकने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:–

(i) आयात और निर्यात केन्द्रों, भूमि सीमाओं, हवाई अड्डों, विदेशी डाक घरों, रेलवे स्टेशनों आदि की सख्त चौकसी और प्रवर्तन करना;

(ii) नशीले पदार्थों के ज्ञात मार्गों पर गहन निवारक और निषेधादेश के प्रयास करना;

(iii) नशीले पदार्थों संबंधी कानूनों का प्रवर्तन करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना ताकि निषेधादेश के लिए बेहतर संबद्धता हो सके;

(iv) आपरेशनल आसूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और वितरण करने में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सुदृढ़ बनाना;

(v) प्रिकर्सर रसायनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए आसूचना का आदान–प्रदान करने तथा जांच–पड़ताल में सहायता करने हेतु और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना;

(vi) अभियुक्तों का इलैक्ट्रानिक डाटाबेस तैयार करना;

(vii) कानून प्रवर्तन करने वाले पदाधिकारियों के कौशल का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि वे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोक सकें;

(viii) मुखबिरों और अधिकारियों के लिए ऐसी सूचना देने के लिए मौद्रिक पुरस्कार की एक योजना कार्यान्वित करना जिसके आधार पर स्वापक पदार्थों की जब्ती हुई हो;

(ix) पांच राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे अपनी स्वापक यूनिटों को सुदृढ़ बना सकें;

(x) स्वापक पदार्थों का व्यवसाय करने वाले ज्ञात अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना;

(xi) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के छिपने के स्थानों पर छापे मारना; और

(xii) नशे के व्यसनी लोगों पर नियमित रूप से नजर रखना ताकि स्वापक पदार्थ बेचने में संलिप्त लोगों तक पहुंचा जा सके।

दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

3891. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों के स्तर के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले और दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों के स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने अपने विद्यालयों की स्थिति में सुधार किए जाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में शामिल हैं – भवनों की छोटी–मोटी मरम्मत और रखरखाव के लिए राशि मंजूर किया जाना; लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए जोनल जन शिकायत समितियां गठित करना; पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों की बारंबारता में वृद्धि करना; 1381 विद्यालयों में कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना; अध्यापक शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए नगर निगम के अध्यापकों को धन प्रदान करना और विद्यालय उपकरणों की मरम्मत और खरीद के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निधि प्रदान करना।

एक्सटरनल मार्केट असिस्टेंस स्कीम

3892. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कच्चे जूट/मेस्ता हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) जूट मैन्यूफैक्चरर्स डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा एक्सटरनल मार्केट असिस्टेंस स्कीम में अब तक किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जूट उत्पादों के निर्यात में एक्सटरनल मार्केट असिस्टेंस स्कीम के योगदान का मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के विविध जूट उत्पादों के निर्यात हेतु एक्सटरनल मार्केट असिस्टेंस का पुनर्गठन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कच्ची पटसन/मेस्ता के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	रु. प्रति क्विंटल
2003–04	860.00 रु.
2004–05	890.00 रु.
2005–06	910.00 रु.
2006–07	1000.00 रु.

(ख) ईएमए योजना के 2004 में अंतिम विस्तार से उसमें सरकार के अनुमोदन से पटसन विनिर्माण विकास परिषद ने निम्नलिखित संशोधन किए हैं:–

(i) वर्ष 2004–05 के लिए ईएमए दावों के लिए सीमा को 2.50 करोड़ रु. प्रति एकक प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया था।

(ii) वर्ष 2005–06 के लिए ईएमए दावों के लिए सीमा को 1.50 करोड़ रु. प्रति एकक प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया था।

(iii) 01.04.2005 के पटसन विनिर्माण विकास परिषद को परिषद द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर उपर्युक्त छोटे निर्यातकों को "पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कम से कम 10.00 लाख रु. तक के पटसन उत्पादों के निर्यात करने का सिद्ध रिकार्ड" शर्त में छूट प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।

(iv) 01.04.2005 से पटसन, जैव–वस्त्र, हेसियन तथा सैकिंग मेड–अप्स पर उपलब्ध डीईपीबी लाभों के अलावा ईएमए भी उपलब्ध है। 1 अप्रैल, 2005 से, ईएमए सिर्फ पटसन जैव वस्त्र, खाद्यान्न श्रेणी पटसन थैलों एवं विविधीकृत पटसन उत्पादों पर 5% की एक समान दर से उपलब्ध है। यद्यपि अमरीकी तथा लैटिन अमरीकी देशों को निर्यात के लिए 5% का अतिरिक्त लाभ दिया गया था, तथापि उसे 1 अप्रैल, 2005 से हटा दिया गया है।

(ग) मै. प्राइस वाटर हाऊस कोपर्स को 1999 में पटसन उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशी बाजार सहायता योजना (ईएमए) के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन कार्य सौंपा गया।

(घ) जी नहीं, क्योंकि यह योजना 31 मार्च, 2007 को समाप्त हो जायेगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा

3893. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री राजेश गोहेन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में बुनियादी शिक्षा के अलावा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया है जैसा कि दिनांक 23 नवम्बर, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में विशेषकर झारखंड में इस प्रयोजन हेतु आबंटित/जारी धन का ब्यौरा क्या है और इसकी कैसे निगरानी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान पर आधारित शिक्षा सहित सभी विषयों में शिक्षा का संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार की विभिन्न एजेंसियां, जैसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठा रहे हैं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि पर आधारित शिक्षा में सुधार पर समुचित ध्यान दे रहे हैं। विभिन्न अन्य एजेंसियों के अतिरिक्त, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे संस्थान अपने-अपने क्षेत्र में ज्ञान में संवर्धन के लिए पहले से ही मौजूद हैं।

विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उच्च योग्यता प्राप्त जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने पुणे और कोलकाता में भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है।

विश्वविद्यालयों में बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान वैज्ञानिकों के 1000 पदों का सृजन करने, भारतीय विश्वविद्यालयों में समुचित मानकों के साथ 10 वर्ष की अवधि के भीतर पीएचडी की संख्या में पांच गुणा वृद्धि करने, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अनुसंधान हेतु अन्तर्निर्मित घटक, कोटिपरक वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का स्तरोन्नयन और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों के अग्रणी विभागों में बुनियादी विज्ञानों में नेटवर्किंग केन्द्रों के सृजन के माध्यम से 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद' सहित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में औपचारिक सम्पर्क को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। उपर्युक्त प्रयोजनाओं के लिए आबंटित निधियों के राज्यवार ब्यौरे को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय

3894. डा. बाबू राव मिडियम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर दिल्ली में राज्य-वार कितने राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय कार्यशील हैं; और

(ख) सरकार द्वारा जनजातीय संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) इस मंत्रालय ने अपनी किसी योजना के अंतर्गत किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना नहीं की है। तथापि, जनजातीय कला एवं वस्तु संस्कृति के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने सहित अनेक गतिविधियों के लिए विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा अब तक स्थापित 17 जनजाति अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को मंत्रालय ने अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजना "अनुसंधान एवं प्रशिक्षण : जनजाति अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान" के अंतर्गत निधियां प्रदान की हैं।

(ख) जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जनजातीय संस्कृति भाषाओं एवं परंपराओं का प्रलेखन तथा उनके संग्रहालयों के माध्यम से जनजातीय जीवन के प्रदर्शन हेतु प्रारंभ की गई गतिविधियों को समर्थन देने के अतिरिक्त इस मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों पर कई फिल्मों का भी निर्माण किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी अनूठी संस्कृति एवं परंपरा भी चित्रित की गई है। जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं को विभिन्न रूपों में संरक्षित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के साथ भी मिलकर कार्य करता है।

पंजाब में सतत शिक्षा हेतु निधि

3895. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सतत शिक्षा कार्यक्रम हेतु पंजाब सहित विभिन्न राज्यों हेतु आबंटित निधियों को वर्षों से जारी नहीं किया गया है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कामगारों को एक वर्ष से अधिक समय से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निधियों के जारी किए जाने में हो रहे ऐसे अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) निधियों को शीघ्र जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) निधियों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सतत शिक्षा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्यों को कोई निधि आबंटित नहीं की जाती। संबद्ध राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही सतत शिक्षा कार्यक्रम संस्वीकृत किया जाता है। मानदंडों में एक परियोजना वर्ष में 12 माह के लिए प्ररकों को मानदेय प्रदान करना निर्धारित है। जब जिला द्वारा 12 माह की निर्धारित अवधि में परियोजना वर्ष पूरा नहीं हो पाता, तो असंगतियां उत्पन्न होती हैं। पंजाब सहित विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है तो निधियों को जारी करने में विलंब नहीं होता:–

(i) अनुदान की पहली किस्त 75% का उपयोग किया गया हो।

(ii) सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति।

(iii) यदि पहली किस्त जारी किए जाने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात दूसरी किस्त के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो लेखाओं का परीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाणपत्र।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करता है और लेखाओं के निपटारे हेतु भी कार्यशालाएं आयोजित करता है जिससे निधियों को समय से जारी करने में मदद मिलती है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सतत शिक्षा योजना के अंतर्गत जारी किए गए अनुदानों की स्थिति

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी किए गए अनुदान की राशि		
		2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1842.71	819.20	2084.15
2.	बिहार	–	99.29	530.77
3.	छत्तीसगढ़	–	303.02	289.83
4.	दिल्ली	128.32	–	–
5.	गुजरात	1595.54	561.10	890.97
6.	हरियाणा	–	332.26	196.29
7.	हिमाचल प्रदेश	53.61	–	37.37
8.	झारखंड	–	–	594.22
9.	कर्नाटक	1176.88	2489.53	1293.34
10.	केरल	485.60	579.54	219.78
11.	मध्य प्रदेश	1730.50	2836.57	–
12.	महाराष्ट्र	176.76	267.09	2678.35
13.	मणिपुर	7.50	7.50	–
14.	मिजोरम	31.70	–	–
15.	नागालैंड	–	7.50	–
16.	उड़ीसा	–	0.61	308.61
17.	पंजाब	–	–	338.59
18.	राजस्थान	1977.65	2103.83	672.82
19.	सिक्किम	7.50	–	–
20.	तमिलनाडु	839.19	1623.03	700.08
21.	त्रिपुरा	31.13	275.73	–
22.	उत्तरांचल	30.00	197.86	757.72
23.	उत्तर प्रदेश	527.75	1603.81	1734.06
24.	पश्चिम बंगाल	3763.04	1364.59	1565.05
25.	चंडीगढ़	–	62.66	–
26.	लक्षद्वीप	11.75	11.74	17.01
27.	पांडिचेरी	32.63	–	–
	कुल	14449.77	15546.47	14909.01

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा छापा

3896. श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने छापे के दौरान डीडीए की भूमि से निकाले गए लाल बालू को जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यमुना नदी के किनारे सरकारी भूमि पर क्रेशर और जेसीबी मशीनें चलायी जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां। 20 अगस्त, 2006 को दिल्ली पुलिस द्वारा मारे गए एक छापे में जैव विविधता पार्क, वसंतकुंज, नई दिल्ली में अवैध खुदाई/खनन में 10 व्यक्ति शामिल पाए गए थे। जांच-पड़ताल के दौरान, महरौली के एक फार्म हाउस में रेत/बदरपुर की अवैध खुदाई के 500 ट्रक/डम्फर जमा पाए गए। दिल्ली पुलिस ने दिनांक 20 अगस्त, 2006 को एफआईआर संख्या 504 के तहत एक मामला दर्ज किया है और 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ग) ऐसी कोई घटना दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

डिग्री धारकों की कार्य स्थिति

3897. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार युवा डिग्री धारकों को प्रोत्साहन देकर और उनकी कार्य स्थिति में सुधार करके युवा पीढ़ी को शिक्षण और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने युवा पीढ़ी को शिक्षण एवं अनुसंधान में आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित पहल की है:-

(i) वेतनमान में संशोधन।

(ii) समयबद्ध प्रोन्नति देने हेतु कैरियर उन्नयन स्कीम में सुधार।

(iii) सेवा के दौरान एम.फिल/पी.एच.डी. करने के लिए संकाय कार्यक्रम।

(iv) एम.फिल/पी.एच.डी. डिग्री धारियों के लिए अग्रिम वेतनवृद्धि।

(v) अवकाश की सविधा, जैसे (क) विशेष आकस्मिक अवकाश (ख) ड्यूटी अवकाश (ग) अध्ययन अवकाश/अकादमिक अवकाश।

(vi) सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि।

(vii) शिक्षक भी नागरिक अधिकार लाभ लेते हैं।

(viii) अनुसंधान अध्येतावृत्ति।

(ix) विदेश जाने हेतु यात्रा अनुदान।

(x) अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम।

उद्योगों को प्रोत्साहन

3898. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए हैं जो पुनर्चक्रण और पारिस्थितिकीय अनुकूल संरक्षण प्रक्रियाएं अपना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। पुनः उपचार और पर्यावरण-अनुकूल संरक्षण प्रथाओं को अपनाने के लिए उद्योगों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं:-

(i) मूल्यह्रास की बढ़ी हुई दर, बिजली उत्पादन अथवा जैव–उर्वरकों, आदि के विनिर्माण हेतु जैविक रूप से नष्ट होने वाले कचरे के एकत्रण और प्रसंस्करण अथवा उसे उपचारित करने के कारोबार से प्राप्त लाभों पर 100 प्रतिशत तक कटौती तथा आयकर अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट व्ययों में कटौती।

(ii) मौजूदा साझा बहि:स्राव उपचार संयंत्रों के उन्नयन और स्थापना हेतु लघु उद्योगों को समर्थ बनाने के लिए परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक राजसहायता।

(iii) रेशा आधारित कागज मिलों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रद्दी कागज के आयात के लिए रियायती शुल्क।

(iv) 2004–05 में चमड़ा उद्योग के लिए बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मशीनरी और उपकरणों के आयात हेतु सीमाशुल्क में छूट दी गई थी; और 2005–06 में गैर–पारंपरिक सामग्री, नामतः कृषि, वानिकी, कृषि–औद्योगिक, औद्योगिक, नगरपालिका और शहरी कचरे, जैव–कचरे या पोल्ट्री के कूड़े–कचरे का प्रयोग करने वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की शुरुआती स्थापना हेतु मशीनरी घटकों के लिए सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी गई थी।

(ग) प्रोत्साहनों का लक्ष्य पर्यावरण–अनुकूल प्रथाओं और बेकार सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहन देना है तथा इनसे उद्योगों को पुनःउपचार और पर्यावरण अनुकूल संरक्षण प्रथाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

आवारा पशुओं की वजह से सड़क दुर्घटनाएं

3899. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में आवार पशुओं के कारण काफी सड़क दुर्घअनाएं हो रही हैं और समस्याएं पैदा हो रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा दिल्ली की सड़कों और कॉलोनियों से आवारा पशुओं को हटाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आवारा पशुओं के कारण सड़कों पर और कालोनियों में अलग–अलग कुल कितनी दुर्घटनाएं/मौतें हुईं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दिल्ली की सड़कों और कॉलोनियों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए उठाये गए कदमों में नियमित आधार पर आवारा पशुओं को पकड़ना; आवारा पशुओं को पकड़ने हेतु समय–समय पर विशेष अभियान चलाना; "माइक्रो चिप्स" के माध्यम से उनकी उचित पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात विभिन्न गौसदन/गौशालाओं में ऐसे आवारा पशुओं को भेजना और शहरी क्षेत्रों में चल रही अवैध डेयरियों की पुनः स्थापना हेतु घोघा (नरेला) दिल्ली में आधुनिक डेयरी कॉलोनी का विकास करना शामिल है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और उनमें मृत व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:–

वर्ष	सूचित दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
2003	5	1
2004	1	1
2005	6	1
2006 (नवम्बर तक)	2	शून्य

माचिस उद्योग

3900. श्री ए.वी. वेल्लारमिन : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग की सूची में माचिस उद्योग को इस सूची से हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार माचिस उद्योग पर लगाए गए वर्तमान उत्पाद शुल्क ढांचे में परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय इंडियन टोबेको कंपनी को लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित होने वाली माचिस के मुकाबले में अपने अन्य उत्पादों को भारत में बेचने की अनुमति देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य उत्पादित होने वाली माचिस हेतु निर्यात राज–सहायता बढाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योगों (निर्माता सूक्ष्म और लघु उद्यम) में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में उत्पादों की समीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। अब तक, माचिस उद्योगों को अनारक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, माचिसों पर उत्पाद शुल्क संरचना में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षण की नीति में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में शामिल उत्पादों के व्यापार/विपणन पर किसी प्रतिबंध की शर्त नहीं है।

(छ) और (ज) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

छोटे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा

3901. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडोनेशिया, कम्बोडिया, वियतनाम और पाकिस्तान आदि जैसे छोटे देश वस्त्र क्षेत्र में भारत को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पड़ोसी देशों की तुलना में भारत के वस्त्र निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी चुनौतियों का सामना करने हेतु क्या रणनीति तैयार की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलँगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:–

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर)

देश/वर्ष	2003		2004		2005	
	वस्त्र	क्लोदिंग	वस्त्र	क्लोदिंग	वस्त्र	क्लोदिंग
भारत	6846	6625	7009	6632	7850	8290
इंडोनेशिया	2923	4105	3152	4454	3447	5106
कम्बोडिया	–	1600	–	1981	–	2199
वियतनाम	473	3467	534	4441	–	4805
पाकिस्तान	5811	2710	6125	3026	7087	3604
बांग्लादेश	128	4912	204	5686	221	6418
श्रीलंका	161	2513	149	2776	136	2877
नेपाल	107	226	–	–	–	–

स्रोत : विश्व व्यापार संगठन

(ग) से (ङ) उदारीकृत व्यापार व्यवस्था के फलस्वरूप वस्त्र एवं क्लोदिंग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और इससे स्वदेशी वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के लिए बेहतर निर्यात अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही इससे घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए आगे आएगा। उद्योग को उभरती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपनी दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाना होगा।

उभरती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार कई कदम उठाती रही है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप–क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क दर कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) लघु वस्त्र एवं पटसन औद्योगिक एककों के लिए सरकार ने ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएस) 13.1.2005 से 12% से बढ़ाकर 15% कर दी है।

(5) विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए उच्च प्रौद्योगिक बुनाई पार्क, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, समूह कार्यशाला योजना और 20% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही सरकार ने 13.01.05 से 20% पूंजी सब्सिडी योजना–टीयूएफएस के तहत मशीनरी के लिए पूंजी सीमा 60.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 100.00 लाख रुपये कर दी है।

(6) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(7) बजट 2004–05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005–06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(8) कोटा पश्चात् व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005–06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी गई 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) है। 5% का रियायती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(9) बजट 2005–06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

(10) बजट 2006–07 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:–

- सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करना।
- सभी मानवनिर्मित फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- डीएमटी, पीटीए और एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- वर्ष 2006–07 के लिए टीयूएफएस के लिए आबंटन 435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 535 करोड़ रुपये करना।
- वर्ष 2006–07 के लिए हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रावधान 195 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 241 करोड़ रुपये करना।
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 2006–07 के दौरान 189 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना के साथ–साथ गोल्डन फाइबर की संभाव्यता बढ़ाने के लिए 2006–07 में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करना।

(11) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8–9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(12) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन

केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(13) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(14) सरकार ने सिले–सिलाये परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(15) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(16) विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:–

- अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विधान

3902. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को उन विधानों की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जिनका महिलाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने विधानों की समीक्षा की गई है तथा कितने विधानों की समीक्षा की जानी अभी शेष है;

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा क्या–क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) शेष विधानों की समीक्षा कब की जायेगी?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1190 का 20) में निर्धारित कृत्यों में से एक कृतय संविधान के मौजूदा प्रावधानों तथा महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों की समय–समय पर समीक्षा करना तथा ऐसे कानूनों में कोई कमी, अपर्याप्तता अथवा खामियों से निपटने के लिए उपचारात्मक कानूनी उपाय करने हेतु उनमें संशोधन की सिफारिशें करना है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों की महिलोन्मुख परिप्रेक्ष्य से समीक्षा की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिन कानूनों की समीक्षा की है, उनकी सूची तथा उनमें संशोधनों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा की वर्तमान स्थिति
(कानूनों से संबंधित मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार)

(i) लंबित मामले

क्र.सं.	अधिनियम/संबंधित मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	सती (निवारण) अधिनियम, 1987	मंत्रीमंडल ने सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में संशोधन का प्रस्ताव मंत्री–समूह को भेज दिया है। प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में मंत्री–समूह की बैठक आयोजित की जानी है।

1	2	3
2.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	इस अधिनियम में संशोधन के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श किया जा रहा है।
3.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	मंत्रीमंडल ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में संशोधनों को अनुमोदित कर दिया गया था। अनैतिक व्यापार (निवारण) विधेयक, 2006 लोक सभा में 22 मई, 2006 को पुरःस्थापित किया गया और तत्पश्चात् यह विधेयक मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जिस पर मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है।
4.	बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929	राज्य सभा ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को निरस्त करने के प्रस्ताव सहित बाल विवाह निवारण संशोधन विधेयक, 2004 को 14.12.2006 को पारित कर दिया है।
5.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण विधेयक	इस विधेयक के प्रारूप की पुर्नसमीक्षा की जा रही है।
6.	दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961	राष्ट्रीय महिला आयोग इस अधिनियम की समीक्षा कर रहा है।
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित कानून	
7.	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971	यद्यपि इस अधिनियम में संशोधन वर्ष 2002 में किया गया था, तथापि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस अधिनियम में और संशोधनों पर भी विचार कर रहा है। इस प्रयोजनार्थ दो उप–बलों सहित एक समिति गठित की गई है।
	विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित कानून	
8.	संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890	छह राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथा संशोधनों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
9.	हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956	सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है।
10.	विदेशी विवाह अधिनियम, 1969	राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है।
11.	हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956	छह राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथा संशोधनों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
12.	विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में विधेयक	राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त विधेयक का प्रारूप विधि मंत्रालय को भेज दिया गया है।
	श्रम मंत्रालय से संबंधित कानून	
13.	कारखाना अधिनियम, 1948	श्रम मंत्रालय को निम्नलिखित कार्रवाईयां करनी हैं:

1	2	3
		(1) महिलाओं से चलायमान मशीनों पर कार्य कराने को प्रतिबंधित करने तथा उनसे जोखिमपूर्ण कार्य कराने को निषिद्ध करने के संबंध में कार्यबल की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त करना। (2) महिलाओं के लिए पृथक मध्याह्न भोजन कक्षों अथवा भोजन करने हेतु उनके लिए पृथक अहातों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना। श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि इन दोनों प्रस्तावों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
14.	बंधिक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976	श्रम मंत्रालय को निम्नलिखित कार्रवाइयां करनी हैं: (1) राज्य सरकारों को यह परामर्श देने के लिए कार्य पालक आदेश जारी करना कि वे इस अधिनियम के अंतर्गत सतर्कता समितियों का गठन करते समय इन समितियों में महिलाओं को यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें तथा बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराई गई महिला श्रमिकों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यरत अभिकरणों का सहयोग लें; तथा (2) सजा में वृद्धि करने तथा जुर्माना जमा न किए जाने की स्थिति में अन्य वसूली कार्यविधियां अपनाने के संबंध में कार्यबल की सिफारिशों पर टिप्पणियां करना। श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि उपर्युक्त कार्रवाईयों में से कार्रवाई संख्या (1) कर दी गई है तथा कार्रवाई संख्या (2) पर राज्य सचिवों के साथ आगामी सम्मेलन में विचार–विमर्श किया जाएगा।
15.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923	श्रम मंत्रालय को ये कार्यवाइयां करनी हैं : (i) इस अधिनियम को लिंग निरपेक्ष बनाने के लिए अंग्रेजी में इसका नाम 'वर्कमेंस कम्पेन्सेशन एक्ट' से बदलकर 'वर्कर्स कम्पेन्सेशन एक्ट' करना। (ii) यह उपबंध करना कि महिला कर्मकारों की स्वास्थ्य जांच यथासंभव महिला चिकित्सा व्यवसायी से कराई जाए। श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि कार्रवाई संख्या (ii) कर दी जायेगी तथा प्रशासनिक अनुदेश जारी करके कार्रवाई संख्या (2) कर दी गई है।

1	2	3
16.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	महिलाओं एवं बच्चों संबंधी कार्यबल (2001) ने यह सिफारिश की थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत महिला कर्मकारों के लिए 135 दिन के प्रसूति अवकाश का उपबंध किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय इस सिफारिश की जांच कर रहा है।
17.	अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979	श्रम मंत्रालय इस अधिनियम को लिंग निरपेक्ष बनाने के लिए अंग्रेजी में इसके नाम को परिवर्तित करने हेतु संशोधन का प्रस्ताव कर रहा है।
18.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	महिलाओं संबंधी कार्यबल (2001) ने किसी भी बागान में 11 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध की सिफारिश की थी। यह सिफारिश भी की गई थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कल्याण अधिकारियों में से एक तिहाई अधिकारी महिलाएं होनी चाहिएं। ये सिफारिशें श्रम मंत्रालय के विचाराधीन हैं।
19.	बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986	श्रम मंत्रालय को निम्नलिखित कार्रवाइयां करनी हैं:– (1) बाल श्रमिकों की शिक्षा को धारा 13(1) में शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त करना। (2) किसी भी प्रतिष्ठान में 11 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित सिफारिश पर टिप्पणी करना। (3) धारा 14(3) के अधीन न्यूनतम जुर्माना 2000/– रुपये करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव करना।
20.	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936	कार्यबल ने यह सिफारिश की थी कि इस अधिनियम में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि कोई भी नियोजित व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में नामांकन नहीं करेगा। श्रम मंत्रालय को राज्य सचिवों के आगामी सम्मेलन में इस विषय पर विचार–विमर्श करना है।
	गृह मंत्रालय से संबंधित कानून	
21.	भारतीय दंड संहिता, 1860	भारतीय दंड संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता की बलात्कार/यौन प्रहार से संबंधित संगत धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त हुआ है तथा इस प्रस्ताव को आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। विधायी विभाग संशोधन विधेयक के प्रारूपण के लिए इन प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।
22.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	

(ii) जिन मामलों में कार्रवाई कर दी गई है/और आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, उन मामलों की सूची:-

क्रम सं.	अधिनियम का नाम/संबंधित मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	सितंबर, 2005 में अधिनियमित तथा 26.10.2006 से लागू किया गया।
2.	प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994	इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। गर्भाधान–पूर्व प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 2002 नामक संशोधित अधिनियम, दिनांक 14.2.2003 से लागू हो गया है।
3.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	संशोधित कर दिया गया है।
4.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	संशोधित कर दिया गया है।
5.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	महिलाओं को कृषि–भूमि सहित संपत्ति पर उत्तराधिकार का समान अधिकार देने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 दिनांक 9.9.2005 से अधिनियमित किया।
6.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955	संशोधन किया गया।
7.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	संशोधन किया गया।
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से सपष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम में संशोधन के सुझाव को न मानने का प्रस्ताव है।
9.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को और अधिक महिलाओं को निरीक्षक के रूप में नियुक्त करने के अनुदेश जारी कर दिए है।
10.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कार्यपालक आदेश जारी करके उनसे यह कहा कि वे इस अधिनियम के अंतर्गत श्रम अधिकारियों की नियुक्ति में महिलाओं को यथोचित प्रतिनिधित्व दें।
11.	ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970	श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ये अनुदेश जारी किए हैं कि वे इस अधिनियम के अंतर्गत श्रम अधिकारियों की नियुक्ति में महिलाओं को यथोचित प्रतिनिधित्व दें।

हीरा व्यापार केन्द्र

3903. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत विश्व में बिना तराशे हीरों का सबसे बड़ा क्रेता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार हीरा अन्वेषण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) सरकार का प्रयास भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार केन्द्र के रूप में विकसित करने का है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली नीतिगत पहलों की सिफारिश करने हेतु एक समिति गठित की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में बिना तराशे हीरों का आयात निम्नानुसार रहा है:–

(मिलियन अम. डालर में)

वर्ष	बिना तराशे हीरों का आयात
2003–2004	7130.09
2004–2005	6667.62
2005–2006	6261.04

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

(ङ) और (च) वर्तमान नीति के अनुसार हीरों के पूर्वेक्षण और खनन हेतु स्वतः प्रणाली के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की जाती है।

मच्छरदानियां

3904. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में करूर मच्छरदानियों के उत्पादन में अग्रणी है तथा भारी मात्रा में मच्छरदानियां देश के विभिन्न भागों में भेजी जाती हैं और विदेशों में निर्यात की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी देशों से नायलॉन की तस्करी के कारण मच्छरदानी निर्माताओं और व्यापारियों के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा करूर में मच्छरदानी विनिर्माताओं, व्यापारियों और मच्छरदानी उत्पादन से जुड़े कामगारों के हितों के रक्षार्थ तथा इसके उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) करूर में मच्छरदानियों का उत्पादन होता है, परंतु लगभग संपूर्ण उत्पादन की बिक्री घरेलू बाजार में की जाती है।

(ख) सरकार को पड़ोसी देशों से नायलॉन की तस्करी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कपास की गांठों की बिक्री

3905. श्री सुनील खां : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिक्री संविदा में स्वीकृत अवधि के अंदर कपास की गांठों को संबंधित पक्ष द्वारा न उठाए जाने की स्थिति में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आई.) ने एक नीति अपनायी है कि गांठ उठाने में विफल पक्ष के जोखिम और लागत पर किसी तृतीय पक्ष को संविदा वाले उन गांठों को बेचा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संबंध में सी.सी.आई. को कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस प्रकार से संबंधित पक्षों से कितनी हानि की पूर्ति की जानी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी नहीं, सीसीआई द्वारा की गई बिक्री संविदाएं फर्म डिलीवरी आधार पर हैं और खरीदारों को कपास के मूल्य के लिए पूरा भुगतान कर गांठें उठाने के लिए रियायत अवधि दी जाती है। रियायत अवधि के भीतर गांठें न उठाने की स्थिति में खरीदार को रियायत अवधि के बाद निर्धारित अवधि के भीतर पूरे कपास मूल्य के साथ दुलाई प्रभार का भुगतान कर गांठें उठाने की अनुमति दी जाती है। आमतौर पर कपास की संविदागत मात्रा 90 दिनों की अवधि के लिए अग्रेणित की जाती है और बाजार स्थितियों और खरीदारों के निष्पादन के आधार पर और लंबी अवधि के लिए भी अग्रेणित किया जाता है। तथापि, कपास को केवल उचित अवधि के लिए अग्रेषित किया जाता है और यदि यह पाया जाता है कि कोई खरीदार कपास गांठों को उठाने में देरी कर रहा है तो तत्काल कपास उठाने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं और यदि वह नोटिस अवधि में भी नहीं उठाई जाती है, तो उस कपास को खरीदारों के जोखिम एवं लागत पर खुले बाजार में पुनः बेच दिया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2003–04 से 2005–06 के दौरान सीसीआई द्वारा उठाए गए घाटे नीचे दिए गए हैं:–

वित्तीय वर्ष	सीसीआई द्वारा उठाए गए घाटे (लाख रु. में)
2003–04	19.43
2004–05	2878.36
2004–06	68.39

इन घाटों की वसूली के लिए कानूनी/विवाचन संबंधी कार्यवाहियां चल रही हैं।

(ग) एनटीसी की सहायक कंपनियों, संस्थागत खरीदारों (राज्य वस्त्र मिलों), निजी मिलों, निर्यात बिक्री और कपास बीज पक्षकारों, जो संविदाएं करने के बाद कपास बीज उठाने में असफल रहे, से संबंधित संचित घाटे सीसीआई के शुरूआत से हैं और अब तक के कुल कारोबार को ध्यान में रखते हुए यह केवल मामूली सा ही है। फिर भी सीसीआई इस घाटे की राशि की वसूली के लिए उपयुक्त स्तरों पर इन सभी मामलों में कार्रवाई कर रहा है और यह वसूली संबंधी कार्यवाहियों के विभिन्न चरणों में है।

विभिन्न सेवाओं के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धा

3906. श्री नवीन जिन्दल :
श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सेवाओं में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संवर्धन तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रतिस्पर्धा के लिए खोले जाने वाले सेवा क्षेत्र कौन–कौन से हैं;

(ग) क्या किसी समिति ने प्रस्ताव के दोनों पहलुओं की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संरचना क्या है;

(ङ) कब तक समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी;

(च) क्या सरकार ने किसी "एंटी कंपोजिशन" गतिविधि के लिए अर्थदंड लगाया है तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक कंपनी से कितनी राशि एकत्रित की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) सेवा क्षेत्र के निष्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की जांच करने और आगामी वर्षों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने हेतु किए जाने के लिए जरूरी नीतिगत उपायों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग ने एक उच्च स्तरीय दल गठित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उच्च स्तरीय दल योजना आयोग के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेगा और इसमें संगत क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

सरकार ने अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ सेवा क्षेत्र के लिए एक उदार तथा पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) नीति लागू की है। आगे और उदार बनाने हेतु इस नीति की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

आदिम जनजातीय समूह

3907. श्री वाडिगा रामकृष्णा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने कुछ आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) को मान्यता प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के कौन–कौन से क्षेत्रों में उपरोक्त पीटीजी फैली हुई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार आंध्र प्रदेश राज्य में पीटीजी के उत्थान के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित विशेष योजनाएं कौन सी हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) से (ग) जनजातीय समुदायों, जिनका साक्षरता स्तर कम है, जनसंख्या घट रही है अथवा स्थिर है, प्रौद्योगिकी का कृषि–पूर्व स्तर है, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, को आदिम जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस समय, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है, 15 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (झारखंड सहित बिहार, छत्तीसगढ़ सहित

मध्य प्रदेश तथा उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश) में 75 आदिम जनजातीय समुदाय हैं।

(घ) यह मंत्रालय केवल आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए 1998–99 से "आदिम जनजातीय समूहों के विकास" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की विशिष्ट योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के अंतर्गत, कृषि विकास, पशु विकास, आयसृजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधाएं, आधारभूत संरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा उपायों आदि जैसी बहु–उद्देश्यीय गतिविधियों के लिए मंत्रालय द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को भी समर्थन प्रदान किया गया है।

विवरण

आदिम जनजातीय समूहों के नाम – राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिम जनजाति समूह का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. बोडो गाडाबा
		2. बोण्डो पोरजा
		3. चेचूं
		4. डोंगरिया खोण्ड
		5. गुटोब गाडाबा
		6. खोण्ड पोरजा
		7. कोलाम
		8. कोण्डा रेड्डी
		9. बोण्डो पोरजा
		10. कुलदिटया खोण्ड
		11. पारेंगी पोरजा
		12. थोटी
2.	बिहार (झारखंड सहित)	13 असुर
		14. बिरहोर
		15. बिरजिया
		16. हिल खारिया
		17. कोरवा
		18. मल पहारिया
		19. परहइया
		20. सौरिया पहारिया
		21. सावर
3.	गुजरात	22. कथोडी
		23. कोतवालिया
		24. पधार
		25. सिद्दी
		26. कोलघा
4.	कर्नाटक	27. जेनू कुरुबा
		28. कोरागा
5.	केरल	29. चोलानाइकायन
		30. कदार
		31. कट्टूनायकन
		32. कुरुम्बा
		33. कोरागा
6.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया
		35. बैगा
		36. भारिया
		37. हिल कोरबा
		38. कमार
		39. सहरिया

1	2	3
		40. बिरहोर
7.	महाराष्ट्र	41. कथारी/कथोडी
		42. कोलाम
		43. मारिआ गोण्ड
8.	मणिपुर	44. मारम नागा
9.	उड़ीसा	45. बिरहोर
		46. बोनाडो
		47. डिडाई
		48. डोंगरिया खोण्ड
		49. जुआंग
		50. खारिया
		51. कुटिया खोण्ड
		52. लानजिया सावर
		53. लोधा
		54. मनकिरडिया
		55. पौड़ी भूयान
		56. साउरा
		57. चुकतिया भूंजिया
10.	राजस्थान	58. सहरिया
11	तमिलनाडु	59. कट्टूनायकन
		60. कोटा
		61. कोरूम्बा
		62. इरूलर
		63. पानियान
		64. टोडा
12.	त्रिपुरा	65. रियांग
13	उत्तरांचल	66. बुकसा
		67. राजी
14.	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर
		69. लोधा
		70. टोटो
15	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	71 ग्रेट अण्डमानीज
		72. जरावा
		73. ओन्गे
		74. सेंटेनलेस्ट
		75. शोम पेन

खनिज और खानों की खोज

3908. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिजों और धातु सम्पदा का पता लगाने के लिए और भावी योजनाओं पर भारत केवल 2 मिलियन डालर वार्षिक रूप से खर्च करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कार्पोरेट्स ने कनाडा के निवेशकों और जोखिम पूंजी फर्मों के साथ खनिज और धातुओं की खोज और भावी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन डालर के कार्यों की उच्च जोखिम कोष आरंभ करने के लिए गठबंधन किया है;

(ग) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय और सेबी (एसईबीआई) ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या हाल ही में 20 सदस्यीय उद्योग और सरकारी शिष्ट मंडल ने इस बारे में कनाडा के साथ चर्चा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खनिजों तथा धातुओं की खोज और भावी योजनाओं के बारे में कनाडा के साथ किन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) खनिजों के पूर्वेक्षण तथा गवेषण पर प्रतिवर्ष औसतन लगभग 18.03 करोड़ रुपये खर्च करता है जिसमें से 7.55 करोड़ रुपये कोयले के गवेषण पर खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) तथा निजी क्षेत्र द्वारा भी खनिज भंडारों के पूर्वेक्षण तथा गवेषण पर खर्चा किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास फॉरेन वेन्चर कैपिटल इनटिटीज (एफ वी सी आई) के तौर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है। सेबी निवेशकों की सूची नहीं रखता है।

(घ) और (ङ) दोनों देशों के खनन क्षेत्रों में सूचना के आदान–प्रदान को सरल बनाने तथा भागीदारी की गुंजाइश का पता लगाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा गठित 20 सदस्यीय खनन मिशन ने अक्टूबर, 2006 माह के दौरान कनाडा का दौरा किया था जिसमें सरकार तथा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने ओनरटारिओ प्रांत की सरकार, प्रॉस्पेक्टर्स एंड डेवलेपर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा तथा टोरोन्टो स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के साथ विस्तृत चर्चाएं की थीं तथा कनाडाई कम्पनियों के साथ राउंड टेबल चर्चाएं भी की थीं। प्रतिनिधि मंडल ने कनाडाई खनन उद्योग द्वारा प्रयुक्त नई प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए कुछ खनन स्थलों, अनुसंधान फैसिलिटीज का भी दौरा किया।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. को प्रोन्नति

3909. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों में नर्सरी/प्राथमिक शिक्षकों को मुख्य अध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने के मामले में आरक्षण मानदंडों का पालन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नगरपालिका विद्यालयों/नवयुग विद्यालयों में अ. जा./अ.ज.जा. का बकाया आगे ले जाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि प्रधान अध्यापक और प्रधान अध्यापिका के पद पर प्रोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नर्सरी/प्राथमिक शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या से ज्यादा है।

(ग) से (ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के नर्सरी/प्राथमिक स्कूलों में प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका के पदों के लिए रिक्त पदों का कोई बैकलॉग नहीं है। तथापि, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के नवयुग विद्यालयों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों से संबंधित पात्र सभी अध्यापकों को सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार प्रोन्नत किया गया है और इन श्रेणियों से संबंधित कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं है जो प्रोन्नति हेतु पात्र हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभियार्थियों हेतु आरक्षित पदों हेतु उद्भूत रिक्त पद अग्रेनीत किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

औषधि उत्पादों का पेटेंट

3910. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान अब तक कितने मूल्य की औषधि का निर्यात किया गया;

(ख) क्या औषधियों के निर्यात में औषधि की उत्पाद पेटेंट प्रणाली को स्वीकार करने से कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार फार्मा तथा औषधि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) वर्ष 2004–2005 तथा 2005–2006 के दौरान निर्यातित औषधियों का मूल्य निम्नानुसार है:–

वर्ष	मूल्य अम.डा. (मिलियन में)
2004–2005	3968.40
2005–2006 (अनंतिम)	4795.33

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि औषधियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) सरकार विभिन्न संस्थानों के जरिए भेषज एवं औषध क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा विदेशी निवेशों को बढ़ावा दे रही है।

बन्द वस्त्र मिलें

3911. श्री सुबोध मोहिते : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपनी कायापलट योजना में प्रगति दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की गई श्रमिकों के ब्यौरों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बंद की गई मिलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार चालू की गई बंद भारतीय वस्त्र निगम मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन बंद मिलों पर गत तीन वर्षों के दौरान कितना निवेश किया गया;

(च) क्या इन मिलों ने लाभ कमाना शुरू कर दिया;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और ज्यादा बंद पड़ी मिलों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) एनटीसी ने अपनी समग्र योजना में व्यापक सफलता प्राप्त की है क्योंकि यह 2002–03 से आगे से पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित कर रहा है। कंपनी ने बंदी के लिए अभिज्ञात मिलों एवं अन्य कार्यालयों में अपने 53,656 वैशी कर्मचारियों को आकर्षक मुआवजा पैकेज दिया है। मुआवजे के रूप में 1860.80 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है। कर्मचारियों के मुआवजे के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि मूल रूप से बांडों को निजी हाथों में देकर एकत्र की गई थी। अपनी 65 मिलों को बंद करने तथा दो मिलों को पांडिचेरी सरकार को सौंपने के बाद आज एनटीसी में 40 कार्य कर रही मिलें एवं 2000 कर्मचारी हैं। कंपनी ने अपनी बंद मिलों से 3174 करोड़ रु. मूल्य की परिसंपत्तियों को सफलतापूर्वक बेचा है। अब मिलों का आधुनिकीकरण परिसंपत्तियों की बिक्री से उपलब्ध निधियों से किया जाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान 524.83 करोड़ रु. के ऋणों पर ब्याज आदि दे दिया गया है। सभी प्रतिभूमिक ऋणदाताओं को भुगतान कर दिया गया है, ब्याज के भुगतान को छोड़कर सांविधिक भुगतान कर दिये गये हैं, जो पुनर्समाधान के लिए लंबित हैं। कर्मचारियों के बकायों का भुगतान कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कामगारों को वर्ष–वार दी गई वीआरएस के विवरण निम्नलिखितानुसार हैं:–

2003–04	16053
2004–05	7402
2005–06	7689

(ग) से (ज) संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार 65 गैर अर्थक्षम मिलों को बंद कर दिया गया है। इन बंद मिलों को प्रचालनात्मक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बंद 65 मिलों की सूची

क्र.सं.	मिल का नाम
1	2
राजस्थान	
1	इडवार्ड मिल्स
पंजाब	
2	दयालबाग स्पि. एंड विविंग मिल्स
3	पानीपत वूलेन मिल्स
मध्य प्रदेश	
4	कल्याणमल मिल्स
5	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स
6	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स
7	हीरा मिल्स
8	इंदौरा मालवा यूनाइटेड मिल्स

1	2
महाराष्ट्र	
9	कोहिनूर मिल सं. 2
10	कोहिनूर मिल सं. 3
11	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 2
12	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 3
13	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 4
14	जैम मैन्यू. मिल्स
15	श्री सीताराम मिल्स
16	मॉडल मिल्स
17	आर.एस.आर.जी. मिल्स
18	विदर्भ मिल्स
19	भारत टेक्सटाइल मिल्स
20	दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स
21	एलिफिंस्टन स्पि. एंड विविंग मिल्स
22	ज्यूपिटर टेक्सटाइल मिल्स
23	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स
24	न्यू हिन्द टेक्सटाइल मिल्स
25	पोद्दार प्रोसेसर्स
26	श्री मधुसूदन मिल्स
गुजरात	
27	पेटलाड टेक्सटाइल मिल्स
28	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स
29	विरंघम टेक्सटाइल मिल्स
30	न्यू मानिकचौक टेक्सटाइल मिल्स
31	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स
32	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स 2
33	अहमदाबाद ज्यूपिटर टेक्सटाइल मिल्स
34	हिमाद्रि टेक्सटाइल मिल्स
35	जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स
कर्नाटक	
36	मैसूर मिल्स (मिनर्वा मिल में विलय)
37	एमएसके मिल्स
आंध्र प्रदेश	
38	अदोनी कॉटन मिल्स
39	नटराज स्पिनिंग मिल्स
40	नेहटा स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स
41	आजम जाही मिल्स
बिहार	
42	गया कॉटन एंड पटसन मिल्स
पश्चिम बंगाल	
43	बंगाश्री कॉटन मिल्स
44	बंगाल फाइन स्पि. एंड वि. मिल्स सं. II
45	मनिंद्रा बी टी मिल्स
46	ज्योति विविंग फैक्ट्री
47	सैंट्रल कॉटन मिल्स
48	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स
49	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स
50	रामपूरिया कॉटन मिल्स
51	बंगाल फाइन स्पि. एंड वि. मिल्स सं 1
तमिलनाडु	
52	किश्नावेणी टेक्टसटाइल मिल्स
53	ओम पराशक्ति मिल्स
54	कालिश्वर मिल्स 'ए' यूनिट
55	सोमासुंदरम मिल्स
56.	बलरामवर्मा मिल्स
उत्तर प्रदेश	
57	अर्थटन मिल्स
58	बिजली कॉटन मिल्स
59	लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स
60	लॉर्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स
61	मयूर मिल्स
62	न्यू विक्टोरिया मिल्स
63	रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स
64	श्री विक्रम कॉटन मिल्स
65	स्वेदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर

दि.न.नि. तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में डेंगू

3912. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दि.न.नि. तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में डेंगू के मामले प्रत्येक वर्ष बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने डेंगू से निबटने के लिए कोई स्थायी अवसंरचना विकसित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दिल्ली नगर निगम में स्थायी आबंटित चिकित्सकों/कीट विज्ञानी तथा अन्य कर्मचारियों की क्या संख्या है;

(ङ) कितने व्यक्ति तथा कितने समय से विभिन्न चिकित्सक/कीट विज्ञानी दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली महानगरपालिका के डेंगू विभाग में ठेके पर काम कर रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऐसे ठेके पर काम कर रहे चिकित्सकों/कीट विज्ञानियों को नियमित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक उपर्युक्त कार्ययोजना क्रियान्वित कर दी जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) यह सही है कि विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण डेंगे का नियत चक्र हो सकता है जो प्रत्येक तीन या चार वर्ष में पुनः घटित होता है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। दिल्ली में डेंगू के मामलों से निपटने के लिए विकसित किए गए स्थाई आधारभूत ढांचे में ये शामिल हैं: डेंगू कार्यबल का गठन; जल भराव के स्थानों, नालों, बड़े नालों आदि स्थानों पर लार्वानाशक छिड़काव; 228 स्थानों पर लार्विवोरस फिशेज का प्रयोग; घरों में इनके प्रजनन को रोकने के उपाय कर वैक्टर चौकसी रखना; दैनंदिनी आधार पर सभी अस्पतालों में ज्वर के मामलों पर निगरानी रख कर रोगों पर चौकसी रखना; सभी मेडिकल प्रक्टिशनरों और संस्थानों के लिए डेंगू की अधिसूचना जारी करना अनिवार्य बनाना; प्रिंट इलैक्ट्रानिक मीडिया, एक–दूसरे को सूचना देने, आउटडोर प्रचार करके स्वास्थ्य संबंधी गहन शिक्षा प्रदान करना; वेक्टर–जनित रोगों को रोकने के लिए कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जैसे के तैयारी क्रियाकलाप करना; सिविल सोसाइटी संगठनों आदि के साथ अंतर–सेक्टोरल समन्वय स्थापित करना।

(घ) वेक्टर जनिज रोगों से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम में डाक्टरों/कृमि वैज्ञानिकों और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की मंजूरशुदा स्थाई संख्या नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	पदनाम	मंजूर शुदा
1.	मलेरिया निरोधक कार्यालय (मुख्यालय) में डाक्टर	4
2.	आंचलिक उप स्वास्थ्य अधिकारी	12
3.	महामारी विज्ञानी	12
4.	कृमि वैज्ञानिक	6
5.	सहायक कृमि वैज्ञानिक	2
6.	मलेरिया निरोधक अधिकारी	16
7.	वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक	31
8.	मलेरिया निरीक्षक	201
9.	सहायक मलेरिया निरीक्षक	878
10.	स्थाई मलेरिया जमादार	85
11.	स्थाई मलेरिया बेल्दार	2304
12.	क्लीनिक बेल्दार	39

(ङ) से (छ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि उसके मलेरिया/डेंगू विभाग में कोई भी डाक्टर ठेके पर कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, मई से नवम्बर के संक्रमण काल के दौरान मलेरिया–निरोधक गैंगमेन को ठेके के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसके अधीन कोई पृथक डेंगू विभाग नहीं है। डेंगू पर नियंत्रा करना, मलेरिया और वेक्टर–जनित अन्य रोगों को नियंत्रित करने वाले कार्यक्रमों का एक भाग है जिनमें सात कृमि वैज्ञानिक ठेके पर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम, जुलाई 1997 से ठेके के आधार पर कृमि वैज्ञानिकों को नियुक्त करता रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमित आधार पर पदों को भरना, भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिये जाने पर निर्भर करता है।

बागान क्षेत्र

3913. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागान उद्योग गत दो वर्षों से हानि उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रोजगार प्रदान करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में बागवानी उद्योग को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने रुग्ण बागवानी क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु व्यापक वित्तीय पैकेज तैयार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) कब तक उक्त योजना कार्यान्वित कर दी जायेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि बागान क्षेत्र में हमेशा चक्रीय कीमत उतार–चढ़ाव देखा गया है क्योंकि कीमतें मांग एवं आपूर्ति की बाजारी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, तथापि कीमतों में चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त सुधार प्रदर्शित हुआ है।

(ग) और (घ) बागार क्षेत्र अनिवार्यतः एक श्रम गहन क्षेत्र है। इसे वस्तु बोर्डों के जरिए विभिन्न स्कीमों के लिए योजना निधियों की मार्फत पर्याप्त विकास सहायता प्रदान की गई है।

(ङ) से (छ) पुरानी हो रही झाड़ियों के कारण उत्पादकता में आई गिरावट समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने बागान क्षेत्रों के दीर्घावधिक विकास हेतु पुरानी झाड़ियों के पुनर्रोपण एवं नवीकरण हेतु क्षेत्रवाद पहलें शुरू की हैं। पुराने चाय बागानों के नवीकरण हेतु एक विशेष प्रयोजन चाय निधि (एस पी टी एफ) सरकार के विचाराधीन है। कॉफी एवं मसालों के लिए इसी प्रकार की स्कीम 11वीं योजना के लिए प्रस्तावित है।

पुलिस कर्मियों के आवास के लिए धनराशि

3914. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 50 करोड़ रु. के आबंटन का कोई प्रस्ताव कर्नाटक सरकार से प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) सरकार को पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 50 करोड़ रुपये के आबंटन के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमआरएफ) की योजना 2006–2007 के तहत, कर्नाटक सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ अपने पुलिस कार्मिकों हेतु रिहायशी भवन के निर्माण के लिए 7.96 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केन्द्र सरकार ने 30.8.2006 को कर्नाटक पुलिस आवास निगम को उक्त पूरी राशि जारी कर दी है। एम पी एफ योजना के तहत, पुलिस कार्मिकों के आवास के संघटकों सहित सभी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और योजना की शर्तों के तहत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी

3915. श्री नवीन जिन्दल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन सी ई आर टी के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान की गुणवत्ता के बारे में वार्षिक जानकारी प्रदान करने हेतु एक निगरानी तंत्र विकसित किया गया है जैसा कि दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के 'द ट्रिब्यून' में समाचर प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ–साथ स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षण कक्ष प्रथाओं तथा क्लस्टर एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्रों द्वारा प्रारंभिक स्कूलों तथा शिक्षकों का शैक्षिक पर्यवेक्षण के मानीटरन हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से गुणवत्ता मानीटरन प्रणाली विकसित की गई है। मानीटरन प्रणाली के संपूर्ण सेट को http://ssa.nic/qualityedu/QMT.pdf पर देखा जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान की नियमित समीक्षा तथा

मानीटरन के अलावा, भारत सरकार प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में राज्यों को तकनीकी संसाधन सहायता भी दे रही है और प्रलेखन को सुकर बना रही है तथा अच्छी प्रथाओं का आदान–प्रदान कर रही है, ताकि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

पाटनरोधी कानून

3916. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने देश की पाटनरोधी कानून पर हाल ही में अपने विचार व्यक्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) देश के पाटनरोधी कानून पर सिविल अपील संख्या 2001 की 1294 (रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य) में दिनांक 11 सितम्बर, 2006 को माननीय उच्चतम न्यायालय के अभिमत के अंश निम्नानुसार हैं:–

1. "हमारी राय में सामान्य मूल्य एवं एन आई पी क्रमशः निर्यातक या घरेलू उद्योग विशिष्ट नहीं होते हैं बल्कि निर्यातक देश विशिष्ट और आयातक देश विशिष्ट (भारत) होते हैं। किसी देश से विशिष्ट वस्तु के पाटन का एक बार निर्धारण होने के बाद भारत को उक्त देश से उन वस्तुओं के सभी निर्यातकों पर धारा 9 क के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है भले ही निर्यातक कोई हो। निर्यात कीमत के आधार पर शुल्क की दर निर्यातक–दर–निर्यातक अलग–अलग हो सकती है। इसी प्रकार, जहां तक एन आई पी के मामले का संबंध है, वह उचित कीमत प्रासंगिक होती है जिस पर समूचे घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है।"

2. "पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।। में क्षति संबंधी विश्लेषण से संबंधित उपबंध में स्पष्ट है कि क्षति निर्धारण हमेशा समग्र घरेलू उद्योग के लिए किया जाता है न कि अलग–अलग कंपनियों के लिए।"

3. "हमारी राय में चूंकि एन आई पी समग्र उद्योग के लिए होता है इसलिए यह अप्रासंगिक है कि क्या कोई विशेष कंपनी अपनी कुछेक निविष्टियों का उत्पादन कारखाने में ही करती है। हमारी राय में एन आई पी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी से हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविष्टियों के अंतरण मूल्य (बाजार मूल्य) पर विचार करें न कि कारखानागत उत्पादन की वास्तविक लागत पर।"

4. "हमारी राय में पिछली अवधि के दौरान प्राप्त सर्वोत्तम क्षमता उपयोग को अपनाने का कोई आधार नहीं होता है क्योंकि उद्योग सामान्यतः उच्चतर क्षमता उपयोग हासिल करने के लिए बाध्य होता है यदि वह क्षति कारक पाटन से प्रभावित नहीं होता है। निर्धारित लागत का अनुपातिक नियतन समस्त प्रकार की मनमानी से बचने के लिए जांच अवधि के दौरान अनिवार्यतः वास्तविक उत्पादन के आधार पर करना होता है न कि क्षमता उपयोग के परिकल्पित स्तर पर।"

5. "हम न्यायाधिकरण के उस निर्णय से सहमत नहीं हैं कि धारा 9 क के अंतर्गत केन्द्र सरकार की अधिसूचना एक विधायीकृत है। हमारी राय में यह स्पष्टतः अर्ध न्यायिक है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाई एक ओर घरेलू उद्योग और दूसरी ओर विदेशी आपूर्तिकर्ता से विदेशी वस्तु के आयातक के बीच वाद निर्धारित करने की होती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश का निर्धारण और उसके आधार पर सरकार की अधिसूचना "सैस्टेट" के समक्ष अपील के अधीन होती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि डी ए के समक्ष कार्रवाइयां अर्ध न्यायिक होती हैं।"

6. "हमारी राय में नियम 7 के तहत गोपनीयता का दावा करने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कोई अधिकार होने की परिकल्पना नहीं है। नियम 7 में विशिष्ट रूप से इस आशय का उपबंध है कि गोपनीयता का अधिकार उस पक्षकार तक सीमित है जिसने सूचना उपलब्ध कराई है और उस पक्षकार को निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के लिए भी संतुष्ट करना होता है कि यह मामला वास्तव में गोपनीय है। नियम में कहीं भी इस आशय का उपबंध नहीं किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास, खासकर उस सूचना के बारे में, जो उस सूचना को प्रस्तुत करने वाले पक्षकार से संबंधित है, गोपनीयता का दावा करने का अधिकार है।"

7. "हमारी राय में गोपनीयता के अत्यधिक एवं अवांछित दावे से अपील का अधिकार समाप्त हो जाता है। उन परिणामों, आधारों, तर्कों और कार्य प्रणाली की जानकारी के अभाव में जिसके आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपना निर्णय दिया है और सिफारिश की है, कार्रवाई के पक्षकार न्यायाधिकरण अथवा इस न्यायालय में अपील करने के अपने अधिकार का कारगर ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं।"

सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका (सिविल) संख्या 2006 की 1927 दायर की है।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा सर्वशिक्षा अभियान में सहायता पर अध्ययन

3917. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग ने सर्वशिक्षा अभियान को सहायता प्रभाविता के फोरम में 'केस स्टडी' के रूप में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैठक में सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर भी चर्चा हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरों के साथ कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए क्या निर्णय लिए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) 18 से 20 अक्टूबर, 2006 को मनिला में आयोजित सहायता प्रभाविता संबंधी क्षेत्री मंच में सर्व शिक्षा अभियान को जापान के विदेश मंत्रालय, ब्रिटेन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी एफ आई डी), एशिया विकास बैंक (ए डी बी) और विश्व बैंक द्वारा में एक 'केस स्टडी' के रूप में चुना गया था। इस मंच पर सर्व शिक्षा अभियान को देश की अगुआई में किए जाने वाले कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया था जो कि विदेशी निधियन एजेंसियों के लिए सहायता–प्रभाविता हेतु सर्वोत्तम गारंटी है।

सच्चर समिति की जांच हेतु समिति

3918. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सच्चर समिति द्वारा शिक्षा के संबंध में की गई सिफारिशों की जांच हेतु एक 13 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति शिक्षा से संबंधित सच्चर समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी तथा एक उचित कार्य योजना तैयार करेगी। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 जनवरी, 2007 तक का समय दिया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक क्लस्टर

3919. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार क्लस्टर विकास हेतु कोई योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य–वार कितने क्लस्टर विकसित किए गए हैं/किए जाने हैं तथा कितनी धनराशि खर्च हुई है/होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) वर्ष 2005–06 से शुरू करके पांच वर्षों की अवधि में खादी, ग्रामीण एवं कॅयर उद्योगों के क्लॅस्टरों के विकास के लिए है। योजना में उत्पादन उपकरणों की प्रतिस्थापना के लिए आवश्यकता–आधारित सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी एफ सी) की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, सुधरे हुए विपणन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, इत्यादि पर विचार किया गया है। स्फूर्ति के दिशानिर्देश कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की वेबसाईट http://ari.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) अभी तक स्फूर्ति के अंतर्गत 104 क्लॅस्टरों का अनुमोदन किया गया है, जिनमें खादी (29), ग्रामीण उद्योग (50) तथा कॅयर (25) क्लॅस्टर शामिल हैं। स्फूर्ति के अंतर्गत अनुमोदित क्लॅस्टरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नोड़ल अभिकरणों अर्थात् खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एवं कॅयर बोर्ड के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटित निधियां			स्वीकृत
	अन्य क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	जोड़	
2005–06	1.35	0.15	1.50	1.50
2006–07	23.37	2.60	25.97	12.53

विवरण

स्फूर्ति के तहत राज्य–वार अनुमोदित क्लस्टर

क्र.सं.	राज्य	खादी	ग्रामोद्योग	कॅयर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	1	2		3
2.	हिमाचल प्रदेश	1	1		2
3.	जम्मू और कश्मीर	2	1		3
4.	पंजाब	1	2		3
5.	राजस्थान	2	2		4
6.	चंडीगढ़				0
7.	दिल्ली				0
8.	असम	1	3	1	5
9.	मणिपुर		1		1
10.	मेघालय		1		1
11.	नागालैंड	1	1		2
12.	त्रिपुरा		2		2
13.	अरुणाचल प्रदेश		1		1
14.	मिजोरम		1		1
15.	सिक्किम		1		1
16.	बिहार	1	2		3
17.	झारखंड	1	1		2
18.	उड़ीसा		2	2	4
19.	पश्चिम बंगाल	2	2	1	5
20.	अंडमान और निकोबार			1	1
21	मध्य प्रदेश	1	2		3
22.	छत्तीसगढ़		1		1
23.	उत्तर प्रदेश	3	5		8
24.	उत्तरांचल	1	1		2
25.	गुजरात	1	1	1	3
26.	महाराष्ट्र	1	2		3
27.	दमन और दीव				0
28.	गोवा		1	1	2
29.	दादरा और नगर हवेली				0
30.	आंध्र प्रदेश	2	4	2	8
31.	कर्नाटक	2	2	4	8
32.	केरल	2	2	4	8
33.	तमिलनाडु	2	3	6	11
34.	लक्षद्वीप			1	1
35.	पांडिचेरी	1		1	2
	कुल	29	50	25	104

[अनुवाद]

विद्यालय उपलब्धियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

3920. श्री रनेन बर्मन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय प्रभाविता तथा अधिगम उपलब्धि के अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां नियमित अंतराल पर नई दिल्ली में आयोजित की जाती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चर्चित मुद्दों तथा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार संगोष्ठी में दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय प्रभाविता तथा अधिगम उपलब्धि संबंधी अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां नियमित अंतरालों पर आयोजित नहीं की जातीं। तथापि, प्राथमिक स्तर पर अधिगम मूल्यांकन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा यूनेस्को के सहयोग से नई दिल्ली में 28–30 नवम्बर, 2006 को आयोजित की गई है। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे:–

- अधिगम मूल्यांकन पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नवाचार तथा अनुभव बांटना;
- प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के क्षेत्रों पर उप–समूहों तथा संपूर्ण पाठ्यचर्या के मुद्दों पर मिलकर प्रारूप बनाना; और
- बच्चों के अधिगम में शिक्षकों के कार्य को सुकर बनाने के लिए छात्र मूल्यांकन पर एक आदर्श दस्तावेज तैयार करना।

(घ) और (ङ) सहभागियों से प्राप्त सुझावों को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अंतिम रूप से तैयार किए जा रहे दस्तावेज में शामिल किया जा रहा है।

भारतीय पेटेंट नियंत्रक कार्यालय का डाटाबेस

3921. डा. के. एस. मनोज :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
एडवोकेट सुरेश कुरूप :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस शिकायत पर ध्यान दिया है कि भारतीय पेटेंट नियंत्रक कार्यालय का डाटाबेस प्रयोक्ता–अनुकूल नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो डाटा बेस को और ज्यादा प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) भारतीय पेटेंट कार्यालय के आंकड़ा आधार को प्रयोक्ता के अधिक अनुकूल बनाने तथा विद्यमान कमियों का निवारण करने की दृष्टि से कम्प्यूटरीकरण की एक बड़ी प्रक्रिया आरंभ की जा रही है।

[हिन्दी]

वित्तीय परिसंघों से सहायता

3922. श्री महावीर भगोरा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय परिसंघों से अनुसूचित जनजातियों को राज्य–वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आयोग किस–किस तिथि को गठित किया गया;

(ग) उक्त आयोग ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट किस तिथि को सौंपी; और

(घ) उक्त आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या–क्या हैं तथा कितनी सिफारिशें लागू की गई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का कोई परिसंघ नहीं है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जो एक सार्वजनिक उद्यम है, पात्र अनुसूचित जनजातियों को उनके आर्थिक विकास के लिए चैनेलाइजिंग अभिकरणों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19.2.2004 को संविधान के अनुच्छेद 388–ए के अंतर्गत पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन करके की गई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी 2004–05 एवं 2005–06 की पहली रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को 8.8.2006 को प्रस्तुत कर दी है। अपनी पहली रिपोर्ट में आयोग ने 117 सिफारिशें की हैं। संविधान के अनुच्छेद 338–ए की धारा 6 के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संघ से संबंधित सिफारिशों के संबंध में की गई या प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ तथा ऐसी किसी सिफारिश के न मानने, यदि कोई हो, के कारण के साथ संसद के प्रत्येक सदन में रखने की व्यवस्था करेगा। तद्नुसार, मंत्रालय द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार

3923. श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों के साथ भारत के व्यापार की स्थिति क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान खाड़ी देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खाड़ी देशों के साथ व्यापार को और बढ़ावा देने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) डी जी सी आई एस, कोलकाता द्वारा संकलित व्यापार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान भारत और खाड़ी के छह देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच वस्तु व्यापार कारोबार क्रमशः 10319.62 मिलियन डालर, 16878.45 मिलियन डालर और 19480.51 मिलियन डालर मूल्य का हुआ था।

(ख) और (ग) जी, हां। अप्रैल से अगस्त, 2006 के बीच भारत और खाड़ी देशों के मध्य वस्तु व्यापार कारोबार पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 7762.89 मिलियन डालर की तुलना में 9252.92 मिलियन डालर का हुआ था।

(घ) खाड़ी देशों के साथ मुक्त व्यापार करार हेतु वार्ताएं शुरू की गई हैं। द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन और व्यापारी–दर–व्यापारी संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त आयोगों और संयुक्त व्यापार परिषदों जैसे मौजूदा द्विपक्षीय सुविधाकारी तंत्रों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

औषधियों का निर्यात

3924. प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री टेक लाल महतो :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औषधियों की विदेशों में अत्यधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान औषधि–वार तथा देश–वार कितने मूल्य की औषधियों का निर्यात किया गया है;

(ग) निर्यात की जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता, प्रमाविता तथा मानदंड को बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात की गई आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधियों का प्रतिशतता–वार ब्यौरा क्या है तथा इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा औषधियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय औषधियों के निर्यात मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
2003–2004	192.75
2004–2005	387.92
2005–2006 (सितम्बर, 06 तक)	106.56

भारतीय औषधियों का बड़ी संख्या में निर्यात आयरलैंड, अमेरिका, रूस, नेपाल, यूएई, इटली, यूक्रेन, नाइजीरिया आदि जैसे देशों को किया जा रहा है। प्रतिशत–वार आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली का निर्यात लगभग 90 प्रतिशत है, जबकि जैव–रासायनिक प्रणाली का निर्यात लगभग 5 प्रतिशत है। इस समय, भारतीय औषधियों के कुल निर्यातों में होम्योपैथी, यूनानी तथा सिद्ध प्रणालियों का हिस्सा केवल 5 प्रतिशत है।

(ग) औषधियों की गुणवत्ता, प्रभावोत्पादकता तथा मानकों को बनाए रखने के लिए आयुष विभाग द्वारा कई पहलें प्रारंभ की गई हैं। भारत से निर्यातित औषधियों में भारी धातु की मात्रा की सीमा निर्धारित करने के लिए एक अधिसूचना हाल ही में जारी की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। निर्यात बढ़ाने के दृष्टिकोण से उत्पादन हेतु अपेक्षित कच्ची सामग्रियों के आयात की अनुमति देकर और विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यातों के लिए लाभ प्रदान करके सरकार ने औषधियों एवं भेषजों के निर्यातकों को लाभ एवं सहायता प्रदान की है। औषधियों एवं भेषज मदों के निर्यातों के संवर्धन के लिए सरकार की बाजार पहुंच पहल और बाजार विकास सहायता स्कीमें भी उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

जेलों में बंद महिलाओं हेतु पुनर्वास पैकेज

3925. श्री एल. राजगोपाल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेलों में बंद विचाराधीन तथा दोषी पाई गई महिलाओं जिनकी आयु 50 वर्ष है अथवा जिन्होनें अपनी सजा के पांच वर्ष पूरे कर लिये हैं उन्हें माफी देने का मंत्रालय का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय से कोई सलाह मशविरा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना उन महिलाओं हेतु कोई पुनर्वास पैकेज देने का है, जिनके जेलों से छूटने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन करने वाली महिलाओं के पुनर्वास हेतु एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में जेल से रिहा ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें कोई पारिवारिक समर्थन प्राप्त नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आश्रय भवन का निर्माण

3926. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार सहित अन्य राज्यों ने आश्रय भवनों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जिसके अन्तर्गत आश्रय भवनों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सकती हो। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे "आदिवासी उप–योजना क्षेत्रों में आश्रय स्कूलों की स्थापना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्कूल भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायतानुदान दिया जाता है। सहायतानुदान देने पर तभी विचार किया जाता है, जब राज्य सरकारों से हर तरह से पूर्ण प्रस्ताव हों और राशि उपलब्ध हो। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों और उनके लिए निर्मुक्त सहायतानुदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आदिवासी उप–योजना क्षेत्रों में आश्रय स्कूलों की स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त सहायतानुदान

राज्यों के नाम	2003–04			2004–05			2005–06		
	राशि	स्कूल	स्थान	राशि	स्कूल	स्थान	राशि	स्कूल	स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	380	38	3800	–	–	–	–	–	–
गुजरात	–	–	–	86.49*	38.00	4560	200.00	बकाया	–
मध्य प्रदेश	–	–	–	300.00	बकाया	–	200.00	बकाया	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	–	–	–	86.00	बकाया	–	50.00	बकाया	–
कर्नाटक	–	–	–	77.51	बकाया	–	150.00	10	1250
त्रिपुरा	50.00	बकाया	–	–	–	–	–	–	–
उत्तरांचल	217	बकाया	–	–	–	–	–	–	–
कुल	647.00	38.00	3800	550.00	38	4560	600.00	10	1250

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

3927. श्री उदय सिंह :

श्री सुरेश कलमाड़ी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले वर्ष शुरू किए गए "फोकस अफ्रीका प्रोग्राम" का ब्यौरा क्या है तथा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने में यह कितना सफल हुआ है;

(ख) क्या चीन के आक्रामक निवेश और व्यापार आक्रामकता ने अफ्रीकी देशों के साथ हमारे व्यापार संबंधों को संकट में डाल दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) उप सहारा अफ्रीका (एस एस ए) क्षेत्र के सात देशों अर्थात् दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मारीशस, तंजानिया, केन्या, घाना और इथियोपिया पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने की जरूरत पर विचार करते हुए एक पहल के रूप में "फोकस अफ्रीका कार्यक्रम" दिनांक 31.3.2002 को शुरू किया गया था। अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार का आगे और विस्तार करने एवं उसमें तेजी लाने की दृष्टि से दिनांक 1.4.2003 से इस कार्यक्रम के क्षेत्र को आगे और बढ़ाकर उत्तर अफ्रीका के छह देशों अर्थात् मिश्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, सूडान, मोरक्को और अल्जीरिया के साथ–साथ उसमें अंगोला, बोत्सवाना, आइवरी कोस्ट, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सेनेगल, सेसल्स, युगांडा, जाम्बिया, नामीबिया और जिम्बाबे को शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार अफ्रीका के देशों का दौरा करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों को सहायता प्रदान करती है, व्यापार मेले आयोजित करती है और भारत की यात्रा करने के लिए अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल को प्रायोजित करती है। इस पहल से भारत तथा अफ्रीकी देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनमें व्यापार करारों, संयुक्त आयोगों और संयुक्त व्यापार समितियों जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार संबंधों को आगे और बढ़ाने की दृष्टि से व्यापारी–दर–व्यापारी विचार–विनिमय को भी प्रोत्साहित किया गया है।

मुक्त/वरीयता व्यापार समझौता

3928. श्री पी. सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने और इस प्रकार के निर्यात से किसानों को आय बढ़ाने तथा घरेलू बाजार में उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मद्देनजर विदेशी व्यापार नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि के दायरे में लेने वाले क्षेत्रों में मुक्त/वरीयता व्यापार समझौते करने से पूर्व राष्ट्रीय विकास परिषद की राय ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल इस प्रकार के कई समझौतों से प्रभावित हुआ है क्योंकि विशेषकर मसालों जैसी बारहमासी फसलों के मूल्य में भारी गिरावट आ रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री

(श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न साधनों के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही साथ सरकार आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

(ग) और (घ) कृषि को दायरे में लाने वाले क्षेत्रों में मुक्त/अधिमानी व्यापार करार करने से पूर्व उचित स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उन मदों, जिन पर रियायतों की पेशकश की जा सकती है, को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग से विचार–विमर्श किए जाते हैं।

(ङ) और (च) श्रीलंका के साथ एफ टी ए के अंतर्गत काली मिर्च एवं लौंग के आयात का इन फसलों के उत्पादन पर नगण्य प्रभाव पड़ा है। घरेलू काली मिर्च के किसानों के हित की रक्षा करने के लिए सरकार ने काली मिर्च के निर्यात हेतु 25,000 मी.टन प्रति वर्ष की टी आर क्यू अधिकतम सीमा लागू की है जो 70000 मी.टन प्रति वर्ष से अधिक के घरेलू उत्पादन की तुलना में नगण्य है।

प्राथमिक विद्यालयों हेतु ओजोन पैक

3929. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों को ओजोन परत के संरक्षण हेतु सरल समाधान सिखाने तथा सुरक्षित रूप से सूर्य का आनंद लेने योग्य बनाने के लिए मूल ज्ञान, वास्तविक कुशलता तथा प्राथमिक विद्यालयों की भागीदारी के आधार पर ओजोन पैक जारी किया है जैसा कि दिनांक 19 सितम्बर, 2006 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पैकेज को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्राथमिक विद्यालयों में उक्त पैकेज को शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) ओजोन शिक्षा–पैक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू. एन.ई.पी.) के प्रौद्योगिकी, उद्योग तथा अर्थशास्त्र प्रभाग ने तैयार किया था।

यह शिक्षा पैक प्राथमिक शिक्षकों को प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जो एक विस्तृत और 'उपयोग के लिए तैयार' शैक्षिक उपकरण है। इसका उद्देश्य ओजोन परत क्षीणता से जुड़े मुख्य पर्यावरणीय तथा मानवीय मुद्दों को बच्चों की क्लासरूम में इस ढंग से लाने में उनकी सहायता करना है जिससे बच्चों में जिज्ञासा तथा रुचि पैदा हो सके।

इस शिक्षा पैक में निहित सामग्री समेकित रूप से बुनियादी ज्ञान, व्यावहारिक कौशल तथा सहभागिता पर आधारित संपूर्ण शिक्षण एंव अध्ययन परियोजना का अवसर प्रदान करती है जिसका उद्देश्य युवा बच्चों को (1) ओजोन परत की प्राकृतिक भूमिका (2) हानिकारक सौर्य विकिरण की बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर ओजोन क्षय के कारण एवं परिणाम और ओजोन परत को बचाते हुए स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें और (3) धूप के दुष्प्रभाव से कैसे बचें और बढ़े हुए अल्ट्रावायलेट विकिरण में अपने आपको कैसे ढालें जैसे मुद्दों से संबंधित ठोस समाधान जैसे विषयों से संबंधित शिक्षा देना है।

(ग) जी, नहीं। इस शिक्षा पैक को सूचना एवं संदर्भ हेतु प्राप्त किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यौनकर्मियों के बच्चों हेतु क्रेच

3930. श्री हितेन बर्मन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास यौनकर्मियों के बच्चों हेतु शिशु सदन (क्रेच) खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यौनकर्मियों को लाइसेंस देने की भी योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) विशेषकर यौन कर्मियों के बच्चों के लिए शिशुगृह खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एच.आई.वी. से ग्रस्त/यौन कर्मियों के बच्चों के लिए 50 शिशुगृह खोलने के एक गैर–सरकारी संगठन के प्रस्ताव का सरकार ने हाल ही में अनुमोदन किया है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अभिनव कार्यक्रम के अन्तर्गत वेश्याओं के बच्चों के लिए वाराणसी और इलाहाबाद में कुछ बाल विकास और देखभाल केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रबंध संस्थान

3931. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थान की वित्तीय संरचना पर विचार करने हेतु गठित की गई वी.के. शुंगलू समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) शुंगलू समिति का गठन भारतीय प्रबंध संस्थानों को वित्तीय संरचना एवं उनकी अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं और भारतीय प्रबंध संस्थानों की दाखिला क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि हेतु वित्तीय तथा अन्य संबंधित आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए किया गया था। भारतीय प्रबंधन संस्थानों के शासी बोर्डों ने समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया था। सरकार का विचार था कि संबंधित बोर्ड जैसा उचित समझें, वैसा शुल्क निर्धारण कर सकते हैं।

चाकन में संयंत्र की स्थापना हेतु जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

3932. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे के समीप चाकन में विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए जर्मनी की कार विनिर्माता वोलकास्वागोन और महाराष्ट्र सरकार के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वोलकास्वागोन ने पुणे जिले के चाकन में एक आटोमोबाइल उत्पादन एकक की स्थापना करने के लिए चरणबद्ध रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण केन्द्र

3933. श्री श्रीचंद कृपलानी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य-वार कितने कल्याण केन्द्र हैं;

(ख) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान ऐसे राज्य-वार खोले जाने वाले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सहित अन्य राज्यों ने ऐसे और अधिक केन्द्रों को खोलने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन देश में महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विकास एवं कल्याण केन्द्र नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूख से बच्चों की मौत

3934. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में भूख से कई बच्चों की मौत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आयुक्त द्वारा एक संयुक्त जांच आयोग का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आयोग द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं;

(च) देश के जनजातीय जिलों में भूख से होने वाली ऐसी मौतों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी किसी मृत्यु की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) जी, हां। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार को संयुक्त जांच आयोग से अब तक कोई रिपोर्ट या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) राष्ट्रीय जनजाति नीति के प्रारूप में यह परिकल्पित है कि जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्त्योदय अन्न योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम से जोड़कर इनका प्रबंधन एवं स्वामित्व समुदाय को हस्तांतरित किया जाए और इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्त्योदय अन्न योजना की उपलब्धता में वृद्धि की जाए। इस प्रारूप में जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंचाने तथा कुपोषण निवारण को प्रमुख चुनौती मानते हुए यह कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, उनके प्रतिरक्षण तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं की देखभाल व उनमें गंभीर कुपोषण के निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार बच्चों सहित जन-सामान्य की खाद्य एवं पौषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से अनेक स्कीमें चला रही हैं। इनमें से कुछ स्कीमों के नाम इस प्रकार हैं :

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा ग्राम खाद्यान्न बैंक स्कीम (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।

(iii) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)।

(iv) प्राथमिक शिक्षा को पोषाहारीय समर्थन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम) (प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग)।

(v) अल्प-पोषित किशोरियों तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)।

(vi) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-II, जिसमें आयरन एवं फॉलिक एसिड तथा विटामिन-ए अनुपूरण कार्यक्रमों एवं नवजात शिशुओं एवं बच्चों को होने वाली बीमारियों का समेकित उपचार शामिल है (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)।

(vii) खाद्य एवं पोषण बोर्ड का पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)।

पेटेंट हेतु आवेदन

3935. डा. आर. सेनथिल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कंपनियां विभिन्न प्रकार की औषधियों के संबंध में विभिन्न पेटेंट कार्यालयों में पेटेंट हेतु आवेदन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन सभी आवेदनों पर एक पेटेंट कार्यालय में सुनवाई करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) अब तक महानियंत्रक, पेटेंट डिजाइन तथा ट्रेड मार्क्स द्वारा पेटेंट कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न प्रकार की औषधि संबंधी किसी कंपनी द्वारा विभिन्न पेटेंट आवेदनों को दायर करने का कोई मामला नहीं बताया गया है।

(ग) और (घ) किसी आविष्कार हेतु पेटेंट के लिए आवेदन ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो आविष्कार का सच्चा तथा प्रथम आविष्कारक होने का दावा करता हो अथवा ऐसा आवेदन करने के लिए अधिकार के समनुदेशिती द्वारा अथवा किसी मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिस जो उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व ऐसा आवेदन करने का पात्र था। पेटेंट आवेदनों पर पेटेंट कार्यालय तथा इसकी शाखाओं द्वारा पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों जिसे अंतिम बार 2005 में संशोधित किया गया था और पेटेंट नियमावली, 2003 जिसे अंतिम बार 2006 में संशोधित किया गया था, कार्रवाही की जाती है। पेटेंट नियमावली के नियम 4 के तहत आवेदक को समुचित कार्यालय में आवेदन दायर करना अपेक्षित होता है जो पेटेंट कार्यालय का प्रधान कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय, जैसा भी मामला हो, हो सकता है जिसकी क्षेत्रीय सीमाएं (क) आवेदक सामान्यतः जहां रहता है अथवा उसका अधिवास हो अथवा उसके व्यापार का स्थान हो अथवा ऐसा स्थान जहां से आविष्कार वास्तव में शुरू किया गया हो, अथवा (ख) यदि उसका भारत में व्यापार अथवा अधिवास स्थान नहीं है तो भारत में सेवा हेतु पता हो। इस नियम के अनुसार समुचित कार्यालय का एक बार निर्धारण हो जाने पर सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

पेटेंट से संबंधित आवेदन पत्र की जांच पेटेंट अधिनियम की धारा 11क के अन्तर्गत प्रकाशन और 11ख के अन्तर्गत आवेदक अथवा किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति से इस संबंध में अनुरोध किये जाने पर ही की जाती है। नियम 24ख के अनुसार आवेदन की जांच के लिए अनुरोध आवेदन दायर करने की तारीख से 48 महीनों के भीतर किया जा सकता है। पेटेंट कार्यालय द्वारा आवेदन की जांच करने के लिए अनुरोध दायर करने की तारीख से एक महीने के भीतर जांच कार्य आरंभ करना अपेक्षित होता है और आवेदन की जांच उसी क्रम में की जानी होती है जिस क्रम में जांच के लिए अनुरोध किया जाता है। अतः जांच के लिए आवेदनों को इकट्ठा करना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, पेटेंट कार्यालय नवीनता अथवा पूर्व कला का निर्धारण करने के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आवेदन की जांच करते समय पेटेंट कार्यालय जर्नल से लंबित आवेदनों में ऐसे ही आविष्कारों की मौजूदगी का पता लगा सकता है और आपत्ति जता सकता है। अन्य पक्ष पेटेंट अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत पेटेंट प्रदान करने से पूर्व पेटेंट कार्यालय के ध्यान में ऐसे मामले भी ला सकता है। इसके अतिरिक्त, पेटेंट अधिनियम की धारा 25(2) के अंतर्गत किसी भी प्रदत्त पेटेंट का इसको प्रदान करने के एक वर्ष के भीतर नवीनता, आविष्कारक कदम, इत्यादि के अभाव के आधार पर विरोध किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत नवीनता, आविष्कारक कदम इत्यादि के अभाव के आधार पर इसके प्रतिसंहरण की कार्रवाही न्यायालय में भी शुरू की जा सकती है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों के संबंध में सर्वेक्षण

3936. श्री एल. राजगोपाल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बच्चों के लिए किये जा रहे यौन, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण की गम्भीरता का पता लगाने हेतु महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो से कोई सहायता मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार सर्वेक्षण के परिणामों के साथ किस तरह से आगे बढ़ने की योजना बना रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर 'प्रयास' नामक स्वैच्छिक संगठन ने यूनिसेफ तथा एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'सेव द चिल्ड्रन', यू.के. की सहायता से बच्चों के शोषण पर राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन आयोजित किया है, जिसमें बच्चों का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं यौन शोषण शामिल है। इस अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने का कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) अध्ययन में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो सहित सभी स्रोतों से उपलब्ध सभी प्रासंगिक सूचनाओं और आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है।

(ङ) बच्चों के लिए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में सरकार इस अध्ययन रिपोर्ट का सर्वोत्तम तरीके से प्रयोग करेगी।

[हिन्दी]

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु निधियां

3937. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों ने कृषि एवं ग्रामीण उद्योग स्थापित करने हेतु और अधिक निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें जारी किया गया है/जारी किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) दो क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं, अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से सरकार द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के लिए निधियां प्रदान करती है। पी एम आर वाई (ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली) के अंतर्गत स्थापित इकाइयों का लगभग 50 प्रतिशत अनुमानित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में है। ये इकाइयां कृषि एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र का भाग हैं।

आरईजीपी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और अनुमोदित अनुदान केवीआईसी को जारी किये जाते हैं, जो तत्पश्चात् प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यू टी) में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए बैंकों को निधियां (मार्जिन मनी सहायता के लिए) जारी करता है। वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान आरईजीपी के अंतर्गत केवीआईसी द्वारा प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। पीएमआरवाई के अंतर्गत सब्सिडी का आबंटन और निधियां जारी किया जाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों पर आधारित है। सब्सिडी की राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जारी की जाती है, जो तत्पश्चात कार्यान्वयन बैंकों को अपेक्षित राशियां जारी करता है। वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई सब्सिडी की राशियां निम्न हैं:

वर्ष	पीएमआरवाई के अंतर्गत जारी सब्सिडी (करोड़ रुपये)
2003–04	147.63
2004–05	190.48
2005–06	251.36

वर्ष 2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान पी एम आर वाई के अंतर्गत उद्यमिता विकास एवं आकस्मिकताओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदान की राशियां विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण-I

2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान आर ई जी पी के तहत प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
I	**उत्तरी क्षेत्र**			
1	चंडीगढ़	10.24	21.45	3.63
2	दिल्ली	12.31	8.09	16.66
3	हरियाणा	1938.96	2142.25	1782.18
4	हिमाचल प्रदेश	757.11	657.72	889.90
5	जम्मू और कश्मीर	363.45	584.55	833.56
6	पंजाब	819.03	1834.63	837.21
7	राजस्थान	2890.28	2064.33	2679.91
II	**पूर्वी क्षेत्र**			
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28.44	4.16	218.87
2	बिहार	186.03	281.69	570.54
3	झारखंड	198.08	320.60	351.12
4	उड़ीसा	784.11	863.05	837.22
5	पश्चिम बंगाल	1593.51	1999.62	2100.06

1	2	3	4	5
III	उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
1	अरुणाचल प्रदेश	52.77	66.03	126.54
2	असम	806.83	1277.42	2719.99
3	मणिपुर	41.19	73.66	43.85
4	मेघालय	121.79	196.03	234.14
5	मिजोरम	61.10	257.48	995.54
6	नागालैंड	117.20	204.46	286.22
7	त्रिपुरा	224.02	214.14	289.95
8	सिक्किम	127.67	165.78	139.54
IV	दक्षिणी क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश	1675.40	3394.19	3627.58
2	कर्नाटक	1692.17	1063.83	1697.66
3	केरल	2753.15	1027.95	1603.41
4	लक्षद्वीप	7.42	0.00	16.39
5	पांडिचेरी	11.38	9.05	12.66
6	तमिलनाडु	1362.17	1147.28	1217.13
V	पश्चिमी क्षेत्र			
1	दादरा और नगर हवेली	4.13	0.00	0.00
2	गोवा	82.98	88.90	103.68
3	गुजरात	130.34	530.55	883.08
4	महाराष्ट्र	873.25	1439.17	1596.48
VI	केन्द्रीय क्षेत्र			
1	छत्तीसगढ़	1098.00	1000.91	1152.67
2	मध्य प्रदेश	1355.07	2125.71	1114.33
3	उत्तरांचल	979.70	578.63	617.86
4	उत्तर प्रदेश	3415.18	3596.64	2495.99
	कुल जोड़	26574.46	29239.95	32095.75

विवरण-II

2003–04, 2004–05 और 2005–06 के दौरान पीएमआरवाई के अंतर्गत उद्यमिता विकास और आकस्मिकताओं के लिए जारी अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	191.44	293.34	176.72
2	असम	58.97	100.71	77.80
3	अरुणाचल प्रदेश	3.47	5.39	4.54
4	बिहार	101.54	19.87	0.00
5	छत्तीसगढ़	36.08	50.84	41.02
6	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	20.27	53.07	13.38
9	हरियाणा	68.99	74.20	45.64
10	हिमाचल प्रदेश	19.48	5.12	15.03
11	जम्मू और कश्मीर	13.16	0.00	11.71
12	झारखंड	0.00	34.56	0.06
13	कर्नाटक	148.93	173.19	124.08
14	केरल	112.21	175.75	176.63
15	मध्य प्रदेश	149.32	265.38	226.32
16	महाराष्ट्र	191.31	173.92	128.04
17	मणिपुर	5.57	4.55	1.23
18	मेघालय	7.10	8.29	8.22
19	मिजोरम	3.61	3.24	8.22
20	नागालैंड	1.00	17.12	22.03
21	उड़ीसा	91.34	147.50	135.46
22	पंजाब	78.18	81.45	55.67
23	राजस्थान	106.01	104.30	109.97
24	तमिलनाडु	147.94	136.75	155.28

1	2	3	4	5
25	त्रिपुरा	18.23	21.24	22.70
26	उत्तर प्रदेश	402.53	644.91	422.85
27	उत्तरांचल	25.83	92.76	64.16
28	पश्चिम बंगाल	0.00	19.12	29.10
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.06	2.51	0.55
30	चंडीगढ़	0.47	1.02	3.98
31	दमन और दीव	0.04	0.03	0.03
32	दादरा और नगर हवेली	0.15	0.20	0.19
33	लक्षद्वीप	0.12	0.14	0.05
34	पांडिचेरी	5.37	4.74	0.57
35	सिक्किम	0.48	0.25	0.89
	कुल	2010.20	2715.43	2082.12

** स्थापित इकाइयों में लगभग पचास प्रतिशत अनुमानतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

[अनुवाद]

विद्यालयों हेतु पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा

3938. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी प्रणाली के बाहर के विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक परिषद की स्थापना करने का है जैसा कि दिनांक 2 दिसम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लक्ष्य क्या है;

(ग) पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) समीक्षा हेतु पुस्तकों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ङ) समीक्षा प्रक्रिया कब तक पूरी होगी;

(च) क्या राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक परिषद द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. तथा एस.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों की भी समीक्षा की जाएगी;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ज) 'पाठ्यपुस्तकों तथा सरकारी प्रणाली से बाहर के विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली समानांतर पाठ्यपुस्तकें' संबंधी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की एक समिति ने पाठ्यपुस्तक तैयार करने में शामिल किसी संगठन की स्वतंत्र राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक परिषद की स्थापना करने, पाठ्यपुस्तकों का अनुवीक्षण करने और जांच हेतु पाठ्य पुस्तकों के संबंध में नागरिकों की शिकायतों को पंजीकृत करने हेतु उनको मंच प्रदान करने की सिफारिश की है। यह मामला विचाराधीन है।

एम एम टी सी द्वारा आयात

3939. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम एम टी सी ने गेहूं के आयात हेतु वैश्विक संविदा आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006–07 के दौरान एम एम टी सी ने गेहूं के आयात हेतु 3 निविदाएं आमंत्रित की थीं। ऐसी निविदाओं और की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) **50,000 मी.टन के लिए दिनांक 5.7.06 की निविदा**
4 वैध प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और एल 1 बोलीदाता को आर्डर दिया गया था।

(ii) **1,05,000-1,20,000 मी.टन के लिए दिनांक 8.8.06 की निविदा**
3 वैध प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। चूंकि उद्धृत कीमतें अधिक थीं इसलिए निविदा पर विचार नहीं किया गया था।

(iii) **25,000-35,000 मी.टन. के लिए दिनांक 27.10.06 की निविदा**
इस निविदा के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

बेरोजगारी में कमी

3940. श्री रशीद मसूद : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा बेरोजगारी को घटाने के लिए संयुक्त रूप से कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उक्त योजना के माध्यम से कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डाक-स्टाम्प

3941. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में महिलाओं और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर डाक स्टाम्प जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में उनकी बढ़ती समस्याओं पर रोक लगाने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, हां। महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का डाक टिकट लाने का प्रस्ताव है।

(ख) डाक टिकट राष्ट्रीय स्तर पर जारी करने का प्रस्ताव है।

(ग) डाक टिकट जारी करने का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना है।

स्कूलों को सहायता

3942. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) के लिए कोई दृष्टिकोण पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुल माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान निजी सहायता और गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 58 प्रतिशत है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना के संबंध में तैयार किए गए दृष्टिकोण पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिनांक 9.12.2006 को आयोजित की गई अपनी बैठक में अनुमोदित किया था। इस दृष्टिकोण पत्र में 11वीं योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को परिभाषित और केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 11वीं योजना के लिए व्यापक कार्य नीतियां बनाने से संबंधित चुनौतियों और निहितार्थ को अभिनिर्धारित किया गया है। इस दृष्टिकोण पत्र में अभिनिर्धारित किए गए 11वीं योजना के मानीटरी योग्य सामाजिक–आर्थिक लक्ष्य संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

*(ग) वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 145962 विद्यालयों में से सहायता प्राप्त प्राइवेट और गैर–सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 88552 थे और इस प्रकार इनकी प्रतिशतता 60.67 थी।

*(घ) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

11वीं योजना के मॉनीटरी योग्य सामाजिक–आर्थिक लक्ष्य

आय और गरीबी

- सकल घरेलू उत्पाद को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना और 12वीं योजना में इसे 10 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखना ताकि वर्ष 2016–17 तक प्रति–व्यक्ति आय को दुगुना किया जा सके;
- कृषि सकल घरेलू उत्पाद को प्रतिवर्ष 4 प्रतिशता की दर से बढ़ाना ताकि इससे संबंधित लाभों को और अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके;
- रोजगार के 70 मिलियन नए अवसर सृजित करना;
- शिक्षित बेरोगारों की संख्या को 5 प्रतिशत कम करना;
- अकुशल कामगारों की वास्तविक मजदूरी दर को 20 प्रतिशत बढ़ाना;
- उपभोग गरीबी से संबंधित वर्तमान लोगों की संख्या अनुपात को 10 प्रतिशत बिन्दु तक कम करना।

शिक्षा

- प्रारम्भिक विद्यालय में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दरों को वर्ष 2003–04 में 52.2 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2011–12 में 20 प्रतिशत करना।
- प्रारम्भिक विद्यालय में शैक्षिक उपलब्धि के न्यूनतम मानक तैयार करना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की कारगस्ता के अनुवीक्षण की नियमित जांच करना;
- 7 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षस्ता दर को बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना;
- स्त्री–पुरुष साक्षरता की असमानता को 10 प्रतिशत बिन्दु तक कम करना;
- 11वीं योजना के अन्त तक उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक सहपाठी की वर्तमान 10 प्रतिशतता को 15 प्रतिशतता तक बढ़ाना।

स्वास्थ्य

- 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण के वर्तमान स्तर को आधा करना।
- 11वीं योजना के अन्त तक महिलाओं और बालिकाओं में खून की कमी को 50 प्रतिशत कम करना।

महिलाएं और बच्चे

- 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की बालिका दर को वर्ष 2011–12 तक 935 और वर्ष 2016–17 तक बढ़ाकर 950 करना;
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कीमों के कम से कम 33 प्रतिशत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थी महिलाएं और बालिकाएं हों;
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे सुरक्षित बाल्यकाल का आनन्द प्राप्त करें और वे कार्य करने के लिए बाध्य न हों।

बुनियादी सुविधाएं

- वर्ष 2009 तक सभी ग्रामों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को बिजली के कनेक्शन देना और इस योजना के अन्त तक चौबीस घण्टे बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना;
- वर्ष 2009 तक 1000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 500) में सभी प्रकार के मौसम में सड़क सम्पर्क सुनिश्चित करना और वर्ष 2015 तक सभी महत्वपूर्ण बस्तियों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करना;
- नवम्बर, 2007 तक प्रत्येक ग्राम में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करना और वर्ष 2012 तक सभी ग्रामों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना;
- वर्ष 2012 तक सभी को मकान बनाने के लिए प्लाट प्रदान करना और ग्रामीण निर्धनों के लिए मकान बनाने की गति को बढ़ाना ताकि वर्ष 2016–17 तक सभी निर्धनों को आवास उपलब्ध कराया जा सकें।

---

*तत्पश्चात 15.05.07 को सदन में रखे गए एक शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से उत्तर में शुद्धि की गई तथा इसे एल.टी. संख्या 6560/2007 के अंतर्गत ग्रंथालय में भी रखा गया। इसलिए भाग (ग) एवं (घ) में निम्नवत शुद्धि की गई है:–

(ग) वर्ष 2003–04 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 99140 विद्यालयों में से निजी सहायता प्राप्त व गैर–सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 58631 थी तथा इसलिए उनकी प्रतिशतता 59.41 थी।

(घ) संशोधित विवरण–II संलग्न है।

पर्यावरण

- वन और वृक्षों वाली जमीन को 5 प्रतिशत बिन्दु बढ़ाना;
- सभी प्रमुख शहरों में वर्ष 2011–12 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार वायु की गुणवत्ता हासिल करना;
- नदी के पानी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वर्ष 2011–12 तक समूचे शहर के गन्दे पानी का शोधन करना।
- वर्ष 2016–17 तक ऊर्जा क्षमता को 20 प्रतिशत बिन्दु बढ़ाना।

विवरण-II

2003–04 के दौरान निजी सहायता प्राप्त तथा गैर–सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों के नाम	सहायता–प्राप्त प्राइवेट और गैर–सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	4867	13160
2	अरुणाचल प्रदेश	27	130
3	असम	1820	4607
4	बिहार	103	2939
5	छत्तीसगढ़	449	1227
6	गोवा	289	363
7	गुजरात	4846	5214
8	हरियाणा	1557	3344
9	हिमाचल प्रदेश	356	1309
10	जम्मू और कश्मीर	523	1550
11	झारखंड	0	966
12	कर्नाटक	5983	9012
13	केरल	1878	2871
14	मध्य प्रदेश	2258	4495
15	महाराष्ट्र	12715	13773
16	मणिपुर	356	540
17	मेघालय	494	575
18	मिजोरम	160	443
19	नागालैंड	206	331
20	उड़ीसा	3316	6938
21	पंजाब	517	2282
22	राजस्थान	2878	6224
23	सिक्किम	2	82
24	तमिलनाडु	2786	4859
25	त्रिपुरा	21	409
26	उत्तर प्रदेश	4687	5018
27	उत्तरांचल	229	768
28	पश्चिम बंगाल	4939	4948
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	45
30	चंडीगढ़	21	70
31	दादरा और नगर हवेली	4	13
32	दमन और दीव	6	22
33	दिल्ली	268	466
34	लक्षद्वीप	0	9
35	पांडिचेरी	68	138
	कुल	58631	99140

विवरण-II

(संशोधित)

2003-04 के दौरान निजी सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	सहायता-प्राप्त प्राइवेट और गैर-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	7389	16427
2	अरुणाचल प्रदेश	34	204
3	असम	1905	5338
4	बिहार	116	3624
5	छत्तीसगढ़	1036	2666
6	गोवा	356	443
7	गुजरात	7087	7641
8	हरियाणा	2308	5120
9	हिमाचल प्रदेश	588	2129
10	जम्मू और कश्मीर	588	1956
11	झारखंड	0	1088
12	कर्नाटक	7460	11249
13	केरल	2737	4157
14	मध्य प्रदेश	4423	8706
15	महाराष्ट्र	16658	17985
16	मणिपुर	413	652
17	मेघालय	552	655
18	मिजोरम	204	514
19	नागालैंड	232	383
20	उड़ीसा	3316	7682
21	पंजाब	914	3977
22	राजस्थान	3960	9383
23	सिक्किम	6	123
24	तमिलनाडु	5283	8995
25	त्रिपुरा	51	651
26	उत्तर प्रदेश	11638	12387
27	उत्तरांचल	573	1839
28	पश्चिम बंगाल	7775	7816
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	94
30	चंडीगढ़	45	122
31	दादरा और नगर हवेली	7	22
32	दमन और दीव	8	28
33	दिल्ली	786	1678
34	लक्षद्वीप	0	13
35	पांडिचेरी	98	215
	कुल	88552	145962

वाशिंगटन रिपोर्ट के अनुसार कुपोषित बच्चे

3943. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक रूप से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कुपोषित बच्चों के मामले में विश्व में भारत का स्थान सबसे नीचे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, वाशिंग्टन ने विश्व में भूख संसूचक प्रकाशित किए हैं, जिसमें भूख के तीन आयामों को शामिल किया गया है : खाद्य की अपर्याप्त उपलब्धता, बच्चों के पोषण दर्जे में कमी और बाल मृत्यु दर। संसूचक में खाद्य एवं कृषि संगठन की वर्ष 2005, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2006 एवं यूनिसेफ की वर्ष 2005 की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल किया है। विश्व में उक्त भूख संसूचक में भारत का स्थान 93वां है।

(ग) सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इनमें से कुछ इस प्रकार है:

(i) विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि (कृषि मंत्रालय);

(ii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग);

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय);

(iv) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);

(v) प्राथमिक शिक्षा को पोषाहारीय समर्थन संबंधी कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम) (प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग);

(vi) आयरन एवं फॉलिक एसिड तथा विटामिन–ए अनुपूरण कार्यक्रमों एवं नवजात शिशुओं एवं बच्चों की बीमारी का समेकित उपचार सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम–II (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(vii) राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(viii) अल्प–पोषित किशोरियों तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में चलाया जा रहा पोषण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);

(ix) खाद्य एवं पोषण बोर्ड का पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय); तथा

(x) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम एवं पूर्ण स्वच्छता अभियान (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

3944. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने सरकार से क्षेत्र के विकास में सहायता करने के लिए व्युतक्रमित शुल्क ढांचे और श्रम कानून सुधारों पर दुबारा ध्यान देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी, हां। व्युत्क्रमित टैरिफ ढांचे और श्रम कानून सुधारों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के साथ–साथ एसोसिएशनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ताकि इस क्षेत्र के विकास में मदद की जा सके। सरकार विधिवत विचार करने के बाद ऐसे सुझावों पर उचित कार्रवाई करती है जो कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है।

नेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी

3945. श्री एल. राजगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उच्च शिक्षा के तीन प्रमुख संकटों अर्थात् सुलभता, स्वीकार्यता और वहनीयता का वर्चुअल यूनिवर्सिटी द्वारा किस प्रकार से समाधान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या प्रस्तावित यूनिवर्सिटी में कोई अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम भी किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तम्बाकू का व्यापार

3946. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक रूट के जरिए विदेशी कंपनियों द्वारा तम्बाकू उत्पादों के व्यापार संबंधी क्रियाकलाप करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तम्बाकू के उपभोग को हतोत्साहित करने का सरकार का उद्देश्य इसकी जन स्वास्थ्य नीति के विपरीत है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वस्तुओं के थोक/नकद व्यापार में एफ डी आई की अनुमति स्वतः पद्धति के तहत प्रदान की जाती है। तम्बाकू/तम्बाकू उत्पादों के व्यापार हेतु अलग से कोई नीति नहीं है।

(ख) सिगरेट की खपत और व्यापार को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 जैसे विभिन्न उपायों के जरिए विनियमित किया जाता है।

नाम में परिवर्तन

3947. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी नाम में एक से अधिक बार परिवर्तन करने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आर बी डी) अधिनियम, 1969 जन्म रजिस्टर/प्रमाणपत्र में नाम में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है।

बासमती चावल के लिए साझा ट्रेड मार्क

3948. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान को बसामती चावल के लिए साझा ट्रेडमार्क प्राप्त करने की संभावना है क्योंकि वे दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई पी आर) के दावे के लिए संयुक्त रूप से मामला दर्ज कराने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत द्वारा बासमती के संयुक्त पंजीकरण पर पाकिस्तान के साथ परामर्श करके एक "संयुक्त अध्ययन दल" का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं। भारत और पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए साझा ट्रेड मार्क प्राप्त करने हेतु बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई पी आर) का दावा करने के लिए कोई मामला दायर करने हेतु कोई करार निष्पादित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत और पाकिस्तान द्वारा बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक के संयुक्त पंजीकरण से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए "संयुक्त अध्ययन दल" हेतु एक दल का गठन किया है:–

(i) संयुक्त सचिव, निर्यात संवर्धन (कृषि) प्रभाग, वाणिज्य विभाग

(ii) अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(iii) निदेशक, व्यापार नीति प्रभाग, वाणिज्य विभाग

(iv) निदेशक (पाक), विदेश मंत्रालय

(v) उप सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

(vi) उप सचिव, विदेश व्यापार (दक्षिण एशिया) प्रभाग, वाणिज्य विभाग।

स्कूलों में यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम

3949. श्री सुग्रीव सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्कूलों में कैशोर्य एवं प्रजनक यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी स्कूलों में इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने "किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम" शुरू किया है जो देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान तथा भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे हैं।

कार्यक्रम के कार्यढांचे में किशोरावस्था की तीन प्रमुख चिंताएं शामिल हैं : (i) किशोरावस्था के दौरान बढ़ने की प्रक्रिया, (ii) एच.आई. वी./एड्स की रोकथाम तथा (iii) मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम। इसमें प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए है तथा यह छात्रों द्वारा जीवन कौशल प्राप्त करने में उनकी सहायता करने का एक प्रयास है ताकि वे जोखिम की स्थिति से बच सकें और सोच–समझ कर निर्णय ले सकें तथा स्वस्थ और जिम्मेदार आचरण विकसित हो सके।

किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य दोहरा है (i) प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तरों तक स्कूल पाठ्यचर्या, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम सामग्री में किशोरावस्था शिक्षा के तत्वों को समेकित करना तथा (ii) माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जीवन कौशल आधारित सह–पाठ्यचर्या कार्यकलापों को सुव्यवस्थित करना।

(ग) किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान चरण का लक्ष्य इसमें देश के सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शामिल करने का है। ऐसे सभी स्कूलों को शामिल करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करता है।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन

3950. श्री सुनील खां : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाने वाली खरीद निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन की कोई घारा सरकार के ध्यान में आई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ताजिकिस्तान सरकार को दी गई मानवीय सहायता से राजकोष का कितना घाटा हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) एस टी सी ने सूचित किया है कि उसकी खरीद निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है।

(ख) से (घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह अभिमत व्यक्त किया है कि ताजिकिस्तान की सरकार को मानवीय सहायता प्रदान करने में राजकोष को घाटा हुआ है। तथापि एस टी सी के अनुसार राजकोष को कोई घाटा नहीं हुआ है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3951. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्रीमती करुणा शुक्ला :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्री उदय सिंह :
श्रीमती गीता पटैरिया :
श्री एम. अंजन कुमार यादव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री सुभाष महरिया :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को नियंत्रित करने वाले दिशा–निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेशक धनराशि और अपने लाभों को किसी भी समय देश से वापस निकाल सकते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो लॉक–इन पीरियड का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी देश की तरफ से निवेश के प्रति सुरक्षा संबंधी विरोध है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में एनआरआई से निवेश अंतप्रर्वाह और एफ डी आई का देशवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) भारत में कुल निवेश में एफडीआई और एनआरआई के माध्यम से निवेश का हिस्सा कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) विभिन्न देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए मौजूदा नीति दिनांक 10 फरवरी, 2006 की प्रेस नोट 4(2006 श्रृंखला) (प्रतिलिपि संलग्न विवरण–I में) द्वारा अधिसूचित की गई है। यह नीति केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचित क्षेत्र विशेष विनियमों/दिशा निदेशों के अध्यधीन है।

(ग) और (घ) यह नीति निवेश तथा लाभों के पूर्ण प्रत्यावर्तन की अनुमति देती है। इस नीति में रक्षा उत्पादन तथा निर्माण विकास परियोजनाओं जैसे कुछ क्षेत्र में मूल निवेशों पर 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध है।

(ङ) और (च) एफडीआई नीति विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 में शामिल की गई है। ये विनियम उन देशों को दर्शाते हैं जहां से निवेश की अनुमति नहीं है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश सहित देशवार एवं क्षेत्रवार एफडीआई अन्तर्वाह संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ज) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी की गई नेशनल एकाउन्ट्स स्टेटिस्टिक्स, 2006 वर्ष 2004–2005 हेतु मौजूदा कीमतों पर 889245 करोड़ रुपये का सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) दर्शाता है। औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एसआईए) के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2004–05 के लिए एफडीआई अन्तर्वाह 17,138 करोड़ रुपये है।

विवरण-I

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
एसआईए (एफसी प्रभाग)

प्रेस नोट सं 4 (2006 श्रृंखला)

विषय : एफडीआई नीति का युक्तिकरण

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी नीति की समीक्षा निरन्तर की जाती रही है और समय–समय पर इस नीति की युक्तिकरण/उदारीकरण और प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु अनेक उपायों की घोषणा की जाती रही है।

2. हाल ही में भारत सरकार ने एफडीआई नीति की आगे समीक्षा करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:–

क. निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना:

(i) पेय मादक पदार्थों का आसवन और मद्यकरण;

(ii) औद्योगिक विस्फोटकों का विनिर्माण;

(iii) खतरनाक रसायनों का विनिर्माण;

(iv) मानक शहरी क्षेत्र सीमा के 25 कि.मी. के दायरे में अवस्थित विनिर्माणकारी कार्यकलाप जिनके लिए उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित है;

(v) ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं की स्थापना;

(vi) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस/एलएनजी पाइपलानें बिछाना, बाजार अध्ययन और प्रतिपादन तथा निवेश वित्त–व्यवस्था; और

(vii) कैश एण्ड कैरी थोक व्यापार और निर्यात व्यापार।

ख. निम्नलिखित क्षेत्रों में एफडीआई की अधिकतम सीमा 100 प्रतिशत तक बढ़ाना और इन्हें स्वतः मार्ग के तहत अनुमति देना:

(i) आंतरिक खपत के लिए कोयला और लिग्नाइट का खनन;

(ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन से संबंधित अवसंरचना की स्थापना; और

(iii) हीरों और बहुमूल्य रत्नों की खोज और खनन

ग. निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना:

(i) बिजली अधिनियम, 2003 के तहत आने वाले विनियमों का अनुपालन करने की शर्त के अध्यधीन विद्युत व्यापार;

(ii) कॉफी और रबड़ का प्रसंस्करण और उन्हें गोदाम में रखना।

घ. एकल ब्राण्ड उत्पादों के खुदरा व्यापार हेतु सरकार के पूर्व–अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना, जिससे संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेस नोट सं. 3 (2006 श्रृंखला) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

ङ वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में तथा ऐसे मामले में जहां भारतीय प्रतिभूति एवं मुद्रा बोर्ड (शेयरों एवं अधिग्रहणों की पर्याप्त प्राप्ति) विनियम, 1997 लागू होते हैं और ऐसे मामलों में, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं मुद्रा बोर्ड (शेयरों एवं अधिग्रहणों की पर्याप्त प्राप्ति) विनियम, 1997/बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है, निवासियों से अनिवासियों को स्वतः मार्ग के तहत शेयरों के हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान करना। ऐसा करने से किसी मौजूदा कम्पनी में शेयर प्राप्त करने सहित निवासियों से अनिवासियों को होने वाली शेयरों का हस्तान्तरण एफडीआई संबंधी क्षेत्रीय नीति के अधीन स्वतः मार्ग के तहत आ जायेगा।

च. बी टू बी ई–कॉमर्स के क्षेत्र में 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के अनिवार्य विनिवेश की आवश्यकता को छोड़ देना।

3. स्वतः मार्ग के तहत एफडीआई/अनिवासी भारतीय निवेश का क्षेत्रीय विनियमों/लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित होना जरूरी रहेगा।

4. विभिन्न क्षेत्रों/कार्यकलापों से संबंधित एफडीआई नीति और उन पर लागू होने वाले विनियमों का सारांश अनुबंध में दिया गया है।*

(उमेश कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फा.सं. 5(3)/2005–एफसी
दिनांक 10 फरवरी, 2006

* नीति खण्ड 'क' में दी गई है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की नीति

1. एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र
   1. खुदरा व्यापार (सिंगल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार को छोड़कर)
   2. परमाणु ऊर्जा
   3. लॉटरी व्यापार
   4. गैम्बलिंग एवं बेटिंग

2. निम्नलिखित परिस्थितियों में एफडीआई के लिए सभी गतिविधियों/क्षेत्रों के लिए सरकारी पूर्वानुमोदन लेना होगा :
   1. जहां प्रेस नोट–1 (2005 श्रृंखला) के उपबंध लागू होते हैं
   2. जहां लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के निर्माण के लिए लगायी जाने वाली प्रस्तावित विदेशी इक्विटी 24 प्रतिशत से अधिक हो
3. लागू क्षेत्रीय नियम/विनियमों के अध्यधीन उन क्षेत्रों/गतिविधियों में जिनका ब्यौरा नीचे नहीं दिया गया है, स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।
4. एफडीआई के लिए क्षेत्र विशेष की नीति : निम्नलिखित क्षेत्रों/गतिविधियों में निर्दिष्ट की गई अन्य शर्तों के अध्यधीन नीचे दी गई सीमा तक एफडीआई की अनुमति है।

क्रम सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई सीमा/ इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें	आईपीपी विभाग द्वारा जारी संबंधित प्रेस नोट www.dipp.gov.in
1	2	3	4	5	6
1.	**एयरपोर्ट :**				
क	ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट	100 प्रतिशत	स्वतः	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रवार विनियमों के अध्यधीन www.civilaviation.nic.in	प्रेस नोट 4/2006
ख	मौजूदा परियोजनाएं	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रवार विनियमों के अध्यधीन www.civilaviation.nic.in	प्रेस नोट 4/2006
2.	एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस	49 प्रतिशत– एफडीआई; 100 प्रतिशत– एनआरआई के लिए निवेश	स्वतः	विदेशी एयरलाइनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार न होने की शर्त पर। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी भारत सरकार की 2.11.2004 की गजट अधिसूचना www.civilaviation.nic.in	प्रेस नोट 4/2006
3.	अल्कोहल–डिस्टीलेशन एंड ब्रिइयिंग	100 प्रतिशत	स्वतः	सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस के अध्यधीन	प्रेस नोट 4/2006
4.	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनीज	49 प्रतिशत (केवल एफडीआई)	एफआईपीबी	जहां पर कोई निवेश इक्विटी के 10 प्रतिशत से अधिक हो वहां पर सिक्योरिटी	

1	2	3	4	5	6
				इंटरेस्ट एक्ट 2002 के सिक्योरिटीजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट की धारा 3(3) एफ (उफ) की शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए www.finmin.nic.in	
5.	एटॉमिक मिनरल्स	74 प्रतिशत	एफआईपीबी	परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 6.10.98 के संकल्प सं. 8/1(1)/97–पीएसयू/1422 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन	
6.	बैंकिंग–प्राइवेट सेक्टर	74 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	स्वतः	विदेशी बैंकों की शाखाएं/ सबसिडरीज स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन www.rbi.org.in	प्रेस नोट 2/2004
7.	प्रसारण				
क	एफएम रेडियो	एफडीआई+ एफआईआई 20 प्रतिशत तक निवेश	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अध्यधीन www.mib.nic.in	प्रेस नोट 6/2005
ख	केबल नेटवर्क	49 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स (1994) के अध्यधीन www.mib.nic.in	
ग	डायरेक्ट–टू–होम	49 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई) इस सीमा के अन्तर्गत एफडीआई का घटक 20 प्रतिशत से अधिक न हो	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन www.mib.nic.in	
घ	हार्डवेयर सुविधाओं अर्थात अप–लिंकिंग, हब आदि की स्थापना	49 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अप–लिंकिंग नीति के अध्यधीन www.mib.nic.in	प्रेस नोट 1/2006
ङ	अप–लिंकिंग ए न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल	26 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन www.mib.nic.in	प्रेस नोट 1/2006

1	2	3	4	5	6
च	अप–लिंकिंग ए नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन www.mib.nic.in	प्रेस नोट 1/2006
8.	सिगार और सिगरेट–विनिर्माण	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अध्यधीन	प्रेस नोट 4/2006
9.	कोल माइंस (नेशनलाइजेशन) एक्ट 1973 के अधीन अनुमति दी गयी अन्य पात्र गतिविधियों के साथ–साथ विद्युत परियोजनाओं और लोहा और इस्पात, सीमेंट उत्पादन की कैप्टिव खपत के लिए कोयला और लिग्नाइट माइनिंग	100 प्रतिशत	स्वतः	कोल मांइस (नेशनलाइजेशन) एक्ट 1973 के उपबंधों की शर्त पर www.coal.nic.in	प्रेस नोट 4/2006
10.	कॉफी और रबर प्रस्संकरण और भंडारण	100 प्रतिशत	स्वतः		प्रेस नोट 4/2006
11.	निर्माण विकास परियोजनाएं जिनमें आवास, वाणिज्यिक क्षेत्र, रिसॉर्ट, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप शामिल हैं	100 प्रतिशत	स्वतः	प्रेस नोट 2 (2005 सीरीज) द्वारा अधिसूचित शर्तों के अध्यधीन ये शामिल हैं : क. पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सबसिडरी के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर तथा संयुक्त उद्यम के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर की न्यूनतम पूंजी। ये राशि कम्पनी के व्यापार आरंभ करने के 6 महीनों के भीतर लानी होगी ख. प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र– सेवा आवास प्लॉटों के विकास के मामले में 10 हेक्टेयर : विकास परियोजना के निर्माण के मामले में 50 हजार वर्ग् मीटर का निर्मित क्षेत्र : और सम्मिलित परियोजना के मामले में उपर्युक्त में से कोई एक (नोट– अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए प्रेस नोट 2/2005 में दी गयी शर्तें लागू नहीं हैं)	प्रेस नोट 2/2005 और 2/2006

1	2	3	4	5	6
12.	पैकिटों, पार्सलों और अन्य वस्तुओं, जो भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 की परिधि में नहीं आती हैं, के लिए कूरियर सेवाएं	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	वर्तमान कानूनों और पत्रों के वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर जो केवल सरकार के लिए आरक्षित है के अध्यधीन www.indiapost.gov.in	प्रेस नोट 4/2001
13.	रक्षा उत्पादन	26 प्रतिशत	एफआईपीबी	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस और शस्त्र और गोला बारूद के उत्पादन में एफडीआई के दिशानिर्देशों के अध्यधीन	प्रेस नोट 4/2001 और 2/2002
14.	नियंत्रित परिस्थितियों में फ्लोरीकल्चर, हार्टीकल्चर, बीजों के विकास पशुपालन, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर, सब्जियों और मशरूम की खेती और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सेवाएं	100 प्रतिशत	स्वतः		प्रेस नोट 4/2006
15.	खतरनाक रसायन अर्थात हाईड्रोसायनिक एसिड और इसके उत्पाद, फोर्सजेन और इसके उत्पाद और हाईड्रो कार्बन के आइसोसायनेट्स और डिसोसायनेट्स	100 प्रतिशत	स्वतः	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस और अन्य क्षेत्रवार विनियमों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
16.	औद्योगिक विस्फोटक–विनिर्माण	100 प्रतिशत	स्वतः	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस और विस्फोटक अधिनियम 1898 के विनियमों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
17.	बीमा	26 प्रतिशत	स्वतः	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस देने की शर्त पर www.irda.nic.in	प्रेस नोट 10/2000
18.	अवसंरचना/सेवा क्षेत्रों में (दूरसंचार क्षेत्र को छोड़कर) निवेश करने वाली कम्पनियां	49 प्रतिशत	एफआईपीबी	अवसंरचना/सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनी का विदेशी निवेश क्षेत्रीय सीमा के लिए नहीं गिना जाएगा बशर्ते कि निवेश 49 प्रतिशत तक हो और कम्पनी का प्रबंधन भारतीयों के हाथ में हो	प्रेस नोट 2/2000 और 5/2005

1	2	3	4	5	6
19.	हीरों और बहुमूल्य पत्थरों, सोना, चांदी और खनिजों के अन्वेषण और खनन को शामिल करते हुए खनन	100 प्रतिशत	स्वतः	माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 की शर्त पर www.mines.nic.in जहां तक खनन क्षेत्र का संबंध है 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की स्थापना के लिए प्रेस नोट 18(1998) और प्रेस नोट/(2005) लागू नहीं है बशर्ते कि आवेदक द्वारा यह घोषित किया हो कि उसका इसी क्षेत्र में और/या किसी विशेष खनिज के लिए कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम नहीं है	प्रेस नोट 2/2000 और 3/2005 और प्रेस नोट 4/2006
20.	गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियां (एनबीएफसी) अनुमोदित गतिविधियां				
1	मर्चेंट बैंकिंग	100 प्रतिशत	स्वतः	निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन :	प्रेस नोट 2/2000
2	अंडर राइटिंग			क एनबीएफसी के लिए फंड	और 6/2000
3	पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस			बेस का न्यूनतम पूंजीकरण	और प्रेस नोट
4	निवेश परामर्शदात्री सेवाएं			मानदंड–51 प्रतिशत तक	2/2001
5	वित्तीय परामर्शदात्री सेवाएं			एफडीआई के लिए लाई	
6	स्टॉक ब्रोकिंग			जाने वाली अपफ्रंट राशि	
7	एसेट मैनेजमेंट			0.5 मिलियन अमरीकी डालर :	
8	वेंचर कैपिटल			51 प्रतिशत से अधिक और	
9	कस्टोडियल सर्विसेस			75 प्रतिशत तक एफडीआई	
10	फैक्टरिंग			के लिए लाई जाने वाली	
11	क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज			अपफ्रंट राशि 5 मिलियन अमरीकी	
12	क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज			डालर : 75 प्रतिशत से अधिक	
13	लीजिंग एंड फाइनेंस			और 100 प्रतिशत तक एफडीआई	
14	हाऊसिंग फाइनेंस			लाई जाने वाली राशि 50 मिलियन	
15	फॉरेक्स ब्रोकिंग			अमरीकी डालर जिसमें से 7.5	
16	क्रेडिट कार्ड बिजनेस			मिलियन अमरीकी डालर अपफ्रंट	
17	मनी चेंजिंग बिजनेस			में लाई जाए तथा शेष 24 महीने	
18	माइक्रो क्रेडिट			के भीतर लाई जाए	
19	रूरल क्रेडिट			ख. नॉन फंड बेस्ड एनबीएफसी	
				गतिविधियों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण	
				मानदंड – 0.5 मिलियन अमरीकी डालर	
				ग. विदेशी निवेशक अपनी इक्विटी	
				का न्यूनतम 25 प्रतिशत भाग	
				भारतीय कम्पनियों में विनिवेश	
				करने की शर्त के बिना ही 100	
				प्रतिशत तक कार्यशील सहायक	
				कम्पनियां स्थापित कर सकते हैं	
				बशर्ते कि वे बिना अतिरिक्त पूंजी	
				लाए कार्यशील सहायक कम्पनियों	

1	2	3	4	5	6
				की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के 50 मिलियन अमरीकी डालर लाएं घ. संयुक्त उद्यम कार्यशील गैर बैंकिंग वित्त निगमों (एनबीएफसी) को, जिनका विदेशी निवेश 75 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से कम होगा अन्य एफबीएफसी क्रियाकलाप प्रारंभ करने हेतु सहायक कम्पनियां स्थापित करने की भी अनुमति होगी, बशर्ते सहायक कम्पनियां भी लागू न्यूनतम पूंजी अंतर्वाह का पालन करें। ङ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें।	
21.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र				
क.	शोधन को छोड़कर बाजार अध्ययन और प्रतिपादन समीकरण निवेश/वित्तीय व्यवस्था: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन के लिए अवसंरचना की स्थापना	100 प्रतिशत	स्वत:	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी क्षेत्रवार विनियमों के अध्यधीन और पेट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक व्यापार और विपणन के मामले में 5 वर्ष के अन्दर भारतीय भागीदार/जनता के पक्ष में 26 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश www.petroleum.nic.in	प्रेस नोट 1/2004 और 4/2006
ख.	शोधन	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में 26 प्रतिशत, निजी कम्पनियों के मामले में 100 प्रतिशत	एफआईपीबी (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में) (निजी कम्पनियों के के मामले में) स्वत:	क्षेत्रवार नीति की शर्त पर www.petroleum.nic.in	प्रेस नोट 2/2000
22.	प्रिंट मीडिया				
क.	समाचारों और सामयिकी से संबंधित समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों की शर्त पर www.mib.nic.in	
ख.	वैज्ञानिक पत्रिकाओं/विशेष पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्त पर www.mib.nic.in	प्रेस नोट 1/ 2004
23.	बिजली का उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण और बिजली की खरीद–फरोख्त	100 प्रतिशत	स्वत:	विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों की शर्त पर www.powermin.nic.in	प्रेस नोट 2/1998, 7/2000 और 4/2006

1	2	3	4	5	6
24.	चाय बागान सहित चाय क्षेत्र	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	5 वर्ष के भीतर भारतीय भागीदार/भारतीय जनता के पक्ष में 26 प्रतिशत के विनिवेश की शर्त पर और भू उपयोग में परिवर्तन के लिए राज्य सरकार के अग्रिम अनुमोदन पर	प्रेस नोट 6/2002
25.	दूरसंचार				
क.	बेसिक एंड सेल्युलर, यूनिफाईड एसेस सर्विसेस, नेशनल/इंटर–नेशनल लांग डिस्टेंट, वी–सेट, पब्लिक मोबाईल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेस (पीएमआर टीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेस (जीएमपीसीएस) और अन्य वैल्यू एडेड टेलीकॉम सर्विसेस	74 प्रतिशत (जिसमें एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर, जीडीआर, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर और भारतीय प्रीमोटरों/ निवेशक करने वाली कम्पनी में आनुपातिक विदेश इक्विटी शामिल है)	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	प्रेस नोट 5 (2005 श्रृंखला) में अधिसूचित दिशनिर्देशों की शर्त पर	प्रेस नोट 2/2005
ख.	गेटवेज, रेडियो पेजिंग, एंड–टू–एंड वैंडविथ के साथ आईएसपी	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंस लेने और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं की शर्त पर www.dotindia.com	प्रेस नोट 4/2001
ग.	गेटवे के बिना आईएसपी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग डार्क फाइबर, इलेक्ट्रानिक मेल एंड वायस मेल	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	यदि ये कम्पनियां विश्व के किसी अन्य भाग में सूचीबद्ध हैं तो इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी कम्पनियां 5 वर्षों में भारतीय जनता के पक्ष में अपनी 26 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश कर देंगी इसके अतिरिक्त जहां कहीं अपेक्षित हो लाइसेंस लेने और सुरक्षा अपेक्षाओं को देखते हुए	प्रेस नोट 9/2000
घ.	दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100 प्रतिशत	स्वतः	क्षेत्रवार अपेक्षाओं की शर्त पर	प्रेस नोट 2/2000
26.	व्यापार (ट्रेडिंग)				
क.	थोक/भुगतान करो और ले जाओ व्यापार	100 प्रतिशत	स्वतः	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रेस नोट 3 (2006 श्रृंखला) के द्वारा जारी व्यापार में एफडीआई के लिए दिशा निर्देशों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
ख.	निर्यात के लिए व्यापार	100 प्रतिशत	स्वतः		
ग.	लघु उद्योग क्षेत्र से प्राप्त की गयी वस्तुओं का व्यापार	100 प्रतिशत	एफआईपीबी		

1	2	3	4	5	6
घ.	ऐसी वस्तुओं के टेस्ट मार्केटिंग जिनके निर्माण के लिए कम्पनी के पास अनुमोदन है	100 प्रतिशत	एफआईपीबी		
ङ	सिंगल ब्रांड उत्पाद का खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत	एफआईपीबी		
27.	सेटलाइट स्थापना और परिचालन	74 प्रतिशत	एफआईपीबी	अन्तरिक्ष विभाग/इसरो द्वारा जारी क्षेत्रवार दिशानिर्देशों की शर्त पर www.isro.org	
28.	विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र जिनमें इन क्षेत्रों की स्थापना और इन क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना शामिल है	100 प्रतिशत	स्वत:	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 और विदेश व्यापार नीति की शर्त पर www.sezindia.nic.in	प्रेस नोट 9/2000, 2/2006 और 4/ 2006

विवरण-II

अप्रैल, 2003 से सितम्बर, 2006 तक एफडीआई अन्तर्वाहों का वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	देश	2003-04 अप्रैल-मार्च	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मार्च	2006-07 अप्रैल-सितम्बर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आस्ट्रेलिया	91.30	84.98	41.33	132.78	350.40
2	आस्ट्रिया	9.26	21.87	7.19	0.02	38.35
3	बहमास	12.05	26.04	2.69	0.00	40.78
4	बहरीन	49.25	0.00	1.01	0.21	50.46
5	बेल्जियम	81.98	2.47	54.00	2.71	141.16
6	बेलारूस	0.00	0.00	0.00	8.75	8.75
7	बरमुड़ा	3.24	12.07	0.76	17.36	33.44
8	ब्राजील	0.00	0.11	0.14	0.00	0.25
9	बुल्गारिया	0.01	0.63	0.00	0.00	0.64
10	कनाडा	46.50	65.64	53.73	57.36	223.23
11	केयमेन द्वीपसमूह	91.15	38.27	132.55	57.66	319.63
12	चेनल द्वीपसमूह	3.00	2.45	18.58	0.19	24.22
13	चीन	0.26	5.98	4.17	2.68	13.09
14	क्रोएशिया	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

1	2	3	4	5	6	7
15	चेक गणराज्य	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44
16	साइप्रस	16.29	12.09	309.97	94.66	433.00
17	डेनमार्क	63.63	95.49	207.14	7.17	373.43
18	फिनलैण्ड	0.03	6.69	14.77	6.03	27.52
19	चिली	0.00	000	0.00	7.14	7.14
20	फ्रांस	176.27	536.78	82.20	178.25	973.49
21	ग्रीस	0.01	0.01	0.24	0.01	0.27
22	जर्मनी	373.40	663.18	1,344.53	175.02	2,556.14
23	हांगकांग	97.74	49.23	116.36	108.64	371.97
24	हंगरी	0.00	0.00	0.47	0.01	0.48
25	इण्डोनेशिया	8.27	1.28	4.71	0.41	14.67
26	आयरलैण्ड	4.90	3.95	40.24	63.41	112.50
27	आइसले ऑफ मैन	0.76	2.00	1.97	0.00	4.73
28	इज़रायल	1.12	0.56	20.00	0.65	22.33
29	इटली	25.00	124.86	179.39	162.09	491.35
30	लिचटैन्सटीन	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06
31	जापान	360.45	575.19	925.07	179.09	2,039.80
32	कजाकिस्तान	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
33	कोरिया (उत्तरी)	0.00	1.50	0.10	0.00	1.60
34	लेबनान	0.01	0.00	0.00	0.87	0.88
35	कोरिया (दक्षिण)	109.94	157.04	269.05	160.36	696.39
36	कुवैत	0.42	7.25	0.87	12.37	20.92
37	लगजम्बर्ग	17.16	2.09	25.85	12.35	57.45
38	मलेशिया	217.36	36.50	31.10	15.98	300.95
39	मॉरीशस	2,608.68	5,141.36	11,441.07	11,692.68	30,883.80
40	मैकसिको	0,00	0.00	0.17	0.00	0.17
41	मालदीव	0.01	0.00	13.06	0.01	13.08
42	एनआरआई	72.53	296.29	2,288.68	508.12	3,165.61
43	नेपाल	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35

1	2	3	4	5	6	7
44	नीदरलैंडस	2,247.32	1,216.81	340.37	445.95	4,250.46
45	नेविस	0.00	0.00	83.96	0.00	83.96
46	न्यूजीलैंड	0.00	0.49	0.55	0.13	1.17
47	नाइजीरिया	4.50	2.14	0.00	1.80	8.45
48	नार्वे	0.58	0.62	2.53	18.90	22.63
49	ओमान	37.44	24.86	3.04	0.00	65.35
50	पनामा	0.00	0.06	10.60	0.00	10.66
51	फिलीपीन्स	0.00	1.29	0.73	0.00	2.02
52	पोलैण्ड	1.10	0.25	7.04	0.00	8.39
53	पुर्तगाल	0.00	0.00	0.56	0.89	1.45
54	कतर	0.05	0.35	0.00	0.00	0.40
55	रूस	0.20	1.21	1.61	117.47	120.49
56	सउदी अरब	28.20	0.20	3.95	0.19	32.53
57	सिंगापुर	171.73	821.73	1,218.24	2,232.63	4,444.32
58	स्कॉटलैंड	0.00	0.00	8.79	0.00	8.79
59	दक्षिण अफ्रीका	11.75	20.93	97.30	165.30	295.28
60	स्लोवाकिया	0.00	7.93	0.00	0.00	7.93
61	स्पेन	9.15	27.54	38.05	120.95	195.70
62	श्रीलंका	0.00	1.68	2.10	0.62	4.40
63	स्वीडन	187.34	338.19	137.00	18.53	681.06
64	स्वीटजरलैंड	206.61	353.38	425.83	172.16	1,157.98
65	ताइवान	2.63	12.76	4.26	0.59	20.25
66	थाईलैंड	5.63	11.17	21.87	11.32	49.99
67	तुर्की	0.19	0.04	0.00	0.00	0.23
68	यू.ए.ई.	77.33	177.71	219.41	313.70	788.15
69	यू.के.	768.54	458.34	1,164.13	519.17	2,910.18
70	यू.एस.ए.	1,658.25	3,055.31	2,209.83	1,860.93	8,784.32
71	यूक्रेन	0.00	0.05	0.00	0.01	0.06
72	वेनेजुएला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
73	उरूग्वे	0.00	0.00	6.33	7.25	13.58
74	ब्रिटिश वर्जीनिया	9.61	6.52	24.26	135.89	176.28
75	वेस्ट इन्डीज	0.00	1.10	130.97	9.21	141.27
76	युगोस्लाविया	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47
77	देश जो दर्शये नहीं गए हैं	12.94	74.48	615.79	316.83	1,020.03
78	माल्टा	0.42	0.09	0.02	0.00	0.52
79	ईरान	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
80	तनजानिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	जोर्जिया	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
82	जिब्राल्टर	0.01	10.08	37.03	0.00	47.12
83	जॉर्डन	0.00	0.03	0.00	0.28	0.31
84	वियतनाम	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
85	आइस लैण्ड	0.80	0.00	78.03	0.00	78.83
86	केन्या	4.62	0.00	0.04	0.73	5.39
87	मिस्र	0.00	0.07	0.22	0.00	0.29
88	यमन	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04
89	क्यूबा	0.01	2.15	2.16	0.00	4.31
90	लाइबेरिया	0.00	0.00	48.64	0.14	48.78
91	म्यांमार	0.23	0.00	0.00	0.58	0.82
92	मोरक्को	69.97	0.00	0.00	0.01	69.98
93	कोलंबिया	0.01	0.00	1.09	0.00	1.11
94	ब्रिटिश आइसल्स	0.00	22.68	1.21	0.00	23.89
95	अरूबा	1.74	0.22	0.00	0.00	1.96
96	विर्जिन द्वीपसमूह	0.00	0.58	0.00	4.39	4.97
97	पेरू	0.00	0.16	0.04	0.00	0.20
98	टुनीसिया	0.00	19.84	0.00	0.00	19.84
99	युगांडा	0.00	0.41	3.12	0.00	3.52
100	सेचेलेश	0.00	4.47	0.00	0.00	4.47
101	पश्चिमी अफ्रीका	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07

1	2	3	4	5	6	7
102	फिजी द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	13.63	13.63
103	पूर्वी अफ्रीका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	अंतर्वाह अग्रिम विनियमित *	1,880.76	2,485.15	0.00	0.00	4,365.90
105	स्टॉक विनियमित *	172.50	0.00	28.37	0.00	200.87
	कुल योग	12,117.27	17,137.87	24,612.74	20,155.22	74,023.10

टिप्पणी : (i) केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल है।

(ii)* इसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश-वार सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।

अप्रैल, 2003 से सितम्बर, 2006 तक एफडीआई अन्तर्वाहों का वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपयें में)

क्र.सं	क्षेत्र	2003-04 अप्रैल-मार्च	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मार्च	2006-07 अप्रैल-सितम्बर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	धातुकर्मी उद्योग	146.06	880.95	680.84	511.31	2,219.16
2	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	520.94	759.00	415.71	631.57	2,327.22
3	बॉयलर तथा भाप उत्पादन संयंत्र	0.20	2.34	0.00	14.98	17.52
4	विद्युत के अलावा प्राईम मूवर	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
5	विद्युत उपकरण (एस/डब्ल्यू तथा विद्युत सहित)	2,449.32	3,280.58	6,499.06	3,601.15	15,830.11
6	दूरसंचार	531.95	538.41	3,023.46	1,834.79	5,978.62
7	परिवहन उद्योग	1,417.13	815.10	982.99	1,187.25	4,402.48
8	औद्योगिक मशीनरी	13.93	40.74	187.52	33.69	275.87
9	मशीन औजार	250.75	50.73	100.25	119.30	521.03
10	कृषि मशीनरी	0.11	0.01	415.97	0.00	416.09
11	अर्थमूविंग मशीनरी	0.05	0.47	231.30	4.58	236.40
12	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग	100.07	56.73	226.21	178.29	561.29
13	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	40.96	62.46	111.41	13.22	228.05
14	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा	9.26	24.05	6.72	5.98	46.01
15	औद्योगिक उपकरण	4.16	4.95	1.69	0.00	10.80
16	वैज्ञानिक उपकरण	0.07	0.14	0.45	0.00	0.66
17	उर्वरक	99.29	61.90	19.31	1.82	182.33
18	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	93.69	908.68	1,979.06	439.35	3,420.77

1	2	3	4	5	6	7
19	फोटोग्राफी कच्ची फिल्म और कागज	1.35	27.62	0.00	10.05	39.02
20	डाईस्टफ	2.00	5.42	0.00	0.00	7.42
21	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	501.67	1,342.91	759.70	219.39	2,823.67
22	वस्त्र (रंजित, मुद्रित सहित)	42.84	196.84	414.67	99.09	753.44
23	कागज उत्पाद सहित कागज तथा लुग्दी	31.68	12.41	122.90	13.36	180.36
24	चीनी	0.25	13.51	13.10	0.00	26.86
25	किण्वन उद्योग	7.82	41.64	28.57	14.84	92.88
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	510.85	174.08	182.94	150.12	1,018.00
27	वनस्पति तेल और वनस्पति	7.79	41.03	54.00	7.09	109.91
28	साबुन, प्रसाधन तथा प्रसाधन सामग्री	0.00	4.09	388.49	1.74	394.32
29	रबड़ उत्पाद	29.31	184.18	150.77	77.06	441.33
30	चमड़ा, चमड़ा वस्तुएं तथा पिकर्स	32.18	2.03	4.89	5.28	44.37
31	कांच	24.11	38.47	3.54	1.42	67.55
32	सिरेमिक	6.78	123.09	25.02	4.40	159.29
33	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	44.04	0.73	1,969.82	96.00	2,110.59
34	टिम्बर उत्पाद	0.50	0.31	465.64	0.00	466.45
35	रक्षा उद्योग	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
36	परामर्श सेवाएं	257.13	1,166.83	206.44	354.54	1,984.95
37	सेवा क्षेत्र	1,235.27	2,105.53	2,565.04	6,955.08	12,860.93
38	होटल तथा पर्यटन	226.80	168.85	315.59	269.24	980.48
39	व्यापार	104.66	65.72	123.43	246.63	540.45
40	विविध उद्योग	1,319.11	1,399.71	1,907.83	3,052.61	7,679.25
41	अंतर्वाह अग्रिम विनियमित *	1,880.76	2,485.15	0.00	0.00	4,365 90
42	स्टॉक विनियमित *	172.50	0.00	28.37	0.00	200.87
	कुल योग	12,117.36	17,137.87	24,612.74	20,155.22	74,023.19

टिप्पणी : (i) केवल 'इक्विटी पूंजी संघटक' शामिल है।

(ii)* इसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश–वार सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।

रुग्ण वस्त्र मिलें

3952. श्री एस. के. खारवेनथन :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश में कितनी वस्त्र मिलों के राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्रवार रुग्ण घोषित किया गया है;

(ख) इन मिलों की रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन रुग्ण वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार करने और कामगारों को पर्याप्त रोजगार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम में बड़ी संख्या में कार्यरत व्यक्ति/कामगार लगभग 65 मिलों के बंद होने के बाद बेरोजगार हो गये हैं;

(च) यदि हां, तो क्या मजदूर संघों और सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) 31.01.2006 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनगर्ठन बोर्ड (बीआईएफआर) में तमिलनाडु राज्य के 173 मामलों सहित 825 वस्त्र संबंधी मामले रुग्ण एककों के रूप में पंजीकृत हैं। 31.01.2006 तक बीआईएफआर में पंजीकृत मामलों के राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वस्त्र संबंधी सभी मामले
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	52
2	असम	5
3	बिहार	2
4	चंडीगढ़	1
5	दादरा और नगर हवेली	4
6	दिल्ली	42
7	गोवा	1
8	गुजरात	113
9	हरियाणा	26
10	हिमाचल प्रदेश	1
11	झारखंड	1
12	कर्नाटक	42
13	केरल	13
14	मध्य प्रदेश	29
15	महाराष्ट्र	153
16	उड़ीसा	6
17	पांडिचेरी	1
18	पंजाब	34
19	राजस्थान	43
20	तमिलनाडु	173
21	उत्तर प्रदेश	40
22	उत्तरांचल	5
23	पश्चिम बंगाल	38
	कुल	825

(ख) वस्त्र क्षेत्र जो कि विगत वर्षों में काफी गतिशीलता प्रदर्शित करता रहा है में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद संगठित क्षेत्र में ऐसी अनेक मिलें विशेषकर मिश्रित मिलें हैं जो उच्च ऊर्जा लागत, आधुनिकीकरण की कमी, अनपेक्षित (ब्लोटेड) कार्मिक शक्ति, निकृष्ट प्रबंधन तथा विपणन नीति, अनुपयुक्त उत्पाद मिश्रण, निम्न उत्पादकता तथा आंतरिक कारकों आदि जैसी कारणों से रुग्ण हैं।

(ग) और (घ) सरकार एक नीतिगत व्यवस्था विकसित कर रही है जिससे भारतीय उद्योग के विकास और वृद्धि में सुविधा हो। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश, रुग्ण इकाइयों का लाभकारी इकाइयों में विलय, रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (सामाजिक प्रावधान) अधिनियम के तहत बीआईएफआर की स्थापना आदि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक समय–समय पर विस्तृत दिशा–निदेश जारी करता रहा है जिनमें औद्योगिक पुनर्वासन के सभी क्षेत्र अर्थात आरंभिक स्तर पर औद्योगिक रुग्णता का पता लगाना, रुग्ण/कमजोर इकाइयों की पहचान करना, इकाइयों की अर्थक्षमता का अध्ययन करना और फिर केवल अर्थक्षम इकाइयों को राहत और रियायतें देना, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं तथा स्वयं बैंकों के बीच समन्वय बैठाना, संवर्द्धकों के अंशदान के लिए मानदंड, ऋणों के पुर्नभुगतान/पुर्नर्निधारण के लिए विस्तारित अवधि, पैनेल दरों/चक्रवृद्धि ब्याज को परिवर्तित करना तथा माफ करना आदि शामिल है। रुग्ण और संभावित रुग्ण कपंनियों का समय से पता लगाने की व्यवस्था करने की दृष्टि से और ऐसी कंपनियों के संबंध में शीघ्र किए जाने वाले आवश्यक निवारक, सुधारक और उपचारात्मक कदमों के तेजी से निर्धारण के लिए बीआईएफआर की स्थापना कर दी गई है। वह संभावित रूप से अर्थक्षम एककों के संबंध में पुनर्वासन प्रस्तावों की तैयारी के लिए परिचालन एजेंसियां नियुक्त करता है। वह अपने परिणामों के आधार पर पुनर्वासन का निर्णय लेता है। 31.1.2006 की स्थिति के अनुसार बीआईएफआर में रुग्ण एककों के रूप में पंजीकृत 825 मिलों की स्थिति निम्नलिखितानुसार है:–

क्र. सं.	स्थिति	वस्त्र संबंधी सभी मामले
1	जिसे अब तक रुग्ण नहीं घोषित किया गया है	47
2	योजना का प्रारूप	9
3	निवल मूल्य के सकारात्मक होने के कारण छोड़े गए	9
4	विफल एवं पुनः खोले गए	3
5	रखरखाव योग्य नहीं	128
6	अन्य	36
7	एएआईएफआर/न्यायालय द्वारा रिमांड पर	12
8	एएसआईसीए 1985 की धारा 17(2) के अधीन स्वीकृत योजना	3
9	एएआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजाना/ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश/ एएआईएफआर द्वारा स्थगित	2
10	एसआईसीए 1985 की धारा 18(4) के अधीन स्वीकृत योजना	50
11	जांच के अधीन	295
12	बंद करने का नोटिस	11
13	एसआईसीए 1985 की धारा 20(1) के तहत बंद करने के लिए संस्तुत	220
	कुल	825

वस्त्र एककों के स्थायी रूप से बंद होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 15 सितम्बर, 1986 से वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआर एफएस) प्रचालन में है। इस योजना के अधीन राहत केवल तीन वर्षों के लिए टेपरिंग के आधार पर केवल तीन वर्षों के लिए उपलब्ध है परंतु वह निम्नलिखित तरीके से अधिवर्षिता की तारीख से आगे नहीं बढ़ायी जायेगी:–

- एकक के बंद होने के प्रथम वर्ष में वेतन 75% के समतुल्य
- दूसरे वर्ष में वेतन के 50% के समतुल्य
- तीसरे वर्ष में वेतन के 25% के समतुल्य

21.10.2006 तक इस योजना के तहत गुजरात में 32 एकक, तमिलनाडु में 4 एकक, महाराष्ट्र में 3 एकक, मध्य प्रदेश में 4 एकक, कर्नाटक में 1 एकक तथा दिल्ली में 1 एकक अर्थात् कुल 45 मिलों को इस योजना के तहत पात्र पाया गया था। 45 मिलों के 99,132 पात्र कामगारों में से कुल 79927 कामगारों को 185.03 करोड़ रु. की राहत संवितरित की गई थी।

(ङ) 65 गैर अर्थक्षम मिलों के कामगारों जिन्होंने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) का विकल्प लिया था को बहुत ही आकर्षक मुआवजा दिया गया तथा एनटीसी ने मुआवजे के रूप में 53,656 कामगारों को 1860.80 करोड़ रु. का भुगतान किया।

(च) और (छ) बीआईएफआर ने एनटीसी की पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन व्यापार संघों सहित सभी भागीदारों से परामर्श के बाद किया था।

जन शिक्षण संस्थान

3953. श्री जी. वी. हर्ष कुमार :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक चल रहे/स्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार की जन शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा तथा स्थिति क्या है; और

(घ) लंबित प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) देश में अब तक 194 जन शिक्षण संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं। संस्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की राज्य–वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जन शिक्षण संस्थान योजना में राज्य सरकारों के तत्वाधान में जन शिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रावधान नहीं है। इस योजना के अनुसार जन शिक्षण संस्थान स्वैच्छिक संगठनों को अथवा जहां उपयुक्त स्वैच्छिक संगठन न मिले केवल वहां विश्वविद्यालय को संस्वीकृत किए जा सकते हैं।

विवरण

देश में संस्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत जनशिक्षण संस्थानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	01
3.	असम	03
4.	बिहार	07
5.	छत्तीसगढ़	02
6.	दिल्ली	02
7.	गोवा	01
8.	गुजरात	07
9.	हरियाणा	05
10.	जम्मू और कश्मीर	01
11.	झारखंड	05
12.	कर्नाटक	10
13.	केरल	09
14.	मध्य प्रदेश	24
15.	महाराष्ट्र	16
16.	मणिपुर	03
17.	मिजोरम	01
18.	नागालैंड	01
19.	उड़ीसा	12
20.	पंजाब	02
21.	राजस्थान	06
22.	तमिलनाडु	09
23.	त्रिपुरा	01
24.	उत्तर प्रदेश	42
25.	उत्तरांचल	05
26.	पश्चिम बंगाल	08
27.	चंडीगढ़	01
	कुल	194

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी अनुमति से यह बताने की अनुमति दी जाए कि हम आज चार बजे तक केवल एक विधायी मद, बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक का निपटान कर देंगे और आपकी सहमति तथा सभा की अनुमति से आज 4.30 बजे तक मंत्री महोदय के उत्तर सहित इससे संबंधित विचार–विमर्श भी समाप्त कर दिया जायोगा? नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा केवल एक मिनट के लिए शुरू की जाएगी और इसे आगामी सत्र में जारी रखा जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा का यही मत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम ऐसा ही करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा क्योंकि आप सीट का दुरुपयोग कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : मैं कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5632/06]

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5633/06]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5634/06]

(ग) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5635/06]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से...

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले से अनुमति लेनी चाहिए थी। मैं भविष्य में इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) स्टॉक बाजार घोटाले तथा उससे संबंधित मामले – दिसम्बर, 2006 के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की–गई–कार्यवाही के बारे में सातवें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5636/06]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर विवरणी तैयारकर्ता योजना, 2006 जो 28 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2039 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5637/06]

(3) मध्यावधि समीक्षा – 2006–2007 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5638/06]

(4) स्वापक औषधि और मन–प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन–प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2006 जो 13 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5639/06]

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5640/06]

(2) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्माल इंडस्ट्रीज, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार स्माल इंडस्ट्रीज, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5641/06]

(3) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5642/06]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5643/06]

(ख) (एक) दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5644/06]

(ग) (एक) अंडमान एंड निकोबार आईलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान एंड निकोबार आईलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशलन लिमिटेड, पोर्ट ब्लयेर का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5645/06]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5646/06]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5647/06]

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5648/06]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5649/06]

(2) (एक) वूल एंड वूलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एंड वूलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5650/06]

(3) (एक) सेन्ट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5651/06]

(4) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5652/06]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री संतोष मोहन देव की ओर से वर्ष 2005–2006 के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य–निष्पादन के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड एक से तीन) (सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5653/06]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5654/06]

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5655/06]

(3) (एक) सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5656/06]

(5) (एक) सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5657/06]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 12, श्री प्रफुल पटेल – उपस्थित नहीं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं, अपने सहयोगी श्री सुरेश पचौरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट कंज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केन्द्रीय भंडार), नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड (केन्द्रीय भंडार), नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5658/06]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2005 जो 18 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 674(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5659/06]

(3) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पीटल, वर्धा के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पीटल, वर्धा के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5660/06]

(4) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के

वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीखा प्रतिवेदन ।

(तीन) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5661/06]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5662/06]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचरोपैथी, पुणे के वर्ष 2005–2006 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचरोपैथी, पुणे के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5663/06]

(7) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5664/06]

(8) (एक) न्यू दिल्ली ट्यूबरकोलोसिस सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) न्यू दिल्ली ट्यूबरकोलोसिस सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5665/06]

(9) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5666/06]

(10) (एक) लाला राम स्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकोलोसिस एंड रेसपिरेटरी डिजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम स्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकोलोसिस एंड रेसपिरेटरी डिजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5667/06]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलोजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलोजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5668/06]

(12) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और

वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम 2005 जो 30 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि. 698(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2006 जो 5 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 402 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम 2006 जो 20 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि. 656(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) उपर्युक्त (11) की मद संख्या (एक से दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5669/06]

(14) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) जो 18 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उसमें उल्लिखित सदस्यों वाली विषय–निर्वाचन समिति का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5670/06]

(15) उसमें उल्लिखित 27 संस्थानों के वर्ष 2004–2005 और 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5671/06]

(16) (एक) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5672/06]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 15 – डा. दासरि नारायण राव।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं अपने सहयोगी डा. दासरि नारायण राव की ओर से...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पूर्व अनुमति लिए बिना मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह बीमारी बनती जा रही है।

...(व्यवधान)

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : प्राधिकार देने के लिए अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले मेरी अनुमति लेनी होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मंत्री जी अनुपस्थित होंगे। यह अंतिम बार है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्षमा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह अधिकार का मामला नहीं बन जाता।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, माननीय मंत्री ने कार्यालय को एक पत्र भेजा है कि वह उनकी ओर से पत्र सभा पटल पर रखेंगी।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। यदि गलती यहां की होगी तो मैं उसे

ठीक करूंगा। परन्तु ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी खड़ा हो सकता है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, डा. दासरि नारायण राव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) नेवेली लिगनाईट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा– परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक– महालेखा– परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5673/06]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सीमा सुरक्षा बल (ट्रेड्समैन ग्रुप 'सी' एंड इनरॉल्ड फौलोअर्स ग्रुप 'डी' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2006 जो 26 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल जल विंग (समूह 'ख' युद्धक तकनीकी स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 जो 12 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 199 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल वायु विंग स्टोरमैन संवर्ग समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 जो 26 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा सुरक्षा बल युद्धक सहायक उप निरीक्षक (कनिष्ठ लेखाकार) और हेड कांस्टेबल (क्लर्क) भर्ती नियम, 2006 जो 19 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 203 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल संचार (अराजपत्रित) संवर्ग भर्ती नियम, 2006 जो 22 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 83 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सीमा सुरक्षा बल मोटर परिवहन वर्कशॉप (अराजपत्रित) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 जो 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 234 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2006 जो 16 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3678 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5674/06]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5675/06]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजूकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजूकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5676/06]

(5) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5677/06]

(6) (एक) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5678/06]

(7) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), रायपुर के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), रायपुर के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5679/06]

(9) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), रायपुर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), रायपुर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5680/06]

(11) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात 9 महीनों की निर्धारित आवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5681/06]

(12) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात 9 महीनों की निर्धारित आवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5682/06]

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) एजुकेशनल कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5683/06]

(14) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलासौफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलासौफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5684/06]

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5685/06]

(17) (एक) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5686/06]

(18) भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5687/06]

(19) भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5688/06]

(20) भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(21) उपर्युक्त (18 से 20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5689/06]

(22) विश्व भारती के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5690/06]

(23) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5691/06]

(24) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5692/06]

(25) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5693/06]

(26) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5694/06]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5695/06]

(2) (एक) एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनान्स मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनान्स मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5696/06]

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) सा.का.नि. 724(अ) जो 11 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भेड़ के लिए बीमाधारक को साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए कर योग्य सेवा को उस पर लगने वाले सेवा कर से पूर्ण छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2006 जो 2 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 688(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखीं गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 5697/06]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) सा.का.नि. 716(अ) जो 20 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि कतिपय शर्तों के अध्यधीन, '5% इथानोल मिश्रित पेट्रोल' जो कि 95% मोटर स्प्रीट और 5% इथानोल की मात्रा का सम्मिश्रण शामिल है और भारतीय मानक ब्यूरो की पुष्टि में है, पर कोई उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 717(अ) जो 20 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5698/06]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 733(अ) जो 4 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5699/06]

(6) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 36वें मूल्यांकन प्रतिवेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5700/06]

(7) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 के अंतर्गत बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 27 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 50/केए/एचआरएम/2006–07/178 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5701/06]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : मैं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (परिषद की बैठकों में उपस्थित होने के लिए भत्ते) नियम, 2006 जो 6 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5702/06]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : मैं श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5703/06]

(2) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2006–2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5704/06]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5705/06]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : मैं श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5706/06]

(2) (एक) साऊथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5707/06]

(3) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5708/06]

(4) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5709/06]

(5) (एक) टेक्सटाइल कमिटी, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल कमिटी, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5710/06]

(6) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5711/06]

(7) (एक) सिन्थेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिन्थेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5712/06]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैन्डलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैन्डलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5713/06]

(ख) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5714/06]

(9) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5715/06]

(10) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5716/06]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5717/06]

(2) (एक) फ्लुइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट पलक्कड के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लुइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट पलक्कड के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5718/06]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5719/06]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5720/06]

(2) ऑफिस ऑफ दि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस, ट्रेड मार्क्स एण्ड रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस,

मुंबई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5721/06]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5722/06]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षत की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5723/06]

(2) (एक) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5724/06]

(3) टी बोर्ड के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5725/06]

(4) (एक) जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5726/06]

(5) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5727/06]

(6) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5728/06]

(7) (एक) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5729/06]

(8) (एक) शेलॉक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) शेलॉक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) शेलॉक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5730/06]

(9) (एक) काउंसिल ऑफ लेदर एंक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5731/06]

(10) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5732/06]

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5733/06]

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर साहु। कोई नोटिस नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हम परमीशन ले चुके हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। तथापि, आज अंतिम दिन है। अगली बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द्रशेखर साहु की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2005–2006 का वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5734/06]

(1) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5735/06]

(3) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5736/06]

(4) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रैंटिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रिजन), मुंबई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रैंटिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रिजन), मुंबई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5737/06]

(5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5738/06]

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5739/06]

(8) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5740/06]

(10) (एक) नार्थ–ईस्टर्न रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ–ईस्टर्न रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5741/06]

(12) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5742/06]

(13) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग 1 और 2), दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग 1 और 2), दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5743/06]

(15) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5744/06]

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5745/06]

(19) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5746/06]

(20) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5747/06]

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5748/06]

(23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5749/06]

(24) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5750/06]

(26) तेजपुर विश्वविद्याल के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5751/06]

अपराह्न 12.05 बजे

प्राक्कलन समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री सी. चिन्नास्वामी (मद्रास उत्तर) : 'जन कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (कापार्ट)' के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित प्राक्कलन समिति (चौदहवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : मैं 'यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन' विषय पर वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग–बीमा प्रभाग) की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : मैं 'विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के पुनर्वास संबंधी योजना–स्वाधार' के विषय पर समिति द्वारा की गई कार्यवाही के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.6½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित की गई कार्रवाही के विवरणों के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) एयर इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के पहले (की–गई–कार्यवाही) प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) एमएमटीसी–स्वर्ण व्यापार (एमएमटीसी द्वारा स्वर्ण का आयात) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के छठे (की–गई–कार्यवाही) प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) ओएनजीसी लिमिटेड–अत्यधिक हैंडलिंग क्षमता के सृजन के कारण परिहार्य व्यय के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के सातवें (की–गई–कार्यवाही) प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.07 बजे

याचिका समिति

20वां से 23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं:–

(1) वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों पर बीसवां प्रतिवेदन।

(2) याचिका समिति द्वारा (चौदहवीं लोक सभा) अपने सोलहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की–गई–कार्यवाहा संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मामलों पर बाईसवां प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय से संबंधित मामलों पर तेईसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07½ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

(एक) 20वां से 22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हंसराज जी अहीर : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2006–2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(एक) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006–07) संबंधी 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 20वां प्रतिवेदन;

(दो) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006–07) संबंधी 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन;

(तीन) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006–07) संबंधी 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्री हंसराज जी. अहीर : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे अनुवर्ती कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004–05) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(2) "कोयला खानों में सुरक्षा" विषय पर कोयला मंत्रालय से संबंधित सातवां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(एक) 18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरूदास कामत (मुम्बई उत्तर–पूर्व) : मैं विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2006–07 की अनुदानों की मांगों के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) विवरण

श्री गुरूदास कामत (मुम्बई उत्तर–पूर्व) : मैं "त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन (एपीडीआरपी)" विषय पर विद्युत मंत्रालय की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (चौदहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

17वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

के संबंध में 'अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006' पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2006–07) के सत्रहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.09½ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) 19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : मैं भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : मैं भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 36वें और 37वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 36वें और 37वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 'क' (देखिए दिनांक 1 सितम्बर, 2004 का लोकसभा समाचार, भाग–II), के अनुपालन में वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) की आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण दे रहा हूं जिसे मैं अपना विशेषाधिकार मानता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) के 36वें प्रतिवेदन को लोकसभा में 22 मई, 2006 को प्रस्तुत/राज्य सभा में सभा पटल पर रखा गया। यह वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय एवं विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006–07) से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में, समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया और 20 सिफारिशें की जिन पर सरकार की ओर से कार्यवाही की जानी है। ये सिफारिशें मुख्यतः निजी बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रदान करने, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, नाबार्ड, डी आर टी अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन, लघु वित्त क्षेत्र/संस्थाओं, ब्याज दरों, आर बी आई द्वारा निर्धारित दरें, सरकारी क्षेत्र की गैर–जीवन बीमा कम्पनियों की सेवाओं के संचलन एवं गुणवत्ता में प्रोन्नयन, समझौता ज्ञापन, सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यू एच आई एस) के कार्यान्वयन, निवेशक सुरक्षा कोष, आई पी ओ – डी मैट घोटाला, एफ आर बी एम की रूपरेखा और लक्ष्य, विनिवेश पर श्वेत पत्र, राष्ट्रीय निवेश कोष और राष्ट्रीय निवेश कोष के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/अभ्युक्तियों संबंधी की गई कार्रवाई के विवरणों को 6 सितम्बर और 14 नवम्बर, 2006 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। 36वें प्रतिवेदन में इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को अनुबंध 'क' में दर्शाया गया है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) के 37वें प्रतिवेदन को 22 मई, 2006 को लोकसभा में प्रस्तुत/राज्य सभा में सभा पटल पर रखा गया। यह वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006–2007) से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में, समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया और सिफारिशें की जिन पर सरकार की ओर से कार्यवाही की जानी है। ये सिफारिशें मुख्यतः आयकर प्रतिदाय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बकाया की वसूली, छूट कर मामलों से संबंधित अदालती मामले, सीबीईसी और सीईडीटी की पुनर्संरचना एवं कम्प्यूटरीकरण जैसे मुद्दों से संबंधित है। सरकार ने 16 सिफारिशों में से 13 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और एक सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। दो सिफारिशों को स्वीकृति के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया।

इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/अभ्युक्तियों संबंधी की गई कार्यवाही विवरण को 16 अक्टूबर, 2006 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया। सैंतीसवें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को अनुबंध 'ख' में दर्शाया गया है।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5752/06

मैं अनुबंधों में दी गई सामग्री को पढ़ने में सभा का मूल्यवान समय नहीं लूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इन्हें पढ़ा मान लिया जाए।

(दो) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

* **विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज)** : मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दी गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.11½ बजे

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऐसे कार्यों के माध्यम से जिनसे उस क्षेत्र का प्राकृतिक संसाधन आधार विकसित होता हो, गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर उनके जीवन–यापन की सुरक्षा में वृद्धि करना है ताकि रोजगार सृजन की प्रक्रिया में स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके। यह अधिनियम सितम्बर, 2005 में बना था। इसे 2 फरवरी, 2006 को 27 राज्यों के 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने अपने मौजूदा अधिनियम को एनआरईजीए के अपरक्राम्य सांविधिक प्रावधानों के अनुसार बनाने के लिए संशोधित किया है। मंत्रिमंडल ने अधिनियम को जम्मू और कश्मीर तक में भी लागू करने के लिए इसे संशोधित करने का अनुमोदन किया है। वक्तव्य का शेष भाग सदन के पटल पर रखा गया।

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5753/06

अपराह्न 12.12 बजे

(चार) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं:

भारत सरकार के अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'भारत निर्माण' के छह घटकों में से तीन घटकों यथा ग्रामीण पथ, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण पेयजल का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इन तीनों घटकों पर भारत निर्माण के लिए निर्धारित कुल बजट 1,74,000 करोड़ रुपये का लगभग आधा 85,000 करोड़ रुपये का उपयोग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चार वर्षों में 2009 तक किया जाना है। मैं इन तीनों कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति के बारे में सदन को सूचित करना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शुरू से लेकर अब तक 1,94,740 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिनसे लगभग 60,000 बसावटों का सम्पर्क स्थापित होगा। इनकी लागत 36,994 करोड़ रुपये है।

माह नवम्बर, 2006 तक कुल एक लाख कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे 30,000 बसावटों का सम्पर्क स्थापित हो गया है। योजना में अब तक 17056 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 2000 से 2004 तक 2500 करोड़ सालाना खर्च हुआ जबकि वर्ष 2005–06 में 4200 करोड़ और इस वर्ष 9050 करोड़ खर्च कर, अगले दो वर्षों में 35,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

वर्तमान सरकार ने इस कार्यक्रम को अत्यधिक गति प्रदान की है, जो इस तथ्य से विदित है कि पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा 81,120 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी लागत 20,332 करोड़ रुपये है।

सरकार ने भारत निर्माण के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा है कि 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले 40,436 गांवों (पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले 26,366 गांवों), इस प्रकार सभी 66,802 गांवों को वर्ष 2009 तक अनिवार्य रूप से सर्वमौसमी पथों से जोड़ा जाएगा, जिसमें कुल 48,000 करोड़ रुपये व्यय होंगे। 1,46,185

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5754/06

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5755/06

कि.मी. लम्बाई की नयी सड़कों और 1,94,130 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का उन्नयन होना है।

सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। तदनुसार, त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी पद्धति विकसित की है। जन–साधारण की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्य स्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता हेतु ऑनलाइन, प्रबंधन, निगरानी तथा लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस) एवं तकनीकी अंकेक्षण की व्यवस्था विकसित की गई है।

भारत निर्माण के दूसरे घटक, ग्रामीण आवास में, 4 वर्षों में 60 लाख मकान बनाने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 15 लाख घरों का निर्माण कार्य इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में इन्दिरा आवास योजना का बजटीय उपबंध 2920 करोड़ रुपये है, जिसके विरुद्ध 1455 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं और 4 लाख 90 हजार घरों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में लाभान्वितों के चयन में पारदर्शिता बनाने के लिए वर्ष 2002 बी.पी.एल. सर्वे के आधार पर गरीबी के क्रम में "इन्दिरा आवास योजना स्थायी प्रतीक्षा सूची" बनाकर इस सूची में स्कूल अथवा पंचायत भवन की दीवार पर लिखवाया जाना, जिले की वेबसाइट पर डालना और पुस्तिका छपवाने की व्यवस्था लागू की गई है।

कार्यक्रम के तीसरे घटक ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत, भारत निर्माण में अब तक 1826 अनाच्छादित 14,666 आंशिक रूप से आच्छादित, 118535 स्लिप्ड बैक तथा 5151 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2009 तक 3052 अनाच्छादित, 38894 आंशिक रूप से आच्छादित, 252060 स्लिप्ड बैक तथा 147576 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वजलधारा एवं नेशनल वाटर क्वालिटी मानिटरिंग एवं सर्विलेंस कार्यक्रम चालू किया गया है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में अत्यधिक तीव्र गति से उपलब्धि सुनिश्चित की गई है। पिछले वर्ष 97 लाख ग्रामीण शौचालयों का निर्माण कराया गया है। देश के 569 जिलों को सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया जा चुका है। वर्ष 2001 तक देश के ग्रामीण इलाकों में 22 प्रतिशत घरों में शौचालयों की व्यवस्था भी उस को बढ़ाकर अब तक 40 प्रतिशत घरों में शौचालयों की व्यवस्था हो गयी है और वर्ष 2012 तक देश के सम्पूर्ण स्वच्छता आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च, 2007 तक सभी विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की अनिवार्य व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में 40 पंचायतों, वर्ष 2006 में 770 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया गया तथा वर्ष 2007 में 9703 ग्राम पंचायतों, 120 प्रखंडों तथा 2 जिला पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार भारत निर्माण कार्यक्रम पूरी सफलता की ओर जा रहा है, जिसमें सम्पूर्ण सदन और सभी माननीय सदस्यों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है।

अपराह्न 12.12½ बजे

(पांच) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग–II के द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश 73ए के अनुसरण में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 176वां प्रतिवेदन 22 मई, 2006 को लोक सभा में रखा गया था। यह प्रतिवेदन समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सभा पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दी गई है। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.13 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना

इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड (आईडीबीआई) के प्रबंधन तथा इम्पलाइज एसोसिएशन के बीच हुए मजदूरी समझौते के लागू न होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे इस पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं:

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5758/06

"इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईडीबीआई) के प्रबंधन तथा इम्पलाइज एसोसिएशन के बीच हुए मजदूरी समझौते को लागू न होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से एक वक्तव्य सभा पटल पर रख सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

***श्री पी. चिदम्बरम** : आई.डी.बी.आई. को आई.डी.बी.आई. अधिनियम, 1964 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से गठित किया गया था और यह 20 जून, 1964 को अस्तित्व में आया। आई.डी.बी.आई. को दिनांक 1.10.2004 के प्रभावी रूप से आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 के तहत आईडीबीआई लिमिटेड अर्थात एक बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त, आईडीबीआई बैंक को 2 अप्रैल, 2005 से विलय स्कीम के तहत आईडीबीआई लिमिटेड के साथ विलय किया गया। अब आईडीबीआई लिमिटेड को आईडीबीआई (उपक्रमों का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2003 के तहत कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कम्पनी के रूप में है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ग) की परिभाषा के तहत वाणिज्य बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए बैंकिंग कम्पनी के रूप में गठित किया गया है। इसे "सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आईडीबीआई के प्रबंधन ने 1.11.2002 से 31.10.2007 तक की अवधि के लिए 17 मार्च, 2006 को आईडीबीआई के यूनियनों/संघों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ एवं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधन के बीच 5 अक्टूबर, 2005 को हुए समझौता ज्ञापन के प्रावधानों में किसी प्रकार का आशोधन आवश्यक परिवर्तन सहित इस समझौते पर लागू होगा और यदि आवश्यक हो, तो दोनों ही पक्ष ऐसे आशोधन को प्रभावी बनाने के लिए कोई संशोधी समझौता कर सकते हैं।

(ii) यह समझौता भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदन के पश्चात तथा उसी सीमा तक प्रभावी होगा जिसके लिए बैंक द्वारा अनुमोदन लिया गया है और ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति लंबित होने पर इस समझौते के किसी प्रावधान के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा।

इस प्रकार इस ज्ञापन में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि यह भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात ही और उस सीमा तक, जहां तक अनुमोदन प्राप्त हुआ हो, लागू होगा।

चूंकि आईडीबीआई लिमिटेड इस समय सरकारी क्षेत्र का एक वाणिज्य बैंक है, अतः वेतन एवं भत्तों सहित सभी मामलों में सरकारी क्षेत्र के अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह इसका भी बैंचमार्क होना चाहिए। सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईडीबीआई द्वारा अंगीकार किए जाने वाले कोई वेतन पैकेज बातचीत से संबंधित सुनिर्धारित तत्वों, अर्थात तुल्य, न्यायपूर्ण एवं आईडीबीआई की भुगतान क्षमता के अधीन हो।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने दिनांक 31.7.2006 के पत्र के तहत वेतन एवं भत्ते का अनुमोन किया, साथ ही दिनांक 17.3.2006 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया, लेकिन समझौता ज्ञापन के संबंधित खंडों को निम्नलिखित खंड में प्रतिस्थापित करने के लिए कहा:

"हम सहमति व्यक्त करते हैं कि इस समझौते में निहित वेतन एवं भत्ते इन तथ्यों के आधार पर परस्पर सहमत किया गया है कि यह समझौता अवधि दिनांक 1.11.2002 को शुरू होगी तथा दिनांक 31.10.2007 को समाप्त हागी। हम सहमत हैं कि दिनांक 1.11.2007 को शुरू होने वाले वेतन एवं भत्ते तथा सेवा शर्तों के समझौता सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रचलित पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक एवं उसके कर्मचारियों के बीच में बातचीत एवं सहमति के आधार पर उभरने वाले शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर होगा।"

आईडीबीआई लिमिटेड के प्रबंधन ने सूचित किया है कि हालांकि अधिकारियों (1258) के लिए वेतनमान संशोधित किया गया है, वहीं कर्मकार स्टाफ (1141) के लिए ये लागू नहीं किया जा सका। अनुनय करने के लिए सभी प्रयास करने के बावजूद सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार करने के लिए ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंप्लायेज एसोसिएशन (एआईआईडीबीईए) तैयार नहीं है। एआईआईडीबीईए मांग करती रहती है कि किसी प्रकार की शर्त न रखते हुए समझौता ज्ञापन को समग्र रूप से तत्काल लागू किया जाए।

विरोध प्रदर्शित करने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में, एआईआईडीबीईए 27.11.2006 से 1.12.2006 (पांच दिन) तक की अवधि में उसके सदस्यों द्वारा एक "रिले अनशन" किया है, जिसके लिए बैंक को किसी प्रकार का औपचारिक नोटिस नहीं दिया गया था। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। बैंक का देनंदिन परिचालन भी प्रभावित नहीं हुआ तथा सभी कार्यालयों/शाखाओं ने

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5757/06

[श्री पी. चिदम्बरम]

सामान्य रूप से कार्य किया। एआईआईडीबीईए, जो आईडीबीआई लिमिटेड के लिपिकीय एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, ने दुबारा दिनांक 13 एवं 14 दिसम्बर, 2006 को हड़ताल की। सरकार ने सकारात्मक रूप से यूनियन को समझाने तथा बातचीत के माध्यम से निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए प्रबंधन को सलाह दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आईडीबीआई अपने आरम्भ से ही भारतीय रिजर्व बैंक के एक अभिन्न अंग के रूप में औद्योगिक वित्त विभाग नाम से कार्य कर रहा था। आईडीबीआई को औपचारिक रूप से वर्ष 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक से अलग किया गया तथा इसे सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सर्वोच्च संस्था का दर्जा दिया गया।

आईडीबीआई अधिनियम, 2003 में निरसित किया गया तथा आईडीबीआई को अपनी विकास बैंक की भूमिका निभाने के साथ–साथ बैंकिंग व्यवसाय चलाने के लिए एक नामित बैंकिंग कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया।

इस विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए, पूर्व वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि आईडीबीआई मानित बैंकिंग कंपनी में परिवर्तित होने के बाद भी विकास वित्त संस्था ही बनी रहेगी। इसे अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में रखा गया।

जब सेवा शर्तों के बारे में हमने प्रश्न उठाया, तो आईडीबीआई निरसन अधिनियमन, 2002 की धारा 5(1) के संबंध में पूर्व वित्त मंत्री ने एक और आश्वासन दिया था। वह आश्वासन क्या था? कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी तथा नई व्यवस्था में कर्मचारियों को उन्हीं सेवा शर्तों का लाभ मिलता रहेगा। कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संरक्षण के संबंध में आईडीबीआई निरसन अधिनियम की धारा 5(1) में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पूर्ववर्ती आईडीबीआई – जो कि केवल एक अनुवर्ती तथा स्वतंत्र विकास बैंक था – और आईडीबीआई लिमिटेड के विलय का आईडीबीआई निरसन अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वर्ष 1964 में इसकी स्थापना के समय से ही आईडीबीआई कर्मचारियों की सेवा शर्तें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जा रही सेवा शर्तों के अनुरूप ही लागू होती रही हैं। इस प्रकार से मजदूरी एवं अन्य संबंधित मामलों में समानता तथा संबद्ध आईडीबीआई कर्मचारियों की सेवा शर्तों का एक भाग बन गया। इस मजदूरी समझौते से पूर्व जब वर्ष 1977 में आईडीबीआई को आर बी आई से अलग किया गया था जब 1977 में आईडीबीआई संघ तथा आईडीबीआई बोर्ड के बीच पांच मजदूरी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे।

वर्तमान समझौते पर 17 मार्च, 2006 को हस्ताक्षर किए गए। तब से यह वित्त मंत्रालय के पास लंबित पड़ा है। इस समझौते को सरकार के दो नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों सहित बैंक के निदेशक मंडल ने अनुमोदन किया था। निदेशक मंडल में सरकार के दो नामनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं। वे भी सहमत हो गए थे तथा इस पर 4 मार्च, 2006 को हस्ताक्षर किए गए और इसे वित्त मंत्रालय के अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय भेज दिया गया।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित दो शर्तें लगा दी थीं। पहली शर्त आईडीबीआई के साथ संबंध प्रदान करने वाले खण्ड जो कि 1977 से चल रहा था जब आईडीबीआई को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग किया गया, का लोप करने के संबंध में थी, सम्बन्ध रखे जाने के खण्ड को हटाए जाने का प्रश्न वित्त मंत्रालय द्वारा पहले कभी नहीं उठाया गया था।

इस सभा में पूर्व वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट तौर पर आश्वासन दिए जाने के बाद भी इस मुद्दे को पहली बार उठाया गया। पहली शर्त संबंध प्रदान करने वाले खण्ड को हटाए जाने की है, और दूसरी शर्त अगले मजदूरी समझौते जो कि 1.11.07 से प्रभावी होगा, से लागू होगी। ये दो शर्तें जोड़ी जाएंगी।

दूसरी शर्त यह है कि वेतन एवं भत्ते तथा सेवा शर्तें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुरूप होंगी। यह पूर्व वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के विपरीत है। मैं समझता हूं कि आपको याद होगा कि जब हमने संशोधन पेश किया था तब 60 मत 'पक्ष में' तथा 60 मत 'विपक्ष' में पड़े थे। वह संशोधन मैंने पेश किया था। इसे वापस लेने के लिए मुझसे अनुरोध किया गया था। जब पूर्व वित्त मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया, तब मैंने इसे वापस ले लिया। आज वर्तमान वित्त मंत्री पूर्व वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का सम्मान नहीं करना चाहते हैं तथा ऐसी शर्तें लगाना चाहते हैं जो पहले पांच वेतन समझौतों में कभी नहीं थी। आज वे कुछ शर्तें लगा रहे हैं तथा मजदूरी समझौता होना पिछले कई वर्षों से लंबित है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार का रुख आईडीबीआई निरसन अधिनियम की धारा 5, उपधारा (1) में सन्निहित उपबंधों की घोर उपेक्षा करने वाला है। आश्वासन दिया गया था कि सेवा शर्तों का संरक्षण किया जाएगा तथा इसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा लेकिन वह शर्त यहां लगा दी गई है तथा उन्हें सेवा शर्तों में परिवर्तन के लिए सहमत होना होगा। वे इस बात पर भी सहमत थे कि भविष्य में भी हर बात अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान ही होंगी।

यह बात आईडीबीआई निरसन अधिनियम पर चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री द्वारा दिए गए विधिवत आश्वासन का उल्लंघन है। दूसरी सभा में भी यही आश्वासन दिया गया था। जब एक आश्वासन दिया गया था तो उसे लागू किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही आप 10 मिनट बोल चुके हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : यदि नई शर्तें लगाई जा रही हैं तो इसका अर्थ है कि पूर्व वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन की उपेक्षा की जा रही है। आईडीबीआई निरसन अधिनियम की धारा 5, उपधारा (1) के संबंध में सेवा शर्तें जारी रखने के संबंध में पूर्व वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे एसोसियेशन तथा प्रबंधन के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते को अपनी स्वीकृति देंगे? क्या वित्त मंत्रालय कोई शर्त लगाएगा? क्या मंत्रालय प्रबंधन तथा कर्मचारी संघों के बीच हस्ताक्षर किए गए मजदूरी समझौते को बिना किसी विलम्ब के स्वीकृति देगा ताकि इसे लागू किया जा सके? क्या पूर्व वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को पूर्णतः लागू किया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : श्री पाण्डा, कृपया एक ही प्रश्न पूछिए तथा भाषण मत दीजिए।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : मैं भाषण नहीं दूंगा, लेकिन जो इन्होंने कहा उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : और बात जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री प्रबोध पाण्डा : महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड के कर्मचारी संघ ने 27 नवम्बर से 1 दिसम्बर तक अखिल भारतीय स्तर पर भूख–हड़ताल रखी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह बात उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की है।

श्री प्रबोध पाण्डा : इसके बाद 13 तथा 14 दिसम्बर को उन्होंने दो दिन की हड़ताल रखी। मेरी बात यह है कि यह छठा समझौता है तथा यह अब तक हुए पूर्व के पांच समझौतों के प्रतिकूल है। यह शर्त जो पहले नहीं थी माननीय मंत्री द्वारा क्यों लगाई गई? शर्तें ऐसी हैं कि वक्तव्य में ही माननीय मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को अपना वेतन मिल गया है जबकि कर्मचारियों तथा कामगारों को अब तक वेतन नहीं मिला है। स्थिति बहुत गम्भीर है तथा इसलिए मैं, मंत्री जी से मांग करता हूं कि बिना कोई शर्त लगाए इस सभा में दिए गए आश्वासन को पूरा किया जाए तथा कामगारों के हितों की रक्षा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, कृपया एक प्रश्न पूछिए।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या आईडीबीआई तथा एसोसिएशन के बीच हस्ताक्षर किए गए सभी पांच मजदूरी समझौते पूर्णतया भारतीय रिजर्व बैंक के समझौतों के अनुरूप हैं? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सभा को आश्वासन दिया है कि निबन्धन एवं शर्तों के संबंध में आईडीबीआई निरसन अधिनियम की धारा 5(1) में सन्निहित प्रावधानों में समानता तथा आर बी आई से संबंध शामिल है तथा क्या यह इसकी घोर उपेक्षा है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, 17 मार्च, 2006 को एसोसिएशन का मैनेजमेंट के साथ छठा एग्रीमेंट हुआ, लेकिन सरकार ने इन एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए भविष्य में दो शर्तें लागू करने की बात कही है। पहली – आरबीआई के अनुरूप आईडीबीआई के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधा वाले उपबंध हैं, उन्हें आईडीबीआई को छोड़ना होगा।

दूसरा – एग्रीमेंट की समाप्ति की तिथि 1.11.2007 के बाद आईडीबीआई के कर्मचारियों को पब्लिक सेक्टर बैंक के वेतन और सेवा शर्तों को मानना होगा, इसके लिए अंडरटेकिंग देनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि किसी प्रकार की शर्त न रखते हुए जो समझौता ज्ञापन है, उसे समग्र रूप से तत्काल टाइमबाउंड बेसिस पर सरकार को लागू करने में क्या कठिनाई है, क्योंकि तत्काल मंत्री ने स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में आश्वास्त कर चुके हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्मानित सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि आईडीबीआई और प्रबंधन के बीच में पांच समझौते पहले भी हो चुके हैं लेकिन बार–बार कुछ शर्तें ऐसी लागू की जाती हैं, जिनकी वजह से वेतन मजदूरी दर तय नहीं हो पा रही है। इस समय वहां के अधिकारियों को तो वेतन मिल रहा है, लेकिन वहां के कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण भुखमरी की कगार पर है, उनको अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और कर्जे के बोझ से वे दब गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी जल्दी बिना शर्त के इस वेतनमान लागू करेंगे, ताकि उन्हें भी वेतन दिया जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं दो और माननीय सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। इसे एक पूर्व उदाहरण न बनाया जाये क्योंकि आज अंतिम दिन है।

श्री गुरूदास दासगुप्त, कृपया केवल एक ही प्रश्न पूछें और सहयोग दें।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों से अधिक हैं। यह एक विवाद है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या नई सरकार के अंतर्गत पहले से चली आ रहीं उनकी सेवा शर्तें विद्यमान रहेंगी जैसा कि 2002 में तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था, उस पर क्या आप सहमत हैं। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। क्या उन्हें जानकारी है? चूंकि यह आश्वासन सभा में दिया गया था, क्या माननीय वित्त मंत्री, पूर्व मंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में इस पर विचार करेंगे तथा वर्तमान प्रबंधन एवं वर्तमान वित्त मंत्रालय के विचारों से असहमत होंगे कि वेतनमान और भविष्य में लेन–देन सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तरह होगा? यह मुख्य बात है। क्या माननीय मंत्री इन दो प्रश्नों का उत्तर देंगे?

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक। कृपया एक ही प्रश्न पूछकर सहयोग करें। मैं आज काफी छूट दे रहा हूं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह आपकी भलमनसाहत है, महोदय।

मैं श्री बसुदेव आचार्य तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। यह वास्तव में एक आश्वासन है; मेरी इच्छा है कि सरकार उस समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल में दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित करे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, बसुदेव आचार्य जी ने यहां कालिंग अटेंशन के माध्यम से आईडीबीआई के वर्कर्स के संदर्भ में मामला उठाया है, मैं उसके साथ अपने आप को जोड़ता हूं। वर्कर्स एसोसिएशन और आईडीबीआई के मैनेजमैंट के बीच जो वेज सैटलमेंट का एग्रीमैंट हुआ, उसे लागू करने के लिए बाद में जो कंडिशन्स लगायी जा रही हैं, वे बिल्कुल अनुचित और योग्य नहीं हैं। मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस संदर्भ में आईडीबीआई को क्या कोई निर्देश तुरन्त देना चाहेगी? मेरा यही कहना है कि वेज सेटलमैंट के एग्रीमैंट को तुरन्त लागू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, अपनी पार्टी की ओर से मैं उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप इसके साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मामला केवल एक ही मुद्दे पर आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं बैंक का राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 12(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(घय)(ख) के अनुरूप है।

मैं निस्सन अधिनियम की धारा 5(1) पढ़ता हूं जिसमें कहा गया है – मैं असम्बद्ध भाग हटा रहा हूं और मैं उद्धृत कर रहा हूं:

"नियुक्ति की तिथि से तत्काल नौकरी कर रहे विकास बैंक का प्रत्येक अधिकारी अथवा प्रत्येक कर्मचारी अपना पद अथवा सेवा समान अवधि तक संभालेगा, समान पारिश्रमिक लेगा, उसकी निबंधन और शर्तें भी वही रहेंगी, उसके समान दायित्व होंगे तथा समान अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, जहां तक अवकाश भाड़ा रियायत, कल्याण योजना, चिकित्सा योजना, बीमा, भविष्य निधि, अन्य निधियां सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, उपदान तथा अन्य वे लाभ यदि इसका उपक्रम कंपनी के अधीन न होता तो विकास बैंक के अधीन उसे मिलते, वे सब उसे मिलते रहेंगे।"

अतः जब भूतपूर्व आईडीबीआई, विकास बैंक का नई कंपनी आईडीबीआई में विलय किया गया था, तो धारा 5(1) के अंतर्गत रोजगार की किसी शर्त अथवा निबंधन को बदला नहीं गया। किसी बात का उल्लंघन नहीं किया गया। यहां मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि क्या उन्होंने एक नए समझौते पर बातचीत की है या नहीं। एक नए समझौते पर बात करते समय उन्हें बताया गया था – अब आप एक सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं और इसलिए आप निबंधन और शर्तों, वेतन, वेतनमान आदि पर बातचीत कर सकते हैं–और जो भी सहमत होगा हम उसे कार्यान्वित करेंगे। अतः बातचीत करके रखे गए वेतनमान, भत्ते, अन्य सामान्य, पूर्व अर्हताएं तथा निबंधन और शर्तें आदि हैं और हमने उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। जो भी प्रबंधन और संघों ने बातचीत करके माना है हम उन सभी चीजों को मंजूरी देंगे। तथापि, इसके सरकारी क्षेत्र के बैंक बनने के बाद उन्होंने एक शर्त रखी जिसमें कहा गया है, "अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ तथा आर बी आई के प्रबंधन के बीच 5 अक्टूबर 2005 के समझौते के ज्ञापन के प्रावधानों में कोई सुधार आवश्यक परिवर्तन के साथ इस समझौते पर भी लागू होगा। यदि इसके लिए आवश्यक हो दोनों पक्ष एक समझौता कर सकते हैं।" इसका प्रभाव यह हुआ कि यदि आर बी आई बिना बातचीत के अपने कर्मचारियों के साथ अपने समझौते में संशोधन करता है तो वह स्वतः यहां लागू हो जाएगा। इसलिए हमने कहा जब आई डी बी आई एक सरकारी क्षेत्र का बैंक बन जाता है तो इसे स्वीकारा नहीं जा सकता।

श्री दासगुप्त के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने यही सुझाव दिया जो हम कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 1.11.2007 से

भविष्य में कोई भी समझौता अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्य रीतियों के संबंध में बैंक और कर्मचारियों के बीच बातचीत करके सहमत निबंधनों एवं शर्तों पर आधारित होगा।

हमें कोई समस्या नहीं है। किसी भी दूसरे सरकारी क्षेत्र के बैंक की तरह आईडीबीआई के कर्मचारी प्रबंधन के साथ अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों में चल रही कार्य रीतियों तथा तर्कसंगत और भुगतान क्षमता के अनुरूप वेतन निर्धारित करने के जाने–माने सिद्धान्तों के संबंध में बातचीत कर सकते हैं। वे कोई भी समझौता कर सकते हैं और सामान्यतः सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी जैसा कि हमने हस्तक्षेप नहीं किया है। हम केवल उस उपबंध पर आपत्ति जता रहे हैं जो कहता है यदि आर बी आई के कर्मचारियों के साथ आर बी आई समझौते में संशोधन किया जाता है तो वह स्वतः आवश्यक सुधार सहित यहां लागू होगा। महोदय, यह स्वीकार्य नहीं है। मेरे विचार से सभा के अधिकांश वर्ग और मुझे विश्वास है मेरे विद्वान दोस्त भी सहमत होंगे कि समझौते में रखे जाने वाली यह एक अनुचित शर्त है, आर बी आई एक मौद्रिक प्राधिकरण है, आर बी आई एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है। आर बी आई अपनी आय तथा लाभ केन्द्रीय बैंक कृत्यों से अर्जित करता है। अतः आरबीआई एक निश्चित वेतनमान देता है। आज आईडीबीआई सरकारी क्षेत्र का एक बैंक है ...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : इसकी विकासात्मक भूमिका भी है। आप इससे इन्कार नहीं कर सकते।

श्री पी. चिदम्बरम : इस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा कि आईडीबीआई की विकासात्मक भूमिका भी है। विकासात्मक भूमिका के संबंध में संघ और प्रबंधन बातचीत करके एक नए मजदूरी पैकेज पर सहमत हों हमें उस पर कोई समस्या नहीं है। हम उनके द्वारा बातचीत करके सहमत हुई किसी शर्त पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम वेतनमान, भत्ते, पूर्व अर्हता अथवा अन्य बातों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि यह खण्ड न डालें। यदि आर बी आई अपने कर्मचारियों के साथ इसके समझौते में संशोधन करे, तो उसका अर्थ यह होगा कि वह स्वतः इस समझौते के लिए एक संशोधन होगा। मुझे डर है इस बात को नहीं स्वीकारा जा सकता।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह खण्ड पहले वाले समझौते में था या नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : जब आईडीबीआई निरसन अधिनियम नहीं था यह खण्ड विद्यमान था और आईडीबीआई सरकारी क्षेत्र का बैंक नहीं था। आईडीबीआई के कर्मचारियों को आरबीआई से हटा लिया गया। निरसन अधिनियम के बाद आज आईडीबीआई सरकारी क्षेत्र का एक बैंक बन गया है। माननीय सदस्यों ने मुझसे मुलाकात की। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता। मैंने उन्हें बताया कि इस मामले में मेरे साथ रहें। मैं समझौते की हर शर्त को मजूंरी दूंगा यदि उसमें यह खण्ड न हो। कृपया अपने कर्मचारियों को यह खण्ड हटाने की सलाह दें और भविष्य में हम बातचीत करेंगे। आप अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 100 रुपये अधिक ले तो हमें कोई एतराज नहीं है। परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि यदि आर बी आई इस समझौते में संशोधन करता है तो बिना किसी चर्चा के यह स्वतः लगू होगा ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अब मेरी बात पूरी करने दें।

इसलिए हमने केवल यही कहा है कि वह खण्ड हटा दें और यह कहें कि हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यरीतियों के संबंध में भविष्य में एक समझौते पर बातचीत करेंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा आधार मजबूत है, हमने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल की सलाह ली। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल का मत था कि खण्ड 5(1) का अर्थ है, जो मैं कह रहा हूं नामतः पूर्व में सभी विद्यमान निबंधनों एवं शर्तों को बरकरार रखा जाएगा न कि इसका अर्थ यह होगा कि यदि आर बी आई अपने समझौते में संशोधन करता है तो वह सवतः यहां लागू होगा। मेरे साथी मेरी कानूनी व्यवस्था से शायद सहमत न हों। लेकिन इसका उपाय कोई अन्य मंच है। मैं अपने सर्वोत्तम निर्णय तथा जो कानूनी परामर्श मुझे प्राप्त हुआ है, उसी का अनुरूपण कर सकता हूं। मेरी हार्दिक अपील है कि अधिकारियों को इसे स्वीकार करना चाहिए, हम इसे स्वीकृति देंगे।

[अनुवाद]

परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक अपने करार में संशोधन करता है तो वह अपने आप ही लागू होगा और वह भी बिना किसी ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अब अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

इसलिए, हमने जो सब कहा है वह यह कि कृपया उस खंड के स्थान पर दूसरा खंड लाइए और कहिए, "हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों में व्यवहारों के संबंध में भावी करार करेंगे।

हमने सिर्फ यह निश्चित करने के लिए अपर सॉलिसिटर जनरल की राय ली है कि हम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। अगर सॉलिसिटर जनरल स्पष्ट रूप से राय देते हैं कि खंड 5(1) का अर्थ है जो मैं कह रहा हूं, नामतः, सभी पूर्ववर्ती निबंधन और शर्तों को संरक्षण प्रदान किया जाए, यह नहीं कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक अपने करार में संशोधन करता है तो यह यहां अपने आप लागू हो जायेगा। मेरे मित्र मेरी विधिक व्याख्या पर मुझसे असहमत हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो आप

[श्री पी. चिदम्बरम]

किसी दूसरे से राय ले सकते हैं। मुझे जो कानूनी सलाह मिली है और जो मेरा सबसे सटीक निर्णय है मैं उसी के साथ जा सकता हूं। मेरी निष्ठापूर्ण अपील है कि अधिकारियों को इसे स्वीकार करना चाहिए। हम इसे स्वीकृति दे देंगे। कर्मचारियों का एक वर्ग कह सकता है कि हमारे पास यह खंड अवश्य होना चाहिए ...*(व्यवधान)* कृपया, आपका और मेरा वक्तव्य भिन्न हो सकता है। कर्मचारियों का एक वर्ग कह रहा है कि हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित खंड होना चाहिए। मैं आईडीबीआई के कर्मचारियों से अपील करता हूं, आज, कृपया भारतीय रिजर्व बैंक के इस संदर्भ को हटा दीजिए और यह करार आज शाम से लागू हो जाएगा। मेरी अपील है कि हमें मैरी क्रिसमस और नववर्ष को अति सकारात्मक सोच के साथ मनाने दीजिए। कृपया कर्मचारियों को इस खंड को छोड़ देने की सलाह दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे अपका संरक्षण चाहिए। यह आश्वासन दिया गया था कि सेवा शर्तें, मजदूरी और वेतनमान में समानता ...*(व्यवधान)* क्या ये सेवा शर्तें और अन्य लाभ नहीं हैं? कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी, कर्मचारियों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक मैं जारी नहीं रख सकता। आप असंतुष्ट वापस जाते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे आपका संरक्षण चाहिए। यह आश्वासन इस सभा में दिया गया था। जब मैंने इसका संकेत दिया और इसे अभिव्यक्त किया था तो आप भी वहां पर थे ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं। मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूं और इसमें कुछ जटिलताएं हैं। आप कामगारों से भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के बारे में इस खंड को हटाने के लिए कह रहे हैं। इसके साथ, क्या आप अपने प्रबंधन से इसे 1.11.2005 से हटाने के लिए कहेंगे? ...*(व्यवधान)* मैं आपसे यह कह रहा हूं कि उन्हें उस भाग को हटाने दीजिए और आप इस भाग को हटा दीजिए। दोनों विरोधात्मक प्रतिबंध–शर्तों को छोड़ दिया जाए। आप इसे कार्यान्वित कीजिए। भविष्य में, हम इस पर चर्चा करेंगे।

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

अपराह्न 12.40 बजे

(एक) न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 45 पर विचार करेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अभिकरणों का प्राथमिक अन्वेषण और उनकी जांच करने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् की स्थापना के लिए और ऐसे अन्वेषण, जांच और सबूत की और लघुउपाय अधिरोपित करने की; तथा संसद द्वारा राष्ट्रपति को समावेदन उपस्थापित किए जाने की प्रक्रिया का विनियमन करने तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अभिकघनों का प्राथमिक अन्वेषण और उनकी जांच करने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् की स्थापना के लिए और ऐसे अन्वेषण, जांच और सबूत की और लघुउपाय अधिरोपित करने की; तथा संसद द्वारा राष्ट्रपति को समावेदन उपस्थिति किए जाने की प्रक्रिया का विनियमन करने तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, यह नोटिस नहीं है जिसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी आपत्ति पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम, आपने इसे समय पर नहीं दिया है। दूसरे, यह प्रासंगिक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह प्रतीत होता है कि न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही को पृथक–पृथक नहीं किया जा सकता मौजूदा विधेयक न्यायिक जवाबदेही से संबंधित है। यह संयुक्त प्रक्रिया से संबंधित है। यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें भर्ती, नियुक्ति और अनुशासन संबंधी कार्यवाही के मामले में न्यायिक जवाबदेही का उपबन्ध हो। भारत के राष्ट्रीय विधि आयोग का भी यही मत है कि न्यायिक जवाबदेही को निर्धारित करने के लिए एक कानून होना चाहिए। इसे ऐसे मामलों से निपटने की शक्तियों से संपन्न राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठन के लिए संविधि बनाकर किया जा सकता है। इस विधेयक में संयुक्त प्रक्रिया नामक केवल एक

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 2 दिनांक 19.12.2006 में प्रकाशित।

ही पहलू की चर्चा की गई। इसलिए यही समय है न्यायिक आयोग की नियुक्ति के लिए भारत सरकार एक कानून लाए। मैं यही मुद्दा उठाना चाहता हूं और यदि माननीय मंत्री जी मुझे उत्तर देने की कृपा करें तो उनका स्वागत है क्योंकि तभी हमारी आशंकाओं का समाधान हो पाएगा। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : जब आप इस विधेयक पर बोलें तो इन मुद्दों को उठा सकते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, यह इस मुद्दे को उठाने का समय नहीं है। मैं इसके लिए अब और अनुमति नहीं दूंगा। अब कुछ भी कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अभिघनों का प्राथमिक अन्वेषण और उनकी जांच करने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् की स्थापना के लिए और ऐसे अन्वेषण, जांच और सबूत की और लघुउपाय अधिरोपित करने की; तथा संसद द्वारा राष्ट्रपति को समावेदन उपस्थापित किए जाने की प्रक्रिया का विनियमन करने तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.42 बजे

(दो) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 46 लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** भारत के राजपत्र, दिनांक 19.12.2006 असाधारण, भाग–दो, खण्ड 2 में प्रकाशित

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (वियिनमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.43 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:–

(एक) "राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 14 दिसम्बर, 2006 को पारित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा 18 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 15 दिसम्बर, 2006 को पारित अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.44 बजे

विशेषाधिकार हनन की सूचना के बारे में

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन सेठी जी, मुझे आपकी सूचना मिल गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री से टिप्पणी मांगी गई है। उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। इस मामले में उनकी टिप्पणी प्राप्त होने के बाद ही मैं निर्णय लूंगा। इसलिए, यह मामला इस समय सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैंने पिछले मंगलवार को सूचना दी थी और यह आपकी मेहरबानी है कि आपने इस मामले में जानकारी मांगी है। मैंने माननीय अध्यक्ष पीठ के समक्ष सभी संबंधित कागज प्रस्तुत कर दिये हैं। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि एक सामान्य से प्रश्न का उत्तर देने में माननीय मंत्री जी इतना समय क्यों ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को मैं ध्यान में रखूंगा।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, आठ दिन बीत गए हैं। अब आप ही देखिए कि वे कितने बेपरवाह हैं। यह अध्यक्ष पीठ का निर्देश है कि संबंधित टिप्पणी उन्हें प्रस्तुत की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। यदि कुछ और होता है तो इससे अवमानना बढ़ेगी।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, आज सत्र का अन्तिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है। यदि आप उन्हें जेल भेजना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा समय दीजिए।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजें। हम वहां इस पर चर्चा कर सकते हैं और समिति के सभी सदस्य यह जान सकते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्ण निष्ठा और गम्भीरता से इस पर गौर करूंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि आज मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री नकुल दास राई (सिक्किम) : महोदय, मैं सिक्किम राज्य में नई रेल लाइन के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा। यहां रेल लाइन का बिछाया जाना केवल सिक्किम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि समूचे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिक्किम चीन, नेपाल तथा भूटान से घिरा हुआ सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। यदि फनल से होकर रेललाइन बिछाई जाए तो यह राज्य के विकास तथा पर्यटन के संवर्धन में सहायक होगा तथा इससे उस क्षेत्र में सेना के सुगम आवागमन का मार्ग और बढ़ जाएगा।

समूचे देश में रेलवे द्वारा राज्यों की राजधानियों को परस्पर जोड़ा जाना सं.प्र.ग. सरकार का घोषित उद्देश्य था। मैंने पिछले वर्ष के बजट में रेलवे द्वारा सिक्किम की राजधानी गंगटोक को देश के शेष भाग से जोड़ने का मुद्दा उठाया था लेकिन मुझे इसका कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला।

महोदय, मैंने माननीय रेल मंत्री से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से रेलवे में सिक्किम के लोगों को रोजगार देने का अनुरोध किया था लेकिन रेल विभाग द्वारा ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। रेलवे में बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं लेकिन सिक्किम राज्य का एक भी व्यक्ति को इसमें रोजगार नहीं दिया गया है। यदि देश के दूरस्थ तथा दुर्गम स्थानों में रह रहे इन लोगों को रोजगार के अवसर मिलें तो वे स्वयं को राष्ट्र से काफी अधिक जुड़ा हुआ समझेंगे। अतएव, मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अबु हशीम खां चौधरी (मालदा) : महोदय, मालदा के लोगों की तरफ से, मैं गंगा नदी द्वारा भूमि कटाव तथा बाढ़ के कारण उत्पन्न उनकी कठिनाइयों एवं विपत्तियों का ब्यौरा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। गत 25 वर्षों में, यह नदी मालदा शहर के बीच में बह रही है तथा इस दौरान यह नदी शहर के 35 कि.मी. अंदर तक घुस आई है। हजारों लोग बेघरबार तथा भूमिहीन हो गए हैं तथा कंगाल हो गए हैं।

महोदय, भूमिकटाव तथा बाढ़ का प्रबंधन तथा नियंत्रण की जिम्मेवारी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को सौंपी गई है। राज्य सरकार ने कई बार वित्तीय संकट के चलते इतनी बड़ी जिम्मेदारी का वहन करने में असमर्थता जताई है। जब प्रियरंजन दासमुंशी केन्द्रीय मंत्री बने तो उन्होंने कई कदम उठाए तथा कई उपाय किये तथा साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भी इस संबंध में कदम उठाए गए। इसके अच्छे परिणाम निकले। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया।

फरक्का बांध प्राधिकरण ने भी अच्छा काम किया। ऐसा माना जाता है कि मालदा में भू–कटाव की समस्या फरक्का बांध के कारण ही होनी है। इंजीनियरों का कहना है कि पानी के सामान्य बहाव पर प्रतिबंध लगने के कारण इस क्षेत्र में भू–कटाव हो रहा है। मेरे विचार से, केन्द्र सरकार को उस क्षेत्र में भू कटाव तथा बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण तथा संबंधित मरम्मत कार्य की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को मरम्मत का कार्य सौंपा गया है लेकिन उनके द्वारा अपनाई जारही पद्धति काफी पुरानी है। पुनः जब पी. आर. दासमुंशी मंत्री थे, वे जियोटेक्सटाइल्स तथा जियोटेक्नोलॉजी की नई प्रौद्योगिकी के साथ पायलट परियोजना शुरू करना चाहते थे जो काफी

सस्ती है तथा अमरीकी मूल की है। दुर्भाग्यवश उन्हें वहां से हटाकर उस मंत्रालय में ले जाया गया जिसका कार्यभार वे इस समय संभाले हुए हैं। भारत सरकार का कार्य दल जो वहां गया, ने भी कहा कि जियोसिंथेसिस तथा जियोटेक्सटाइल्स 'टेक्नोलॉजी' भू कटाव को रोकने में वहां कामयाब हो सकती है। मेरा तो यह मानना है कि फरक्का बांध को उस क्षेत्र में भू कटाव तथा बाढ़ नियंत्रण की संपूर्ण जिम्मेवारी दे देनी चाहिए क्योंकि वे स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, उनके पास अपने संसाधन हैं तथा वे गंगा नदी के बहाव से परिचित हैं।

अतएव, मेरी आपसे अपील है कि आप केन्द्र सरकार को उस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण तथा भूकटाव की संपूर्ण जिम्मेवारी लेने को कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह मामला उठाने के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाने जा रहा हूं।

योजना आयोग द्वारा राज्यों को योजना सहायता गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दी जाती है परन्तु योजना आयोग प्रत्येक राज्य को दी जा रही सहायता का प्रतिशत भाग स्पष्ट नहीं करता है और न ही उपरोक्त फॉर्मूले के प्रत्येक घटक का प्रतिशत भाग। राज्यों को योजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में निरंतर कमी हो रही है और राज्यों को किसी भी तरह की केन्द्रीय सहायता अथवा विशेष योजना उपलब्ध नहीं कराई गई है। राजस्थान राज्य में इस समय बाड़मेर और जैसलमेर में बाढ़ का पानी अभी तक भरा होने के कारण वहां का जन–जीवन दुखी है। केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिश के बाद भी धनराशि नहीं दी है। राजस्थान सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है, परन्तु जमीन के नीचे खान होने के कारण सफलता नहीं मिल रही है। धन का अभाव है और राजस्थान के पूर्वी जिलों में विशेषकर जयपुर संसदीय क्षेत्र में पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण पेयजल का संकट बहुत अधिक बढ़ गया है और अभी से सर्दी के मौसम में पानी के लिए त्राहि–त्राहि होने लगी है, गर्मियों में क्या होगा, उस समय भगवान मालिक होगा।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि गॉडगिल फॉर्मूले के तहत और विशेष केन्द्रीय सहायता अथवा विशेष योजना सहायता स्पेशल पैकेज के रूप में राजस्थान को उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लिए विशेष सहायता दें और जयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, नवंबर 2006 के अंतिम सप्ताह में, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने उत्तर बंगाल में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल को उपलब्ध 'टेक्स होलिड़े' के लाभ की तर्ज पर नए उद्योग स्थापित करने के लिए 'टेक्सहोलिडे' की मांग करने वाला संकल्प सर्वानुमति से पारित किया। इसके पूर्व असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ उठा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उन क्षेत्रों में कोई प्रमुख उद्योग स्थापित नहीं किया गया है।

उत्तरी बंगाल के औद्योगिक पिछड़ापन पर विचार करते हुए, मैं मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने के लिए यहां भी केन्द्रीय कर तथा उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ दिया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान की धरती ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती किरण माहेश्वरी, आप उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर से हैं। लेकिन आपने कभी भी वहां आने के लिए नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, आप कभी हमारे शहर उदयपुर आइए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आप उदयपुर के साथ साथ जयपुर में भी पधारें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि राजस्थान की धरती शूरवीरों और वीरांगनाओं की धरती है। उस धरती का इतिहास अगर हम देखें, खासकर अगर हम दक्षिणी राजस्थान को देखें, तो उसे कहा जाता है कि यह धरती शक्ति और भक्ति की धरती है। महाराणा प्रताप के रूप में वहां शक्ति को देखते हैं तो वीसांगना मीराबाई की भक्ति के रूप में भी उस धरती को देखा जाता है। जहां केन्द्र सरकार संग्रहालयों को बढ़ावा देने की बात करती है और

कहती है कि हम अपने बजट के द्वारा संग्रहालय बना रहे हैं, वहां मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर संग्रहालयों के लिए विशेष बजट रखा जाए ताकि वीरांगनाओं तथा शूरवीरों से जुड़ा हुआ जो वहां का इतिहास है, उस इतिहास को आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी याद के रूप में रख सके, उन्हें प्रेरणा मिले और वे उत्साहित हों, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां भक्ति की देवी मीरा के नाम पर एक संग्रहालय बने। मेरा संसदीय क्षेत्र उदयपुर जिसके बारे में आपने भी कहा कि बहुत ही सुन्दर शहर है, उस शहर का इतिहास भी वीरता और भक्ति का रहा है। पूरे देश में कहीं भी मीरा पर संग्रहालय नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि उदयपुर में मीरा का एक संग्रहालय बनाया जाए तो यह केन्द्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे हम अपने इतिहास को भी नहीं भूलेंगे और यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहती हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, भक्त मीरा का नाम आया है, इसलिए मैं भी इस मांग से अपने को असोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मीराबाई के भजन पसंद नहीं करता हो। हम सभी भजन की प्रशंसा करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, आप कृपया सरकार को इसके लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : हमने बोल दिया है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी से मुझे जो समय मिला है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे एक माननीय सदस्य ने आपको रिक्वैस्ट की थी, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यूएन ने जो ऑफिशियल मैप जम्मू कश्मीर का दिया है, पहले ही हम बड़े दुखी होते हैं जब यहां कोई बिल पास होता है और उसमें लिखा जाता है जम्मू–कश्मीर को छोड़कर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका मामला तोशा खाना के जलाने तथा जम्मू–कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सहायता से संबंधित है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मैंने दो मामले दिए हैं। मैं यूएन द्वारा जारी मैप वाले मामले पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैप वाले मामले पर जल्दी बोलिए।

चौधरी लाल सिंह : मेरे कहने का मकसद है कि हमारी इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को जिस तरह से दिखाया गया है, हमें बड़ा दुख हुआ कि जम्मू और कश्मीर को भारत के नक्शे से बाहर रखा है। हम कहते हैं कि जम्मू–कश्मीर हिन्दुस्तान का अटूट अंग है लेकिन जब यूएन के ऑफिशियल मैप में इसे नहीं दिखलाया गया तो हमें बड़ा दुख हुआ कि हमें इन्होंने हिन्दुस्तान के नक्शे से बाहर निकालकर रखा हैं मेरा सबमिशन है कि भारत सरकार को उनके खिलाफ सीरियस नोट लेना चाहिए जिन्होंने ऐसी हरकत की है।...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने पहले कहा, आपका मामला तोशा खाना को जलाने से संबंधित है। आप कृपया नक्शे पर मत जाइए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मैंने दो मामले दिए हैं। मैं एक पर बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो पहले वाले पर बोल देता हूं। मैंने दो नोटिस दिए थे – एक तोशाखाना पर दिया था और एक यूएन पर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : दोनों तो परमिटिड नहीं हैं।

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह : मैं केवल एक मुद्दे पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अवसर का दुरुपयोग नहीं करें।

चौधरी लाल सिंह : मैं इसका दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं अवसर का लाभ उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि यह पता करें कि किसने ऐसा किया। पिछले दिनों एड्ज़ पर जो दुनिया भर में फंक्शन किये, उसमें नक्शे में हमारे जम्मू कश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग करके दिखाया गया। हमें इस बात का दुख है।

अध्यक्ष महोदय : आपने क्या नोटिस दिया है और क्या बोल रहे हैं?

चौधरी लाल सिंह : मैंने सही बात कही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिलें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए लोक महत्व के ऐतिहासिक, तात्कालिक और महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। राजस्थान राज्य में पड़ने वाल ब्रज क्षेत्र के कृष्णकालीन पर्वतों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है। राजस्थान में 500 वर्ष पुरानी भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को नष्ट किया जा रहा है जिससे करोड़ों लोगों की आस्था और भावना को ठेस पहुंच रही है।

अपराह्न 1.00 बजे

लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है, यहां तक कि लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं और इतिहास को मिटाने जैसा काम हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर जिले के डीक और कामां तहसील ब्रज क्षेत्र में पड़ते हैं, जहां अनेक कृष्णकालीन पर्वत हैं। पौराणिक महत्व के इन कृष्णकालीन पर्वतों को मिटाया जा रहा है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। दुनियाभर के करोड़ों श्रद्धालु समय–समय पर ब्रज के इन पर्वतों की परिक्रमा करते हैं। ऐसे पवित्र स्थल का राजस्थान में विनाशकारी ढंग से डायनामाइट लगा कर खनन किया जा रहा है तथा स्टोन क्रशिंग किया जा रहा है। ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया राज्य सरकार का उल्लेख करें। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप मेरे विचार जानते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बड़ी टैक्नीकल सवाल है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह आपके लिए कह रहा हूं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं किसी राज्य सरकार के मामलो को यहां उठाने नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसमें आपत्तिजनक क्या बात है? *... (व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किन्तु राज्य सरकार का हवाला मत दीजिए। 'राज्य सरकार' शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, यह केन्द्र की बात है। *...(व्यवधान)* मैं केन्द्र की जानकारी देता हूं। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, जो केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड है। *...(व्यवधान)* मैं केन्द्र की बात कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने इस शब्द को डिलीट कर दिया है, आर्डर दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं सर्वोच्च न्यायालय और केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की चर्चा कर रहा हूं। केन्द्र सरकार का प्रदूषण बोर्ड है। *...(व्यवधान)* ब्रज का संपूर्ण क्षेत्र ताल ट्रेपोजियम जोन में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत इस जोन में किसी प्रकार की प्रदूषणकारी गतिविधि, जैसे खनन तथा स्टोन क्रशिंग पर प्रतिबंध है, फिर भी पर्वत खनन के नाम पर ब्रज पर्वतों का भी अवैध खनन किया जा रहा है। इस खनन से न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर को मिटाया जा रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, गंभीर बात यह है कि केन्द्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बिना अनुमति के ब्रज पर्वतों का अवैध खनन हो रहा है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ब्रज क्षेत्र में खनन कार्य पर तत्काल रोक लगाए जाने की अनुशंसा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है, उसके बाद भी अवैध खनन, गलत तरीके से खनन हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामकृपाल यादव, आप खड़े क्यों हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में आगे कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आगे कुछ मत लिखिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको संरक्षण दे रहा हूं। कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप खड़े क्यों हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, अध्यक्षपीठ की अवज्ञा न करें। आगे एक शब्द भी सम्मिलित नहीं करें। अब मैं कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें। अब मैं किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्षपीठ के आदेशों की खुली अवज्ञा है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसकी अनुमति नहीं है। मैं नहीं जानता कि कब तक पर जब तक मैं यहां हूं तब तक बिना पूर्व अनुमति के यहां राज्य सरकार के मामले उठाने नहीं दूंगा और वह मुझ पर निर्भर करेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहली बार कोई मेम्बर स्पोर्ट्स के बारे में बोल रहा है, इन्हें बोलने दीजिए।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, भारत देश बहुत महान देश है। यहां खेलों की दृष्टि से इतनी प्रतिभा है कि विश्व में किसी भी देश में इतनी प्रतिभा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोजाना की एक्टीविटीस से भारत सरकार, सारी मल्टीनेशनल कम्पनियां, इलैक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया केवल एक क्रिकेट के खेल का इतना दिखावा बढ़ा–चढ़ाकर कर रही हैं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.04 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारे दूसरे जितने भी परम्परागत खेल हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। दूसरे खेलों के खिलाड़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सारा ध्यान क्रिकेट पर जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्रिकेट अमीरों का खेल है। इसे अमीर देश खेला करते हैं। इसके प्लेयर चन्द दिनों में एडवार्टाइजमेंट के माध्यम से करोड़नपति हो जाते हैं। जब क्रिकेट का खेल होता है, तो ऑफिसों में कर्मचारी रेड़ियो सुनते और टेलीविजन देखते हैं। इस प्रकार समय की बर्बादी होती है। इस खेल के जो परिणाम आ रहे हैं, वे भी आप देख रहे हैं। मल्टी नेशनल कम्पनियों द्वारा इस खेल हेतु जितना बजट है और जितना ध्यान दिया जा रहा है, वह आपके सामने है। मीडिया इस खेल को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बुलंदियों पर पहुंचा रहा है। अगर इतना ही ध्यान हमारे जो परम्परागत खेल हैं, उनकी तरफ दिया जाए, तो उससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। हमारे परम्परागत खेलों में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबाल, कबड्डी, रैसलिंग, स्वीमिंग और हॉर्स रेस आदि आते हैं जो क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा दिऐ जाने के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। इन खेलों के खिलाड़ी अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे देश की खेल प्रतिभाओं का बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं तथा मीडिया के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि केवल एक गेम को इतना बढ़ावा न दें। वह कमर्शियल गेम हो गया है। वह गेम व्यापार बन गया है, गेम नहीं रहा है। इसलिए अपने देश में जो परम्परागत गेम हैं, उन्हें बढ़ावा दें। हमारे देश के पहलवानों ने दुनिया में नाम पैदा किया है। इसलिए देश में क्रिकेट के अलावा अन्य परम्परागत खेलों को भी बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाए। हमारे देश का हॉकी सबसे ज्यादा मशहूर गेम था, लेकिन उसमें भी पिछड़ता जा रहा है। इसके कारण करोड़ों खिलाड़ी अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उन गेमों को बढ़ावा दिया जाए तथा क्रिकेट पर अंकुश लगाना चाहिए जिसने देश को बर्बाद कर दिया है।

श्री रामस्वरूप कोली (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको श्री किशन सिंह सांगवान जी के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दोहा में 15वें एशियाड गेम सम्पन्न हुए हैं। इन खेलों में हमारे देश का जो प्रदर्शन रहा है, वह बहुत निराशाजनक था। यह अत्यंत चिंता का विषय है। यह गम्भीर विषय है कि 100 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश भारत इस प्रकार से पिछड़ रहा है। यदि आप पदकों की

तालिका को देखें, तो भारत 8वें अथवा 9वें स्थान पर है। चीन से हमारी कहीं तुलना नहीं हो पा रही है। अगर छोटे–छोटे देशों जैसे जापान, कोरिया, कतर और ईरान से भी तुलना करें, तो हम पाएंगे कि 57 साल की आजादी के बाद भी हम इन छोटे–छोटे देशों की तुलना में भारत के लिए पदक जीतने में असमर्थ रहे हैं।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। देश की 57 साल की आजादी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब हमारा हॉकी के सेमी–फाइनल में भी प्रवेश नहीं कर सका। क्रिकेट के खेल के बारे में लोक सभा में चर्चा होती है, लेकिन देश के अन्य खेलों के बारे में चर्चा नहीं होती और यही कारण है कि उनमें हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। यदि शूटिंग की प्रतियोगिता और मटिला एथलीट का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा होता, तो भारत को जो पदक मिले, वे भी नहीं मिलते। भारत में वर्ष 2010 में कॉमनवैल्थ गेम्स होने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हॉकी का खेल तो पंजाब में ही ज्यादा खेला जाता है। भारत एशियाड में सेमी–फाइनल में नहीं पहुंच सका, इसका तो हमें भी दुख है।

श्री रेवती रमण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 में हमारे यहां कॉमनवैल्थ गेम्स होने वाले हैं। अगर खेलों में हमारा इसी प्रकार का प्रदर्शन होता रहा, तो हमारा देश कोई सम्मानजनक स्थिति में नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की खेलों की गिरती हुई स्थिति की ओर तत्काल ध्यान दे और इस पर कार्रवाई करें।

श्री सईद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, एशियाड गेमों में हमारे देश के एक पुरूष को महिला बनाकर दौड़ा दिया। इससे भारत की बदनामी हुई। ओलम्पिक एसोसिएशन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि हमें 2.00 बजे दूसरा सब्जैक्ट डिसकशन के लिए लेना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर माननीय सदस्य एक–एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहता हूं।

श्री राम कृपाल यादव : एक मिनट तो कहते हुए ही खत्म हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अत्यंत ही गम्भीर सवाल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। देश की ज्यादातर गैरसरकारी बैंकिंग कम्पनियां भोले–भाले उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड का लाभ बताकर, उनको बहला–फुसलाकर क्रेडिट कार्ड बना देते हैं। ये बैंक अपने उपभोक्ताओं को ज्यादातर शर्तें नहीं बताते हैं, जिससे उपभोक्ता इनके जाल में फंस जाते हैं और बैंक इनसे मनमाना सूद वसूलते हैं। यह सूद लगभग 40 प्रतिशत सालाना होता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये बैंक अपने कार्ड को किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का खर्च नहीं दिये जाने के बावजूद उनके कार्ड असेसमेंट के खर्च दिखाते हैं और उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलते हैं। इन बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी बैंक काफी लोकप्रिय हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इनकी निगरानी करें तथा भोले–भाले उपभोक्ताओं को, जो बड़े पैमाने पर चीट किया जा रहा है, उनके खिलाफ ऐसा सख्त कानून बनायें, ताकि जो बेचारे भोले–भाले उपभोक्ता हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो सके, उनके साथ चीटिंग नहीं हो सके। इस पर अविलम्ब कोई ठोस कानूनी कार्यवाही करायें, कानून बनायें, ताकि इन सब चीजों पर नियंत्रण हो सके और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक, जो आम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, खासकर जो प्राइवेट बैंक हैं, उन पर अंकुश लगायें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार जी बोलिए। हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं वन बाई वन आ रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन में अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर अपनी बात कहना चाहूंगा। निजी क्षेत्र के ऊंचे वेतन, जो निजी क्षेत्र की कम्पनियों में लोगों को मिल रहा है, उससे सैनिकों का मनोबल बहुत घटा है। निजी क्षेत्रों में कम जोखिम वाली नौकरियों में ऊंची तनख्वाह मिलने से हमारे देश के जवानों का मनोबल बहुत गिरा है, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के बाद नौकरियों में देखा गया है कि लोगों को तमाम अवसर मिल रहे हैं और उनकी तनख्वाह भी अच्छी है। लेकिन हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं, उनको मूल वेतन मात्र 3200 रुपये मिलता है और भत्ते मिलाकर 6300 रुपये मिलता है। वे केवल 4500 रुपये अपने घर ले जा पा रहे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि कम से कम हमारे देश में सैनिकों को, जो सैनिक बॉर्डर पर बड़ा जोखिम लेकर, अपने परिवार से दूर रहकर काम कर रहे हैं। उनको मूल वेतन पांच हजार रुपये और भत्ते मिलाकर दस हजार रुपये दिए जाएं, ताकि वे 8–8.5 हजार रुपये अपने घर ले जायें, तभी जाकर उनका परिवार चल सकता है और हमारे देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण हो सकती है, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा।

अपराह्न 1.13 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में बहुत तेजी के साथ सरकारी उपक्रमों का विनिवेश हुआ। उसमें न सिर्फ वे उपक्रम बेचे गये, जो घाटे में थे, बल्कि मुनाफे के सरकारी उपक्रमों का भी विनिवेश हुआ। उस समय यह चिन्ता व्यक्त की गई थी कि उसके बाद उपक्रम में काम करने वाले जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। यह जो यू.पी.ए. की गवर्नमेंट है, इसकी प्रतिबद्धता थी कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी आरक्षण देंगे। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ तो उसमें भी इस संकल्प को व्यक्त किया गया था। जब कभी भी इस सदन में चर्चा हुई तो सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाया जायेगा। श्री शरद पवार जी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह भी गठित किया गया। मुझे नहीं मालूम कि उस समूह ने कितना आगे चलने की कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदय, संदेश यह जा रहा है कि जो निजी क्षेत्र के बड़े घराने हैं, उनके दबाव में यह सरकार मन्द गति से काम कर रही है।

हम आपके मार्फत जरूर जानना चाहेंगे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल सरकार कब तक लायेगी और उसको लागू करने का काम कब तक करेगी? हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है। सरकार बताए कि यह बिल कब आएगा और इसका क्या भविष्य है? ...*(व्यवधान)* सरकार का जो कामन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें सरकार की प्रतिबद्धता थी। सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ...*(व्यवधान)* हम आपका संरक्षण चाहते हैं। सरकार बताए कि क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है? क्या कोई मर्यादा है कि सरकार कब तक यह बिल लाएगी?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आपका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हो गया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : यहां महावीर प्रसाद जी बैठे हुए हैं, ...*(व्यवधान)* इनको जरूर इसका जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं, मैं माननीय मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता हूं। अब कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : संसदीय कार्य मंत्री आ गए हैं। ...*(व्यवधान)* यह कब तक किया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम भी श्री रामजीलाल सुमन द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपनी चिट्ठी भेज दें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : इसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। सभी राजनीतिक दलों में इसके बारे में चर्चा हो रही है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं इनकी भावना से सरकार को अवगत कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : महोदय, मैं आज यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला जो वायदा बाजार से संबंधित है, उठाना चाहता हूं। वायदा बाजार के कारण बाजार के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं। वायदा बाजार दो-तीन वर्ष पूर्व शुरू हुआ। जब सन् 2003-04 में जहां चने की पैदावार सत्तावन लाख बीस हजार मीट्रिक टन थी, तब वायदा बाजार में एक किलो चना भी नहीं बिका, लेकिन जब से वायदा बाजार आया, तब से चने की पैदावार सिर्फ छप्पन लाख पचास हजार मीट्रिक टन हुई, लेकिन मार्केट में सौदा हुआ है, जो आंकड़े सीएमआईई, मुंबई ने दिए हैं, उसके अनुसार ग्यारह करोड़ छप्पन लाख सैंतीस हजार एक सौ साठ मीट्रिक टन का सौदा हुआ है। जहां पैदावार नहीं के बराबर हो रही है, लेकिन सौदे इतने ज्यादा हो रहे हैं, जबकि कोई डिलीवरी नहीं हो रही है। डिलेवरी नहीं होने से बाजार के भाव दिन-रात बढ़ रहे हैं। यह खास तौर पर किसानों और व्यापारियों का मामला है। एनसीडीएक्स आने के बाद किसान और व्यापारी आत्महत्या करने की स्थिति में हैं। आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो वायदा बाजार में सौदे हो रहे हैं, तो उसमें डिलेवरी जरूरी करें। डिलेवरी नहीं होगी, तो जो दाल के भाव जो छप्पन से साठ रुपये हो रहे हैं, अगर डिलेवरी नहीं होगी, तो ये भाव और बढ़ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। जो

महंगाई बढ़ रही है, उसका एकमात्र कारण वायदा बाजार है। उस बाजार पर आप थोड़ा प्रतिबंध लगाएं।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, आपने मुझे एक महतवपूर्ण विषय उठाने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसानों की मध्य प्रदेश में बहुत सी परेशानियां हैं। वहां यूरिया खाद की कमी है, कैमिकल फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, बिजली की कमी है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जहां रबी की फसलों की सिंचाई के लिए, बिजली की कमी की तत्काल पूर्ति की आवश्यकता है, वहीं फसलों के लिए प्रदेश में यूरिया और रासायनिक खादों की भारी मांग की पूर्ति करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यूरिया और रासायनिक खादों की तत्काल पूर्ति करें और बिजली की कमी को सेंट्रल पूल से पूरा करने में पूरी मदद करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : महोदय, देश के अति पिछड़े क्षेत्रों में से एक बुंदेलखंड क्षेत्र है। जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर तथा झांसी जनपद आते हैं। यहां अत्यंत ही परेशानी है तथा चार साल से वहां का किसान लगातार बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि से पीड़ित है। वहां क्षेत्रीय असंतुलन है। वहां हर मामले में चाहे बेरोजगारी हो या उद्योग धंधे हों, किसानों के लिए सिंचाई के साधन हों, पर्यटन के क्षेत्र में बुंदेलखंड का बहुत नाम है, लेकिन उस क्षेत्र में भी उसका विकास नहीं हुआ। इस संबंध में मैं अपने नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से और फिर पुनः 11 तारीख को अपने उपनेता रामजीलाल सुमन जी के साथ मिला। उस क्षेत्र के लिए कई बार हम लोगों ने पैकेज की मांग की। जिस प्रकार से विदर्भ राज्य में 37 अरब रुपए केन्द्र सरकार ने प्रदान किए हैं, इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि एक सर्वक्षण टीम बुंदेलखंड जाए और वहां सर्वे करके स्पेशल पैकेज दिलवाने का काम करे।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

मैं इस सभा और इस सभा के माध्यम से सरकार का भी ध्यान पाठ्यपुस्तकों पर हुई चर्चा वाले वाद–विवाद की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह बहुत पुराना वाद–विवाद है। हर बार हम पाते हैं कि किसी राज्य में किसी पाठ्यपुस्तक में इतिहास और अन्य विषयों को गलत ढंग से पेश किया गया है। पाठ्यक्रम को तोड़ा मरोड़ा जाता है। हाल ही में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में खबर थी कि राजस्थान में कक्षा XI और XII के इतिहास और सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों तथा कक्षा X की हिन्दी पाठ्यपुस्तक में तथ्यों तथा इतिहास में बहुत हेर फेर हैं। इन पाठ्यपुस्तकों में घृणा और साम्प्रदायिकता के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। राजस्थान में बुद्धिजीवी वर्ग की ओर से विरोध किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत आरोप लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। ... *(व्यवधान)* इन्हें साम्यवादीकरण मंजूर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं राजस्थान की सभी अच्छी मांगों का समर्थन करता हूं। आपने इसे उठाया है किन्तु एक बात आपको समझनी होगी कि उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए। बुद्धिजीवी, लेखक और राजस्थान के सभी लोगों ने कहा है कि पाठ्यपुस्तकों में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के दिमाग में घृणा और साम्प्रदायिकता नहीं बिठानी चाहिए।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को हो रही समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के सामने सात समस्याएं हैं।

वेतन, भत्ता और अन्य लाभों के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के प्रायोजक बैंक के कर्मचारियों के समतुल्य माना गया है। किन्तु वास्तव में आर आर बी कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी भत्तों और अन्य लाभों के मामले में कई असमानताएं हैं और भारत सरकार को तत्काल आर आर बी कर्मचारियों को प्रयोजक बैंक के समतुल्य अन्य भत्ता तथा लाभ दिए जाने चाहिए। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना, 1995 की वर्तमान प्रणाली उपयुक्त नहीं है। केन्द्र सरकार को आर आर बी कर्मचारियों के लिए भी बैंकिंग उद्योग के लिए विशेष रूप से तैयार की गई तथा क्रियान्वित पेंशन योजना को लागू करना चाहिए।

केन्द्र सरकार को तत्काल बैंकिंग सेवाओं के आऊट सोर्सिंग को रोकना चाहिए क्योंकि आऊट सोर्सिंग प्रणाली से न केवल ग्राहकों का ब्यौरा सार्वजनिक होने का खतरा है बल्कि इससे योग्य उम्मीदवार स्थायी नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण ऋण प्रणाली को सुधारने तथा सुदृढ़ बनाने तथा बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण लोगों के लिए और प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र सरकार को सभी आर आर बी को मिलाकर एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन करने पर विचार

करना चाहिए। मुझे बताया गया है कि इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव लंबित है और ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

नाबार्ड ने आर आर बी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के बदले में अनुग्रह राशि (एक मुश्त राशि) के भुगतान को क्रियान्वित किया है। इससे मृतक कर्मचारियों के परिवारों को समस्या होती है। विद्यमान मानदण्डों/दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

आर आर बी की आंतरिक पदोन्नति भी रुकी है और आंतरिक पदोन्नति में कोई निरंतरता नहीं है। बैंक में विगत 25–30 वर्षों में क्लर्क के रूप में काम कर रहे कर्मचारी अभी भी क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

****श्री जी. करुणाकर रेड्डी** (बेल्लारी) : केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए तथा आर आर बी के जिन कर्मचारियों ने एक खास संवर्ग में न्यूनतम अनिवार्य सेवा कर ली है उनकी पदोन्नति की व्यवस्था करनी चाहिए। शाखा विस्तार में लगातार वृद्धि हुई है जिसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों के कार्यभार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) में रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर विचार करना चाहिए।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं पुनः केन्द्र सरकार से आर आर बी के कर्मचारियों के सामने आ रही कठिनाइयों को कम करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह लोगों, विशेषकर ग्रामीण लोगों की और प्रभावी रूप से सेवा कर सके।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं एक राज्य विशेष में कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में यह कहा गया है कि पुलिस बल एक आयोग के नियंत्रणाधीन होना चाहिए। आयोग को कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम उस आयोग को शक्तियां प्रदान करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। मेरा यह आग्रह है कि यदि इस फैसले को लागू किया जाता है तो यह हमारे संविधान के संघीय ढांचे के अस्तित्व को ही नकार देगा।

महोदय, कानून और व्यवस्था लागू करना राज्य का विषय है और राज्यों के पास किसी स्थान विशेष पर कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने हेतु पूरी शक्तियां होनी चाहिए। यदि ये शक्तियां किसी स्वतंत्र एजेंसी को दे दी गईं तो इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इस संबंध में, केरल सरकार और केरल के गृह मंत्री ने इस प्रस्ताव के संबंध में अपनी नाराजगी प्रकट कर दी है। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के प्रति अनिच्छुक है। किन्तु उसने यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकार एक राज्य विशेष में पुलिस तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए एक आयोग बनाए। यह एक काफी गलत प्रक्रिया और गलत निर्णय है। मैं केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इस गलत निर्णय की समीक्षा की जाए, उसे ठीक किया जाए और हमारे राज्य के संघीय ढांचे और संघीय शासन व्यवस्था को बनाया जाए। केवल तभी हमारा संवैधानिक कामकाज ठीक तरह से चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य केवल एक मामला उठाएंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ठीक है, महोदय, कुल्टी इस्पात संयंत्र हमारे देश के पुराने इस्पात संयंत्रों में से एक है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के एक आदेश के द्वारा इस इस्पात संयंत्र का काम रोक दिया गया था। जब बी आई एफ आर ने 'इस्को' की बर्नपुर इकाई के पुनरुद्धार की सिफारिश की थी तो उसने कुल्टी संयंत्र को बंद करने की सिफारिश भी की थी। जिसके बाद इसमें काम बंद कर दिया गया। सबसे पुराना इस्पात संयंत्र आज भी बंद पड़ा है। लगातार यह मांग की जा रही है कि बर्नपुर इकाई के साथ–साथ कुल्टी संयंत्र को भी दुबारा खोला जाए, इसका पुनरुद्धार किया जाए और उसमें उत्पादन शुरू किया जाए। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने एक समिति गठित की है जो यह जांच करेगी कि कुल्टी संयंत्र में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। इसमें चार ढलाई घर है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के इस्पात संयंत्र और बिज़ाग इस्पात संयंत्र बाहर से विभिन्न वस्तुओं को खरीद रहे हैं। इन वस्तुओं को कुल्टी इस्पात संयंत्र में बनाया जा सकता है।

भारत सरकार बर्नपुर में 2.5 मिलियन टन की क्षमता वाले एक नए इस्पात संयंत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री इस नए इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए बर्नपुर जा रहे हैं। यह मांग है कि बर्नपुर स्थित एक नए इस्पात संयंत्र और इस्को के आधुनिकीकरण के साथ कुल्टी इस्पात संयंत्र को पुनः खोला जाए और उसमें उत्पादन शुरू किया जाए। इस नए संयंत्र

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
** भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की स्थापना के बाद भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण को जिन वस्तुओं की खरीद करनी पड़ती है उन्हें कुल्टी इकाई में बनाया जा सकता है और कुल्टी इकाई बर्नपुर की एक आनुषंगिक इकाई बन जाएगी।

उस क्षेत्र के लोग यह आशा कर रहे हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री बर्नपुर जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कहेंगे। इससे पहले, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार कुछ सकारात्मक कार्यवाही करे ताकि कुल्टी इस्पात संयंत्र को पुनः खोला जाए और उत्पाद शुरू किया जा सके तथा इस्को की बर्नपुर इकाई का आधुनिकीकरण किया जा सके। ...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं माननीय बसुदेव आचार्य के साथ स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अपने को इससे संबद्ध करना चाहते हैं, वे अपने नाम की स्लिप भेज दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूं। सांसद फंड की बात हम सब लोग करते हैं क्योंकि सबकी दृष्टि में सांसद फंड बहुत ही आवश्यक है। उस फंड के कारण हम सब अपने–अपने क्षेत्रों में बहुत से विकास के काम भी करते आये हैं। जो रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार बहुत से सांसदों ने अपने क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं। लेकिन इसके विपरीत निर्णय आने की संभावना है क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई उच्च न्यायालय में सांसद फंड और विधायक फंड के खिलाफ एक याचिका 12 साल पहले दायर की गई थी, जो अब सुनवाई के लिए आई है। उस याचिका में सांसद फंड रद्द करने के लिए एक पीआईएल लगी हुई है और उसमें हमारे पूर्व सांसद श्री राम नाइक जी इन्टरवीन कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को उसमें एक पक्ष बनाया गया है। लेकिन यह बात ध्यान में आई है कि सरकार की तरफ से आज भी किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं किया गया है, कोई उत्तर नहीं दिया गया है और न ही कोई वकील खड़ा किया गया है। अगर यहां से सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, अगर कोई अच्छा वकील प्रतिवाद करने के लिए नहीं खड़ा किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय की ओर से हमारे खिलाफ कोई निर्णय आने की संभावना बन सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहती हूं कि इसके लिए सुनवाई की अंतिम तारीख 31 जनवरी रखी गई है, अतः सरकार जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय ले और वहां एक अच्छा वकील खड़ा करके अपनी तरफ से उत्तर दे और इसे बचाए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : मैंने भी यही संदर्भ दिया है कि वर्ष 1994 में रिट पेटिशन नं. 1698/94 दायर की गयी थी। इतने वर्षों से यह मामला लम्बित है और खेद की बात यह है कि केन्द्र सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब इस मामले में अन्तिम तारीख 31 जनवरी, 2007 रखी गई है। यह आखिरी तारीख होगी और अगर उस दिन हमने अपने पक्ष को ठीक से नहीं रखा तो यह निर्णय हमारे विपरीत भी हो सकता है। हम यहां लोकसभा में यह मांग करते हैं कि यह एमपी फंड बढ़ाया जाए। इसकी आवश्यकता को हम सभी समझते हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुम्बई में कोई अदरवाइज निर्णय दिया गया तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए दुख की बात होगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप केन्द्र सरकार को निर्देषित करें कि इस दिशा में तुरंत प्रभावी कदम उठाए और 31 जनवरी को अपना पक्ष सही ढंग से वहां रखें।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जॉर्डन में फंसे भारतीय कामगारों और महिलाओं के प्रत्यावर्तन संबंधी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महिलाओं सहित, दो से ज्यादा भारतीय जो कि जॉर्डन में वस्त्र कारखाने में काम कर रहे थे, वहां फंसे हुए हैं। यह बताया गया है कि जिस वस्त्र कारखाने में वे मजदूर काम में लगे थे उसे उक्त कंपनी के प्रबंधन द्वारा करों का भुगतान करने में असफल रहने के कारण जॉर्डन सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। उनके उत्प्रवास दस्तावेज एवं अन्य कार्य संबंधी परमिट नियोक्ता के पास ही थे। इसलिए, इन कामगारों को वहां रोक लिया गया है।

भारत के इन 200 मजदूरों में से 60 मजदूर केरल के हैं तथा उनमें से दो मजदूर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। उनके नाम हैं श्रीमती कुंजुमोल साजी, दर्जी तथा ओसामा मार्कोस, इलेक्ट्रिक कशीदा कारीगर।

मैं सरकार, विदेश मंत्रालय तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि मामले में आवश्यक कदम उठाएं तथा जॉर्डन में फंसे सभी भारतीय कामगारों का प्रत्यावर्तन करने के लिए भारतीय दूतावास को निदेश दें।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़, उत्तर) : महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में लगा है। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश के विभिन्न भागों में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने का है। तदनुसार, हुबली, धारवाड़ जो कि उत्तरी कर्नाटक का एक बड़ा शैक्षणिक केन्द्र है, में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

खोलने के लिए बहुत अधिक दबाव है। हुबली–धारवाड़ दो विश्वविद्यालय, दो चिकित्सा महाविद्यालय एवं कई इंजीनियरिंग कालेज होने से शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र है। विकास एवं बुनियादी संरचना की दृष्टि से कर्नाटक का उत्तरी भाग अधिक पिछड़ा माना जाता है एवं इसलिए सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इस दृष्टि से, हुबली–धारवाड़ में एक नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने से सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास होगा। मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि इस मामले में रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित डा. यू.आर. राव समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि हुबली धारवाड़ एक नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने के लिए उपयुक्त स्थान है। इस सिफारिश का क्या हुआ? सरकार इस मांग के बारे में स्पष्ट क्यों नहीं है? क्या सरकार ने नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने के लिए स्थानों का निर्धारण कर लिया है? मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्र ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के लिए एक स्थान के रूप में हुबली–धारवाड़ को निर्धारित करें।

इसके लिए जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी, ने स्पष्टतः हुबली–धारवाड़ के लिए सिफारिश की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कर्नाटक के उत्तरी भाग, जो कि उस क्षेत्र का उपेक्षित भाग है, में हुबली–धारवाड़ के पक्ष में अन्तिम निर्णय ले।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : अध्यक्ष महोदय, नदियों को आपस में जोड़ने का विचार हमारे देश में बहुत ही सुपरिचित एवं महत्वपूर्ण है। तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री, डा. राव ने यह विचार किया था। परन्तु श्री देवराज अपने गुरू डा. कल्याण रमन की परियोजना पर प्रकाश डाल रहे हैं। इस परियोजना का प्रमुख बल उत्तर की नदियों को दक्षिण भारतीय नदियों से जोड़ना है।

[अनुवाद]

1. क्रांतिकारी परियोजना बिल्कुल भिन्न है तथा इसका उद्देश्य हजारों तालाबों के साथ–साथ नदियों को आपस में जोड़ना है। यदि इन तालाबों में पानी मौजूद होगा तो 1000 फीट वाले नलकूपों की आवश्यकता नहीं होगी। इस अभियान से भूक्षरण रोकने में भी काफी हद तक सफलता मिलेगी।
2. सरकार के आकलन की तुलना में व्यय काफी कम होगा विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा और केन्द्र को इस परियोजना पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. इसे कम समय में पूरा किया जा सकता है।
4. यह सूखा और बाढ़ का एक स्थायी समाधान है।
5. लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
6. मुख्य ध्यान गंगा–कावेरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर है।
7. सिंचित भूमि की प्रतिशतता में व्यापक बढ़ोत्तरी होगी।
8. समय बीता जा रहा है। हमें पानी (पेयजल सहित) की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। इसलिए इस परियोजना को क्रियान्वित करना अत्यावश्यक है। निकट भविष्य में अपने देश में पानी के लिए लड़ाई होगी।

इस परियोजना को अविलम्ब क्रियान्वित करने हेतु अन्य अनेक ठोस कारण है।

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान असम के पड़ोसी राज्यों, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगी इसकी सीमाओं पर व्याप्त गड़बड़ी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विभिन्न राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है। असम–नागालैंड सीमा पर स्थिति काफी तनावपूर्ण है क्योंकि लोग युद्ध विराम समझौता के अंतर्गत चल रहे सशस्त्र उग्रवादियों की अबाध गतिविधियों की वजह से आतंकित हैं। इस सीमा के कतिपय हिस्सों में अवैधानिक आप्रवासी बस रहे हैं। कल इस क्षेत्र के एम.एल.ए. श्री विनोद गोवाला के नेतृत्व में असम–नागालैंड सीमा के निकट गोलाघाट जिला के करीब 130 निवासियों ने इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु धरना दिया था। वे लोग सीमा विवाद को तुरंत सुलझाने हेतु केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने भी राज्यों के बीच विभिन्न विवादों को निपटाने हेतु एक आयोग गठित किया है।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह सीमा विवाद को शीघ्र सुलझाए। वर्तमान में इसकी देखरेख एक तटस्थ बल के रूप में सी.आर.पी.एफ. कर रहा है। वे स्थिति नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं तथा लोग हमेशा तनाव में जी रहे हैं। यह मुद्दा हमारे लिए अत्यंत महत्व का है। सरकार को इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए तथा इसे हमेशा के लिए निपटाना चाहिए।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़) : मैं इस मुद्दे पर डा. अरूण कुमार शर्मा की बात से अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं इस सभा का ध्यान पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश पर्वत चोटी से ब्रह्मपुत्र घाटी तक अपनी नदियों पर अनेक विद्युत संयंत्र स्थापित कर रहा है।

महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ई.आई.ए. का उद्देश्य संबंधित निर्णय लेने से

*भूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पहले प्रस्तावित विकास के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को चिन्हित करना होता है। पर्यावरणीय आकलन डेवलपर द्वारा किया जाता है, हालांकि यह कार्य प्रायः पर्यावरणीय परामर्शदाताओं द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यह कार्य पर्यावरण संबंधी वक्तव्य तैयार करने के उद्देश्य से किया जाता है। ई.आई.ए. के पास दो प्रक्रियाएं हैं – प्राथमिक आकलन और विस्तृत आकलन। 'स्कोपिंग' का प्रयोग योजना प्रक्रिया में प्राथमिक चरण में चिन्ता के मुख्य मुद्दों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है।

मैं मुख्य मुद्दा पर आ रहा हूं। असम की जनता के मन में पहाड़ों से निकलकर असम में बहने वाली नदियों को लेकर और संबंधित अनेक परियोजनाओं को लेकर भारी आशंकाएं हैं। कुछ काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं। गरुकामुक्स परियोजना पर एन.एच.पी.सी. 2000 मेगावाट लोवर सुबम श्री प्रोजेक्ट में ई.आई.ए. की वर्ष 2002 की रिपोर्ट के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में नदी पर निर्मित बांध का यदि कोई पुल बनता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि यह जलाशय 70 कि.मी. से अधिक क्षेत्र में फैला होगा तथा इसकी गहराई 1000 मी. होगी।

इस वजह से हम संबंधित सरकार और संबंधित विभाग से मांग करते हैं कि समुचित प्रभाव आकलन किया जाए ताकि असम की जनता इन परियोजनाओं से भयाक्रांत न हो और वे सुरक्षित हों तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के प्राथमिक चरण में जनता की राय ली जानी चाहिए।

डा. अरूण कुमार शर्मा : महोदय, मैं इस मुद्दे से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : यह देश के बधिर लोगों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ये लोग स्पष्टतः शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं। मैं समझता हूं कि इस सभा के सभी पक्षों के लोगों को उनके प्रति सहानुभूति और उत्तरदायित्व होना चाहिए। भेदभाव जारी है। यह बात स्पष्ट है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सी.एस.ई. 2005 परीक्षा में उत्तीर्ण तीन लड़कों को आई.ए.एस. के रूप में नियुक्ति देने से मना कर दिया गया; वह भी मात्र इस कारण से कि वे बधिर हैं। ऐसा बर्ताव जारी नहीं रह सकता। इनमें से एक लड़का तो शीर्ष स्थान पाने वालों में से एक था तथा वह डाक्टर है। इस तरह की बात पहले भी होती रही हैं। वर्ष 1999 में भी ऐसे कुछ लम्बित मामले थे। 3 दिसम्बर को विश्व निःशक्तता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बधिर संघ ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। उन्होंने धरना दिया। करीब 8,000 लोग वहां एकत्रित हुए। वे प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते थे। वह देश में मौजूद नहीं थे। उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्री से मुलाकात की। एक अर्थ में, उनकी मांग जायज़ है। इन नियुक्तियों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। आगे और अधिक देर नहीं की जानी चाहिए। यह भेदभाव जारी नहीं रहना चाहिए। इंडियन साईन लैंग्वेज को मान्यता दी जानी चाहिए। मेरी समझ से, सरकार को इन दो मांगों पर अत्यंत गम्भीरता से विचार करना चाहिए तथा आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान बराक घाटी के भारत–बांग्ला सीमा से संबंधित काफी महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बराक घाटी में भारत–बांग्ला सीमा पर कंटीले तार का बाड़ लगाने के कार्य की तीखी आलोचना हो रही है। यह आलोचना कार्य की घटिया गुणवत्ता की वजह से हो रही है। यह मुद्दा स्थानीय समाचार पत्रों का मुख्य समाचार रहा है। इस घाटी की जनता बांग्लादेशी घुसपैठियों, आतंकवादियों, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों तथा यहां तक कि डकैतों और चोरों से अपनी रक्षा हेतु इस कार्य को काफी महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। लोग प्रायः इस कार्य की अत्यंत घटिया गुणवत्ता के बारे में शिकायत करते हैं। मैंने पहले भी सरकार को इस संबंध में सूचित किया था। मुझे पता नहीं है कि सरकार ने इस कार्य को निरीक्षण अथवा आकलन हेतु कोई तीसरा पक्ष नियुक्त किया है अथवा नहीं और क्या यह कार्य विनिर्देश के अनुसार सम्पन्न किया गया है अथवा नहीं तथा क्या यह उस प्रयोजनार्थ उपयुक्त है अथवा नहीं जिस प्रयोजनार्थ इसका निर्माण किया गया था। इसलिए मैं सरकार से इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

मुझे एक और बात कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव (चन्दौली) : महोदय, राजघाट पुल रेलवे प्रशासन के निर्देशों पर दिनांक 13.12.2006 रात 12 बजे बंद कर दिया गया है। बनारस से मुगलसराय तथा मुगलसराय से वाराणसी आने वाले सभी यात्री संकट में हैं। बनारस आने के लिए प्रशासन की तरफ से निगम की दो छोटी–छोटी नाव लगा दी गई हैं, जिस पर एक साथ 60–70 आदमी सवार हो रहे हैं, जबकि क्षमता 30 से 35 व्यक्तियों की है। यह नाव किसी भी समय दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, क्योंकि जिस नाव की क्षमता से ज्यादा यात्री नाव पर सवार हो रहे हैं। जिस कारण मुगलसराय से बनारस तथा रोहतास, सहसाराम, भभुआ (बिहार के जिले) और चंदौली आने वाले व्यापारियों, यात्रियों एवं रोगियों को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर रोजाना लाखों लोगों का आवगमन है।

अतः आपसे आग्रह है कि यात्रियों के दबाव को देखते हुए मुगलसराय से बनारस तथा बनारस से मुगलसराय जाने वाली सभी ट्रेनों को आम जनता की कठिनाइयों को देखते हुए जब तक पुल की मरम्मत का काम चल रहा है, सभी ट्रेनों को काशी स्टेशन पर रोकने का और लोकल ट्रेन चलाने का अविलम्ब इंतजाम किया जाए और लोकल यात्रियों को भी स्टेशन पर टिकट दिया जाए। यात्रियों की सुविधा हेतु दो लोकल ट्रेन अविलम्ब बनारस से मुगलसराय तथा मुगलसराय से बनारस चलाई जाएं, जिससे सात लाख जनता की आवागमन की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सूचना सदन को देना चाहता हूं। हिंदुस्तान की ऐसी हजारों ग्राम सभाएं हैं, जो जंगल के किनारे बसी हुई हैं। वहां जंगली जानवरों द्वारा चराई किए जाने से लगभग 60 प्रतिशत से भी ज्यादा फसल का नुकसान होता है। जिसके कारण उन गांवों के निवासी बहुत बुरी हालत में हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गिर चुकी है और बहुत बुरी हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी नेशनल पार्क है और पास में करीब 140 गांव हैं, जिसमें काश्तकारों की बहुत बुरी हालत है। इस कारण वन अधिकारियों में और काश्तकारों में टकराव हो रहा है, इस वजह से कई जानवर मारे जा चुके हैं तथा कई शेर भी मारे गए हैं। हमारा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और वन मंत्रालय मिल कर पूरे हिन्दुस्तान में जितने भी गांव जंगल के किनारे बसे हुए हैं या सैंचूरी के किनारे बसे हुए हैं, उन गांवों के अंदर बिजली का झटका मारने वाली जो फैंसिंग होती है, उसे लगवाने का काम करें, ताकि काश्तकारों को आराम मिले। हम लोगों ने एक–दो प्रयास इस दिशा में किए हैं और पोजिटिव रिजल्ट्स आये हैं। आपके माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बजट में इसका प्रावधान रखा जाए।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीर विषय की ओर माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन कम्पनी का पानेवाड़ी, मनमाड़ जिला नासिक (महाराष्ट्र) में रिफिलिंग प्लांट से पेट्रोल, डीज़ल और केरोसीन तेल के वितरण में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। वितरण प्लांट में हमारे मराठवाड़ा में यानी नांदेड़ परभनी तक वहां से टैंकर भरे जाते हैं और पूरे उत्तर भारत में जाते हैं। 12000 लीटर का एक टैंकर होता है, उसमें 44 लीटर तक कम केरोसीन आता है। 12000 लीटर डीजल और पेट्रोल के टैंकर में 32 लीटर कम होता है, ऐसे वेट एंड मेजरमेंट वालों ने पकड़ा है। महाराष्ट्र के वेट एंड मेजरमेंट के डायरेक्टर जनरल ने भी इस बात को पकड़ा है और 1987 के एक्ट के अनुसार 17 अगस्त को मनमाड़ में एफआईआर दर्ज की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इन लोगों ने इतनी गड़बड़ी की है कि आज तक करोड़ों रुपयों का घपला इंडियन ऑयल के सारे ऑफिसर्स, जो वहां मौजूद हैं, ने किया है। उसके बाद मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र के माध्यम से सारी स्थिति से अवगत भी कराया था। बाद में बहुत दिनों तक सारे पम्प वालों को पेट्रोल और डीजल सही मात्रा में मिलने लगा, लेकिन उसके बाद फिर पहले वाली हालत हो गई। हमारे यहां एमएसआरटीसी बस चलती है, उनके कार्पोरेशन में भी डेढ़ करोड़ रुपयों का घाटा इसी कारण से हुआ है। हमारे यहां के कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों ने फिर इसकी जांच की और फिर उनके ऊपर एक बार एफआईआर दर्ज की और विधान सभा में इस बात की चर्चा हुई, तो 50 हजारा रुपयों का जुर्माना इंडियन ऑयल कार्पोरेशन पर हुआ। अगर सैंट्रल गवर्नमेंट का कार्पोरेशन ऐसा करत है,

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी डिमांड क्या है?

श्री चंद्रकांत खैरे : बचत किया हुआ सामान कहां गया? यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है? मैं मांग करता हूं कि इसकी अलग से जांच हो और जिन्होंने यह घपला किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता श्री चेतन कामले ने पूर्व में इस ओर ध्यान दिलाया था। अब वह अनशन पर बैठने वाला है। इस घपले से सभी लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। आपको इसका ख्याल रखना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं त्रिपुरा में सड़क सम्पर्क के महत्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहूंगा।

त्रिपुरा राज्य का विकास इसकी भौगोलिक स्थिति तथा खराब परिवहन अवसंरचना के कारण बाधित हो रहा है। राज्य की सम्पर्क सुविधा में सुधार के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अक्टूबर, 2005 में राज्य की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग–44 के 4 लेन का बनाए जाने की घोषणा की थी, जो कि राज्य को देश के शेष भाग से जोड़ने वाला एकमात्र राजमार्ग है। अभी तक वास्तविक रूप से कोई काम आरम्भ नहीं हुआ है।

एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग–44 ए. का विकास कार्य 1999 में आरम्भ हुआ था लेकिन आज की तिथि तक इसकी प्रगति निराशाजनक रही है। राज्य को जोड़ने हेतु वैकल्पिक लिंक के लिए राज्य सरकार कोकीटाल, असम सीमा से सुब्रूम, त्रिपुरा तक सड़क के विकास की मांग करती रही है। इस सड़क को चौड़ा किए जाने तथा इसमें सुधार से मुख्यतः जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र लाभान्वित होंगे और इस प्रकार राज्य के विशाल क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक दशा में सुधार होगा।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से दीर्घकाल से लंबित परियोजना को तत्काल आरंभ करने तथा कार्य में तेजी लाने का अनुरोध करता हूं, ताकि राज्य राष्ट्रीय मुख्यधारा का भाग बन सके।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : दण्डशास्त्र के अनुसार अपराधियों को सजा के रूप में जेल निश्चित रूप से भेजा जाना चाहिए, लेकिन सजा के लिए नहीं। लेकिन हमारे जेलों की वास्तविकता यह है कि कैदियों को जेल सजा के लिए भेजा जाता है, न कि सजा के रूप में। जेल नियमावली में जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, सुधार एवं पुनर्वास का दर्शन वास्तविक रूप नहीं प्राप्त कर सका है। हमारे देश की विभिन्न जेलों में कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि एक मॉडल जेल नियमावली जारी की जाए तथा सभी राज्यों को एक अनुकूल माहौल बनाने का निदेश दिया जाए ताकि कैदियों के व्यवहार को सुधारा जा सके। वर्तमान जेल नियमावली में यह बात अन्तर्निहित है।

दूसरी बात यह है कि मैंने यह देखा है कि उम्र कैद के सैंकड़ों सजायाफ्ता कैदी 30–35 वर्षों से अधिक अवधि से जेलों में सड़ रहे हैं। उनमें से कुछ ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हंसराज जी. अहीर से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री अधीर चौधरी : उन्हें अभी भी सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है। अतः मेरे तर्क का दोनों भागों, एक जेल सुधार तथा दूसरा जेलों में सड़ रहे लंबी अवधि के सजायाफ्ता कैदी, पर विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दिलाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस शीतकालीन सत्र के दौरान मेरे अतारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी बदहाल स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 4168 पद रिक्त हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 4032 डॉक्टर्स के पद रिक्त हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है। ग्रामीण लोग संक्रामक तथा साधारण बीमारियों की चपेट में आकर बिना डॉक्टर के इलाज और दवा के मौत के मुंह में जा रहे हैं। आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। यूपीए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों के पद भरने के बजाए, विदेशी मुद्रा प्राप्ति हेतु बड़े–बड़े महानगरों में स्वास्थ्य पर्यटन योजना के लिए, अति विशिष्ट उपचार सुविधा के लिए धनराशि जारी करने जा रही है। सरकार की दोहरी नीति के चलते ग्रामीण जनता की उपेक्षा की जा रही है। कुपोषित ग्रामीण बच्चों को मरने के लिए छोड़ने का सरकार पर मैं आरोप लगाता हूं। जहां जनता को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपचार केन्द्र की आवश्यकता है वहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने से सरकार की नाकामी सिद्ध हो रही है। मैं आपके माध्यम से प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तुरंत चिकित्सकों के पदों को भरने की मांग करता हूं। साथ ग्रामीणों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिल्ली में यमुना नदी के किनारे चल रहे तोड़–फोड़ की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। उषा मेहरा समिति की अनुशंसा के कारण बाटला हाउस, अबुल फजल कालोनी I तथा II तथा बोकाला के 60,000 निवासियों को तोड़–फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। इस समिति का गठन यमुना नदी के सौन्दर्यीकरण के लिए तरीकों का सुझाव देने के लिए किया गया था। समिति ने यमुना नदी के 300 मीटर के दायरे में आने वाले गरीब लोगों के सभी ढांचों को हटाने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में वे इसकी माप राष्ट्रीय राजमार्ग के केन्द्र से कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में नदी के मध्य से मापने के स्थान पर वे इसकी माप नदी के तट से कर रहे हैं। इसके लिए बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण को कहने अथवा राजस्व अधिकारियों के कहने के स्थान पर वे इसे कर रहे हैं। अतः, 60,000 से अधिक निवासियों को तोड़–फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा पुनर्वास का सुझाव नहीं दिया गया है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह उनके पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु हस्तक्षेप करे। राष्ट्र को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि दिल्ली केवल धनी लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। यह गंभीर चिंता का विषय है। मैं सरकार से इस मामले में समुचित हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : मैं सरकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जानकारी में लोक महत्व का निम्नांकित मामला लाना चाहता हूं।

यह पांडिचेरी विश्वविद्यालय के संबंध में है जो कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और कई दशकों से कार्य कर रहा है। इस विश्वविद्यालय

में कुछ अनियमितताओं के बारे में 'टुडे' मैगजीन के सितम्बर तथा नवम्बर अंकों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। पुनर्गठन तथा समेकन के नाम पर विश्वविद्यालय ने कुछ विभागों को बंद कर दिया है। उदाहरणार्थ राजनीति विज्ञान विभाग बंद कर दिया गया। कुछ विभागों का विलय अन्य विभागों में कर दिया गया। ये हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज तथा स्कूल ऑफ इकोलॉजी। उन विभागों में काम करने वाले प्रोफेसरों तथा संकाय सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। हाल ही में इस विश्वविद्यालय के कार्यपालक अभियंता ने सतर्कता समिति के पास एक शिकायत दर्ज करायी है। बिल्कुल हाल में इस विश्वविद्यालय में परीक्षा घोटाला हुआ जिसमें मूल्यांकन किए गए परीक्षा पत्रों को लीक किया गया तथा इसका दुरुपयोग अपने पसंदीदा छात्रों को उच्च श्रेणियां देने के लिए किया गया। परीक्षा पत्रों के इस हेर–फेर को बंगलौर फॉरेन्सिक युनिवर्सिटी में भेजा गया जहां हेर–फेर साबित हो गया।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से परीक्षा घोटाले की सी.बी.आई. जांच कराने तथा विश्वविद्यालय की सम्यक जांच कराने का अनुरोध करता हूं। कुलपति मुस्लिम–विरोधी नजरिए से काम कर रहे हैं। मैं उनका स्थानांतरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री भो. ताहिर (सुल्तानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में बढ़ती हुई अराजकता एवं आतंकी गतिविधियों के कारण जनप्रतिनिधि असुरक्षित हैं जिसकी वजह से माननीय सांसदगण अपने संसदीय क्षेत्र में जनता को पर्याप्त वक्त नहीं दे पाते हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में 25 नवम्बर, 2004 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें हमारे दल के कार्यकर्ता यार मौहम्मद को तेजाब डालकर जला दिया गया।

दूसरी घटना में सुल्तानपुर पुलिस ने एक शातिर बदमाश को एनकाउन्टर में मार गिराया, जिसने मेरी सुपारी ले रखी थी। जिसे शहर कोतवाल और अधिकारियों ने स्वीकार किया।

तीसरी घटना में तारीख 2 फरवरी, 2006 को नोएडा से जान से मारने का धमकी भरा फोन आया। जिसकी प्राथमिकी थाना चाणक्यपुरी में दर्ज है। कार्यवाही के दौरान दिल्ली पुलिस ने उक्त युवक को गिरफ्तार किया, जिस पर मुकद्मा चल रहा है।

चौथी घटना में 10 नवम्बर को मेरे फादर व भाई पर जानलेवा हमला हुआ। मैंने गृह मंत्री को सैंकड़ों लैटर लिखे, मुझे प्राप्ति का उत्तर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी केन्द्रीय सरकार से क्या मांग है?

श्री भो. ताहिर : मंत्री जन ने थ्रैट स्वीकार की, किन्तु अभी तक मेरी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई। मेरे और हमारे परिवार के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। अतः उक्त घटनाओं की जांच करते हुए मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि मेरे साथ इंसाफ हो।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वालों की सूची बनाई गई है, जिसमें काफी अनियमितता हुई है। देश का सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार है और 13 अंक का मापदंड बिहार में रखा गया है, जबकि देश के कई राज्यों में कहीं 15 है, कहीं 20 है और कहीं 25 अंक रखा गया है। आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, ग्रामीण विकास मंत्री जी संयोग से हमारे जिले में गये थे, वहां उन्हें काफी लोगों ने घेरा और कहा कि हमारी गरीबी रेखा के अंतर्गत जो अनियमितता आई है, जिसके चलते एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. लोगों का नाम गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले लोगों में नहीं आ पाया है, इसलिए आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से मांग करते हैं कि गरीबी रेखा के अंतर्गत जिन लोगों का नाम छूट गया है, उन लोगों का नाम सूची में दर्ज किया जाए और 13 अंक से बढ़ाकर बिहार राज्य को कम से कम 25 अंक के अंदर गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक विशेष मामले के रूप में मैं अब श्री जे. एम. आरुन रशीद को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया अपना नोटिस समय पर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

प्रोपर टाईम पर नोटिस दें, फिर कोई प्राब्लम नहीं।

[अनुवाद]

श्री जे. एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम) : महोदय, मैं तमिल में बोलूंगा।

[हिन्दी]

सर, मैं हिन्दी और अंग्रेजी में भी बात करूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आपने समय पर सूचना नहीं दी है, इसलिए भाष्यांतरण की व्यवस्था नहीं की जा सकी और इसलिए आप कृपया अंग्रेजी अथवा हिन्दी में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री जे. एम. आरुन रशीद : सर, यदि एक घर में 10–12 कोकोनट ट्रीज होंगे तो एक परिवार के जीने के लिए ठीक इंकम हो जाती है।

[अनुवाद]

नारियल के पेड़ विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और एक ऐसे रोग के कारण जड़ मुरझा जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप नारियल के पेड़ की वृद्धि सीमित हो जाती है तथा यह आकार में छोटा हो जाता है। पत्तियां भी पीले पड़ जाते हैं। दक्षिणी अमरीकी देशों तथा क्वालालम्पुर तथा श्रीलंका ऐसे रोगों से लड़ने के प्रयास के रूप में इन पेड़ों पर हवाई छिड़काव की व्यवस्था है। ऐसा रोगों से बचने अथवा रोकने के लिए किया जाता है। मैं स.प्र.ग. की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से, जो इस सरकार का मार्ग निर्देश भी करती हैं, प्रधानमंत्री जी से कृषि क्षेत्र को अधिक निधियां आबंटित करने को कहने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री जे. एम. आरुन रशीद : महोदय, 'धन्यवाद' से आपका क्या आशय है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : 'धन्यवाद' से मेरा आशय यह है कि आपको अपनी बात खत्म करनी है।

...(व्यवधान)

श्री जे. एम. आरुन रशीद : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसे नारियल उगाने वाले किसानों को बचाने के लिए हवाई छिड़काव कराना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश किसान नारियल के वृक्ष लगाते हैं। अतः इन किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि डा. कलाइनार करूणानिधि के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को नारियल के वृक्षों तथा उनके उत्पादकों की रक्षा के लिए हवाई छिड़काव हेतु और धनराशि स्वीकृत की जाए। केन्द्र सरकार को मलेशिया और श्रीलंका से नारियल तेल का आयात बंद कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भानु प्रताप सिंह इसे पूर्वोदाहरण न माना जाए।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में दिनांक 17.12.2006 को साढ़े आठ बजे एक ब्राह्मण परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई। वह अपनी पत्नी के साथ झांसी के महारानीपुर जा रहे थे। उसी बीच में दो लोग घायल हुए जो अस्पताल में भर्ती हैं। वहां भय और आंतक का वातावरण बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जो भय और आतंक का वातावरण वहां बना हुआ है और जिनके परिवार के तीन–तीन लोगों की जो हत्या हुई है, दो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ इस केस की सीबीआई जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण बना हुआ है, उसे समाप्त करने के लिए सरकार कार्यवाही करे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट के लिए एलाऊ कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अभी तक मुझे नोटिस नहीं दिया है। आज मेरे पास काम भी बहुत है।

[अनुवाद]

आपको अनुमति देना मेरे लिए संभव नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर) : महोदय, शुक्रवार, 16 दिसम्बर 2006 को रात लगभग 8 बजे दिल्ली के श्री अजय लूथरा और मणिपुर की सुश्री लूसी काशुंग नामक दो मित्र एक पार्टी में शामिल होने के लिए इकट्ठे निकले। देर रात लगभग 1 बजे शनिवार को श्री लूथरा बाड़ा हिन्दू राव अस्पताल में सुश्री लूसी का शव लाए।

परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने पाया कि सुश्री लूसी की गर्दन टूटी हुई थी और उनके सभी अंतःवस्त्र फटे हुए थे और अस्त–व्यस्त थे तथा उनके पूरे शरीर पर खरोचों के निशान थे।

सुश्री लूसी के दुखद निधन ने सही सोच वाले लोगों के दिमाग में निम्नलिखित प्रश्न खड़े किए हैं। श्री लूथरा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया

गया, जबकि यह पता था कि वे दोनों साथ ही गए थे और जब तक सुश्री लूसी का शव अस्पताल नहीं लाया गया, वह उनके साथ ही थे? हालांकि इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि यह प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी। यदि सुश्री लूसी की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण हुई थी तो उनकी गर्दन क्यों टूटी हुई थी तथा उनके अंतःवस्त्र फटे और अस्त–व्यस्त क्यों थे?

मैं सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह बलात्कार, प्रताड़ना और निर्मम हत्या का स्पष्ट मामला है। इसलिए, मैं इस सम्माननीय सभा से आग्रह करता हूं कि वह इस निर्दोष लड़की की हत्या तथा इस महिला के प्रति किए गए घिनौने अपराध को निन्दा करे। मैं सरकार से शोक संतप्त परिवार को 5 लाख रु. का मुआवजा देने का भी आग्रह करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा–पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 2.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के कॉफी उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से उन्हें वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. के. खारवेन्थन (पलानी) : मेरे डिंडिगुल जिले में बागान मालिक पश्चिमी घाटों में निचले पलनी पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कॉफी की खेती करते हैं। उस क्षेत्र में कॉफी प्रमुख फसल है और वह वर्षा सिंचित फसल है। उनमें से अधिकांश छोटे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। लगातार मानसून की वर्षा न होने तथा लंबे समय तक सूखा रहने के कारण बेरी बोरर/वाइट स्टेम बोरर कॉफी की फसलों पर हमला करते हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान कॉफी की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है और कॉफी उत्पादकों की पैदावार बहुत कम हुई। इस वर्ष बेहतर वर्षा होने के बावजूद, बागान गंभीर सूखे तथा कीटों/बीमारियों से उबर नहीं पाए हैं। इसके अतिरिक्त कॉफी के मूल्यों के गिरने, उर्वरकों, कीट नियंत्रण सामग्री की बढ़ी हुई लागत तथा मजदूरी लागत के कारण कॉफी उत्पादकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ छोटे, सीमांत तथा बड़े कॉफी उत्पादकों जिन्होंने निजी ऋणदाताओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिए थे वे समय पर ऋण लौटा नहीं पाए। मूल्यन और उस पर चढ़े अधिक ब्याज ने उन्हें अपनी जमीन औने–पौने दामों पर बेचने को विवश कर दिया और अब वे बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। वे केन्द्र तथा राज्य सरकारों से सहायता मिलने की आशा कर रहे हैं।

अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से सविनय निवेदन है कि वे तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले को कॉफी उत्पादकों हेतु वित्तीय पैकेज में शामिल करें।

(दो) आंध्र प्रदेश में लंबित रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में लंबे समय से लंबित कई परियोजनाएं हैं, जिन्हें लोगों के लाभ के लिए युद्ध स्तर पर शुरू किए जाने और तत्काल पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

प्रथम, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुंटूर में कई उपरि पुलों को स्वीकृति दी जा चुकी है, परन्तु उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। मेरा सविनय निवेदन है कि उन उपरि पुलों के निर्माण को पूरी गंभीरता से क्रियान्वित किया जाए।

द्वितीय, रेल मंत्रालय के पास 2 पैदल पार पथ लंबे समय से लंबित हैं, लोगों को हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर इसे तुरंत क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

तृतीय, नल्लापाडु (गुंटूर) और पगिड़ीपल्ली (बीबीनगर) के बीच गुंटूर–कृष्णा नहर (जी के सी) में दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है।

चतुर्थ, क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग के मद्देनजर गुंटूर–विजयवाड़ा लाइन के विद्युतीकरण को तुरंत स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है।

पंचम, गुंटूर–तेनाली–विजयवाड़ा को कवर करने वाली सर्कुलर रेलगाड़ी को शुरू करने से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के यात्रियों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, इसके लिए लंबे समय से मांग भी की जा रही है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की इस मांग पर विचार करेंगे।

(तीन) ओएनजीसी द्वारा गुजरात में मेहसाना में तेल और गैस के अन्वेषण से अर्जित लाभ का एक प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास के लिए निवेश किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र

* सभा पटल पर रखे गए।

मेहसाना में हजारों की तादाद में तेल के कुंए हैं, जिनसे ओ एन जी सी अरबों रुपयों का तेल एवं गैस निकालती है। ओएनजीसी ने हाल ही में अपने एक विज्ञापन में बताया है कि जिन क्षेत्रों में तेल एवं गैस निकाले जाते हैं उनसे प्राप्त लाभ का एक प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास कार्य एवं सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है परन्तु इस सदन को यह बताते हुए खेद हो रहा है कि ओ.एन.जी.सी. ने कभी भी मेरे क्षेत्र मेहसाना में तेल एवं गैस से हुए लाभ का एक प्रतिशत खर्च नहीं किया। ओएनजीसी जहां से भी तेल और गैस निकाल रही है उनमें से सबसे उच्च क्वालिटी का तेल और सबसे ज्यादा तेल मेहसाना से ही मिल रहा है। ओएनजीसी के कुल लाभ में मेहसाना की देन 35 प्रतिशत के करीब है। ओएनजीसी से मेरे संसदीय क्षेत्र की भूमि खराब हो रही है, पेयजल में फ्लोराईड पैदा हो गया है तथा भूमि जल स्तर 1500 फुट के करीब चला गया है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में ओ.एन.जी.सी. लाभ का एक प्रतिशत खर्च करें।

(चार) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पश्चिमी भागों में गंगा नदी से पाइपलाईनों के माध्यम से पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर) : मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पानी की कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद जिले के पश्चिमी हिस्सों में पानी की कमी एक स्थायी समस्या है। कोंडी, स्वर्गनाथ, भरतपुर, बवान और बेलडोगा पानी की कमी से सबसे अधिक प्रभावित ब्लॉक हैं। गर्मी के मौसम में लोग बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी का स्तर इतना नीचे चला जाता है जिससे भूमिगत जल संसाधनों से पानी निकालना लगभग असंभव हो जाता है। जल भंडार, जोकि वर्षभर पानी की आवश्यकता पूरी करते हैं, इस मौसम में वे भी सूख जाते हैं। पेयजल की अनुपलब्धता के कारण स्थिति और बिगड़ जाती है, जिससे लोगों को बहुत कठिनाई होती है। पेयजल सहित पानी की कमी, इन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए बारहमासी समस्या बन चुकी है। यद्यपि, प्रचुर जल वाली गंगा इस जिले से गुजरती है तथा यह जिले के पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्र से केवल 30 किलोमीटर दूर है। पेयजल की गंभीर समस्या का लंबी अवधि का समाधान इन क्षेत्रों में गंगा नदी का पानी पाइप के माध्यम से पहुंचाकर किया जा सकता है जिससे अंततः पेयजल की समस्या कम होगी।

(पांच) कान्डला-अम्बाजी वाया खेड ब्रह्मा तथा श्यामला-मध्य प्रदेश और अहमदाबाद-आबू रोड रूट को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा का मुख्यालय पालनपुर कई बड़े शहरों के बीच में है। कांडला एवं श्यामलाजी वाया अम्बा जी, अहमदाबाद एवं आबू रोड़ को आने जाने के लिए पालनपुर शहर का प्रयोग किया जाता है। इन शहरों के पर्यटन केन्द्र एवं धार्मिक केन्द्रों को आने जाने के लिए पालनपुर से आया जाया जाता है। परन्तु पालनपुर से इन शहरों को जाने के लिए कोई अच्छी सड़क नहीं है और न ही सड़क की कोई अच्छी सुविधा है। जिससे इन पर्यटन केन्द्र और धार्मिक केन्द्रों को जाने वालों को बड़ी ही दिक्कत होती है। इस संबंध में सरकार से काफी वर्षों से इस संबंध में मांग की जा रही है, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सड़क बनने से पर्यटन केन्द्रों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर गुजरात के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता मिलेगी।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कांडला से अम्बाजी, खेड़ ब्रह्मा एवं श्यामला जी होते हुए मध्य प्रदेश तक के लिए एवं अहमदाबाद से आबू रोड़ जाने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये, जिससे पर्यटन केन्द्र को बढ़ावा मिल सके।

(छह) बीना जंक्शन और देश में अन्य रेलवे स्टेशनों पर बम निष्क्रिय करने वाले दस्ते तैनात किए जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बीना एवं उसके आसपास विगत 27 जून, 2006 से 10 नवम्बर, 2006 के बीच में रेलवे ट्रैक पर 3 रेल गाड़ियों में बम की अफवाह से हजारों यात्री परेशान हुए तथा रेलवे कर्मचारी जीआरपी पुलिस प्रशासन भी घंटों परेशान रहा। 27 जून, 2006 को दिल्ली से आने वाली महामाया एक्सप्रेस रात्रि में बम की अफवाह से खड़ी रही। 16 अगस्त, 2006 को भोपाल बिलासपुर गाड़ी खुरई के पास नरेन नदी के पुल पर रेलवे ट्रैक पर बम जैसी वस्तु होने से हडकम्प मचा रहा। कई घंटे ट्रेन वहां खड़ी रही। इसी तरह 10 नवम्बर, 2006 को पंजाब मेल भी बीना में 4 घंटे खड़ी रही। उल्लेखनीय है कि तीनों ही घटनाओं में बम निरोधक दस्ता भोपाल से घंटों बाद पहुंचा। बीना जंक्शन महत्वपूर्ण स्टेशन होने के बाद भी यहां स्थानीय स्तर पर बम की खोज की सामग्री नहीं है तथा बम प्राप्त होने पर उनको नष्ट करने वाले एक्सपर्ट भी नहीं हैं। तीनों ही घटनाओं में घड़ियों के पैकेट, सट्टा पर्चा का पुलिन्दा जैसे सामान से

अफरा तफरी मची। यात्रियों का सामना व्यापक मात्रा में चोरी हुआ बुजुर्ग यात्री परेशान हुए तथा मरीजों को तो बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि ट्रेनें खाली कराई गँई तथा सभी यात्रियों को बाहर आना पड़ा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीना मध्य प्रदेश सहित देश के सभी महत्वपूर्ण जंक्शनों पर बम खोजी संसाधन एवं उन्हें नष्ट करने वाले एक्सपर्ट लोगों की व्यवस्था करवाने का सहयोग करें ताकि रेलों में यात्रा करने वाले यात्री निष्कंटक अपनी यात्रा सफल कर सकें।

(सात) राजस्थान में धौलपुर-तांतपुर छोटी लाईन को रूपावास तक बढ़ाने और धौलपुर तथा सवाईमाधोपुर को जोड़ने वाली नई रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री रामस्वरूप कोली (बयाना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र धौलपुर राजस्थान की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत धौलपुर से तांतपुर नेरोगेज लाइन को रूपवास तक विस्तार करने तथा धौलपुर से बाड़ी, सरमथुरा, करोली, गंगापुर, सिटी होते हुए सवाई माधोपुर तक रेल मार्ग बनाये जाने की तीव्र आवश्यकता है, यह मार्ग सवाई माधोपुर से बोम्बे लाईन से जोड़ा जाये, क्योंकि यह मार्ग, रेल मार्ग विहीन है और इस क्षेत्र की जनता पिछले कई वर्षों से रेल लाइन की मांग कर रही है।

अतः मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को शीघ्र करने के आदेश पारित किया जाये, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र की गरीब जनता को शहर में जाकर रोजगार का अवसर मिल सके और कम किराये में बेहतर रेल सुविधा भी उपलब्ध हो सके।

(आठ) देश में डिनोटिफाइड एण्ड नोमेडिक ट्राईब्स को नौकरियों और प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने के लिए एक विधान बनाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : योजना आयोग ने गैर–अधिसूचित और यायावर जनजातियों (डी एन टी) के दयनीय आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए उनके उत्थान/विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछेक सिफारिशें की थीं। भारत सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार किया और राज्य सरकारों को गैर–अधिसूचित और यायावर जनजातियों हेतु एक पृथक सूची तैयार करने के निदेश दिए। अधिकतर राज्य सरकारों ने गैर–अधिसूचित और यायावर जनजातियों की एक पृथक सूची तैयार की, लेकिन दुर्भाग्यवश गैर–अधिसूचित और यायावर जनजातियों को आज तक उसका लाभ और आरक्षण नहीं दिए गए हैं तथा न ही उनके लिए कोई संवैधानिक रक्षोपाय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के समान) किए गए हैं। केवल महाराष्ट्र सरकार ने गैर–अधिसूचित और यायावर जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया है। किन्तु अन्य राज्यों ने इन जनजातियों को कोई आरक्षण नहीं दिया है। गैर–अधिसूचित और यायावर जनजातियों के लगभग 12 करोड़ लोग अनेक वर्षों से परेशानी झेल रहे हैं। हालांकि वे देश के सबसे पिछड़े लोग हैं किंतु कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता। सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के समान ही उनके लिए भी संवैधानिक रक्षोपाय करने चाहिए। सरकार के गैर–अधिसूचित और यायावर जनजातियों के प्रति रूखे व्यवहार के कारण वे आगे नहीं आ पा रहे हैं और समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार द्वारा संविधान में उपयुक्त संशोधन करके गैर–अधिसूचित और यायावर जनजातियों के लिए संवैधानिक रक्षोपाय करने हेतु तात्कालिक कार्रवाई की जाए ताकि गैर–अधिसूचित और यायावर जनजातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के समान ही रोजगार में आरक्षण जैसे लाभ मिल सकें।

(नौ) 'कुरुख' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : 'कुरुख' भारतीय जनजातीय भाषाओं में से एक है, जिसे व्यापक स्तर पर जनजातीय समुदाय और विशेष रूप से "ऊरांव" समुदाय द्वारा बोला जाता है। यह भाषा दिनोंदिन लुप्त होती जा रही है।

अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस भाषा के प्रचार तथा प्रसार करने हेतु अनुदान दिया जाए और इस भाषा को मान्यता प्रदान की जाए तथा इसे भारतीय भाषाओं की अनुसूची में शामिल किया जाए।

(दस) बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित किसानों को वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने और इस क्षेत्र के किसानों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की दृष्टि से पांचंदा बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद जालौन गरौठा, उत्तर प्रदेश एवं समस्त बुंदेलखंड का किसान लगभग 3 वर्षों से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है क्योंकि 3 साल से सूखे की स्थिति बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण समय से फसलों को पानी

न मिलने से किसान कर्ज में डूब गया है, जिससे किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सूखे की स्थिति से बचाने के लिए पांचंदा बांध का निर्माण किया जाये तथा बुंदेलखंड के किसानों को विशेष पैकेज देकर कर्ज माफ किया जाये जिससे बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर न हो।

(ग्यारह) देश में चाय उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : पूरे विश्व में चाय उत्पादक देशों ने चाय के व्यापार का कामगारों, लघु चाय उत्पादकों, उपभोक्ताओं और उद्योग पर प्रभाव के संबंध में सरकारों और नागरिकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 15 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया। भारत में चाय उद्योग की दयनीय स्थिति का कदाचित उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक चाय बागान या तो लगातार बंद हो रहे हैं या उन्हें मालिकों द्वारा अनदेखा छोड़ दिया गया है। फलस्वरूप कई वर्षों से चाय के उत्पादन में भारी गिरावट आई है और अनेक कामगार बेरोजगार हो गए हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह एक मास्टर प्लान लेकर आए ताकि चाय उद्योग को बढ़ावा मिल सके, बंद पड़े और अनदेखे किए गए चाय बागानों को पुनः शुरू किया जा सके और भारतीय चाय आक्रामक विपणन के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना सके।

(बारह) विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में कार्य करने की अनुमति दिए जाने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, शिक्षा में उदारीकरण का लाभ लेने और उसे व्यापक बनाने हेतु सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश व उनके विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है परंतु सरकार इन विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु नियामक तंत्र अभी तक नहीं बना पाई है जबकि देश में पहले से ही 144 विदेशी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और संस्थान चल रहे हैं, जिसमें 117 अपने अपने देश के पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। सरकार की इस उदारीकरण नीति पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी समिति ने रिपोर्ट दी है कि विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की पृष्ठभूमि, उनकी मान्यताओं तथा क्षमताओं की जांच पड़ताल हेतु सरकार एक समिति गठित करे और विदेशी संस्था अगर झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इंडियन काउंसिल ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन के दायरे में सिर्फ वही विदेशी विश्वविद्यालय आते हैं जो तकनीकी शिक्षा हेतु भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किए हुए हैं।

उक्त समिति के सुझावों को अगर सरकार नजरअंदाज करती है तो देश के लाखों लोगों को सस्ती सुलभ शिक्षा नसीब नहीं हो सकती है। भारत में जहां गरीबी के कारण, सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद लाखों घरों के बच्चे अभी भी स्कूल जाने से महरूम रह जाते हैं वहीं विदेशी और महंगी शिक्षा क्या गरीब परिवारों के बच्चों को सरकार मुहैया करा पाएगी? सरकार के इस कदम के कारण शिक्षा क्षेत्र में और स्पर्धा आने की ही संभावना है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वे विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश से पहले उसके हर पहलू पर बड़ी संजीदगी से विचार कर भारतीय कानून के दायरे में तथा समिति के सुझावों के अनुरूप ही उन्हें भारतीय सरजमीं पर आने की इजाजत दें।

(तेरह) बी.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली स्थित सरकारी आवासों की खस्ता हालत के मद्देनजर उनका पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, संसद भवन के परिसर के बगल में स्थिति बी.के.एस. मार्ग पर केन्द्रीय लोक निर्माण के भवनों (संख्या 1 से 33) के 1138 सरकारी भवन जर्जर स्थिति में पहुंच गए हैं। उनमें से कई के ढहने और गिरने की आशंका बताई जा रही है। इन भवनों को तोड़कर नए भवन को बनाए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिसमें नये ओवर हैड टैंक, सेनिटेशन एवं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो। साथ ही इस तरह के जितने भी भवन हैं उसका सर्वे कराकर उनकी सूची बनाकर, खास तौर से जिन भवनों को अनुमानित जीवन समाप्त हो चुका है, उनका पुनर्निर्माण भूकम्प रोधी तकनीकी का उपयोग करते हुए कराया जाए। ऐसी सरकार से हमारी मांग है।

(चौदह) राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना के कार्य में उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उड़ीसा का तटीय क्षेत्र 476.40 कि.मी. लम्बा है। 1999 के भयंकर चक्रवात में ज्वारीय तरंगों के कारण लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई थी। सामान्य वर्षों में भी

नदियों के माध्यम से ज्वारीय पानी का आना आम बात है। यद्यपि उड़ीसा सरकार ने इन क्षेत्रों को ज्वारीय तबाही से बचाने के लिए 1517 कि. मी. में खारे पानी को रोकने हेतु तटबंध का निर्माण किया है किन्तु और भी किया जाना है। तट के समुद्री किनारे का ज्वारीय तरंगों और वास्तविक बहाव के कारण निरंतर मिट्टी कटती रहती है जिससे निवासियों को निरंतर खतरा बना हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह 361 करोड़ रु. की राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को भेजे गए प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करे। चूंकि उड़ीसा के पास बार-बार होने वाली समस्याओं और इसकी अवसंरचना के प्रबंधन के लिए संसाधन नहीं है। मैं सरकार से काम के बदले अनाज कार्यक्रम को उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में नियमित आधार पर बड़े स्तर पर क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं, उड़ीसा को चक्रवात और बाढ़ से उजड़ा क्षेत्र मानकर एन एफ सी आर और सी ओ आर अनुदान दिया जाना चाहिए। 9000 वर्ग कि.मी. डेल्टा क्षेत्र को बाढ़ के कारण कमजोर होने से बचाने और जल निकास संकुलन की समस्या के समाधान के लिए बाढ़ तटबंधों को ऊंचा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और तट सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय निधि पोषित योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है।

(पंद्रह) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान की खरीद शुरू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : संपूर्ण देश में खरीफ की फसल की अवधि लगभग समाप्त होने जा रही है। किंतु धान की बाजार कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस वर्ष यह उम्मीद थी कि केन्द्र सरकार का कृषि मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेगा, जो कि किसानों के लिए लाभकारी होगा। इस वर्ष के लिए धान का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 580/- रु. प्रति क्विंटल है। यह न तो लाभकारी और न ही समर्थन मूल्य है। गत वर्ष की तुलना में केवल 10/- रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाये तो यह 1.9 प्रतिशत है जबकि मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से अधिक है। कृषि लागतों की कीमत लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सरकार ने अतिरिक्त 50/- रु. प्रति क्विंटल बोनस के तौर पर घोषित किए हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, इस वर्ष के लिए 19 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसमें से 12 लाख मीट्रिक टन एफ सी आई को दिया गया है। गत वर्ष एफ सी आई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका था। यह उम्मीद की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से उपर्युक्त मात्रा की खरीद के लिए एफ सी आई आवश्यक नेटवर्क की स्थापना करेगा। किंतु एफ सी आई द्वारा आज तक कोई शुरूआत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में गरीब एवं सीमान्त किसानों द्वारा औने-पौने दामों में बिक्री काफी बढ़ गई है। मैं केन्द्र सरकार से और विशेषकर संबंधित मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि अतिशीघ्र आवश्क कदम उठाएं ताकि औने-पौने दामों में बिक्री को रोका जा सके और गरीब किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

(सोलह) मध्य रेलवे के कराड रेलवे स्टेशन को कॉकण रेलवे के चिपलून रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली रेल लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (कराड़) : मध्य रेलवे के कराड़ रेलवे स्टेशन और कॉकण रेलवे में चिपलून रेलवे स्टेशन के मध्य एक नई रेल लाइन बिछाकर कॉकण और मध्य रेलवे के मार्ग के मध्य में संपर्क स्थापित किया जाए। वर्तमान में पुणे-मुंबई और लोण्डा-मडगांव दो संपर्क बिन्दु हैं जिनकी आपस में दूरी 600 कि.मी. है, जिससे कॉकण का निचला हिस्सा जुड़ता है। मार्ग के मध्य इस संपर्क से रायगड़ जिले में नए विकसित पत्तनों की ओर चीनी और अन्य माल की ढुलाई में सहायता मिलेगी। इस संबंध में एक व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया जाए।

(सत्रह) देश की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : महोदय, अभी हाल ही में सरकारी पक्ष की ओर से घोषणा की गई है कि आगामी फसल के दौरान 74 मिलियन टन गेहूं की पैदावार होने की संभावना है, जो गत वर्ष की तुलना में 5 मिलियन टन से कहीं अधिक है किन्तु, खाद्य तेलों की उपज कम होने के संबंध में कृषि मंत्रालय मौन है। देश में अनाज जितना आवश्यक है खाद्य तेल भी उतना ही जरूरी है। आगामी रबी के फसल के दौरान तिलहन 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक कम होना आवश्यक है क्योंकि वर्ष 2005-06 में तिलहन 93.29 लाख टन हेक्टेयर भूमि में बोया गया था जो अभी 2006-07 में 85.22 लाख हैक्टेयर में सिमट चुका है। तिलहन के कमी से खाद्य तेलों की कीमतें भविष्य में आकाश की ओर जाएंगी और उसकी आपूर्ति के लिए आयात पर देश की निर्भरता बढ़ेगी। खाद्य तेल की मांग प्रतिवर्ष 3-4 प्रतिशत तक बढ़ती है इसलिए एक अनुमान है कि आगामी वर्ष में 6 मिलियन टन तक अधिक खाद्य तेल आयात करना पड़ेगा। खाद्य तेल एक आवश्यक सामग्री है, इसलिए उसकी आपूर्ति व्यवस्था भी उचित हो यह सरकार की जिम्मेदारी है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार समय रहते इस मामले पर ध्यान दे।

(अठारह) पश्चिम बंगाल के सियालदाह मंडल में सोनपुर से कैनिंग तक रेल लाईन के दोहरीकरण के निष्पादन में तेजी लाने के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : सुंदरवन क्षेत्र की आर्थिक और पर्यटन संभाव्यताओं की पहचान होने पर सियालदाह प्रभाग (पश्चिम बंगाल) के अंतर्गत दक्षिणी खंड में सोनारपुर और कैनिंग के मध्य रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया था। किंतु कार्य की प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है। परियोजना का पहला चरण (सोनारपुर से घोटियारीशरीफ) पूरा हो चुका है और दूसरा चरण (घोटियारीशरीफ से कैनिंग) अभी शुरू होना है।

सुंदरवन अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। दोहरी लाइन न होने के कारण सुंदरवन में पैदा हुए समुद्री भोजन, सब्जियां, डेयरी उत्पाद आदि की भारी मात्रा के आवागमन तथा अन्य बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, कैनिंग सुंदरवन का द्वार है जिसमें प्रतिवर्ष अक्टूबर से सैंकड़ों देशी–विदेशी पर्यटकों की पर्यटन संभावनाएं हैं। यद्यपि, प्रतिवर्ष किया जाने वाला बजटीय आबंटन इस लाइन से राजस्व संभावनाओं की तुलना में बहुत कम है। अतएव, और अधिक विलंब को रोकने के लिए चरण II (घोटियारीशरीफ से कैनिंग) के दोहरीकरण के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए इस प्रयोजन हेतु यथेष्ट और आवश्यक बजटीय आबंटन किया जाए।

इसी प्रकार, यह समझा जाता है कि बरुईपुर और दकिन बारासात (चरण–I) के मध्य चालू दोहरीकरण परियोजना की गति बजटीय आबंटन की कमी के कारण बहुत धीमी है।

अतएव, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सुंदरवन की पर्यटन संभाव्यताओं और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए दोहरीकरण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए बजटीय आबंटन को बढ़ाया जाए।

(उन्नीस) असम में जंगली हाथियों के आंतक को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : सरकार का ध्यान असम में बीते कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में हाथियों के जंगलों से निकलकर खुले क्षेत्रों में आने और उनके द्वारा फसलों और घरों को बर्बाद करने के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 50 से 60 लोग मारे जाने और सैंकड़ों लोगों को घायल किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को अपनी रातें जागकर काटनी पड़ती हैं और वे हर समय डर के साये में रहते हैं। जंगलों में अतिक्रमण और जंगलों को नष्ट करने के कारण हाथियों के रहने की परम्परागत जगह कम होती जा रही है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र के जंगलों में रहने वाले कुल 10,000 हाथियों में से 5,500 हाथियों को भोजन और स्थान की तलाश में जंगलों से बाहर आना पड़ता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा असम सरकार को प्रतिव्यक्ति मृत्यु के लिए 40,000 रुपए और पूरी तरह नष्ट हुए घरों के लिए 1000 रुपए के अनुग्रह अनुदान को छोड़कर 23 लाख रुपये की राहत धनराशि प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए अपर्याप्त है। असम सरकार के गंभीर वित्तीय संकट के चलते फसल की बर्बादी की क्षतिपूर्ति तो कभी–कभार ही की जाती है। देश में चरमपंथियों द्वारा मारे गए लोगों को दिए जाने वाले 2 से 5 लाख रुपए और हाथियों द्वारा मारे गए लोगों को दी जाने वाली धनराशि में बड़ा अंतर है। इसलिए मैं सरकार से संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्रिया–कलापों के लिए खर्च की गई वास्तविक धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु युक्तियुक्त राहत के लिए एक नीति बनाने का अनुरोध करता हूं। सरकार को असम सरकार को जंगली हाथियों की अधिक संख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ हाथियों को पकड़ने की भी अनुमति दी जाए जोकि वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित है।

(बीस) नावाड द्वारा सुझाई गई राष्ट्रीय जल मार्ग परियोजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : हमारे राष्ट्र के उत्तर और उत्तर–पूर्व को सम्मिलित करते हुए हिमालयी जलमार्गों केन्द्रीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय जलमार्ग और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए दक्षिणी जलमार्गों की एक राष्ट्रीय जल परियोजना के रूप में नदियों की नेटवर्किंग के लिए श्री ए.सी. कामराज की अध्यक्षता में भारत सरकार में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए गठित विशेषज्ञता निकाय 'नावाड' नामक परिषद ने एक नया सुझाव दिया है। यह अवधारणा नदियों को आपस में जोड़ने से अधिक बेहतर है क्योंकि इससे तटवर्ती लाभार्थियों की एक शिकायत का भी निराकरण हो जाएगा कि जिस पानी पर उनका हक है वह कहीं और चला जाएगा। यह एक ऐसी संकल्पना है जिससे बड़ी नदियों को छुए बिना उनके समानान्तर कृत्रिम नदियों का निर्माण किया जाता है। इसमें जल प्रवाह को पम्पिंग द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है बल्कि इसे विभिन्न क्षेत्रों में तटरेखा और वर्षा तथा बाढ़ पर आधारित प्राकृतिक प्रवाह से विनियमित किया जाता है। इससे बाढ़ और वर्षा से आने वाले जल के संचय में मदद मिलेगी। अन्यथा यह पानी समुद्र में जाकर बेकार हो जाता है अब इस

पानी को ऐसे क्षेत्रों में भेजा जा सकता है जहां पर इस अवधि में वर्षा नहीं हुई हो। इससे हम वर्षा जल का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे जिसमें हमारा देश पर्याप्त समृद्ध है। इस संकल्पना से बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, विद्युत उत्पादन, पेयजल, रोजगार और सिंचाई की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। इससे पर्यटन को भी बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलना संभव होगा। पर्यावरण को प्रभावित किए बिना इससे वृहत वन क्षेत्रों का भी उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना के लिए कुल 15,000 किलोमीटर लम्बाई का सुझाव दिया गया है और इसकी अनुमानित लागत 5,33,000 करोड़ रुपये है। इस संकल्पना का उपयोग राज्यों में अन्य जलमार्गों को आपस में जोड़ने में भी किया जा सकता है।

मैं सरकार से इस परियोजना पर गंभीरतापूर्वक गौर करने और इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर विचार–विमर्श करके आवश्यक कार्रवाई करने तथा बिना विलम्ब के इसे क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं ताकि हमारा राष्ट्र तीव्र गति से समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके।

(इक्कीस) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को संशोधित करने और इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के समकक्ष लाए जाने की आवश्यकता।

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को 16.11.95 से सामाजिक बीमा योजना के लाभ की अवधारणा के रूप में लागू किया गया था। पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 को निश्चित करके इसके स्थान पर भारी कायिक निधि के साथ कर्मचारी पेंशन योजना, 95 लागू की गई थी जिसका इस्तेमाल गरीब कामगारों के मुद्दों को हल करने के लिए उदारतापूर्वक किया जा सकता है। तथापि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने वाली योजनाओं में सक्रिय भाग न लेकर अपने स्वयं के खर्चों के वित्तपोषण के लिए इस कायिक निधि का उपयोग किया है। वर्तमान प्रणाली से कामगारों को वास्तव में कोई लाभ नहीं मिला है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की पहल करनी चाहिए। जिससे ई पी एस–95 में इंडक्स–लिंक्ड महंगाई भत्ते की व्यवस्था सहित सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना के समान बनाया जा सके। कामगारों की न्यूनतम आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जानी चाहिए। न्यूनतम पेंशन की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए ताकि पेंशन योजना के रूप में कामगारों के जीवन में कुछ रोशनी आ सके।

अपराह्न 2.10 बजे

बाल विवाह निवारण विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 48 – बाल विवाह निवरण विधेयक, 2006 को लेंगे। श्रीमती रेनुका चौधरी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि "बाल विवाह के अनुष्ठान के निवारण के लिए तथा उससे संबंधित अथवा उसके अनुषंगी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।" महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा में सभी सदस्यों से अपील करना चाहूंगी कि वे एक पहलू पर ध्यान दें। हम यहां पर एक ऐतिहासिक विधान को लाने के लिए सामूहिक रूप से इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं जिससे हम बालिकाओं को उनके जन्म से मृत्यु तक के जीवनकाल के दौरान सुरक्षा देने में समर्थ होंगे। मैं सबसे पहले अपील करती हूं कि इस विधेयक को देखते समय हमें केवल इस विधेयक को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि उस समग्र प्रभाव को देखना चाहिए जो हमारे सामाजिक ताने–बाने पर पड़ेगा और यह कि बाल–विवाह पर प्रतिबंध लगाने का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरा मानना है कि "बाल विवाह" अपने आप में विरोधाभासी है। आपका बच्चा होना और विवाह होना संभव नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं।

बच्चों का बचपन होना चाहिए। बचपन में विवाह का कोई स्थान नहीं है। विवाह व्यस्क के लिए है जो विवाह का एक पक्षकार होने और विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपना जीवन बिताने के उत्तरदायित्व को भलीभांति समझता हो। इसके स्थान पर अज्ञानता, सांस्कृतिक चलन, अंधविश्वास और इन सच्चाइयों से भी बुरी बात यह है कि हमने समाज में बालिकाओं को बहुत कम महत्व दिया है जोकि एक समाज के रूप में हम सभी के लिए शर्मनाक है। कितने दुख की बात है कि हम अपने ही परिवार के अंदर अपनी बालिका की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, अभिभावक और समाज दोनों मिलकर बालिका की जिम्मेदारी किसी और पर डालकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और बालिका से उसके बचपन के अहसास और घरेलू सुरक्षा को समाप्त करके उसे दूसरे के घर भेज देते हैं जहां पर उसका बचपन समाप्त हो जाता है। और प्रायः होता यही है कि एक बालिका एक अन्य बच्चे की मां बन जाती है। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि आज जब हम 2006 के अंत की ओर बढ़ रहे हैं हमने महसूस किया कि सन 1929 में लाए गए शारदा अधिनियम का निरसन करने की आवश्यकता है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा मानना है कि कभी नहीं से देर भली कि हम उस विधेयक का निरसन कर रहे

हैं जो आज के संदर्भ में यह प्रासंगिक नहीं रह गया है। जब हम प्रगति और विकास की बात करते हैं तो हमारे लिए सामूहिक शर्म की बात है कि हम बच्चों को बाहर भेजते हैं तथा उनकी शादी कर देते हैं। बच्चे तब और बच्चों के पिता बन जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, हमारे पास कुछ प्रश्न हैं ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : क्या आप इससे परिचित हैं कि हम बालिका शिशु को जन्म नहीं लेने देते हैं? आप हमेशा बाल विवाह, निषेध इत्यादि की बात करती रहती हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राधाकृष्णन जी, आपने मुझसे अनुमति नहीं ली है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, आप अनुमति नहीं ले रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल उनके वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती रेनुका चौधरी : आप पूरी तरह सही हैं। मैं उस पर आ रही थी। जब हम अपनी सामाजिक संरचना की बात करते हैं जब हम शिशु के जीवनकाल पर विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें शिशु को जन्म लेने दिया जाना चाहिए। आप पूरी तरह सही हैं। भारत में पिछले 20 वर्षों में, लगभग एक करोड़ बालिका शिशुओं की हत्या की गई है, उनके जन्म के पूर्व उनकी पहचान कर दी गई। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की एमिनोसेंटेसिस तथा अल्ट्रासाउंड का उपयोग जन्म पूर्व बालिका शिशुओं का पता लगाने के लिए किया जा रहा है तथा माता–पिता द्वारा निर्दयतापूर्वक उन्हें मार दिया जाता है। उन तथाकथित चिकित्सकों द्वारा उन्हें मार दिया जाता है जिन्होंने जीवन बचाने के लिए शपथ ली है।

इस तरह की परिस्थिति में अधिकतर खुशहाल राज्यों में पहले से ही विषम लिंग अनुपात है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल जैसे राज्यों तथा दुर्भाग्यवश आज पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में लिंग अनुपात में अंतर बढ़ता जा रहा है। युवाओं के लिए युवतियां नहीं हैं जिन्हें वे जीवन साथी बना सकें; जिनके साथ वे शादी कर सकें तथा साथ रह सकें। इससे कई अन्य सामाजिक बुराइयों यथा सीमापार से मानव तस्करी को बढ़ावा मिला है जिसके अंतर्गत अन्य देशों से सैक्सकर्मी भारत में आ रहे हैं। यह भविष्य में हमारे लिए बीमारी का पता लगाने, भारतीय जीन पूल तथा डी.एन.ए. का पता लगाने में मुश्किलें पैदा करेगा जो विकास क्रम में 5000 वर्षों से जीवित है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह कहने के बाद मैं बाल विवाह के मुद्दे पर आती हूं। बाल विवाह को बढ़ावा देने तथा स्वीकार करने वाली हमारी सामाजिक प्रणाली तथा प्रथाएं जैसे तीज त्यौहार इत्यादि का अर्थ है कि हमें सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान देना होगा। हमें उन प्रथाओं के पीछे की मानसिकता को बदलना होगा जिसे हमने कभी न कभी सहमति दी तथा समाज में उन्हें चलने दिया।

तथापि, आज जिस प्रकार की चेतना तथा जिस प्रकार से खबरें आती हैं, यह उचित समय है कि हम इस बुराई को समाप्त करें जिसे बाल–विवाह कहा जाता है। जब पूरे विश्व में महिलाएं उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं, जब उन्होंने पूरे विश्व में यह साबित कर दिया है कि अवसर मिलने पर कोई महिला किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है .. .*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है।

श्रीमती रेनुका चौधरी : धन्यवाद।

श्री तथागत सत्पथी : तब उन्हें आरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वे अपने बल पर लड़ाई लड़ सकती हैं।

श्रीमती रेनुका चौधरी : मैं इसको मानती हूं लेकिन आरक्षण से इसमें सहायता मिलेगी।

अपराह्न 2.17 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

महोदय, अध्ययन रिपोर्टें अभी भी दर्शाते हैं कि हमारे देश में आज भी 65 प्रतिशत बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से पूर्व हो जाती है। सरकार ने लड़कियों के लिए परिपक्व होने की उम्र 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष क्यों रखी है? शारीरिक तथा जैविक विकास के अलावा मानसिक विकास को भी पूरा किया जाना आवश्यक है। इसलिए हम इसका संज्ञान लेते हैं। जब हम अपने बच्चों से कहते हैं कि वे 15 वर्ष के हैं तो मतदान नहीं कर सकते, हम उन्हें वाहन चलाने नहीं देते या मद्यपान नहीं करने देते तथा यह किस प्रकार संभव है कि वे शादी करने या मां बनने या माता–पिता बनने पर विवाह जैसी संस्था के लिए आवश्यक निर्णय लेने की परिपक्वता का परिचय देंगे क्या यह हमारा अपने लोगों की तरफ देखने का विषम दृष्टिकोण नहीं है कि जब हम कहते हैं कि कानून उन पर लागू होता है लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हें अपने तथा जीवन से दूर करने तथा किसी दूसरे की जिम्मेदारी बना देने के लिए तत्पर होते हैं?

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

महोदय, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 18 वर्ष से कम आयु में बालिकाओं की शादी बहुतायत में होती है। इन राज्यों में बाल विवाहों की संख्या आज भी 45–55 प्रतिशत है।

कम उम्र में विवाह के क्या परिणाम होते हैं? इसका अर्थ यह होगा कि औसत रूप से यदि कतिपय आर्थिक समूह से बालिका आती है तो प्रथमतः उसे अपनी मां का दूध उतने समय तक नहीं मिल पाता जितने समय तक उसके भाई को मिलता है। उसका जीवन उसके लिंग पर निर्भर करता है। दुर्भाग्यवश, भारत में लिंग जीवन–मृत्यु का प्रश्न है। लड़के जिन्दा रहते हैं तथा बालिकाएं मर जाती हैं तथा यह हमारे समय की त्रासदी है।

तत्पश्चात्, इन बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता है, उन्हें अपने भाई–बहनों की देखभाल करनी होती है, उन्हें खाद्य–सुरक्षा नहीं मिलती है। प्रतिरक्षण सुविधा पूरी नहीं मिलती। वे रक्तल्पता की शिकार होती हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं तथा जैसे ही वे प्रजनन आयु में पहुंचती हैं तो इस तथ्य के बावजूद कि वे हमारे जैसे समशीतोष्ण देश में रहती हैं जहां प्रजनन आयु अन्य देशों की तुलना में जल्दी शुरू हो जाती है, उनकी शादी कर दी जाती है तथा वे उस उम्र में मां बन जाती हैं, उस कुपोषण, खाद्य सुरक्षा की कमी तथा बीमारियों के साथ की अवस्था में उनकी शादी कर दी जाती है तथा कुपोषित बच्चों को जन्म देती है।

आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि हमारे देश में मातृ मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर पर इतनी अधिक क्यों है। निश्चित रूप से, इसके लिए रॉकेट प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं है किंतु यदि एक कुपोषित मां किसी बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के कष्ट से बचने की गुंजाइश भी काफी कम रह जाती है।

इसके बाद ये बच्चे घरेलू हिंसा तथा शराबी पति का सामना करते हैं जो घर आते हैं तथा मारपीट करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना, देह व्यापार तथा ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरती हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। यद्यपि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 लगभग 77 वर्ष पूर्व लाया गया था किंतु इसने इसमें केवल अवरोध का प्रावधान है। इसमें निवारण या निषेध का प्रावधान नहीं है।

इस विधेयक में हमने जिन कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया है उनमें पुराने विधानों को मजबूत बनाता है। लेकिन इस विधेयक में निषेधात्मक अवरोधों तथा सकारात्मक अवरोधों का प्रावधान किया गया है ताकि आज के हमारे सामाजिक ढांचे में बालिका शिशु को दी जाने वाली सुरक्षा बढ़ाई जाए।

पहले हमने केवल अवरोध का प्रावधान किया था न कि इसके प्रतिषेध या निवारण का। आज इस अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया बाल विवाह को रोकने की क्योंकि वे प्रावधान अत्यधिक जटिल थे तथा हममें इन्हें प्रयोक्ताओं के अनुकूल तथा सुगम बनाया है।

मैं आप सभी की और अपने सम्माननीय सहकर्मियों की ओर देखती हूं तथा मैं जानती हूं कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर मुझे आप सभी का समर्थन प्राप्त है। जो इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक के लिए आपके हस्तक्षेप तथा योगदान की अपेक्षा करती हूं तथा आपके बहुमूल्य प्रस्ताव हमें इस विधेयक को केवल एक समाज का टुकड़ा बनाने में नहीं अपितु एक व्यापक विधेयक बनाने में सहायता करेंगे जो बालिका को पीड़ित से एक ऐसा नागरिक बनाने में सहायता करेगा जैसा इस संविधान में वर्णित है तथा जिसकी कल्पना संविधान में की गई है।

मैं इस विधेयक की मुख्य बातों तथा संशोधनों पर चर्चा करना चाहती हूं। दो मुख्य क्षेत्र जो हमने चुने हैं वे हैं बाल विवाह को रोकना तथा बाल विवाह के पीड़ित को संरक्षण प्रदान करना तथा राहत प्रदान करना क्योंकि मैं यह स्वीकार नहीं करती हूं कि कोई बच्चा विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे सकता है। वे बच्चे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ब्लैक मेल किया जाता है, उनका भावनात्मक रूप से शोषण किया जाता है तथा अक्सर दबाव डाला जाता है। अतएव इस देश में मैं उसे प्रत्येक बच्चे को एक पीड़ित के रूप में देखती हूं जिसकी शादी की जाती है तथा इन पीड़ितों को हमने मजबूती प्रदान की है, उन्हें विवाह से अलग होने का अधिकार तथा आत्मनिर्भर बनाने का प्रावधान किया है। उसके बाद हमने उनके अपराधियों के लिए प्रावधान किए हैं।

इसलिए, मैं अब अपने सभी माननीय मित्रों को अवसर देते हुए अपना भाषण समाप्त करती हूं तथा आशा करती हूं कि आप नए अनुच्छेदों की आवश्यकताओं पर कार्यवाही करेंगे तथा आप हमें अपने मूल्यवान सुझाव देंगे तथा जो कुछ आप कहने वाले हैं अपनी समापन टिप्पणियों में, मैं उन सभी मुद्दों पर टिप्पणी करने में सक्षम हो पाऊंगी।

एक प्रगतिशील खंड जिसे राज्य सभा में कुछ लोगों ने उठाया तथा जो आप देखेंगे कि दोनों पक्षों के बीच हुए वस्तुओं के लेन–देन पर भी यह विधेयक लागू होता है तथा इन वस्तुओं को संबंधित परिवारों को लौटा दिया जाएगा ताकि इन परिवारों को इनका नुकसान न हो। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह कि कोई भी बच्ची वयस्क होने के पूर्व शादी किए जाने पर शादी तोड़ सकती है। यह निष्प्रभावी हो जाएगी तथा इस शादी से उत्पन्न बच्चे वैध होंगे लेकिन वह उस शादी से अलग हो सकती है।

अंततः वह एक बच्ची है जिसे दुर्व्यापार के लिए बाध्य किया गया है या जिसे विवाह का झूठा वायदा कर ले जाया गया है तथा उसका

शोषण किया गया है। मैं समझती हूं कि यह आवश्यक है कि हम उस बच्ची को एक और मौका दें कि वह अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सके।

मैं आप सभी लोगों के विचार सुनने के लिए उत्सुक हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि बाल विवाह के निवारण और उससे संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करनेवाले राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे विधेयक इस सैशन में पेश किए जा रहे हैं जो सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। फिर वह चाहे चिल्ड्रन प्रोटैक्शन राइट कमीशन का बिल हो या इससे पहले महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा होती थी, वह बिल आया। विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई सामाजिक समस्याओं पर बिल लाए जा रहे हैं। फिर चाहे वह श्रम के उन्मूलन का बिल हो या घरों में काम करने वाली महिलाएं हों। इस प्रकार से सबकी सहमति से ऐसे बिल लाने का सिलसिला पार्लियामेंट में शुरू हो गया है। इसके लिए मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहती हूं और बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहती हूं। बिल तो पहले से बने हुए थे, लेकिन उन्हें इस प्रकार से इफैक्टिवली एक के बाद एक सदन में पारित करने हेतु लाना बहुत बड़ी बात है।

महोदय, आज जिस बिल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। बहुत वर्षों पूर्व इसी समस्या के ऊपर मराठी में एक नाटक आया था जिसका नाम "शारदा"। उसमें बाल चरठ विवाह किया गया था, यानी छोटी लड़की और बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति से विवाह हुआ। उस समय भी ऐसे बेमेल विवाह होते थे। इसी समस्या को लेकर एक नाटक लिखा गया था और इस प्रकार से बाल-विवाह का एक प्रकार से मजाक सा उड़ाया गया था जिसका भाव था कि लड़का 75 साल का हो गया, लेकिन अभी शादी के लिए छोटा है। इस प्रकार के वाक्य उसमें लिखे गए थे। इससे जनजागृति पैदा हुई, समाज-सुधारकों और महिलाओं ने भी आवाज उठाई कि लड़की के विवाह की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसलिए शारदा एक्ट आया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस एक्ट में अनेक लूपहोल थीं।

महोदय, 1884-1887 के बीच एक रुकमा-दादोजी नाम का केस अदालत में चला था। उसमें लड़की ने साहस दिखाकर न्यायालय में जाकर कहा था और अपने पति के घर जाने से मना किया तथा कोर्ट से प्रोटैक्शन की अपील की क्योंकि उसका बेमेल विवाह था। लड़की उम्र में बहुत छोटी थी और लड़का बहुत ज्यादा उम्र का था। उस केस में नीचे की अदालत ने उसे न्याय दिया, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उच्च न्यायालय ने उसकी अपील ठुकरा दी थी और कहा कि हम इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार का एक केस 1890 में हुआ था। उसमें फूलमणि नाम की एक 11 साल की लड़की का विवाह एक बहुत बड़ी उम्र के लड़के के साथ कर दिया गया। शादी के एक दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद और भी ऐसे इंसीडेंट हुए। तब शारदा एक्ट बना, लेकिन उसमें कई चीजों की कमी रह गई। उसे जितनी ताकत से इम्पलीमेंट करना चाहिए था, उतनी ताकत से नहीं किया गया। उसके ऊपर छोटे-मोटे संशोधन भी आते रहे, लेकिन आज जिस ताकत के साथ यह बिल आया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में कई बार मन में यह विचार आया कि लड़की की उम्र 18 साल है, तो लड़के की उम्र 21 साल क्यों होनी चाहिए? हमारे हिन्दुस्तान में गृहस्थ आश्रम की जो कल्पना रखी गई है, वह केवल किसी लड़के-लड़की की शादी और उसके बाद केवल प्रजोत्पादन करना, इतनी ही कल्पना नहीं है। इसे गृहस्थ आश्रम के रूप में लिया गया है, जिसे सम्पूर्ण समाज को, कहीं न कहीं धारण करते हुए उस पर चलना है, यह बहुत बड़ी कल्पना है। इस दृष्टि से जो आयु की बात रखी गई है, यह बहुत ही आवश्यक है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें कई छोटी-मोटी बातें हैं, मगर विशेष रूप से जो भरण-पोषण का अधिकार दिया गया है, अगर कोई लड़की छोटी है और वह शादी नलीफाई होती है, यह भी बहुत अच्छा किया, लेकिन नलीफाई होने के बाद उस लड़की के थोड़ा बड़ा होने तक, उसके भरण पोषण की बात आ जाती है – मैं उसकी तारीफ ही कर रही हूं, उसका उल्लेख कर रही हूं कि इतनी छोटी सी बात भी इसमें सोची गई है, जो बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात लेजीटिमेसी ऑफ दि चाइल्ड है। उनसे अगर कोई सन्तान उत्पन्न होती है, उसकी भी लेजिटिमेसी की बात आती है, उसकी भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी लेने की बात होती है। मैं तारीफ करती हूं कि इतना माइन्यूटली इस बिल पर सोचा गया है और इस बिल में उसे शामिल किया गया है। इसके बाद सजा का जहां हम प्रावधान देखते हैं, उसका भी स्वागत है, क्योंकि इसकी भी काफी दिनों से मांग हो रही थी कि यह नॉन-बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने इसमें यह भी प्रावधान कर दिया है, तो अच्छी बात है। उसका हम स्वागत करते हैं। सजा की जो बात की गई है कि तीन साल की हो और कठोर से कठोर कारावास की बात की गई है – इसमें एक और अच्छी बात है कि सुओ मोटो एक्शन हो जाता है। इसके लिए प्रोबेशन अधिकारी तो स्टेट गवर्नमेंट को बाद में नियुक्ति करना है, लेकिन अगर

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

नहीं भी वहां पर है, तो जिला न्यायाधीश अपने आप संज्ञान ले सकता है या कोई भी एन.जी.ओ. अगर कम्प्लेंट करता है तो पहले भी उसका प्रिवेंशन होने की बात। ऐसी छोटी–छोटी बातों को ध्यान में रखकर जो इसमें कार्यवाइयां की गई हैं, मैं एक–एक करके अगर कहूंगी तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मेरे बाद भी बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें बोलना है, लेकिन सजा से लेकर प्रोबेशन अधिकारी तक और उसके बाद गांव की पंचायत के या समझदार लोगों को शामिल करने की जो बात की गई है, वह भी सबसे अच्छी बात है।

मैं एक और बात इतनी ही कहना चाहूंगी कि जहां आपने इसमें पहली लाइन लिखी है, "यह भारत के सभी नागरिकों पर भी लागू होता है।" यह बहुत अच्छी बात है, यानी उसमें समप्रदाय, कास्ट, क्रीड, इससे ऊपर उठकर कहा गया है। मैं मानती हूं कि इसका अर्थ यही होगा कि किसी भी सम्प्रदाय का व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि कई बार ऐसा सुनते हैं कि लड़की को बेचने की बात आती है, प्रोस्टीट्यूशन में लगाने की बात आती है। ऐसी बातें हैदराबाद जैसे शहरों में तो सतत सुनने में आती हैं। मैं मानती हूं कि आपने जो आगे कहा है – भारत के सभी नागरिक, यानी सम्प्रदाय से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर यह लागू होगा। यह एक बहुत अच्छी बात है। कई बार जब सामूहिक विवाह होते हैं, उसमें ऐसा होता है, हमें नहीं मालूम और कई सोसायटियों के द्वारा एकदम से सामूहिक विवाह कर दिए जाते हैं, लेकिन उसे भी आपने इसमें शामिल किया है कि ऐसे भी व्यक्ति, जो अगर कुछ करते हैं, हालांकि महिलाओं को इसमें सजा से अलग रखा गया है, यह बात भी ठीक ही हुई है, मगर छोटी से छोटी बातों पर आपने इसमें सोचा है।

मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए यही कहना चाहूंगी कि यह वास्तव में आगे आने वाले भविष्य की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रावधान है, क्योंकि महिलाओं पर, बच्चों पर जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार होते हैं, जो हिन्दुस्तान की वास्तविक स्थिति है कि जहां कुपोषित लड़कियां हैं, जहां कुपोषित महिलाएं हैं, मैंने परसों एक विषय और भी उठाया था, मंत्री महोदया यहां उपस्थित नहीं थीं। मैं अन्त में उसका उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूंगी कि जैसे अनेकानेक चीजों को ध्यान में लेते हुए आप नए–नए बिल ला रही हैं, इसी प्रकार से सम्बन्धित लड़कियों या महिलाओं से सम्बन्धित, एक बात जो कल बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है, वह सैरोगेटिड मदर की है। इसे मैंने उस दिन भी उठाया था कि इस पर भी थोड़ा हम ध्यान दें।

इसके पहले परीक्षण की और प्रीनेटल टेस्ट की बात आयी थी। तब हमें लगा था कि

[अनुवाद]

यह एक वैज्ञानिक चीज है।

[हिन्दी]

यह सही भी है। लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम सामने आए। हिंदुस्तान में बाकी सब दृष्टि से ध्यान में रखते हुए इस पर भी मंत्री महोदया कुछ सोचेंगी और लोगों से इस बारे में चर्चा करेंगी। इस पर कोई न कोई कानून बनना चाहिए। मैं इस बिल का स्वागत करती हूं।

[अनुवाद]

यह वास्तव में अंतिम मुद्दा है।

[हिन्दी]

यह आज की दृष्टि से आवश्यक है और सभी पहलुओं को सोचते हुए आपने इसे रखा है, इसलिए बहुत संशोधनों की इसमें गुंजाइश नहीं है। मैं तहेदिल से इस बिल का स्वागत करती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : महोदय, आज बहुत अच्छा बिल इस सदन में लाया गया है – द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल, बाल विवाह निवारण विधेयक मंत्री महोदया रेनुका जी लायी हैं। इसके बारे में सुमित्रा महाजन जी ने भी बहुत अच्छी तरह विस्तार से कहा और इसका स्वागत किया है। मुझे विश्वास है कि सदन की सभी महिलाएं इस बिल का स्वागत करेंगी और जो हमारी सामाजिक बुराई है, इसे दूर करने में सहयोग करेंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : पुरुष भी इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ : हांडिक जी कह रहे हैं कि सभी पुरुष भी इसका समर्थन करते हैं, मैं सभी पुरुषों का भी स्वागत करती हूं। हमारा देश पुरुष प्रधन देश रहा है। हमारी संस्कृति पुरुष प्रधान रही है। इसमें खासतौर पर जो बाल विवाह जैसी कुरीतियां और बुराइयां हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पुरुष पर ज्यादा होती है, वे ही विवाह तय करके आते हैं और उसकी डेट तय करते हैं, महिलाएं तो केवल सामाजिक आवरण पहनाती है। आज इस बिल का मैं स्वागत करती हूं कि किस प्रकार की सोच आज के युग में हमें आयी है। बाल–विवाह के बारे में सोचते हुए

हमारी रूह कांपती है कि किस तरह से छोटी सी उम्र की बच्ची पांच, दस या पंद्रह साल की बच्ची को, जो उम्र उसके खेलने की है, उसके पढ़ने–लिखने की है, उसके शरीरिक और मेंटल विकास की है, उस समय हम उसे एक ऐसी अंधेरी कोठरी में धकेल देते हैं, जहां उसका जीवन हमेशा–हमेशा के लिए दफन होकर रह जाता है। मुझे यह कहते हुए भी बुरा नहीं लगेगा कि हमारे देश में जो बच्चियों का प्रतिशत है, वह कम होता जा रहा है। एक तरफ तो हमारे यहां भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इस बारे में मंत्री जी ने भी बताया कि पहले अल्ट्रासाउंड कराके अगर फीमेल चाइल्ड है, तो गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके लिए प्रिवेंशन एक्ट लाया गया और हम फिर एक्ट ला रहे हैं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं, जिनका बाल विवाह करके उनका गला दबा दिया जाता है। उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। वह अपने दिमाग से कुछ काम नहीं कर पाती हैं और मेंटली बहुत अपसेट हो जाती हैं। आज इस बिल को लाकर उन्होंने बहुत अच्छा कदम भारतीय समाज में लाने की जो कोशिश की है, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करती हूं। जैसा उन्होंने बताया कि पैंसठ प्रतिशत बच्चियों की शादी अट्ठारह साल से पहले कर दी जाती है। तीस–बत्तीस प्रतिशत बच्चियां ऐसी हैं, जिनकी पन्द्रह से अट्ठारह और बीस साल की उम्र के बीच शादी कर दी जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अस्सी–पचासी प्रतिशत बच्चियों की शादी ऐसे ही कर देते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु की होती हैं। इस मामले में सबसे अग्रणी प्रदेश राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, जहां इस तरह के विवाह होते हैं। इसके कारण बहुत सारे बच्चे अनेक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाती हैं। एड्स से उनके अंदर एचआईवी पॉजीटिव हो जाते हैं। उसके शरीर में कैलशियम की कमी, एनिमिक आदि ऐसी चीजें हैं, जिससे उनकी उम्र बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, उसका अंतिम समय आ जाता है। सती प्रथा का भी बहुत भयानक और दर्दनाक दृश्य होता है। सुमित्रा महाजन जी ने हर बात के लिए इनकी प्रशंसा की है कि इसमें सरकार ने छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखा है कि अगर ऐसा विवाह हो, तो किसको सजा मिलनी चाहिए? उसके घर में उसके सगे संबंधियों को, उस विवाह में शामिल होने वाले जो उसके दोस्त हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। पुरुषों को सजा मिलनी चाहिए, महिलाओं को तो उन्होंने इससे दूर रखा है, लेकिन अगर महिलाएं भी इसके लिए जबरदस्ती करें, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए।

मैं दो–तीन बातें कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र की लड़कियों की शादी बड़ी उम्र के लड़कों से कर दी जाती है, उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन मंत्री जी को मेरा एक सुझाव है कि हमारे देश में आज बहुत सारी कच्ची उम्र की बच्चियां अरब कंट्रीज के शेख को बेच दी जाती हैं या वे विवाह करके उन्हें ले जाते हैं। अपने देश में ले जाकर उनकी जो दुर्दशा होती है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एनआरआई हसबैंड की वजह से उनकी स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि वे एक नहीं, अनेक शादियां करते हैं। आज खास तौर से साउथ में ऐसा प्रचलन है कि छोटी–छोटी बच्चियों को शेख विवाह करके ले जाते हैं, और उसके बदले में उनके पेरैंट्स को पैसे दे देते हैं। हो सकता है कि यह गरीबी की निशानी हो, जो परिवार गरीब हैं, बच्ची की शादी नहीं कर सकते, दहेज नहीं दे सकते जबकि दहेज को हमने अलग किया है, लेकिन ऐसी स्थिति को भी रोकना चाहिए।

अभी शायद काफी माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं, सभापति जी की ओर से इशारा हो रहा है, मैं कहना चाहती हूं कि जो बिल लाया गया है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूं। पूरे देश की महिलाएं इसका स्वागत करेंगी। आगे से इसे रोकने के लिए हम सबको सहयोग करना होगा। मैंने एनआरआई, अरब कंट्रीज के शेखों की जो बात कही है, उसे रोकने के लिए भी इस बिल में प्रावधान किया जाए, जिससे हमारे देश की बच्चियां बाहर न जा सकें, अपने देश में ही रहें क्योंकि पहले ही एक हजार लड़कों के पीछे 800 या 870 रह गई हैं। हमारे देश की बच्चियां देश में रहें, उनका भरण–पोषण, लालन–पालन करने की हमारी जो स्कीम बनी है, जैसे आईसीडीएस, उसी तरह बच्चों को पोषक आहार देने की बात कही गई है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्री जी का सम्मान करती हूं और जो बिल लाया गया है, उसका स्वागत करती हूं।

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री श्रीमती रेनुका चौधरी को बाल–विवाह प्रतिषेध के बारे में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं। मैंने विधेयक को पढ़ा है तथा मैं विधायी मंशा से सहमत हूं तथा इन प्रावधानों का स्वागत करती हूं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति को बाल विवाह निवारण में सहायक होने वाला महत्वपूर्ण उपाय है। चूंकि यह लंबे इतिहास तथा सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ी गंभीर समस्या है। अतः केवल यह उपाय पर्याप्त नहीं होगा। बाल–विवाह का प्रश्न गंभीर सामाजिक चिंता का मामला है। इस पर सभा में तथा सामाजिक क्षेत्र में अक्सर बहस होती है। यद्यपि बाल विवाह को रोकने के लिए इस देश में कानून हैं तथापि यह प्रथा देश के विभिन्न भागों में अबाध रूप से बढ़ती गई है।

सती प्रथा को रोकने के कानून के बावजूद रूप कंवर सती हो गई। दहेज मृत्यु आए दिन होती हैं जबकि इन्हें रोकने के लिए कानून हैं। कानून द्वारा बाल श्रम प्रतिबंधित है। लेकिन भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है।

[श्रीमती सी. एस. सुजाता]

हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती शकुंतला पर निमर्म आक्रमण किया गया तथा जब उसने गांव में हो रहे एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ काट दिया गया। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यह घटना उन लोगों के सामने हुई जो शादी के समय उपस्थित थे। यह समाज की मानसिकता को दर्शाता है।

अतएव, केवल विधान इस प्रकार की कुप्रथाओं को नहीं रोक पाएगा। यह आवश्यक है कि जनसंख्या तथा कानून कार्यान्वयन एजेन्सियों को संवेदनशील बनाया जाए। महिलाओं के संरक्षण के संबंध में कई कानून हैं। दहेज के खिलाफ कानून हैं, समान कार्य के लिए समान मजदूरी का कानून है तथा बाल श्रम प्रतिषेध के बारे में कानून है।

जमीनी स्तर पर इन विधानों में किए गए उपाय व्यावहारिक नहीं हैं। मेरे विचार से मुख्य मामला समस्या के सामंती मूल्यों पर आधारित लोगों की पुरानी पिछड़ी सोच तथा क्रियान्वयन एजेंसियों का उदासीन रवैया है।

इस परिस्थिति पर नियंत्रण के लिए समाज की सोच को बदलना होगा, तथा उसके लिए, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। इस संबंध में न्यायपालिका तथा कानून क्रियान्वयन एजेंसियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। समाज में जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है। स्थानीय स्वशासन – ग्राम पंचायत, विकास खंड पंचायत तथा जिला पंचायत को कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए तथा और उन्हें ज्यादा शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे कुप्रथाओं के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा कर सकें तथा इस प्रकार की घटनाओं को प्रकाश में लाने तथा कानून के क्रियान्वयन का प्रभावी हथियार न बनें। इस दिशा में महिला संगठनों का भी उपयोग में लिया जा सकता है। आंगनवाड़ी केन्द्र की इकाई देश में लगभग सभी गांवों में हैं। जागरूकता पैदा करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति दयनीय है। उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। मैं सरकार से उन्हें प्रोत्साहन देने का अनुरोध करूंगी ताकि वे इस प्रक्रिया में भाग लेने योग्य बन सके।

छात्रों के बीच ऐसे मामलों के बारे में छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही जागरूकता पैदा की जानी चाहिए तथा स्कूल पाठ्यक्रम में महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर पाठ होने चाहिए।

मैं महसूस करती हूं कि देश में राजनीतिक दलों तथा बड़े–बड़े संगठनों को महिलाओं की समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों के बारे में जागरूकता पैदा करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

अपराह्न 2.47 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासन हुए)

सरकार की राजनीतिक दलों तथा बड़े–बड़े संगठनों द्वारा दायित्वों के निर्वहन के लिए सहायता देने हेतु आवश्यक उपाय करने चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह निवारण विधेयक, 2006 का समर्थन करते हुए मैं कुछ अपनी बात कहूंगा। जैसा सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा, यह सत्य है कि आज भी पूरे देश में 50 पर्सेंट से ज्यादा बाल विवाह होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पहले भी कई तरह के प्रयास हुए हैं। महिलाओं, बच्चों और बाल मजदूरों पर अत्याचार से संबंधित तमाम तरह के विधेयक भी हमारे सदन से पास होकर गये हैं, लेकिन अगर देखा जाये, तो साक्षरता और गरीबी इसका मुख्य कारण है।

आज भी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के कई ऐसे केसेज सुनने में आये हैं, जिन पर रोक लगाने की जरूरत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों, खासकर लड़कियां को, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देनी चाहिए। उन पर जो भी अत्याचार, हिंसा और शोषण हो रहा है, उससे उनकी रक्षा होनी चाहिए। यह भी देखा गया है कि बहुत से बच्चों को अवैध व्यापार में लिप्त करा दिया जाता है जिससे उनका यौन शोषण होता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि विवाह का पंजीकरण होना चाहिए। इस पंजीकरण से कम से कम हमें यह मालूम हो जायेगा कि किस उम्र में शादी हो रही है। उस पर भी रोक लगाने में इससे हमें एक तरह से मदद मिलेगी।

मैं उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहूंगा कि वहां लड़कियों को आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर किया जाये, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने 20 हजार रुपये इंटरमीडिएट पास लड़कियों को देने का प्रावधान किया है। उससे काफी हद तक इस समस्या का निराकरण हुआ है। उनके अभिभावकों में भी आत्मबल बढ़ा है और बच्चियां भी आगे पढ़ रही हैं। इसलिए हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा और खासतौर से केन्द्र सरकार द्वारा इसकी फण्डिंग होनी चाहिए। कम से कम एक हजार रुपए की फिक्स डिपॉजिट होनी चाहिए, जिससे

आगे चलकर वह लड़की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। इसके साथ लड़कियों की 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। मैं इस बारे में स्पष्ट कहना चाहूंगा कि शादी–ब्याह कराने वाले पण्डित, खाना बनाने वाले हलवाई और शादी कराने के लिए बिचौलिए का काम करने वाले व्यक्ति को भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसी तरह चाहे पंचायत मित्र हों, शिक्षा मित्र हों, आईसीडीएस में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकत्री महिलाएं हों, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल हों, हलके की पुलिस हो या गांव में काम करने वाले एन जी ओ हों, सभी को मालूम होता है कि गांव में कितनी शादियां हो रही हैं और किस अवस्था में हो रही हैं। इसलिए हमें उनको भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि लड़कियों के लिए निजी पूंजी बनाकर अगर केन्द्र सरकार कुछ फण्डिंग की व्यवस्था करे, तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें राज्य को भी जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। राज्य का संरक्षण भी इसमें प्राप्त होना चाहिए। 18 वर्ष की आयु तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायतों को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने की बात इसमें कही गयी है, वह भी ठीक है। मैंने इसके डिटेल्स आपके सामने रखे हैं। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सामने इस तरह की जो बातें आएं, उनको गंभीरता से लिया जाए। जैसा अभी सुजाता जी ने आईसीडीएस की एक महिला कार्यकत्री के बारे में बताया, जिसका हाथ काट लिया गया था, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक उसके दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। अगर ऐसे केसेज में तुरन्त सजा मिले, तो ऐसा अपराध करने वाले लोगों में डर होगा, अन्यथा होता यह है कि एक आदमी अपराध करता है और फिर यह कहता है कि हमने तो ऐसा कर दिया है। लेकिन उस महिला के दिल से पूछिए कि कितनी हिम्मत से वह महिला वहां गयी। लेकिन उसे भी आज न्याय नहीं मिल पाया, आरोपियों को सजा नहीं मिल सकी। कहीं न कहीं इस प्रकार की व्यवस्था हो तब समाज में जागरूकता आएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक लाने के लिए मैं यूपीए सरकार और विशेष तौर से रेनुका जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

यह एक महत्वपूर्ण बिल है, हालांकि इसमें रेनुका जी ने इस समस्या के अनेक पहलुओं को छुआ है, फिर भी इस विषय पर जितना बोला जाए, वह कम है। इस बिल को लाकर देश में एक क्रान्ति लाने की कोशिश की गयी है और रूढ़िवाद के खिलाफ, परम्परावाद के खिलाफ एक आन्दोलन शुरू किया गया है। गांवों में मान्यता है कि बेटी पराई होती है। यह एक जुमला है जिसे सिर्फ जुमले तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। गांवों के लोग और खास तौर से रूढ़िवादी मानसिकता के लोग इस बात को मानते रहे हैं और उसी के अनुरूप गर्ल चाइल्ड की हत्या की जाती रही है। इसके पीछे भी यही मानसिकता काम कर रही है। इसके साथ ही दहेज का जो डर होता है, वह समाज के लिए कोढ़ के समान होता है। उसका पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड डेथ के मामले में सबसे प्रमुख रूट कॉज यही है। आज भी कम उम्र में शादियां गांवों में ज्यादा हो रही हैं, और शहरों में जो कम उम्र की शादियां होती हैं, उसके पीछे मैलाफाइड इंटेंशन होती है। इसलिए उसे भी डिसक्रिमिनेट करने की जरूरत है। गांवों में इसके लिए ज्यादा कैम्पेन करने की जरूरत है, चाहे वह आंगनवाड़ी के माध्यम से हो या विभिन्न अन्य एजेंसियों के माध्यम से हो। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से, इसके लिए जागरूक अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि गांवों में लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि कोई बाल विवाह निवारण कानून है। इसलिए न तो वहां कानून के हाथ पहुंचते हैं और न ही इन लोगों को इस सम्बन्ध में कोई सूचना मिल पाती है।

आज मीडिया का युग है, इसलिए विभिन्न माध्यमों से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे नियम और कानून बने हुए हैं। इसके लिए पहले लोगों को एजूकेट करना चाहिए कि कम उम्र के बच्चों की शादी करना फिजीकली और बाइलॉजिकली भी ठीक नहीं है, उससे ये–ये प्रभाव पड़ते हैं।

बिहार में मधुबनी जिले में सौराठ नामक एक जगह है। वहां पर बाल विवाह का मेला लगता है। जिस तरह से पशु मेलों में गाय–भैंसों का हाट लगाया जाता है, उसी तरह से इस मेले में भी स्टाल लगाकर कम उम्र के लड़कों को ट्रेडिंग के लिए बिठा दिया जाता है। लड़की वाले आते हैं और लड़का पसंद करके वहीं एक मंदिर में शादी कर देते हैं। यह वहां की एक परम्परा है। मिथिला क्षेत्र में इसे परम्परा के रूप में देखा जाता है। इसलिए ऐसा करना इस क्षेत्र के लोगों के लिए अनिवार्य है। ऐसी जगहों पर बच्चों की शादी करने पर उन्हें समाज से बाहर निकाले जाने की जरूरत है। वहां एक खास समुदाय के लोग बड़ी संख्या में ऐसी शादियां करते हैं। त्यौहारों और खास दिनों के अवसर पर यह भी सुनने में आता है कि सामूहिक विवाह के नाम पर कई राजनीतिज्ञ और दूसरे लोग भी उसमें शामिल होते हैं। इसलिए इसमें प्रशासन की तरफ से भी इंटरवीन नहीं किया जाता है। प्रशासन भी मॉब की मानसिकता के खिलाफ नहीं जाना चाहता।

[श्री आलोक कुमार मेहता]

शारदा एक्ट में इसी आधार पर तीन संशोधन हुए थे, लेकिन उसके बावजूद यह चीज बदस्तूर जारी है। पिछले दिनों हमने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में इसके आंकड़ों को देखा, तो पाया कि ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है, जिन्हें कच्ची उम्र में शादी करने के जुर्म में पकड़ा गया हो और फिर सजा दी गई हो। इस अपराध में सजा भी बहुत कम मिलती है। इसलिए सख्त कानून बनाया जाए, लेकिन उससे पहले प्रिवेंशन के लिए प्रयास जरूर होना चाहिए ताकि गलत या मासूम लोग इसमें न फंस सकें। जिनकी मेलाफाइड इंटेंशन है, जैसे हैदराबाद और अन्य जगहों पर हमने देखा है कि कई एनआरआई वहां आकर, पैसे का लालच देकर, कच्ची उम्र की लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं और उसे शादी का नाम दे दिया जाता है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए इस कानून में आवश्यक प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए।

इस चीज को रोकने के लिए आपको हाई डेंसिटी एरिया को लोकेट करना चाहिए। मैं अपने अनुभव से बात सकता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो सबसे गरीब और रिमोट एरियाज हैं, वे हाई डेंसिटी एरियाज हैं। राजस्थान में टोंक जिले में 82 प्रतिशत शादियां कच्ची उम्र में होती हैं और नकली प्रमाण पत्र बनाकर इस कानून से बचने की कोशिश की जाती है। उसके लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 18 (अ) में संशोधन करके इसका उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जागरूकता अभियान को प्रमोट करने के लिए, गांवों में काम करने वाली संस्थाओं को अंगेज करना चाहिए। सरकार के द्वारा कार्यरत कुछ संस्थाएं, जैसे आंगनवाड़ी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इन संस्थाओं में लगे कर्मचारियों को स्पेयर टाइम में इस काम में लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार के कानूनों की प्रशासन को भी भली प्रकार से जानकारी दी जाए, क्योंकि अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी तो पुलिस और जनता दोनों ही इस कानून से अनभिज्ञ रहेंगे। पुलिस पर इस कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए दबाव डालना चाहिए।

हमने देखा है कि गांवों में और रिमोट एरियाज में पुलिस सामान्य केस को भी रजिस्टर नहीं करती। इसलिए मैं नहीं समझता कि सिर्फ कानून बना देने से ही इस तरह की शादियों पर रोक लग जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि कानून का पालन सही तरीके से हो। ऐसा भी देखने में आता है कि लड़कों को पकड़कर, उन्हें अगवा करके, शादी कर दी जाती है कि आगे चलकर तो वह इसे अपनाएगा ही।

अपराह्न 3.00 बजे

सिर्फ सरकार ही नहीं, समाज–सेवियों और सरकार का एक मिला–जुला दस्ता बनना चाहिए जो सरकार के इस एक्ट को अमलीजामा पहनाने में मदद कर सके। हिंदू–विवाह–एक्ट की धारा 18(अ) को संशोधन करके, उल्लंघन करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने का आपने जो प्रावधान किया है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। इसी के साथ हम इस क्रांतिकारी बिल का समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती वी. राधिका सेलवी (तिरूचेन्दूर) : महोदय, इस बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक, 2006 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

यह महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक विधेयक है। मैं गर्व के साथ यह कह सकती हूं कि मैं ऐसे राज्य की हूं जहां कोई बाल विवाह नहीं होता है। जब दो बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, तो यह एक सफल विवाह साबित नहीं हो सकता है।

मंत्री जी ने इस बात पर अफसोस जताया है कि बाल अधिकार और विवाह संबंधी सभी अभिसमयों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत में बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर अभी भी अधिक है। देश में गरीबी और सामाजिक कारणों से बाल विवाह प्रथा प्रचलित है।

2001 की जनगणना के अनुसार 15 से 18 वर्ष की आयु की लगभग 35 प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। इनमें से 15 वर्ष से कम आयु की ती लाख लड़कियां कम से कम एक बच्चे को जन्म देती हैं। भारतीय संस्कृति और परम्परा लड़कियों को ऐसे बाल विवाह से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं देती है।

इसके अतिरिक्त, समाज भी इन लड़कियों का समर्थन नहीं करता है। अब समय आ गया है कि कानून के साथ–साथ परम्परा और संस्कृति को भी बदला जाए।

हमें लड़कियों में क्षमता विकसित करने और उन्हें अधिकारों तथा कानूनों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है जो उनकी सहायता करेगा। तमिलननाडु ऐसा पहला राज्य है जो इस सामाजिक अन्याय से बाहर आया है। थंडाई पेरियार ने तमिलनाडु में सामाजिक न्याय को शुरू किया था; इसे द्रविड़ नेता अरिगांर अन्ना ने जारी रखा और अब हमारे कुशल नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलाईगार करूणानिधि इसका अनुसरण कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान, लड़के और लड़की के बीच में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने पैतृक संपत्ति में लड़के और लड़की दोनों के लिए सिर्फ समान अधिकार

लागू किए हैं। तमिलनाडु सरकार उन लड़कियों को 15,000/–रुपये देकर प्रोत्साहन दे रही है जो 10वीं कक्षा तक पढ़ी है और जिनकी 18 वर्ष की आयु के बाद शादी हो रही है।

जब औरतों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा तभी देश का विकास होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. के. करूणानिधि इस संकल्पना में विश्वास करते हैं और उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटें आबंटित की हैं। डा. कलिंगनार ऐसा करने वाले पहले मुख्यमंत्री है। अब हम सब यह देख सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य में कई गुना विकास हुआ है और ऐसा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मार्गनिर्देशन के कारण ही अुआ है। अन्य राज्य इस मॉडल का अनुसरण कर सकते हैं ताकि भारत का विकास हो और वह जल्दी ही विश्व में अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके।

वर्तमान विधेयक के अनुसार यदि 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की उनकी मर्जी के बिना शादी होती है तो ऐसी शादियों को रद्द घोषित किया जा सकता है। यह एक स्वागत योग्य उपबंध है। इसके अतिरिक्त, कुछ दांडिक प्रावधान हैं जिन्हें कड़ा किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपकी बात समाप्त करती हूं और डी एम के पार्टी की और से, इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक, 2006 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीया मंत्री श्रीमती रेनुका चौधरी को हमारे देश में 21वीं सदी के दौरान भी प्रचलित बाल विवाह की असभ्य प्रथा को समाप्त करने हेतु विधेयक लाने पर अपना पूरा समर्थन देती हूं।

वास्तव में यह भारत के लिए एक अभिशाप है कि हमारी आजादी के बाद आधी सदी बीत जाने पर भी देश में बाल विवाह की असभ्य प्रथा प्रचलित है। अब समय आ गया है कि हम देश में बाल विवाह पर रोक लगाएं।

हाल ही में किए अध्ययन से यह पता चलता है कि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 65 प्रतिशत भारतीय लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दिया जाता है। विधेयक की धारा–3 यह कहती है कि यदि इकरार करने वाला पक्ष यह कहे कि वह विवाह के समय बालक/बालिका था/थी तो विवाह 'शून्यकरणीय' होगा। किंतु विधेयक की धारा 3(1) में यह निर्दिष्ट है कि किसी बाल विवाह को अकृत डिक्री द्वारा रद्द करने के लिए याचिका विवाह का इकरार करने वाले पक्ष जो विवाह के समय बालक/बालिका था/थी द्वारा केवल जिला न्यायालय में दायर की जा सकती है। ऐसी याचिका को सुदूर स्थान पर जिला न्यायालय की बजाय सत्र न्यायालय में दायर किए जाने का प्रावधान होना चाहिए।

धारा 3(2) का एक अन्य उपबंध यह कहता है कि यदि याचिकाकर्ता अवयस्क है, तो याचिका उसके अभिभावक या मित्र द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध्य अधिकारी के पास दायर कराई जा सकती है। हम जानते हैं कि देश में दहेज प्रतिषेध अधिकारी हैं। हम देश में दहेज देने को किस हद तक रोक पाए हैं? जब तक इन कानूनों को कठोर नहीं बनाया जाता है और समाज को उनका पालन करने हेतु बाध्य नहीं किया जाता है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, बाल विवाह को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता की काफी आवश्यकता है।

इसके साथ–साथ अधिनियम में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग न हो क्योंकि यदि कोई यह गलत व्याख्या करके कि यह बाल विवाह है, अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत न्यायालय से आपत्ति प्राप्त कर लेता है तो एक वाजिब विवाह को भी रोका जा सकता है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से विधेयक में आवश्यक कठोर प्रावधान अंतर्विष्ट करने का अनुरोध करता हूं ताकि उसे चूकरहित बनाया जा सके।

पुनः मैं, इस ऐतिहासिक विधेयक के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं इस महत्वपूर्ण बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश के कई भागों में बाल विवाह प्रथा विद्यमान है। यह काफी परेशान करने वाला और गहन चिंता का विषय है। हमें देश में बाल विवाह की इस प्रथा को रोकना है। इससे पहले एक अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 अस्तित्व में था। वह पर्याप्त नहीं था और मेरा यह कहना है कि यह पुराना हो चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह सिफारिशें की हैं। मैं स्पष्ट रूप से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने और उनके मंत्रालय ने अधिकांश बातों पर विचार किया है। यह विधान समवर्ती सूची तथा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित है। केन्द्र सरकार ने दोनों आयोगों द्वारा

[श्री प्रबोध पाण्डा]

राज्य सरकारों को सुझाए गए प्रस्तावित संशोधन को परिचालित किया है। अधिकांश राज्य सरकारों ने केन्द्रीय मंत्रालय को अपनी राय और अपनी पुष्टि भेजी है। इसलिए यह एक स्वागत योग्य कदम है और मैं इस प्रकार का विधान लाने के लिए यू पी ए सरकार को धन्यवाद देता हूं। किंतु महोदय, हमारे समाज की सोच को बदलने के लिए केवल विधान ही काफी नहीं है। मेरा यह कहना है कि यह हमारे देश के मध्य काल की देन है। हमें इस संदर्भ में मनु संहिता का उल्लेख करना चाहिए। मनु संहिता में महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है? इसके अनुसार, महिलाओं को आजादी नहीं दी जानी चाहिए। मैं उद्धृत करता हूं :

"पिता रक्षति कौमार्य
भर्ता रक्षति यौवना
रक्षन्ति शताविरे पुत्रा
ना स्त्री स्वतंत्र हरति।"

ऐसा मनु संहिता का विचार है। अतः यह मध्यकाल का विचार है और यही महिलाओं के प्रति हमारे देश का दृष्टिकोण है इसलिए इस सोच को बदलने के लिए, एक जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए और इस संबंध में न केवल केन्द्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों को भी कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। मैं बंगाल में पुर्नजागरण का उल्लेख करता हूं। राजा राम मोहन राय, विद्या सागर और विवेकानन्द ने काफी काम किए और हमें उनका उल्लेख करना चाहिए। इसलिए इस विधान का पारित होना तथा विभिन्न स्तरों पर अधिकारी नियुक्त करना ही पर्याप्त नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जागरूकता की जरूरत है।

यह विधान लाने के लिए एक बार फिर मैं मंत्री जी और यू पी ए सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बाल विवाह निवारण विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। मैं कुछ बातें और सुझाव देना चाहती हूं। उनकी सोच के लिए धन्यवाद करती हूं। उन्होंने बहुत सोच–विचार से यह काम किया। उनकी सोच है कि किस प्रकार बाल विवाह को रोका जाए? बहुत से ऐसे कानून बने हैं लेकिन उनका इम्पलीमैंटेशन नहीं हो रहा है। उनका इम्पलीमैंटेशन कै हो और कार्रवाई कैसे हो, इस पर हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि अधिकतर बाल विवाह गांवों में होते हैं। बहुत सी ऐसी जगह जहां पुलिस नहीं होती है, वहां खुलेआम दोनों तरफ की रजामंदी से बाल विवाह हो रहे हैं। कोई भी उसके लिए अपना विरोध पेश नहीं करता है। हम लोग कानून लेकर आए, कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, इस में सजा का भी प्रावधान है लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं करेगा तब तक बाल विवाह होते रहेंगे। जिलों में गुप्त सूचना देने का प्रावधान होना चाहिए। पुरस्कार देने का भी प्रावधान हो। कोई भी व्यक्ति आकर गुप्त सूचना दे सकता है। इसके लिए एक स्पेशल सैल हो जिस का काम यह हो कि जिले में जहां भी बाल विवाह हो रहे हैं, वह उसकी तरफ ध्यान दे। पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक बिल आया था। यदि उसका कड़ाई से पालन हो तो हम बाल विवाह रोकने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं।

क्या माननीय मंत्री महोदया को बाल विवाह के साथ–साथ इस बात की जानकारी है कि बहुत सी जगहों में, हमारे बिहार में ही कुदरसन की एक परम्परा जो नेपाल के बॉर्डर से शुरू होते हुए किशनपुर, पूर्णिया तक चलती है। वहां लोग 15 साल के पहले ही अपनी लड़कियों को ट्रक ड्राइवर के हाथ यह कह कर बेच देते हैं कि उनकी शादी होनी है। ट्रक ड्राइवर उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव नहीं करता है। 10 से 15 साल की उम्र में उन्हें शादी की ड्रैस पहना कर शादी के तौर पर बेच देते हैं। पंजाब में उस लड़की को कुदरसन नाम दिया जाता है। जब तक वह बच्चा पैदा नहीं करती है तब उसे रखैल के तौर पर साथ में रखते हैं। जिस दिन उसके पेट में बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे को तो अपना लेते हैं और अपना नाम, परम्परा देते हैं लेकिन उस महिला को छोड़ दिया जाता है। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उस दशा में हैं और भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। उसे रोकने के लिए हम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं?

इसी तरह से मध्य प्रदेश में बुन्देलखंड जगह के एक गांव की परम्परा है। बहुत सारे अखबारों के सम्पादकीय और आउटलुक तथा इंडिया टुडे में भी आया है कि वहां के पुरुष काम नहीं करते हैं। वे शराब पीकर सारा दिन बैठे रहते हैं। बच्चियां जैसे ही 12 से 15 साल की होती हैं, उन्हें वैश्ययावृत्ति के लिए बेच दिया जाता है। वे बड़े आराम से परम्परा के तहत मुम्बई, कोलकाता में रहती हैं। वहां उस गांव की महिलाएं हैं। उनको वैश्यावृत्ति करने के लिए धकेला गया है। क्या उस गांव की आपको जानकारी है? वहां एक परम्परा के तहत खुले आम यह काम हो रहा है। वहां थाना, पंचायत भी है। उन लड़कियों को एक परम्परा के तहत वैश्यावृत्ति के लिए भेजा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे मार्मिक और दर्दनाक प्रसंग है कि 9 से 13 साल की लड़की को आज सबसे ज्यादा वैश्यावृत्ति में भेजा जा रहा है। उसकी तुलना में आप बाल विवाह को ही सही ठहरा सकते हैं। सबसे ज्यादा वैश्यावृत्ति के धंधे में कवेल 9 से 13 साल की बच्चियां ही नहीं,

बच्चों को भी भेजा जा रहा है। उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरी कज़न बनारस में पढ़ती है। बीएचयू के स्टूडेंट्स वहां गए। 12 साल की लड़की बाबाबड़ी जाबो गर्भवती थी, उसे नहीं पता था कि वह प्रेगनेंट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बाल विवाह के साथ–साथ सरेआम बहुत बड़ी चेन चल रही है। इनमें बहुत से विदेशी और भारतीय ग्राहक भी हैं। मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि उन लोगों की सोच ऐसी है कि छोटे बच्चों के साथ अवैध संबंध बनाने से इंफेक्शन दूर होंगे। यह बहुत आपराधिक मामला है कि छोटी बच्चियों को जबरदस्ती जवान करके इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उनको बाहर भी भेजा जाता है और यहां भी वही होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से साऊथ में एक मंदिर है, जहां खुलेआम विदेशी ग्राहक आते हैं और लड़कियों को बेचा जाता है। खास तौर से 9 से 13 साल की बच्चियों को बेचा जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि क्या जिस कानून में यह मनाही है कि 18 और 21 साल से कम के बालिका और बालक का विवाह नहीं हो सकता, उसी कानून में यह धारा है – इसे संशोधित किया गया है या नहीं? एक तरफ वही कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं हो सकती है, दूसरी तरफ वही कानून कहता है कि यदि 18 साल से कम उम्र की बच्ची अपने पति के साथ अपनी मर्जी से सहवास करना चाहे, तो कर सकती है? यह किस तरह का कानून है कि एक तरफ हम उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ सहमति जता रहे हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि जहां आप कानून बना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं, आप बता सकते हैं लेकिन जब तक पूरे समाज और पुरुष की मानसिकता, सोच नहीं बदलेगी कि बच्चियां भी इंसान हैं, उनको भी जीने का हक है, उनका भी बचपन होता है, ऐसा होता रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं और यह कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने आंखों से देखा है, मेरा क्षेत्र वहीं है, मैं नेपाल बॉर्डर से आती हूं, वहां बहुत सी ऐसी कम उम्र की बच्चियां हैं, जिन्हें वेश्यावृत्ति की तरफ धकेल दिया जाता है, बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। इसके लिए बाल विवाह कानून का सही तरीके से इम्पलीमेंट होना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि 9 से 13 साल की बच्चियों के साथ वेश्यावृत्ति हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, सरेआम हो रही है, उनको बेचा जा रहा है, बुंदेलखंड में एक परंपरा के तहत ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले मैंने कुदेसन के बारे में कहा है। उन लड़कियों को कुदेसन कहा जाता है जिन्हें बिहार से पंजाब की तरफ ले जाया जाता है। वहां उन्हें रखैल के रूप में रखा जाता है। यदि उससे बच्चा हो जाता है तो वे बच्चे को अपना लेते हैं और महिला को बाहर फेंक देते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए कड़ाई से कानून बने और उसका सख्ती से इम्पलीमेंटेशन हो। मैं चाहती हूं कि बुंदेलखंड के जो गांव है, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान अवश्य जाए, कुदेसन की तरफ उनका ध्यान जरूर जाए। वहां सरेआम 9 से 13 साल की बहुत सी बच्चियां कोठों पर हैं, लेकिन हम अनदेखी कर रहे हैं – क्यों कर रहे हैं, इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि माननीय मंत्री महोदया आप इस सोच से चल रही हैं और मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि एक महिला होने के नाते पुरुष की तुलना में आप ज्यादा दर्द महसूस कर सकती हैं, इसलिए आप जरूर इसे इम्पलीमेंट करें। आप जो बिल लाई हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए और बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है।

[अनुवाद]

आपके भाषण पर मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी ने भी आपकी बात गौर से सुनी होगी।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : सबसे पहले मैं इस सीट से बोलने की अनुमति चाहती हूं। आज माननीय मंत्री महोदया, श्रीमती रेनुका चौधरी जी ने जो बिल सदन में प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करती हूं और उनको बधाई देती हूं। इस सदन में बालक, बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित बिल आ रहे हैं, इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि शायद आने वाली 21वीं सदी हम बहनों की होगी। माननीय मंत्री महोदया को मैं इसके लिए बधाई देती हूं। आज सुबह जब हम इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब पुरुष भाई हमसे पूछ रहे थे कि अब कौन सा बिल इस सदन में आने से रह गया है तब मैंने कहा कि अब एक ही बिल रह गया है और वह है महिला आरक्षण बिल। मुझे विश्वास है कि जब हमारा अगला बजट सत्र होगा, उसमें शायद वह बिल आये और निश्चित रूप से हम विधान सभा और लोक सभा में जो 33 प्रतिशत आरक्षण चाहते हैं, उस बिल के माध्यम से हम अपनी इच्छा पूरी करें।

अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह की परम्परा सदियों पुरानी है। इसके पीछे हमारी कुरीतियां, गरीबी और अशिक्षा मुख्य कारण हैं। कुरीतियां इस तरह की रही हैं कि जहां गरीबी होती थी, उन मां–बाप के ज्यादा संतानें पैदा होती थी। उस समय हमारे विज्ञान ने उतना आगे बढ़कर काम करना शुरू नहीं किया था, उस समय फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी और ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। जब ज्यादा बच्चे होते थे तो माता–पिता को लगता था कि हम अपने बच्चों का जल्दी से जल्दी विवाह

[श्रीमती करूणा शुक्ला]

कर दें ताकि जो उनका अपना दायित्व और जिम्मेदारी है, उससे वे मुक्ति पा लें।

मध्यकाल में बच्चियों का विवाह इसलिए जल्दी करना शुरू किया गया, क्योंकि हमारे देश पर अनेकों विदेशी लोगों ने आक्रमण किया। पहले मुगलों ने हमें लूटा। उन मुगलों से बचाने के लिए हमने अपनी बच्चियों का जल्दी विवाह कर दिया। इस तरह से यह कुरीति आगे से आगे बढ़ती चली गई और आजादी के साठ वर्षों के बाद भी, हमारा देश उसी कुरीति पर चल रहा है। मुझसे पूर्व माननीय सदस्या, श्रीमती रंजीता रंजन ने जो व्यथा व्यक्त की, हम इस सदन में जितनी भी महिला सांसद बैठी हैं, चाहे वे किसी भी दल की हों, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हैं। उन्होंने जो भावना व्यक्त की है, जिस अच्छी भाषा और शब्दों के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, हम सब अपने आपको उससे जोड़ते हैं। पुरुषों ने हमेशा महिलाओं को एक वस्तु समझा है। जब तक इस देश में बालिका और महिला एक वस्तु के रूप में जानी जायेगी, तब तक उसका उपभोग गलत तरीके से होता रहेगा। जहां देवालयों में हम बालिका को देवता को समर्पित कर देते हैं कि यह देवता की सेवा करने के लिए समर्पित है। वह देवता की सेवा तो करना चाहती है, लेकिन भूखे भेड़िये उसे यौन शोषण का शिकार बना लेते हैं। फिर देवता की सेवा तो एक तरफ हो जाती है, वह उनकी सेवा में अपने आपको समर्पित कर देती है। वह अपने माता–पिता को इसलिए नहीं बता सकती, क्योंकि उसके ऊपर सामाजिक बंधन है। परिवार को इसलिए नहीं बता सकती, क्योंकि परिवार की भरण–पोषण उसके इसी पैसे के माध्यम से किया जा रहा है। इस तरह से वह अपनी व्यथा को अपने सीने में दबाये रखकर, देवता की सेवा लोक–लाज से बचने के लिए करती रहती है, लेकिन भूखे भेड़िये लगतार उसका शोषण करते रहते हैं। मैं आपको यह देवालय की परम्परा बता रही हूं।

इसी तरह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जब शेख आते हैं, तो हमारे मुल्ला और मौलवी जो बढ़–चढ़कर बात करते हैं, पैसे के लालच में उन शेखों को 9 और 12 साल की बच्चियों को बेच देते हैं। कोई मां अपनी बच्ची को कभी बेचना नहीं चाहती। जो मां नौ माह तक गर्भ में बच्ची को धारण करेगी, वह जन्म देने के साथ यही चाहती है कि मेरी बच्ची जिंदा रहे, सुखी रहे, जहां जाए, वहां सुख प्राप्त करे। परंतु उस बच्ची को बिकवाने में भी अगर किसी का योगदान है, तो वह पुरुषों का योगदान है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश और समाज में जो भी विकृतियां आई हैं, महिलाओं को उनका शिकार हमेशा पुरुषों ने बनाया है। चाहे वह पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो या मित्र के रूप में हो, हमेशा उनका शोषण किया गया है। आज बाल–विवाह की बात चल रही है। कन्या भ्रूण हत्या भी इसी से जुड़ा हुआ विषय है। जब हम जन्मेंगे ही नहीं, हमें जन्म ही नहीं लेने दिया जायेगा, तो हम शिक्षित कहां होंगे और जब हमें शिक्षा नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से बाल–विवाह जैसे अपराध हमेशा इस देश में होते रहेंगे। बाल विकास मंत्री महोदया ने इसे कानून का अमली जामा पहनाने की जो कोशिश की है, मैं चाहती हूं कि यह सिर्फ कागजों की शोभा बनकर न रह जाए। इससे पहले भी बहुत से कानून बने हैं, परंतु वे सिर्फ कागजों की शोभा बनकर रह गये हैं कम से कम आपने इसमें सजा के जो प्रावधान किये हैं कि सारे दोषी लोगों को निश्चित रूप से सजा मिले, वह संकल्प पूरा होना चाहिए। हमारे देश में धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को वस्तु समझकर दांव पर लगा दिया था। आज भी जो बाल–विवाह हो रहे हैं, वे बच्चियों को वस्तु समझकर हो रहे हैं। यद्यपि सामाजिक कार्यकर्ता अपना दायित्व निभा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु शायद राजनैतिक दल के हम कार्यकर्ता अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा रहे हैं। राजनैतिक दल के लोग सिर्फ वोट की राजनीति इस देश में कर रहे हैं। उनका संबंध वोट लेने से है। हम जहां–जहां से सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत और महापौर हैं, हम जहां–जहां से पंचायत में बैठे हुए हैं, कम से कम महिला सांसदों का कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र में हम इस बुराई को रोकने का भरपूर प्रयास करें। निश्चित रूप से जब हम प्रयास करेंगे तो इस देश में जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, वह शोषण होने से बच जाएगा।

मैं आज इस विषय के साथ एक समस्या और उठाना चाहूंगी, जिस पर मैंने स्वयं सर्वे किया था। दो–चार राज्यों में ही मैंने यह सर्वे किया है। बिन–ब्याही मां इस देश में बहुत हैं। हमारे बहुत से शासकीय अधिकारी हैं। उन अधिकारियों में उड़ीसा के अधिकारी, छत्तीसगढ़ के बस्तर के अधिकारी, मध्य प्रदेश और झारखंड के अधिकारियों का हवाला दूंगी, जिन्होंने उनके घर में जो लड़कियां काम करतीं थीं, उनसे विवाह कर लिये, उनको प्रलोभन दिया और जब वे प्रेगनेंट हो गईं तो उनको छोड़ दिया। हमारे देश में ऐसी बिन–ब्याही मां बहुत सी हैं जो अपने बच्चों का भरण–पोषण नहीं कर पा रही हैं और जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वे जियें तो किस तरह से जियें क्योंकि उनका दूसरा विवाह भी नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी कि इस विषय पर भी विचार करके अगर कोई ऐसा कानून बन सकता है तो इस समस्या का भी हल करने का निश्चित रूप से प्रयास करें।

आज बाल विवाह के संबंध में जो चर्चा हो रही है, एक बात और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो विवाह का संबंध होता है, वह

महिला और पुरुष का कोई शारीरिक संबंध नहीं है। यह एक समाज, परिवार, संस्कार और संस्कृति का संबंध है। जब हम इन संबंधों को समझकर अच्छी तरह से जिएंगे तो निश्चित रूप समाज में परिवर्तन आएगा। एक विषय और है जो रंजन जी ने रखा था कि कानून में एक तरफ आपने प्रावधान किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची का विवाह नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आपने वही प्रावधान किया है कि अगर वह अपनी मर्जी से सहवास करती है तो वह इसकी परिभाषा में नहीं आती। बच्ची छोटी होती है, उसे समझ में नही आता। कई बच्चियों के साथ जो उनका शोषण होता है, वह खेल–खेल में होता है। बच्चियां समझ नहीं पातीं कि खेल–खेल में उनके साथ इतना बड़ा दुष्कृत्य हो गया और जब वे गर्भवती होती हैं तब इसकी घंटी मां के कान में सुनाई देती है।

अध्यक्ष महोदय, आज यहां तक हो गया है कि बच्चियां पिता से भी सुरक्षित नहीं हैं। आज जब समाचार–पत्रों में हम पढ़ते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद हम अपने घर में बैठकर आठ–आठ आंसू रोते हैं कि बच्ची अपने जन्म के बाद सिर्फ मां के पास सुरक्षित है। वह अपने पिता और अपने भाई के पास सुरक्षित नहीं है। अगर उसका विवाह छोटी उम्र में हो गया है, वह सहवास का अर्थ नहीं समझती तो उसका पति उसे बाध्य करता है। जहां चालीस वर्ष का पुरुष है और बारह साल की बच्ची है, वहां पति उसे बाध्य करता है और वह काल के गाल में ऐसी समा जाती है कि शायद लड़की के रूप में जन्म लेने में उसे जीवन भर पछताना पड़े। आपने जो यह प्रावधान किया है, इसमें आप जरूर संशोधन करिए। बच्ची अठारह साल से पहले समझती नहीं है। उसे समझ नहीं आता और जो ये सारे संबंध हैं, ये शायद एक समय आने पर प्रकृति हमें समझाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को बहुत–बहुत बधाई देती हूं कि वह बहुत अच्छा बिल लाई हैं और इस अंदाज और आवाज के साथ कि निश्चित रूप से 21वीं सदी हम बहनों की सदी होगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा) : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि उनका हमेशा बहुत सहयोगात्मक रुख रहता है और देश में महिलाओं की समस्याओं के प्रति बहुत चिंता और सदाशयता दिखलाती है। मैं अपनी उन सभी बहनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जो इस मार्मिक मुद्दे पर बोली है। लेकिन जब हम बालिकाओं से संबंधित इस सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर बातचीत करते है, विशेषकर ऐसी बालिकाओं ज़िनका विवाह किया जा रहा है, तो मुझे विश्व में दो उदाहरण दिखाई देते हैं। एक तरफ तो भारतीय मूल की श्रीमती सुनीता विलियम्स है जो अंतरिक्ष में स्पेश–वाक कर रही है और जिन पर हमे गर्व है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सी निर्दोष और भाग्यहीन बालिकाएं अथवा महिलाएं हैं जो क्रूरतम सती प्रथा को अपना रही है।

इसलिए इससे मुझे हमेशा दुख होता है। लेकिन फिर भी सम्मानीय सभा के समर्थन और आर्शीवाद से और यू पी ए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन से श्रीमती रेनुका चौधरी महोदया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में यह संशोधन और बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को निरसित करने के लिए विधेयक लेकर आई हैं। इससे मुझे आशा की किरण नज़र आई है जिससे हम इस बुरी प्रथा को समाप्त कर देंगे।

इस विधेयक का उद्देश्य बाल विवाह विशेषकर बालिका बाल विवाह को रोकना है और ऐसी मासूम बालिकाओं को पुनर्वास करना है जिन्हें कम आयु में मातृत्व की ओर धकेला जा रहा है। कम आयु से हमारा अभिप्राय ऐसी आयु से है जिसमें कोई भी विवाह की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है। वे मन और शरीर दोनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम बिना स्वस्थ नागरिकों के स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अतः यह हमारा दायित्व है कि हम इस समस्या पर ध्याद दें। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का विषय जैसे ही जनवरी, 2006 में विधि मंत्रालय से महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के पास आया, उसके तत्काल बाद माननीय मंत्री महोदया ने इस अधिनियम में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाए और वे बाल विवाह निवारण विधेयक लेकर आईं। यह देखकर बहुत दुख होता है कि कम उम्र की बालिकाओं और महिलाओं के विवाह को समाज के सभी तबकों की स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त है। यह वास्तव में बहुत ही दुख की बात है और चिंता का कारण है कि बालिकाओं की जन्म दर में कमी आ रही है। यह बहुत ही चिंताजनक है। हम इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि हमारी संसद इस बारे में कितनी गंभीर है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसमें कमी आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में विभिन्न संस्कृतियां, परम्पराएं और धर्म है। जैसाकि बहन सुमित्रा जी ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम 5000 वर्ष पुरानी भारतीयता से भरपूर अपनी संस्कृति को बनाए रखें। इसके लिए हमे कम से कम माताओं को स्वस्थ रखना होगा। अतः, सांस्कृति, पारम्परिक, जातीय और धार्मिक अवरोधों से ऊपर उठकर बाल विवाह किए जा रहे हैं। यह चिंता की बात है। मीडिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह वैश्वीकरण और ग्लैमर का जमाना है। मीडिया को अपना कुछ कीमती समय निकालकर देश के मासूम लोगों को शिक्षित करना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां यह बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। यह करने का दायित्व मीडिया का है।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

गरीबी के अतिरिक्त, कट्टरता, अंध विश्वास, धार्मिक बाह्याडम्बर, अशिक्षा और सदियो पुरानी प्रथाओं ने इस समस्या को बढ़ावा दिया है। सामज के चहुमुखी विकास की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल सामाजिक विकास की आवश्यकता है अपितु इसके लिए आर्थिक विकास की भी आवश्यकता है। यदि आर्थिक विकास का लाभ कोने–कोने तक और महिलाओं तक पहुंचेगा तब वे निर्णय कर सकेंगी। जैसाकि बहन करूणाजी ने कहा है कि बच्चे के विशेषकर बालिका के भाग्य का फैसला महिला ही कर सकती है, एक मां कर सकती है। लेकिन जब तक हम आर्थिक आजादी प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम एक बार में सभी मुद्दों को हल नहीं कर सकते।

गरीब बालिका से जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। मेरे राज्य कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गरीब अभिभावक अपनी जवान बालिकाओं को दुर्व्यापार में लिप्त कर रहे हैं। मध्य पूर्व के कुछ अमीर लोग इसमें लिप्त हैं। इस समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। यह शर्म की बात है। मैं रंजीता जी और अन्य सहयोगियों के साथ–साथ माननीय मंत्री महोदया, जो इस पर बोली हैं, के द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से सहमत हूं। देह व्यापार के फलने–फूलने से हमारा मस्तक शर्म से झुक जाना चाहिए। देह व्यापार के बाजार में अधिकतर लड़कियों को जबरदस्ती लाया जाता है। इसलिए जब तक हम इस पर रोक नहीं लगा देते तब तक हम "मेरा भारत महान" नहीं कह सकते हैं। हम ये सभी बाते नहीं कह सकते। हमें कठोर दंड देने की शुरूआत करनी चाहिए। इस संबंध में मैं मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वह इसका ध्यान रखें। अधिकतर कार्यक्रम यौन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले हैं। ये भी लोगों को उत्प्रेरित करते और उकसाते हैं। जिससे बालिकाओं का तरह–तरह से उत्पीड़न किया जाता है।

अंत में मैं चाहती हूं कि यह समस्या हल हो। बाल विवाह न केवल पिछड़े और जनजातीय लोगों द्वारा किया जाता है अपितु जाने माने लोग भी इसे अंजाम देते हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि विद्वान प्रतिनिधि, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अभिजात्य समाज से आते हैं, वे भी बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। कुछ पुरूष 60 से 70 वर्ष की आयु में 9, 10 और 15 वर्ष की लड़कियों से विवाह रचा रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। जो लोग कम आयु वाली बालिकाओं को बर्बाद करते है, ऐसे लोगों को आजीवन कारावास का दंड मिलना चाहिए। यदि वह उनके लिए मृत्युदंड की सजा की व्यवस्था नहीं कर सकती तो कम से कम आजीवन कारावास की सजा की व्यवस्था तो की ही जानी चाहिए।

वे वास्तव में मृत्युदंड के हकदार हैं क्योंकि वे एक बालिका के अधिकारों को छीनते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा दंड देने का अनुरोध करती हूं।

इसके बाद हमें अपनी पुलिस को संवेदनशील बनाना चाहिए क्योंकि जब वे पुलिस से संपर्क करती हैं तो पुलिस उनकी सुनती ही नहीं है। इसलिए इन मामलों को देखने के लिए हमें और अधिक मानवीय पुलिस की आवश्यकता है।

हमें अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का उपयोग करना चाहिए जो कि इस काम के लिए बहुत मददगार और प्रतिबद्ध सिद्ध हो सकती हैं। हमे इस कार्य में पंचायतों को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि जमीनी स्तर पर कुछ जवाबदेही तय करने की भी आवश्यकता है। हम पंचायतों के माध्यम से लोगों को इस बुराई के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और उन्हें जागरूक कर सकते हैं।

बाल विवाह, बालिका से अच्छे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आर्थिक आजादी के सारे अधिकार छीन लेता है। विवाह के नाम पर वे बालिका के मन और शरीर का दुरुपयोग करते है। यह एक क्रूरतम अपराध है और इससे घरेलू हिंसा का जन्म होता है।

इन चिंताओं के साथ, मैं माननीय मंत्री महोदया से आगे बढ़ने का अनुरोध करती हूं। उन्हें हमारे अध्यक्ष महोदय जो हम सभी के साथ हैं, सहित प्रतिपक्ष और संसद का पूरा समर्थन हासिल है। हम इस मुद्दे पर माननीय मंत्री महोदया के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस विधयेक पर जो उच्च स्तरीय चर्चा हुई है उसके कारण अध्यक्ष को अध्यक्ष होने का कम से कम थोड़ा तो गर्व है। मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सभी पक्षों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

अब मैं श्री सुरेश प्रभु को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मेरे पास आपको देने के लिए केवल चार मिनट है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : लिंग के आधार पर भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। चूंकि इस विषय पर अभी तक केवल महिलाएं ही बोली हैं इसलिए मैंने सोचा मैं भी बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने दल की महिला सदस्यों को बोलने के लिए कह सकते हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : नही महोदय, मैं चाहती हूं कि कोई पुरुष बोलें।

अध्यक्ष महोदय : वे दोषी हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, मुझे भी बोलने का समय मिलना चाहिए क्योंकि अभी तक केवल भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्य ही बोल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हमने उच्चस्तरीय चर्चा की है। मुझे बहुत प्रसन्नता और गर्व है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अन्य साथियों का इस विधान को न केवल समर्थन देने में अपितु मंत्री जी को इसे लाने के लिए शुभकामना देने में भी साथ देता हूं।

विवाह को दो आत्माओं, दो परिवारों का मिलन और दो व्यक्तियों के लिए एक नए जीवन का प्रारंभ माना जाता है। किन्तु कई बार, जब आप विवाह बंधन में बंधते हैं जब दो व्यक्ति विवाह करते हैं, तो यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मध्य विवाह होता है। किन्तु जब एक विवाह अन्य किसी व्यक्ति, जो कि विवाह में प्रत्यक्ष पार्टी नहीं है, द्वारा कराया जाता है तो विवाह में बंधने वाले नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं क्योंकि अन्य कोई उनका विवाह करा रहा है और यही कारण है कि वास्तव में बाल विवाह दो व्यक्तियों के मध्य विवाह नहीं है। यह उन लोगों द्वारा रची गई सांठगांठ या षडयंत्र है जो इस प्रबंध से लाभ उठाने जा रहे हैं और इसलिए जिन लोगों का विवाह हो रहा है, उन्हें एक नया सुखद जीवन प्रारंभ करने के स्थान पर वास्तव में आगे यातनापूर्ण जीवन जीना पड़ता है। अतएव, इस प्रकार के विवाह को रोका जाना चाहिए और इसे जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। यही कारण है कि यह कानून एक ऐसी प्रक्रिया की शुरूआत है जिससे वास्तव में लोगों को ऐसे संबंधों में लिप्त न होने में सहायता मिलेगी जो कि वास्तव में उनके लिए समस्याएं पैदा करेंगे। अतएव, जैसा मैंने कहा, मैं इस विधेयक का वास्तव में समर्थन करता हूं और मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं।

महोदय मुद्दा यह है कि जब हम इस संसद में कानून पारित करते हैं, तो यह हमें एक सामर्थ्यकारी वातावरण प्रदान करता है। यह केवल स्थिति से कानूनी तौर पर निबटने में मदद करता है। किन्तु इसे इस समस्या का अंत नहीं समझना चाहिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसा वातावरण तैयार करने की संभावनाएं तलाशें जिसमें कानून उन लोगों द्वारा कार्यान्वित किया जाए जो कि उस कार्य के प्रति वास्तव में उतने ही प्रतिबद्ध हैं जितने हम इस विधान को पारित करते समय हैं। हम सदा यह महसूस करते हैं कि कानून की आत्मा, कानून की भाषा और अंततः कानून के कार्यान्वयन के रूप में जो हम देखते हैं, उसमें बड़ा भारी अंतर है। अतएव, अब सरकार का उत्तरदायित्व यह है कि उसे एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें हम सभी एक दूसरे के विचार जानने में समर्थ हो सकें, जिसके लिए महोदय आपने हम सभी को शुभकामनाएं दी हैं और हमारी भावनाएं सबसे निचले तबके पर गांवों तक पहुंचे जहां वास्तव में समस्या है। हम सभी इसे महसूस करते हैं, इसके बारे में महसूस करते हैं इसके प्रति संवेदनशील हैं, किन्तु इस पर वे ही कार्रवाई करेंगे। अतएव, मेरा प्रथम मुद्दा यही है कि इससे कैसे निपटा जाए।

महोदय, यहां मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पिछले सत्र में, हमने एक अन्य कानून पारित किया था, जो कि बहुत ही स्वागतयोग्य, बहुत ही प्रगतिशील विधान था। वह था घरेलू हिंसा से निपटने वाला विधान। हम पहले ही बाल विवाह की समस्या से निपट रहे है, जो कि एक भाग है और बाल श्रम दूसरा भाग है। अतः घरेलू हिंसा एक मुद्दा है, बाल मजदूरी एक अन्य मुद्दा है और बाल विवाह तीसरा मुद्दा है किन्तु यह समान समस्या नहीं है।

मैं महसूस करता हूं कि आप जिला स्तर पर एक संस्था स्थापित करें अंततः यह स्थानीय स्व–शासन अर्थात ग्राम पंचायत के स्तर पर हो सकती है, जिसमें इन सभी मुद्दों पर व्यापक तरीके से विचार करने के लिए ग्रामवासियों द्वारा स्वयं में से कम से कम एक व्यक्ति निर्वाचित किया जाए। मंत्रालय को इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की भूमिका अदा करनी होगी। जब तक आप इन लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, यह कार्य वास्तव में होने वाला नहीं है क्योंकि यह स्वीकार करने से कि इसे ऐसा करने के लिए संवदेनशील बनाना चाहिए, वास्तव में काम नहीं होगा। अतएव, हमें अधिकारियों और लोगों की एक नई नस्ल या संवर्ग बनाना होगा जो कि इस मुद्दे पर उतने ही संवेदनशील हों जितना कि आवश्यक है, और तब वे इस पर कार्रवाई करें। अतः मैं माननीय मंत्री से ऐसे अधिकारियों की एक सूची तैयार करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर छोड़ कर ठीक किया है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकारों को कुटुंब न्यायालय बनाने हैं। देश के कितने जिलों में कुटुंब न्यायालय हैं? उन न्यायालयों में कितनों में न्यायाधीश हैं? उनमें से कितने न्यायाधीश उतने संवेदनशील हैं जिनता उन्हें होना चाहिए। अतएव, पहली और सर्वप्रमुख आवश्यकता या उत्तरदायित्व संसद से शुरू होगी और वह उत्तरदायित्व सरकार के उत्तरदायित्व के शुरू होने के साथ शुरू होगा और मैं समझता हूं, वह है इसे संवेदनशील बनाना।

महोदय, दो–तीन और अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रथम, आपको यह सुनिश्चित करना होगा देश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे का यथाशीघ्र पंजीकरण होना चाहिए–ऐसा एक कानून है जिसका शायद ही कार्यान्वयन हुआ हो। उदाहरण के तौर पर, जन्म और इस कानून

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

के मध्य संबंध। आप इसका कैसे निर्णय करेंगे और आप बच्चों की आयु को कैसे सिद्ध करेंगे कि लड़का 21 वर्ष का है और लड़की 18 वर्ष की? गांवों में बहुत से मामलों में उचित जन्म रिकॉर्ड के अभाव में बेवजह बड़ी मुकदमेबाजी होगी। आमतौर पर लोग कहते हैं कि लड़की आयु से बड़ी लगती है या अधिक आयु की लगती है। अतः जन्म पंजीकरण महत्वपूर्ण है।

दूसरा, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। आज के कानून के अनुसार इसकी भी आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि आप विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर बल नहीं देते, जो कि ऐसा प्रबंध है जिसकी प्राथमिक तौर पर प्रविष्टि होनी चाहिए, तो आप बाल श्रम से कैसे निपटेंगे। अतएव अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त हमने यह कहने के लिए संविधान में पहले ही संशोधन कर दिया है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यही समय है कि हम वास्तव में इस विचार को शुरू करें कि हमने सभी नागरिकों के लिए उचित कार्यान्वयन योग्य मौलिक अधिकार के रूप में एक कानून पहले ही पारित किया है ताकि कम से 15 वर्ष की आयु तक शिक्षा अनिवार्य हो जिससे एक बच्चा जो कि विवाह कर रहा है, स्वतः ही बेहतर तरीके से निर्णय लेने और अपनी पसंद तय करने में सक्षम हो सके। अतएव इसकी आवश्यकता होगी।

महोदय दो अन्य सामान्य मुद्दे हैं। हम घरेलू हिंसा के बारे में पहले ही बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं इसके बारे में पहले ही उल्लेख कर रहा था। कम से कम एक तालुका के लिए अनिवार्य रूप से एक समुचित न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं की जाती, जो कि परिवार से संबंधित, अन्तवैयक्तिक संबंधों से संबंधित मुद्दों के लिए हो, जो कि समाज को प्रभावित नहीं करते? इन मुद्दों को बहुत सावधानी से लिया जाना चाहिए। हमें इन्हें जिला न्यायालय पर नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें लोग आएंगे और जहां आपराधिक मुकदमों पर भी सुनवाई होगी और इन मुकदमों की भी। इन मुद्दों को बहुत ध्यान और सावधानी से लिया जाना चाहिए। अतएव, यदि आप वास्तव में सभी मुद्दों का ध्यान रखना चाहते हैं तो हमें उन्हें स्थापित करने की जरूरत है।

महोदय, जो मूलभूत समस्या विद्यमान है और जो कि ऐसी सामाजिक आर्थिक समस्या में व्यक्त होती है, वह है लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। यदि हम एक अत्यधिक प्रभावी तरीके से लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, तो हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं उम्मीद कर रहा था कि हम आज पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करने में समर्थ होंगे, किन्तु मुझे बताया गया कि आज पंचवर्षीय योजना पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि सामान्यतः पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पांच वर्ष में हासिल नहीं होते। वे बहुत बाद में हासिल होते हैं। अतः संभवतः हमने सोचा कि अभी इस पर चर्चा क्यों की जाए हम इस पर तीन वर्ष बाद भी चर्चा कर सकते हैं, जब हम ऐसा करने में समर्थ होंगे। अतः संभवतः सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए और यही कारण है मैंने सोचा कि इस पर चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर गहराई से चर्चा की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भारत महान, भारत बहुत महान है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, लेकिन 60 साल की आजादी के बाद भी आज हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, अमानवीय घटनाएं हमारे देश में घटती हैं। आज भी गरीबी एवं गुरबत के कारण छोटे बच्चों को, लड़कियों को ज्यादातर मार दिया जाता है, बेच दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, उन्हें बाल–विवाह में धकेल दिया जाता है। अभी यहां हमारे माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, मैं उनसे सहमत हूं। इस विधेयक के साथ, जो बाल–विवाह रोकने का विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। ये सब चीजें गरीबी के कारण होती हैं। गरीबी और गुरबत से ऊपर उठने के लिए आंध्र प्रदेश में पिछले 10–15 वर्षों से लगातार औरतों और लड़कियों को बेचे जाने और उन्हें मारे जाने की घटनाएं होती रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमने कई बार केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से विनती की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस सभा के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने तेलंगाना एरिया में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रधान मंत्री और राज्य सरकार को अनेक बार रिपोर्ट्स दीं, एप्लीकेशन्स दीं और रिप्रजेंटेशन दिए, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई स्टैप्स नहीं उठाए गए हैं। पूरे तेलंगाना क्षेत्र के हर इलाके में हालत यह है कि 60–70 साल के बूढ़े 10–12 साल की लड़कियों से शादी रचाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा वहीं हो रहा है, ऐसा सारे देश में हो रहा है, लेकिन हमारे हैदराबाद और तेलंगाना इलाके में ज्यादा हो रहा है। इसे रोकने के लिए मेरा सुझाव है कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा, तो हम उन्हें इस स्थिति से उबार सकते हैं।

महोदय, मैं पिछले 15 साल के आंध्र प्रदेश के हालत बता रहा हूं कि वहां लड़कियों को मार दिया जाता है। जब हम छोटे थे, तो हम सुनते थे कि लड़कियों को मुंह में चावल डालकर मार दिया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लड़कियों के मुंह में गरम सलाखें डालकर

उन्हें मार दिया जाता है। आप चाइल्ड फोरम के सभापति हैं। मैं भी उसमें मैम्बर हूं। मैंने यह बात फोरम में भी उठाई थी जिस पर आपने बहुत दुख व्यक्त किया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि लड़कियों के बाल–विवाह को रोकने और उन्हें बचपन में मारे जाने के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि उनकी रक्षा हो सके। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दुनिया में हमारी जो स्थिति होगी, उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे।

महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ था तथा बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन वे बातें ऐसी कष्टदायक हैं कि मुझे बोलने में भी दुख और तकलीफ हो रही है। आज 60 साल की देश की आजादी के बाद भी हम आदिवासी क्षेत्रों में बालिकाओं के विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना हेतु लाखों रुपए दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वह धन वहां तक पहुंच नहीं रहा है। दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में जो हैल्थकेयर सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वे भी ठीक प्रकार से नहीं चल रही हैं। इन सभी की स्थिति सुधारने के लिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए कि इसे रोकने के लिए हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। अब श्रीमती मिनाती सेन।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं अपने दल और अपनी ओर से बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, मेरा विचार है कि बाल विवाहों की समस्या साक्षरता और गरीबी के न्यून स्तर से जुड़ी है। ज्यादातर मामलों में, महिलाओं को दूसरे दर्जे के नागरिकों से कम स्तर का समझा जाता है और इस तरह उन्हें किसी भी मामले में अपना मत रखने का हक नहीं मिलता चाहे वह छोटी उम्र में ही अपने विवाह की बात हो या अपनी बेटी के विवाह की। मैं महिलाओं के साक्षरता स्तर को ऊंचा करने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक समग्र कार्य योजना की पुरजोर मांग करती हूं ताकि उन्हें समाज में पुरुषों के समकक्ष लाया जा सके।

महोदय, यह संदर्भ से बाहर की बात नहीं होगी, यदि मैं यूनिसेफ की "बच्चों की स्थिति 2007" शीर्षक की हाल ही की एक रिपोर्ट का हवाला दूं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्राम पंचायतों में सड़कें बेहतर स्थिति में हैं; पेयजल आपूर्ति बेहतर है; अधिक बालिकाएं विद्यालय जा सकती हैं, और अधिक संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांवों का दौरा करते हैं। इससे साबित होता है कि यदि महिलाओं को अपने समकक्ष पुरुष साथियों के समान ही शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी जाए तो वे अपने आपको इसके काबिल साबित कर सकती हैं।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य स्पष्टतः उन अधिनियमों को और अधिक बल देना है जो बाल–विवाह को रोकने के संबंध में पहले से ही लागू है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह विधेयक स्वागत योग्य कदम है। मुझे आशा है कि हमें दोबारा सभा में आने और यह दुख प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें बाल विवाह से अपने बच्चों की रक्षा के लिए अधिक शक्तियों की आवश्यकता है चूंकि वर्तमान अधिनियम पर्याप्त नहीं है।

महोदय, अंत में, मैं मांग करती हूं कि सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए और यह अनुरोध करती हूं कि एक व्यापक विधान लाया जाए। मैं सरकार से यह भी मांग करती हूं कि विवाहों के पंजीकरण का शुल्क गरीब ग्रामवासियों के वित्तीय साधनों की सीमा में हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार किया जाये।

एक बार फिर, मैं इस विधेयक को अपना समर्थन देती हूं।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बाल विवाह निवारण विधेयक 2006 का पूरे दिल से स्वागत और समर्थन करने हेतु खड़ी हुई हूं। सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री महोदय का इस विधेयक को लाने हेतु धन्यवाद करती हूं और उनकी सराहना करती हूं।

महोदय, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगी। कुछेक मुद्दे रह गए हैं, जिनका मैं उल्लेख करना चाहती हूं। पहले तो मैं, माननीय मंत्री महोदय को इसके लिए बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस मिलाप से उत्पन्न शिशु को वैध करार किये जाने इस विधयेक में शामिल किया बावजूद इस तथ्य के कि इस मिलाप को रद्द किया जा सकता है।

दूसरी बात इस विधयेक में सम्मिलित अनुरक्षण और अभिरक्षा खंडों के संबंध में है। तीसरी बात उन सामूहिक विवाहों के संबंध में है, जो अक्षय तृतीया और ऐसी सभी महत्वपूर्ण और शुभ तिथियों पर संपन्न किए जाते हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे हैं।

[श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव]

मैं, जन्म और विवाह के उचित पंजीकरण के संबंध में श्री सुरेश प्रभु द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का भी समर्थन करती हूं, चूंकि उसके बिना विधेयक ज्यादा प्रभावी नहीं होता।

राष्ट्रीय जनता दल की एक महिला सदस्य श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा भी एक बात उठाई गई थी, जो उन्होंने अत्यन्त भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत की थी और हम पूरे दिल से उसका समर्थन करते हैं।

महोदया..., मैं यहां यह उल्लेख करना चाहती हूं

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। क्या मैं इस वृद्धावस्था में महोदया नजर आता हूं?

...(व्यवधान)...

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : अध्यक्ष महोदय, मुझे वाकई खेद है *...(व्यवधान)...*

मैं, यहां उल्लेख करना चाहती हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि हमें आज के दिन भी महिलाओं को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में मानना पड़ रहा है और हम कन्या–शिशु, महिलाओं आदि के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी प्रकार के कानून बना रहे हैं।

विधयेक पर पुनः चर्चा करते हुए, मैं कहना चाहती हूं कि आज के दिन और युग बाल–विवाह शब्द ही अपने आप में एक विरोधाभास है क्योंकि जो व्यकित परिपक्व नहीं हुआ है, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह विवाह कर वास्तविक दुनिया की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेगा।

आज के समय में वयस्कता पर अपने आप जल्द ही काफी दवाब और तनाव आ जाता है अतः हमारा कर्तव्य है कि हमसे जितना भी हो सके हम बालकों की मासूमियत उनके हितों, स्वास्थ्य और विकास की रक्षा करें।

आज के समय में हम बालकों के अधिकारों के बारे में अत्यंत जागरूक हो चुके हैं और हमने सभा में बाल अधिकार संरक्षण विधेयक जैसे विधेयकों को पारित किया है तो यह स्वभाविक है कि बालकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए इस विधेयक का पालन किया जाना चाहिए।

कई बार बल्कि प्रायः बालकों का उनके बड़ों, माता–पिता, अभिभावकों अथवा उनके पालन–पोषण के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती विवाह करा दिया जाता है मेरा यह मानना है कि यह विधेयक अति महत्वपूर्ण कदम है और यह सामाजिक दृष्टि से अति प्रासंगिक विधेयक है। हमारा देश मातृ मृत्यु दर के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है और यह दर 1,00,000 जीवित जन्में बच्चों की तुलना में लगभग 540 है। लगभग 1,25,000 महिलाओं की प्रतिवर्ष गर्भावस्था और गर्भास्था से संबंधित कारणों से मृत्यु हो जाती है। उच्च मातृ मृत्यु दर के खास कारण गरीबी, कुपोषण, रक्ताल्पता (एनीमिया), गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य देख–भाल की कमी हैं और सबसे बड़ा कारण बालिकाओं का अल्प–पोषित और कम आयु का होने की वजह से शारीरिक रूप से विकसित न होना है।

हमारे देश में शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। यह दर अनुमानतः 1000 जीवित जन्मे बच्चों की तुलना में 62 है। ग्रामीण भारत में लगभग 60 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र न होने से पहले ही कर दिया जाता है। इन विवाहित लड़कियों में से लगभग 60 प्रतिशत लड़कियां 19 वर्ष की होने से पहले ही मां बन जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप, न सिर्फ मां के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है बल्कि जन्म लेने वाले बच्चों का वजन भी जन्म के समय के औसत वजन से कम होता है। अतः बाल विवाह प्रतिषेध के बारे में बात करते समय ये सभी कारक अति महत्वपूर्ण हैं।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि कम आयु में विवाह के कारण बालिका समुचित शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित हो जाती है। मैं कहूंगा कि हमारे देश में न केवल ग्रामीण भारत में बल्कि शहरी भारत में लड़कियों को यह महसूस कराया जाता है कि वे सिर्फ हस्तांतरणीय और प्रयोग की जाने वाली वस्तु और सबसे बड़ी देनदारी हैं।

अतः, हमारे देश में मानसिकता यह है कि जैसे ही कोई बालिका वयःसन्धि में प्रवेश करती है तो आपको मालूम ही है कि परिवार में होहल्ला होने लगता है कि बालिका का विवाह कर दिया जाना चाहिए क्योंकि माता–पिता अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। वे बालिका की शिक्षा पर उतना खर्च नहीं करना चाहते जितना घर के बालक पर करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश, वे महसूस करते हैं कि बालिका की देखभाल करना हमारे देश में एक बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए, कभी कभार किसी बालिका को विवाह की आड़ में भी बेच दिया जाता है, जैसा कि पहले हमारे कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। मैं बार–बार इसी बात पर नहीं आना चाहती। इस बात का अन्य सदस्यों ने भी उल्लेख किया है कि उनका यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है और उन्हें बाल–यौन शोषकों के हाथों सब प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यह एक आश्चर्यजनक बात है, जो कि हम अप्रवासी भारतीयों के बारे में सुनते हैं। फिर यहां जर्जर अवस्था में वृद्ध लोग आते हैं और उन युवतियों से विवाह रचाते हैं जो कि मुश्किल से 13 और 14 वर्ष की होती हैं। यह पूरी तरह से विनाशकारी है।

हालांकि बालिका भ्रूण हत्या का मुद्दा यहां प्रासंगिक नहीं है, फिर भी मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि पुरुष–महिला अनुपात में 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात 947 तक गिर गया है। इन सबसे यह उजागर होता है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

अब, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, हमारे जैसे प्रगतिशील समाज में, जहां हम लिंगभेद समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसमें दो धाराएं हैं। एक तो धारा 13 खंड (10) है और दूसरी है धारा 11 खंड (1) जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को कारावास में नहीं डाला जाएगा। मैं इसका जिक्र करना चाहती हूं।

धारा 13, खंड (10) में उल्लेख है; "जो कोई भी, यह जानते हुए भी कि निषेधाज्ञा जारी की गई है, उपधारा (1) के अंतर्गत यह जारी की गई है यदि ऐसी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसे कारावास आदि का दंड दिया जाएगा।"

अपराह्न 4.00 बजे

यह भी कहा गया है – "परन्तु उस बात के होते हुए भी कि किसी भी महिला को कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा।" हालांकि मैं एक महिला हूं, परन्तु मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूं क्योंकि अनेक अवसरों पर हम यह पाते हैं कि महिलाएं भी महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध करने में समान रूप से जिम्मेदार होती हैं। दूसरी बात यह कि मामले समय–बद्ध होने चाहिएं। इन मामलों का त्वरित निपटान किया जाना चाहिए अन्यथा, वे खिंचते रहते हैं। तीसरी बात यह कि जहां तक बच्चे की अभिरक्षा का संबंध है, मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि बच्चे की अभिरक्षा माता को दी जानी चाहिए। सामान्यतया तलाक के मामलों में भी यह प्रचलित रिवाज है कि बच्चे की अभिरक्षा माता को दी जानी चाहिए जबकि माता और बच्चे के भरण–पोषण की जिम्मेवारी पति को दी जा सकती है।

अंत में, मैं दो अन्य बिंदुओं को उठाना चाहता हूं। एक सी.एम.पी. ओ. के संबंध में है – बाल विवाह निवारण अधिकारी। यहां यह दिया गया है कि राज्य में मोटे तौर पर एक बाल विवाह निवारण अधिकारी होना चाहिए अथवा इसमें संशोधन कर कुछ और अधिकारियों को जोड़ा जा सकता है। चूंकि यह एक क्रांतिकारी विधेयक है जिसे हम संसद में पारित कर रहे हैं, अतः मैं एक विनम्र सुझाव देना चाहूंगी कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल विवाह निवारण अधिकारी होना चाहिए। जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं, वे असीम हैं तथापि जागरूकता आदि का सृजन केवल एक आदमी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

अंततः, अब हम देखेंगे कि पहले गोणा प्रणाली प्रचलित थी जिसमें ग्रामीण भारत के दो परिवारों के बीच यह व्यवस्था होती थी कि जब भी वे दोनों वयस्क हो जाएंगे उनका विवाह किया जाएगा, अगर आप इसी प्रकार की एक प्रणाली लाते हैं कि अगर विवाह को शून्य भी कर दिया जाता है ताकि स्वच्छन्दाचार तथा वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों से बचा जा सके, क्योंकि यदि महिलाएं वित्तीय रूप से सुदृढ़ नहीं है तो इस प्रकार की बुराइयों के अपनाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह जाता है। वास्तव में आज एक संशोधित गोणा प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है ताकि अगर विवाह को शून्य भी कर दिया जाता है, तो भी जैसे ही वे परिपक्व हों उनका पुनर्मिलन करवाया जा सकता है और तब तक वह महिला अपने माता–पिता के घर पर रह सकती है अथवा चूंकि हमारा राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, अगर सरकार अल्पकालिक आवास अथवा इसी तरह की कोई व्यवस्था करती है, तो इसका भरपूर स्वागत किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा मानना है कि बच्चों तथा महिलाओं के मुद्दों पर एक विशेष सत्र होना चाहिए जिसमें सभी बिना किसी व्हिप के बोल सकें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं तथा उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि वे इन संशोधनों को शामिल करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस फैन्थम जी, भाषण आरम्भ करें। क्या आप तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर सकते है?

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : न केवल प्रयास करें, परन्तु इसे कार्यान्वित भी करें।

श्री फ्रांसिस फैन्थम : महोदय, मैं इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विधान को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देकर अपनी बात शुरू करूंगा। यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस विधान के आने में काफी समय लगा है। महोदय, आपको स्मरण होगा कि पूर्व में बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व ईश्वर चंद विद्यासागर तथा केशव चंद्र सेन जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों ने किया था। जिसमें बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत की गई थी। उन्होंने कई दशकों तक संघर्ष किया, लेकिन यह विधान पारित नहीं हो सका।

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

अभी यह महत्वपूर्ण है कि इस 14वीं लोक सभा में संप्रग की अध्यक्षा तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन से एक ऐतिहासिक विधान लाया गया है। मेरा कहना है कि इस विधेयक में बालकों की गरिमा को लाया गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि विवाह के रूप में बालक की गरिमा मात्र एक आर्थिक वृद्धि है जैसा कि कतिपय स्थानों पर उल्लेख किया गया है

मेरे लिए यह एक दृष्टिकोण संबंधी मुद्दा और इससे भी ज्यादा शोषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें इस मुद्दे पर इस रूप में गौर करना चाहिए कि पुरुषों तथा, संभवतः कुछ महिलाओं का दृष्टिकोण सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है कि वे अपने बच्चों के विकास को किस रूप में देखते हैं।

वृहत्तर संदर्भ में मेरा मानना है कि यह विधान नागरिक समाज में नई जागरूकता का सृजन करने में काफी मददगार होगा जिससे ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्था कायम होगी जिसके परिणामस्वरूप नागरिक समाज में व्यापक परिवर्तन होगा। भावनात्मक प्रभाव के रूप में अनेक मुद्दों की बात की गई है, तथापि मेरा कहना है कि हमें बाल विवाह को रोकने के साथ–साथ ऐसे प्रावधान लागू करने चाहिएं जिसमें बच्चों को ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में, इक्कसवीं सदी की संवेदनशीलताओं के रूप में तथा मानव पूंजी निर्माण के लिए उत्तरदायी लोगों के रूप लिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि यह विधान एक मील का पत्थर साबित होगा।

मेरे लिए इस विधान की परीक्षा उस समय होगी कि जब राजस्थान में अक्षय तृतीया मेले के बाद अप्रैल में हम किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या हम राजस्थान राज्य में अक्षय तृतीय मेले के दौरान आम होने वाले बाल विवाहों को रोकने में समर्थ हो सकेंगे? जैसा कि मैं समझता हूं और जैसा कि पहले मेरे साथी उल्लेख कर रहे थे कि अगर हम इसे लागू करने में सफल होते हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जो कि इसे नियंत्रित करने अथवा इसका नियमन करने अथवा दण्ड लागू करने से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं और जिस समाज में इन बच्चों का जन्म हुआ है, वहां उनका विवाह शून्य किए जाने पर अथवा उनके विवाह समारोहपूर्वक होने पर उन्हें उनकी सांस्कृतिक पहचानों के अनुरूप व्यवहार में नहीं लाए जाने पर कई प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। अतः, मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी के पास इसके लिए प्रयास करने तथा प्रत्येक जिले में एक निवारणात्मक तंत्र लागू करने के लिए पर्याप्त समय है, ताकि बच्चों को इन विवाहों से रोका जा सके।

बोलने के लिए कई मुद्दे हैं लेकिन चूंकि मुझे तीन मिनट का समय दिया गया है अतः मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रतीयमानतः विधेयक के खंड 2(क) तथा खंड 9 में विरोधाभास है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जबकि खंड 2(क) में पुरुष वयस्क को 21 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के रूप में परिभाषित करता है, जबकि खंड 9 यह कहता है '18 वर्ष की उम्र के ऊपर का कोई वयस्क पुरुष'। अतः, यह स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि कोई बच्चा 21 वर्ष की उम्र के बाद वयस्क होता है या 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर। अतः, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

मैं श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव की उस अनुशंसा का समर्थन करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि इस कानून का पालन नहीं करने वाले लोगों और इसके परिणामस्वरूप हमारे बच्चों की जिंदगी जोखिम में डालने वालों को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं तथा इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें दो मिनट बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा।

[अनुवाद]

मैंने समय दिया था।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सन्तोष जी, आप बता दीजिए।

[अनुवाद]

कि सिर्फ आपको शामिल करने के लिए हम इस पर सहमत हुए हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, अगर आप भी इससे सहमत हैं, तो बिल का सपोर्ट कर दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा सिर्फ आपको शामिल करने के लिए किया गया है। कृपया मुझे यहां उलझन में मत डालिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं एक वाक्य बोलना चाहूंगा। मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सभी बातें महत्वपूर्ण होती हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर आपकी अपनी पार्टी का पहला वक्ता होना चाहिए था। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह निवारण विधेयक, 2006 यहां प्रस्तुत हुआ हैं। मैं उस बिल की एक बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवा सम्पूर्ण भारत में है और यह भारत से बाहर तथा भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसमें जो 'जम्मू–कश्मीर के सिवाय' शब्द रखा गया है, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वहां पर भी बाल विवाह की समस्याएं हैं, उसे भी देखने की जरूरत है। बाल विवाह एक सोशल प्रॉब्लम है, केवल कानून बनाने से यह समस्या हल हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं समझती हूं। आज यह सोचने की जरूरत है कि किस तरह से सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार और आपका विभाग ऐसे कदम उठाएं जिससे इस समस्या पर विराम लग सके। समाज में इस तरह की सामाजिक परम्पराएं चल रही हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी जैसे अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह के माध्यम से जो बाल विवाह हो रहे हैं, उन पर आप कैसे अंकुश लगाएंगे? यह काम केवल कानून के माध्यम से नहीं रुक सकेगा। जब तक हम ऐसी सामाजिक कुरीतियों का समाज के बीच बैठकर, कुछ सामाजिक कौंसलर्स के माध्यम से या समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस समाज के ऊपर लगे हुए बाल विवाह जैसे कलंक से हम अपने आपको अलग नहीं कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहे तो वे रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आपके मंत्रालय में पब्लिक रिलेशन्स के लिए अलग डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए जो सीधे–सीधे ऐसी कुरीतियों और सामाजिक परंपराओं पर किसी तरह से अंकुश लगा सके। इसके अलावा इसमें फैमिली कोर्ट्स के बारे में कहा गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर एक विशेष चर्चा सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : आज तक फैमिली कोर्ट्स जिला स्तर पर बनती रही हैं। लेकिन अगर फैमिली कोर्ट्स पंचायत स्तर पर बनें तो यह ज्यादा प्रभावी व्यवस्था होगी क्योंकि यह समस्या खास तौर से गांवों में ज्यादा है। इसलिए मैं चाहती हूं कि सामाजिक स्तर पर सुधार करने की दृष्टि से पंचायत स्तर पर ऐसी कोर्ट्स बनें ताकि जहां पर एक्शन लेने की जरूरत हो, वे वहां पर एक्शन लेने की क्षमता रखती हों। मैं इन्हीं सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। मैं बोलना तो अधिक चाहती थी, लेकिन समय का अभाव है। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी पार्टी से पहला वक्ता होना चाहिए था।

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : अध्यक्ष जी, कृपया मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दे दीजिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं जो किसी माननीय सदस्य ने नहीं कही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानती हैं। मैंने राधाकृष्णन जी को बैठा दिया। अब मैं अगर आपको समय दूंगा तो राधाकृष्णन जी भी खड़े हो जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती नीता पटैरिया : अध्यक्ष जी, आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा धार्मिक अंधविश्वास है कि अगर कन्या का विवाह 12 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पूर्व नहीं किया तो कन्यादान का फल प्राप्त नहीं होता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अवहेलना कर रहे हैं। मैंने आपको नहीं बुलाया।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया : आज इस अंधविश्वास को दूर करने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका समर्थन किया है। यह अच्छी बात है मैं आपकी और आपकी पार्टी की प्रशंसा करता हूं। अब मंत्री जी बोलें।

[हिन्दी]

***श्री अशोक अर्गल** (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कन्या को बचपन जीने का अधिकार दिया है बाल विवाह समाज में फैली कुरीति है जो केवल कानून बनाने से दूर नहीं होगी। सामाजिक आंदोलन करना पड़ेंगे। प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। कानून तो 1929 में भी बना था क्या हम बाल विवाह रोक पाये। नहीं। हर अक्षय तृतीया हजारों की संख्या में बाल विवाह होते हैं और शासन एवं प्रशासन मूक दर्शक रहता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों की बचपन में इसलिए शादी कर देते हैं समय खराब है कहीं कोई ऊंच नीच नहीं हो जाये। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 12 वर्ष की उम्र में ही उचित कन्यादान मानते हैं। आज बढ़ते अपराधों के समय आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस कारण भी लोग बालिकाओं की शादी जल्दी करने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

आज देखने में आ रहा है कि बालिकाओं को पेट में ही मार देते हैं। लड़कियों को पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। आज महिला एवं पुरुष का संतुलन बिगड़ रहा है महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी कम है एवं समाज, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर नीचे के स्तर तक शिक्षा अनिवार्य करना तथा सरकार बच्चियों की पढ़ाई एवं शादी की जिम्मेदारी निर्धारित करे तब बालिका की हत्या, भ्रूण में होगी तथा ऐसा जघन्य कार्य कोई करता है तब उसके खिलाफ कठोर दण्ड भी दिया जाये वैसे कुछ राज्यों में सरकार बालिकाओं की चिन्ता कर रही है। मध्य प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। कक्षा 9 में आते ही साइकिल उपलब्ध हो रही है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोई भी बच्ची पैदा हो तब सरकार उसकी शादी के लिए शुरू में ही एक लाख रुपये जमा कराके तथा शादी पर उक्त राशि जब बच्ची 20 वर्ष की हो तब वह राशि 16 लाख हो जाये तब ही राशि वापिस हो तब भी बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। मैं बाल विवाह का विरोधी हूं। यह एक कुरीति है।

***डा. रामकृष्ण कुसमरिया** (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद करता हूं।

मान्यवर, भारत संस्कृति देश है। अनेक प्रकार की संस्कृतियां यहां अस्तित्व में हैं और उनकी अलग अलग मान्यतायें एवं परम्परायें हैं जिनका अध्ययन कर समाहित करना आवश्यक है। मुगलकाल एवं अंग्रेजों का नियतखोरी से बचने के लिए पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह का आगमन हुआ था। किंतु, कालान्तर में स्वतंत्र भारत में अब लोग समझदार हो रहे हैं तथा धर्म गुरू एवं सामाजिक संगठन भी अब इस ओर काफी प्रयत्नशील हैं एवं सामूहिक विवाह का प्रचलन शुरू हुआ है।

शासन द्वारा कानून के द्वारा बाल विवाहों का रोकथाम करने में काफी मदद मिल रही है। इस विधेयक द्वारा समाज एवं कानून को और ताकत मिलेगी और रोकथाम करने में सहूलियत होगी। किंतु दूसरी तरफ कानून की धज्जियां उड़ाने वाले टी.वी. चैनल एवं गाने, लोगों में विकृति पैदा कर रहे हैं।

मान्यवर, मुझे एक गाना पीड़ा पहुंचाता है एवं खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाता है, उस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। "मैं 16 वर्ष की तू सत्रह वर्ष का"

मान्यवर इस तरह के प्रदर्शन एवं गानों पर प्रतिबंध होना चाहिए

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एवं जिसने इस गाने को बनाया है जिसने चलाया, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

मान्यवर, लड़की का जन्म अभिशाप के रूप में माना जाता है यह गरीबी एवं दहेज प्रथा का परिणाम है। अतः लड़की का संरक्षण एवं सहयोग आवश्यक है। इस गरीबी के कारण वैश्यावृत्ति, देवदासी एवं समाज में कुरीतियां फैली हैं जिन्हें उन्मूलन करना पड़ेगा। अशिक्षा भी इसका एक बड़ा कारण है।

मैं मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मान्यवर शिवराज चौहान का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अनेक योजनाएं लड़कियों के लिए बनायी हैं। उन्होंने लड़कियों का कम जन्म दर चिंता करते हुए उन्होंने लड़की वरदान बने, लक्ष्मी बने इसके लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि जिसके यहां बच्ची जन्मेगी उसका बीमा कर दिया जायेगा। 21 वर्ष की अवस्था में उसे एक लाख रुपया प्राप्त होगा एवं शासकीय तौर पर कन्यादान होगा, गांव की बेटी योजना के तहत उसे संरक्षण देने का प्रावधान किया है।

इसी तरह माननीया मंत्री महोदया श्रीमती रेनुका चौधरी भी प्रावधान करें, जिससे बाल विवाह में रोक लगे।

***श्रीमती गीता पटैरिया** : अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह समाज में फैली हुई बहुत बड़ी कुरीति है और हमारी सरकारें बाल विवाह रोकने के चाहे जितने दावे करें, वे सब खोखले हैं। 1929 में भी बाल विवाह निवारण अधिनियम बना पर क्या हुआ, आज शादियों के जब मुहूर्त होते हैं तो अखबार बाल विवाह की खबरों से भरी रहती हैं। मां की गोद में बच्चे की शादी पालने में बच्चों की शादी यहां तक कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संभावना के आधार पर मां के गर्भ में ही शादियां तय हो जाती हैं लेन देन हो जाता है। बाद में यदि दोनों लड़कियां या लड़के पैदा होते तो झगड़े भी होते हैं।

बाल विवाह के समय बालक बालिका दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से विवाह के योग्य नहीं होते हैं और वे विवाह के बाद ढेरों परेशानियों में फंसते चले जाते हैं बच्चा एवं बच्चा की मृत्युदर अभी भी ज्यादा है इसका भी कारण बहुत हद तक बाल विवाह है। समाज में जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनकी शिकार महिलाएं ही हैं। चाहे दहेज प्रथा हो, दहेज एवं दहेज हत्या बढ़ती जा रही है। सती प्रथा हो – पूर्णतः बंद है फिर भी कहीं न कहीं घटना। कन्या भ्रूण हत्या हो, बाल विवाह हो – बाल विधवा के रूप में पूरा जीवन गुजारना। इस सबका कारण अशिक्षा, देवदासी प्रथा, शहर में गांव से छोटी बालिकाओं को काम के बहाने, गरीबी – शेख, कर्नाटक एवं आंध्र में बालिकाओं को, कन्या की सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचना, जागरूकता की कमी, अंधविश्वास बाल विवाह बहुत से क्षेत्रो का धार्मिक का प्रतीक है कि कन्यादान यदि 12 वर्ष के पहले किया जाये तो सबसे बड़ा दान होता है।

बालिकाओं की सुरक्षा के लिए शिक्षा के लिए गरीबी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाएं लागू की हैं। गांव की बेटी कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, 9वीं साइकिल वितरण, एस.सी. वर्ग के लिए सौभाग्यवती योजना 5000 रु. प्रत्येक जोड़े का, आदिवासी सामूहिक विवाह योजना 5000 रुपए प्रत्येक एवं व्यस्क लड़के एवं लड़कियों को गरीब परिवार को सामूहिक विवाह योजना।

विधेयक में जो खण्ड 3(2) में कहा गया है कि यदि अर्जी फाइल करते समय अर्जीदार अवस्यक है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद मित्र के साथ साथ बाल विवाह निवरण अधिकारी की मार्फत फाइल की जा सकेगी इसमें साथ साथ का क्या आशय है।

विधेयक बाल विवाह को रोकने के लिए गांव के सरपंच को भी जिम्मेवार बनाया जाए यदि किसी पंचायत में बाल विवाह की जानकारी मिलती है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : महोदय, मैं अपने सभी उन साथियों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस चर्चा में पूरे जोश खरोश तथा अपने गहन अनुभव के आधार पर भाग लिया तथा हमें एक दिशा प्रदान की। इस समय अध्यक्षपीठ पर आपकी मौजूदगी भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए आपकी आभारी हूं। बाल संसदीय मंच के अध्यक्ष के रूप में मुझे विश्वास है कि आप बच्चों के लिए उस भविष्य को दिशा देने में हमारी मदद करेंगे जिसका सपना हम सभी देखते हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे खुशी है कि संप्रग की अध्यक्षा यहां मौजूद हैं जिन्होंने स्वयं आई सी डी एस योजनाओं को देखा है तथा राष्ट्र के भावी पीढ़ी के लाभ हेतु हस्तक्षेप किया है।

आज हम सभी ने अपने दिल की बात कही है और इस विधेयक को इस सभा का पूरा सहयोग रहा है जिसकी ओर पूरा समाज और पूरे विश्व के लोगों की नज़र हमारी ओर थी। अब प्रश्न यह उठता है कि हम ये विधान क्यों ला रहे हैं?

जैसा कि सुमित्रा जी ने कहा कि यह उन विधानों की श्रृंखला का एक भाग है जिसे मैं लाना चाहती थी ताकि हमारे देश में बालिकाओं का जीवन सुरक्षित बनाया जा सके। आज यह सभी के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में पिछले 20 वर्षों में एक करोड़ बालिकाओं की हत्या की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से मां की कोख में नवजात शिशु

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

के लिंग का पता लगाकर उनके मां–बाप द्वारा ही हत्या की गई है। यह व्यवस्था कैसे शुरू हुआ है?

[हिन्दी]

हम कहते हैं कि अंध विश्वास है, हम कहते हैं कि हमारे रीति–रिवाज हैं, ये हमारे देश की परम्पराएं हैं। कौन सी परम्परा कहती है कि हमारे बच्चों को हम दहेज की आग में जला दें? कौन सी परम्परा कहती है कि अजन्मे बच्चे के मुंह में रोने से पहले रेत भर दो, जैसा राजस्थान में होता है? कौन सा रीति–रिवाज है कि बच्चों को घड़े में रखकर उन्हें जिंदा गाड़ दिया जाए?

[अनुवाद]

यह किसके लिए शर्म की बात है? यह हम सभी के लिए शर्म की बात है। हमें अपने राष्ट्रीय मुद्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम यह नहीं कह सकते कि सरकार एक जादूगर है जो बदलाव लाएगी। इस तरह के विधान एक संरचना स्थापित करने में मदद करते हैं।

[हिन्दी]

एक दिशा दिखाने के लिए हम कानून बनाते हैं। एक भले प्रयास के नाते हम उसे कानूनी तौर पर पहचान देने की कोशिश करते हैं।

[अनुवाद]

जब तक हम क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व को भलिभांति अंगीकार नहीं करते तब तक मात्र दिशा निर्धारित करने से ही इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

मेरे भाइयों और बहनों, हम वो लोग हैं जो इन दो सदनों में विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आये हैं जो पूरे भारत को प्रतिबिंबित करता है। असेम्बली वगैरा में सब रहते हैं। परन्तु वे हमारी तरह पर्याप्त नहीं है।

हम आज इस देश के 800 या एक बिलियन लोगों में से एक हैं। कहने को हम लाखों में एक हैं। हममें ताकत है; हमारे पास साधन है; हममें लोगों का विश्वास है जिनका इस सभा में हम प्रतिनिधित्व करते हैं हम जहां जाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी बातें न हों। यह अन्य लोगों के लिए पथ प्रदर्शक होगा क्योंकि हम जो कहते और करते हैं उसका समाज पर असर पड़ता है। आप विचारधारा बनाते हैं। यह सब कहने के बाद ऐसी स्थिति क्यों उभरी? उत्तराधिकार, सम्पत्ति संबंधी कानून स्वास्थ्य तक पहुंच, ऋण लेने की योग्यता तथा भूमि और इमारतों, मकानों जैसे ऋणाधार पुरुषों के पास रहे। पुरुष स्वामी थे और महिलाएं हस्तांतरणीय वस्तु थीं। यहां तक कि पिता द्वारा एक पुत्री को विरासत में मिलने वाले धन की एवज में जो 'स्त्री धन' दिया जाता है उसे दहेज का एक साधन मान लिया जो लड़की के जीवन को परिभाषित करने लगा।

बढ़ते भौतिकवाद ने बालिकाओं के जीवन को इस तरह बदल दिया कि उनके जीवन का स्तर उनके द्वारा लाई गई चीजों पर निर्भर करने लगा और वह दहेज के कारण मरने लगी। यदि वह रेफ्रीजरेटर या साइकल या टेलीविजन या इनमें से कोई भी चीज नहीं दे पाती तो उसे मार दिया जाता था। उसकी जिन्दगी को इन चीजों से कम महत्वपूर्ण माना जाता था। जबकि आई पी सी की धारा कहती है कि यदि किसी महिला से अपशब्द कहे जाते हैं जो महिला के रूप में उसका दर्जा कम करते हों, तो वह अपराधिक मामला माना जाता है। परन्तु क्या किसी ने कभी इस बात की व्याख्या की है कि महिला का दर्जा आखिर है क्या?

आज इस देश का संविधान औरत और आदमी को समान दर्जा प्रदान करता है। परन्तु यह समानता केवल कागजी ही है। विधान पुरुषों को सशक्त करते हैं जिनमें हिन्दु अविभाजित परिवार, आयकर अधिनियम शामिल हैं, जिसके अंतर्गत एक बेटे होने पर छूट तो दी जाती है परन्तु बेटी के होने पर कोई परिभाषा नहीं दी गई थी। आज जब हम इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि क्या किसी गरीब ग्रामीण परिवार के महिला के पास स्वास्थ्य के लिए कोई बजट होता है? एक आदमी तुर्रा की बोतल पर 100 रुपए खर्च करेगा परन्तु महिला के चश्मे पर 50 रुपये खर्च नहीं करेगा जो उसे देखने में मदद करेगा। कई लोगों ने मुझे बताया है कि

[हिन्दी]

महिला की दुश्मन महिला ही है। आखिर सास और ननद ही तो आग लगाती हैं। लेकिन यह होता क्यों है? यह होता इसलिए है क्योंकि औरत अनपढ़ होते हुए भी, अन्तर्मन से जानती है कि लड़के का रहमदिल अगर मां के साथ नहीं रहा तो उसे सड़क पर भिजवा सकते हैं और मां बाप के घर का रास्ता वह कब का भूल चुकी होती है। एक उम्र गुजारने के बाद भी उसे हाथ में वह हथियार नहीं होता, जिससे वह अपनी जान को बचा सके।

[अनुवाद]

उसे घरेलू हिंसा का शिकार क्यों बनना पड़ता है? ऐसा इसलिए कि वह यह महसूस करती है कि घर की दहलीज के बाहर एक बार कदम रखने का आशय है कि वह 10 आदमियों की हिंसा का शिकार बनेगी। इसलिए यह अच्छा है कि वह एक आदमी की हिंसा का शिकार बने।

आज मुझे घरेलू हिंसा अधिनियम के माध्यम से घरों में हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि अब महिलाओं के लिए घर में सुरक्षा नामक कोई चीज नहीं है। बालिका, महिला

[हिन्दी]

जिसको हम रीति–रिवाजों के अंदर, लक्ष्मण–रेखा खींचकर रखते हैं, उसी घर के अंदर वह तबाह हो जाती है।

[अनुवाद]

वह दुनिया से नहीं कह पाती कि 'मेरी मदद करो'। वह आदमी जिससे उसने शादी की है जो वचन देता है।

[हिन्दी]

आखिर इन कारनामों से, हम नयी चीज क्या सिखा रहे हैं, कौन से नये कानून हम लाएं हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं थी। क्या हम जानते नहीं है कि किसी को जिंदा मार देना गैर–कानूनी काम है?

[अनुवाद]

यह हम नहीं जानते हैं कि यदि आप किसी का पैसा ले जाएं तो वह एक अपराध है? क्या हम यह नहीं जानते कि यदि आप एक पक्षीय निर्णय लेते हैं, तो इसके लिए आपको न्यायालय में उत्तर देना पड़ सकता है। फिर भी कोई महिला से यह नहीं पूछा जाता कि वह कितने बच्चे पैदा करना चाहती है। उससे भी बुरा यह है कि

[हिन्दी]

सबने कहा कि अंधविश्वास है, लेकिन सबसे बड़ा अंधविश्वास यही है कि आदमी सोचता है कि औरत की जिम्मेदारी है कि उसके शरीर में एक्स–क्रोमोसोम पैदा होगी या वाई–क्रोमोसोम पैदा होगी। आदमी के हाथ में है कि वह बेटा जन्मता है या बेटी।

[अनुवाद]

यह एक चिकित्सीय जैविकीय तथ्य है। परन्तु वे अपनी कमजोरियों को महिलाओं पर मढ़ देते हैं और फिर महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इसीलिए पुरुष अपनी जान बचाने, अपना रुतबा बचाने के लिए महिलाओं पर हिंसा करते हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें, उनके बेटों को उनकी देख–रेख करने पर मजबूर किया जाता है ताकि उनके बेटे अपनी माताओं पर ही निर्भर रहें और वह बाहर नहीं जा पाए और अन्य महिलाओं के साथ अच्छे संबंध नहीं बना सकें। अतः, मेरे प्रिय साथियों, हम सबकी यह सम्मिलित जिम्मेदारी है; इस विधेयक से सोच तो नहीं बदलेगी पर हां, इसका प्रभाव नई पीढ़ी पर पड़ेगा, आज के बच्चों पर पड़ेगा जिनकी पहुंच शिक्षा तक है, पोषाहार तक है, स्वास्थ्य सुरक्षा तक है, जिन्हें प्रतिरक्षण मिल रहा है, और जो पूरा जीवन जी सकेंगे, सम्भवतः युवाओं की यह पीढ़ी इस सोच के साथ बड़ी होगी कि महिला को मारना अनावश्यक है, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखना सही दृष्टिकोण है।

महोदय, भारत की आजादी के शुरुआती दिनों में ही श्री राजीव गांधी ने इसका सपना देखा था। आज जब यह सभा महिला आरक्षण विधेयक पारित करने से इंकार करती है तो मुझे दुःख होता है क्योंकि यह विधेयक संख्याओं के बारे में नहीं है; यह राजनीति का गणित नहीं है कि हम इसके लिए ऐसा चाहते हैं; यह इसलिए नहीं है कि महिलाएं संसद में पुरुषों का स्थान लेना चाहती हैं क्योंकि फिर यह हमारी महत्वाकांक्षाओं में कमी होगी। हम चाहते हैं कि हमारी पहचान हो क्योंकि हम कपड़े में ताने–बाने के समान महत्वपूर्ण हैं, जब उन्हें बुना जाता है तभी कपड़ा तैयार होता है – अतः महिलाएं और पुरुष मिलकर हमारे जीवन के सामाजिक ताने–बाने में योगदान करते हैं।

आज पंचायत स्तर पर आरक्षण है। राजीव गांधी जी ने एक हस्ताक्षर से देश भर में दस लाख महिलाओं को सशक्त बनाया जो आज निचले स्तर पर निर्णय लेने में भागीदारी करती हैं। मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज आरक्षण 33 प्रतिशत था, पूरे देश में पंचायती राज में 42 प्रतिशत महिलाएं निर्णय ले रही हैं। जब राजीव गांधी ने 18 वर्ष की आयु सीमा की जिससे युवाओं को मताधिकार मिला तब कई लोगों ने उनकी आलोचना की। उन्होंने सोचा कि यह राजनीतिक अवसरवादिता है। वे उनके समान सोचने में विफल रहे। इससे बच्चों को मात्र स्वप्नदृष्टा ही नहीं अपने भविष्य के निर्माता बनने का भी मौका मिलेगा और यह ऐसी समर्थकारी प्रक्रिया होगी जिससे ये बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। मैं आशा करती हूं कि हम एक दिन यह देख सकेंगे कि वह बच्चे इस संसद में पहुंचे जहां वे इस देश तथा इसके सम्मिलित भविष्य को प्रभावित करने वाले विषयों का निर्धारण करेंगे।

इन्हीं कारणों से हम बालिका की सुविधा के लिए कई विधान ला रहे हैं। आज उसकी जिन्दगी क्या है? पहले उसे जन्म लेने नहीं दिया जाता है। उसके पास वित्तीय सुरक्षा नहीं है। फिर उसकी मां जब तक बालक को दुग्धपान करवाती है तब तक बालिका को नहीं कराती है। फिर उसे विद्यालय नहीं भेजा जाता है। घर पर उसे जानवरों की तथा छोटे भाई–बहनों की देखभाल में लगा दिया जाता है जिनके लिए वह मां समान हो जाती है। उसे खाना पकाना सीखना पड़ता है। यदि वह किस्मत वाली है तो उसे स्कूल भेजा जाता है। ऐसा इस सरकार की वजह से है जिसने कहा है कि आपकी पहुंच विद्यालय तक अवश्य होनी

[श्रीमती रेनुका चौधरी]

चाहिए। ऐसा संभव बनाने के लिए हमने सर्व–शिक्षा अभियान शुरू किया है। अगर वह आंगनवाड़ी केन्द्र पहुंचती है जिसे हमने स्थापित किया है, हम उन्हें मध्याह्न भोजन दे सकते हैं और उन्हें प्रतिरक्षण मिल सकता है, यदि वह 18 वर्ष की उम्र तक अविवाहित रह सकती है। यदि वह भाग्यशाली है तो किसी पुरुष से उसका विवाह होगा। उसे वहां भी जीवन यापन करना पड़ेगा। यदि वह पर्याप्त दहेज नहीं देती है तो उसे जलाया जाएगा। उसका पति शराब पीएगा और घर पर घरेलू हिंसा करेगा। फिर मां के घर वह वापस लाश के रूप में ही जा सकेगी। क्या हम महिलाओं के लिए ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं? क्या यही सक्षम सशक्त और प्रगतिशील समाज है? क्या आप सोचते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं तथा भविष्य में छलांग लगा सकते हैं यदि हमारी आबादी के 72 प्रतिशत को पीछे छोड़ दें? आज देश की आबादी में महिलाओं और बच्चों का योगदान इतना है।

कई सदस्यों ने कुछ अति मूल्यवान सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है मैं कुछ स्पष्टीकरण तुरंत दूंगी। किसी ने पूछा है कि कई आयु वर्ष में अंतर क्यों है। लड़कियों को 18 वर्ष की उम्र में बालिग माना जाता है जबकि लड़कों को 21 वर्ष की उम्र में बालिग माना जाता है। इसी वजह से यह अंतर है। लोग हमसे आई एम आर और एम एम आर पर सवाल पूछते हैं जैसा कि संगीता जी ने सही ही शिशु मृत्युदर और मातृत्व मृत्यु दर का उल्लेख किया है। यह आश्चर्य का विषय नहीं है। यह कोई राकेट टेक्नालॉजी नहीं है। यदि बच्चे बच्चों को जन्म दें और वो भी कुपोषित बच्चे तो आप और क्या उपेक्षा कर सकते हैं? इस सभा में हममें से अधिकांश किसान हैं। क्या हम नहीं जानते कि जब हमें अच्छी फसल चाहिए तो हमारी भूमि भी इसके लिए तैयार होनी चाहिए? आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देंगे? उन्हें भोजन कराने से 20 गुणा अधिक महंगा है पोषण अल्पता को ठीक करना। हमने इस मुद्दे को विगत में नहीं निपटाया है। हम पहली बार राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन कर रहे हैं। हम यह ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं जहां बच्चों को अपनी पहचान और अधिकार होंगे। इस सभा में उनका प्रतिनिधित्व उनके मित्र करेंगे।

निवारण अधिकारी द्वारा दर्ज निषेधाज्ञा के माध्यम से बाल विवाह निवारण विधेयक पारित हुआ है। श्रीमती करुणा शुक्ला ने कहा था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के पक्ष द्वारा कहे जाने पर बाल विवाह को अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। यह सत्य नहीं है। 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची भी शिकायत कर सकती है तथा विवाह को अकृत तथा शून्य करवा सकती है। किन्तु निश्चय ही उसे अभिभावक की आवश्यकता होगी ताकि उसे पथभ्रमित नहीं किया जाए। किन्तु उसकी आपत्ति सुनी जाएगी। यह दुर्व्यापार है। मैं अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम में एक संशोधन लाने जा रही हूं। इसके साथ–साथ हम कई कानूनी कदम उठाना चाह रहे हैं ताकि एक लड़की की यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके।

हैल्पलाइन के बारे में आलोक कुमार मेहता जी ने जिक्र किया है। हमारे पास एक बाल हैल्पलाइन सं. 1098 तथा महिला हैल्पलाइन सं. 1091 हैं। मुझे खुशी है कि देश भर में हम अन्य राष्ट्रीय संख्याओं की तरह यह चार अंकों वाली संख्या रख सकेंगे और हरेक स्थान पर एक कॉल सेन्टर होगा जो महिलाओं और बच्चों की मदद कर सकेगा। मैंने दूरसंचार मंत्री श्री मारन से भी संपर्क किया है कि प्रत्येक सार्वजनिक फोन बूथ पर यह नम्बर दर्शाया जाए तथा फोन बूथ से टॉलफ्री नम्बर पर फोन करने की सुविधा हो ताकि जिनके पास फोन नहीं है उन महिलाओं और बच्चों की जिन्दगी हम बचा सकें।

अब यह जिम्मेदारी राज्यों को दी गयी है कि निवारण अधिकारी नियुक्त करें। किन्तु हमें इस जमीनी हकीकत की जानकारी है कि यदि हम छोड़ दें तो इसका क्या होगा? अतः मैं आप सबसे आशा करूंगी कि उस समय आप मेरा समर्थन करेंगे जब मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाऊंगी कि प्रत्येक जिला और प्रत्येक राज्य सकारात्मक जवाब दें और हम राज्यों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने जा रहे हैं ताकि यदि वे इसका अनुसरण नहीं करें तो अन्य विकास के क्षेत्र में भी उनकी पहुंच न हो सके। मेरे विचार से इसे अनिवार्य बनाया जाए तथा हमें जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। सरकार ने विकासात्मक मुद्दों तथा सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर करोड़ों रु. खर्च किए हैं। उनमें से अधिकांश में निश्चय ही कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी आई एम आर 48, एम एम आर 407 है; कुपोषण दर 52.5 प्रतिशत, साक्षरता दर 47.8 प्रतिशत और बालश्रमिक लगभग 6.03 मिलियन है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर असामान्यतः उच्च है। इन सबसे सर्वाधिक भयावह वह लिंगानुपात है जिसे हम सब देख रहे हैं।

श्रीमती संगीता देव ने कहा था कि बालिका शिशु एक लुप्तप्राय प्रजाति है। वह सही कह रही हैं। यह गायब हो रही बेटियों की भूमि है। हम सब मिलकर वह परिवर्तन ला सकते हैं। मैं एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता और संवेदनशील अभियान शुरू करना चाहती हूं क्योंकि अपने आप में कानून निराकरण नहीं है। पूरे देश में सतत रूप से इसकी वकालत, जागरूकता, सुनियोजित क्षेत्र तथा संस्कृति आधारित अभियान तथा महिलाओं के प्रति आदर है और उनके मूल्य को समझने की भावना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ संसद में भी भेदभाव किया जाता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी उपस्थिति में नहीं। हम उसकी अनदेखी करते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती रेनुका चौधरी : हमने अन्य मुद्दों यथा समेकित बाल विकास सेवाओं को भी निपटाने का प्रयास किया है। हम एक समेकित बाल संरक्षण योजना लाना चाहते हैं जो विभिन्न रोक और उपाय करेगी। किशोरी शक्ति योजना किशोरियों के लिए है जो हमारे बाल विवाह निवारण अधिनियम का मुख्य लक्ष्य वर्ग हैं। किशोरी शक्ति योजना यह सुनिश्चित करती है कि उन बच्चों का इष्टतम शारीरिक वजन हो और हम ग्यारहवीं योजना में नकद हस्तांतरण योजना लाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जिले में पालना योजना है जिसमें यदि माता पिता बालिका शिशु नहीं चाहते हैं तो हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनकी देखभाल करेंगे। बालिका शिशु हमें दे दीजिए कृपया उन्हें मारिए नहीं।

महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कई पहल किए जा रहे हैं जिससे बालिका शिशु के मातापिता की मानसिकता में ही नहीं बल्कि समाज में भी बालिका शिशु का महत्व बढ़ेगा।

विकास और प्रगति के द्वार खोलने में शिक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बालिका शिशु के विकास तथा उसके जीवित रहने के लिए बीमा सुरक्षा की भी जांच की जा रही है। शून्य से छह वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और टीकाकरण, स्कूलों में बने रहना, पोषण की नींव पड़ना, स्वास्थ्य तथा शून्य से छह वर्ष तक की आयु के बीच खेलना आवश्यक है। हम सभी को पता है कि शून्य से छह वर्ष के बच्चों में उनके शेष जीवन के लिए विकास की नींव पड़ती है। आप क्या खाते हैं, आप किस प्रकार से प्रतिरक्षित हैं तथा खाद्य सुरक्षा तक आपकी पहुंच यह परिभाषित करती है कि आप किस प्रकार के वयस्क बनेंगे। बच्चों के लिए उचित दृष्टिकोण जो 11वीं योजना में निरूपित किया गया है महत्वपूर्ण है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि कृपया वे अपने-अपने संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस समस्या को सर्वाधिक महत्व दें। मैं आप सभी लोगों के पास एक प्रोफार्मा लगा पत्र भेजूंगी जिसके साथ एक स्वपता लिखा लिफाफा संलग्न होगा। कृपया आप कुछ वांछित आंकड़े भरकर उक्त लिफाफे को मेरे पास भेजें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम साथ मिल कर सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सचमुच वह प्रगति हो रही है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं तथा सभी माननीय सदस्यों से मेरी यह आत्मीय अपील है कि वे इस प्रोफार्मा को भरकर हमारे पास वापस भेजें। इससे हमें हर पक्ष का आंकड़ा तैयार करने में मदद मिलेगी जो हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को अपने समुदाय को समझाने की जिम्मेवारी लेने का अनुरोध भी करती हूं। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां आप जाते हैं, भले ही वह बाल विवाह और घरेलू हिंसा से संबंधित न हो, हमें इसके बारे में उल्लेख करना चाहिए। काफी कम लोग ऐसी बैठकों में आने और उन्हें सम्बोधित करने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। परन्तु आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। यदि हम अपने लोगों को यह नहीं बताते हैं कि वे महिलाओं को न पीटें तो यह बात हमारे लिए सम्मानजनक नहीं होगी।

महोदय, जमीनी स्तर पर बाल विवाह का दुष्परिणाम यह है कि यदि हम इसे नहीं रोकते हैं तो हम प्रगति और विकास के पथ पर पिछड़ जाएंगे।

अब मैं अनुरोध करती हूं कि कृपया यह सभा बाल विवाह निवारण विधेयक, 2006, राज्य सभा द्वारा यथापारित में संशोधनों को पारित करे तथा बाल विवाह अधिनियम, 1929 को निरसित करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"बाल विवाह के अनुष्ठान के निवारण के लिए तथा इससे संबंधित अथवा उसे अनुषंगी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती रेनुका चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.38 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दृष्टिकोण पत्र

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, संप्रग सरकार के तत्वाधान में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है जिसमें कृषि

[श्री वसुदेव आचार्य]

क्षेत्र में संकट, बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या और ग्रामीण व्यथा को दूर करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, हम इस पर अगले सत्र में चर्चा करेंगे। पूरी चर्चा होगी। मैं आपके द्वारा लिए गए इस समय को संबंधित चर्चा के समय नहीं काटूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : इसे बजट सत्र में यथा संभव शीघ्र लाया जाएगा।

अपराह्न 4.39 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौदहवीं लोक सभा नौवां सत्र, जो 22 नवम्बर, 2006 को आरंभ हुआ था आज समाप्त हो रहा है। इस दौरान, 20 बैठकें 117 घंटे 27 मिनट तक चलीं।

सत्र के दौरान सभा ने कई महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और अन्य कार्य निपटाए।

वर्ष 2004–2005 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) और रेल तथा संबंधित विनियोग विधेयक क्रमशः लगभग 4 घंटे 43 मिनट और 5 घंटे 19 मिनट तक हुई चर्चा और मतदान के उपरांत पारित हुए।

"देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और विशेष रूप से आतंकवाद की चिंताजनक वृद्धि से निपटने में सरकार की विफलता के बारे में" एक स्थगन प्रस्ताव पर सभा में चर्चा हुई। लगभग 5 घंटे 27 मिनट तक चली चर्चा के उपरांत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सत्र के दौरान, सभा ने 20 विधेयक पारित किए। कुछ महत्वपूर्ण पारित किए गए विधेयक हैं – आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006; उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006; भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006; अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006; बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006; केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006; अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006 और बाल विवाह निवारण विधेयक, 2006।

नियम 193 के अधीन सभा ने 24 घंटे 48 मिनट तक चली चर्चाओं के दौरान अविलंबनीय महत्व के महत्वपूर्ण छह विषयों पर सार्थक चर्चाएं की। ये चर्चाएं निम्नलिखित विषयों पर थीं – (1) दिल्ली में चल रहे सीलिंग अभियान से उत्पन्न स्थिति; (2) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि; (3) पंचायतों की स्थिति – मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन–2006 संबंधी प्रतिवेदन; (4) देश में असंगठित श्रमिकों के सामने आ रही समस्याएं; (5) भारतीय–अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग के बारे में 12.12.2006 को विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा शुरू हुई लेकिन अपूर्ण रही।

सत्र के दौरान, 12 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए और जिनके उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। इसके अलावा, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों ने 38 वक्तव्य दिए।

जहां तक गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, सत्र के दौरान 22 गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए गए। मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004 नामक विधेयक को सभा की अनुमति से वापस लेने से पहले इस पर चर्चा हुई। कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005 पर आंशिक चर्चा हो पायी।

एक गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प जिसके द्वारा सरकार से देश के सभी भागों का संतुलित और साम्यतापूर्ण विकास करने हेतु कदम उठाने की सिफारिश करने का आग्रह किया गया था, पर सभा की अनुमति से वापस लेने से पूर्व चर्चा हुई।

दूसरा संकल्प, जिसके द्वारा सरकार से व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करना और उसे लागू करने का आग्रह किया गया, पर आंशिक चर्चा हो पायी।

सत्र के दौरान, 401 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिनमें से 64 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। इस प्रकार, औसतन प्रतिदिन लगभग 3.2 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। 3949 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी लिखित रूप से सभा पटल पर रखे गए। एक आधे घंटे की चर्चा भी उठायी गई।

इस सत्र में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 43 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

प्रश्नकाल के उपरांत तथा रात में देर तक बैठकर सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के 313 मामले उठाए गए। इसके अलावा, माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 264 मामले भी उठाए। मेरा सदा यह प्रयास रहा कि माननीय सदस्यों को समय की उपलब्धता के अध्यधीन एवं प्रक्रियागत ढांचे के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने का पर्याप्त अवसर दिया जाए।

इस सत्र में व्यवधानों और स्थगनों के कारण हमने 25 घंटे 33 मिनट का समय गंवाया। इस सत्र के दौरान व्यवधानों और स्थगनों के कारण बर्बाद हुए समय की पूर्ति करने के लिए लोक सभा की बैठक 25 घंटे 47 मिनट देर तक चली।

मैं इस बात को दोहराता हूं कि संसदीय लोकतंत्र के प्रभावी कार्यकरण के लिए विपक्ष का सहयोग अपरिहार्य है। किसी विषय विशेष पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के सदस्य के अधिकार को स्वीकार करते हुए, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि प्रक्रिया के नियमों के दायरे में रहकर, सभा में सुगठित विचार–विमर्श करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

अंत में, मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सदन की कार्यवाही पूरा करवाने में मुझे सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों और सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी की ओर से, मैं प्रैस और मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस मौके पर सभा की पूर्ण समर्पण तथा मुस्तैदी से की गई सेवा के लिए लोक सभा के महासचिव और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं सदन की कार्यवाही के संचालन में अपनी प्रशंसनीय सहायता देने के लिए संबद्ध एजेंसियों का भी धन्यवाद करता हूं।

मैं आप सभी सदस्यों को क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।

अपराह्न 4.45 बजे

राष्ट्रगीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब खड़े होंगे, और 'वन्दे मातरम' धुन बजाई जायेगी।

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.46 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री रेवती रमन सिंह	382
	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	
2.	श्री सुग्रीव सिंह	383
	श्री किसनभाई वी. पटेल	
3.	श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी	384
	श्री महेश कनोडीया	
4.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	385
5.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	386
	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	
6.	श्री एस. के. खारवेनथन	387
	श्री एम. अंजन कुमार यादव	
7.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल	388
	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	
8.	श्रीमती अर्चना नायक	389
9.	श्री निखिल कुमार	390
	श्री अधीर चौधरी	
10.	श्री मनोरंजन भक्त	391
11.	डा. अरूण कुमार शर्मा	392
12.	श्री कृष्णा मुरारी मोघे	393
	श्री विजय कुमार खंडेलवाल	
13.	श्री रामदास आठवले	394
14.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	395
	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	
15.	श्री एल. राजगोपाल	396
16.	श्री नवीन जिंदल	397
	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	
17.	डा. टोकचोम मैन्या	398
18.	श्री एन. एस. वी. चित्तन	399
19.	श्री श्रीचन्द कृपलानी	400
20.	श्री सुरेश कलमाडी	401

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे. एम.	3815
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3794
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3826, 3873, 3898, 3913,
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3769
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	3801, 3834
6.	अर्गल, श्री अशोक	3795
7.	आठवले, श्री रामदास	3860, 3888, 3909
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3853
9.	बर्मन, श्री हितेन	3773, 3930
10.	बर्मन, श्री एनेन	3920
11.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	3852
12.	बखला, श्री जोवाकिम	3808
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3788, 3848, 3900
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3815
15.	भगोरा, श्री महावीर	3922
16.	भक्त, श्री मनोरंजन	3952
17.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3801
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3805
19.	बोस, श्री सुब्रत	3811
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3923
21.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3813, 3863
22.	चौरे, श्री बापू हरी	3825
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3799, 3833, 3875, 3951
24.	चौधरी, श्री अधीर	3795
25.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	3779, 3926
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	3791, 3850, 3883, 3939, 3948
27.	धोत्रे, श्री संजय	3825

1	2	3
28.	फर्नान्डीज, श्री जार्ज	3835
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3809, 3931
30.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3906
31.	गांधी, श्रीमती मेनका	3798
32.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3825
33.	गोहेन, श्री राजेन	3893
34.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3803, 3854, 3897, 3942, 3953
35.	हसन, चौधरी मुनव्वर	3816, 3868
36.	जगन्नाथ, डा. एम.	3808
37.	जेना, श्री मोहन	3832
38.	झा, श्री रघुनाथ	3796, 3857, 3891
39.	जिन्दल, श्री नवीन	3849, 3886, 3906, 3915
40.	कलमाडी, श्री सुरेश	3927
41.	कनोडीया, श्री महेश	3865
42.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3808, 3921
43.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3777, 3795, 3847, 3866
44.	खां, श्री सुनील	3783, 3852, 3887, 3905, 3950
45.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3765
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3845, 3880, 3902, 3952
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3770, 3919
48.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3933, 3937
49.	कृष्ण, श्री विजय	3800
50.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	3914
51.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	3921
52.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3818
53.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3839, 3879
54.	महरिया, श्री सुभाष	3951

1	2	3
55.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3797, 3799, 3872
56.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3923
57.	महताब, श्री भर्तृहरि	3792
58.	महतो, श्री टेक लाल	3823, 3924
59.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	3782, 3874
60.	माने, श्रीमती निवेदिता	3906
61.	मनोज, डा. के. एस.	3921
62.	मसूद, श्री रशीद	3766, 3808, 3859, 3896, 3940
63.	मिडियम, डा. बाबू राव	3820, 3870, 3894
64.	मेघवाल, श्री कैलाश	3801
65.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3871
66.	मैन्या, डा. टोकचोम	3852
67.	मिश्रा, डा. राजेश	3815
68.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3767, 3790
69.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3821
70.	मोहन, श्री पी.	3865
71.	मोहिते, श्री सुबोध	3789, 3855, 3885, 3911
72.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3801, 3869, 3893
73.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3768, 3787, 3951
74.	नायक, श्री अनन्त	3889
75.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3814, 3822, 3878, 3908
76.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3771, 3846, 3881, 3904, 3947
77.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3768, 3787
78.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3795, 3808, 3824, 3865, 3951
79.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	3778, 3862, 3895
80.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3797
81.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3861, 3901, 3912, 3946

1	2	3
82.	पटैरिया, श्रीमती नीता	3785, 3844, 3951
83.	पाठक, श्री ब्रजेश	3836, 3852
84.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3819
85.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3768, 3782
86.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3830
87.	पटले, श्री शिशुपाल एन	3841, 3878, 3913
88.	पॉल, डा. सिबैस्टियन	3812
89.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3804
90.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3793, 3934
91.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3797
92.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	3806
93.	राजगोपाल, श्री एल.	3925, 3936, 3945
94.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3776
95.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3784, 3843, 3884, 3907, 3916
96.	राणा, श्री काशीराम	3817
97.	रावले, श्री मोहन	3824
98.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3780, 3824, 3924
99.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3842, 3882, 3903, 3914
100.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3829, 3906
101.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3799, 3872
102.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3858, 3890, 3943, 3951
103.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3851
104.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3906
105.	सत्पथी, श्री तथागत	3781
106.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3821, 3877
107.	सेनथिल, डा. आर.	3802, 3876, 3935
108.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3793
109.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3801
110.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3826, 3866, 3873, 3938
111.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3841, 3878, 3913
112.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	3782, 3951
113.	सिदीश्वर, श्री जी. एम.	3820, 3827
114.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3797, 3833
115.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3774
116.	सिंह, चौधरी लाल	3831
117.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3906
118.	सिंह, श्री मोहन	3828
119.	सिंह, श्री सुग्रीव	3864, 3889, 3941, 3949
120.	सिंह, श्री उदय	3795, 3927, 3951
121.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3838, 3951
122.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	3865
123.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3775
124.	सुब्बारायण, श्री के.	3807, 3808
125.	सुमन, श्री रामजीलाल	3818
126.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3786
127.	थामस, श्री पी.सी.	3837, 3928
128.	तुम्मर, श्री वी.के.	3810, 3875
129.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3867, 3892, 3910, 3917
130.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3805, 3856, 3899, 3944
131.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3766
132.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3826, 3873, 3913, 3918, 3929
133.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3853, 3951
134.	यादव, श्री बालेश्वर	3865
135.	यादव, श्री गिरिधारी	3772, 3810, 3853
136.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3840, 3932, 3953

अनुबंध - II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि और ग्रामीण उद्योग	
वाणिज्य और उद्योग	384, 386, 387, 389, 391, 394, 396, 399, 401
गृह	382, 388, 395, 397, 398
मानव संसाधन विकास	385, 393
खान	390
लघु उद्योग	
वस्त्र	400
जनजातीय कार्य	383, 392
महिला और बाल विकास	:

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि और ग्रामीण उद्योग	3766, 3773, 3777, 3788, 3813, 3816, 3823, 3847, 3848, 3877, 3884, 3919, 3937
वाणिज्य और उद्योग	3769, 3780, 3809, 3811, 3814, 3819, 3820, 3822, 3824, 3825, 3828, 3829, 3830, 3833, 3835, 3837, 3838, 3840, 3843, 3846, 3849, 3850, 3852, 3853, 3856, 3863, 3866, 3872, 3873, 3880, 3882, 3883, 3898, 3903, 3904, 3906, 3910, 3913, 3916, 3921, 3923, 3924, 3927, 3928, 3932, 3935, 3939, 3940, 3944, 3946, 3948, 3950, 3951
गृह	3765, 3768, 3775, 3778, 3781, 3782, 3787, 3789, 3791, 3793, 3795, 3796, 3798, 3801, 3804, 3805, 3810, 3812, 3815, 3817, 3818, 3831, 3841, 3851, 3857, 3858, 3862, 3865, 3871, 3874, 3875, 3879, 3881, 3886, 3888, 3890, 3891, 3896, 3899, 3909, 3912, 3914, 3947
मानव संसाधन विकास	3767, 3770, 3771, 3774, 3790, 3800, 3802, 3827, 3836, 3854, 3859, 3876, 3878, 3893, 3895, 3897, 3915, 3917, 3918, 3920, 3929 3931, 3938, 3942, 3945, 3949, 3953
खान	3783, 3792, 3834, 3908

लघु उद्योग	3776, 3832, 3839, 3900
वस्त्र	3772, 3779, 3785, 3797, 3799, 3803, 3806, 3807, 3826, 3842, 3844, 3845, 3855, 3867, 3868, 3870, 3885, 3887, 3892, 3901, 3905, 3911, 3922, 3952
जनजातीय कार्य	3794, 3864, 3889, 3894, 3907
महिला और बाल विकास	3784, 3786, 3808, 3821, 3860, 3861, 3869, 3902, 3925, 3926, 3930, 3933, 3934, 3936, 3941, 3943

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।